,9 दिसम्बर, 1994
अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 3, शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 1994/18 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	41 से 45	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		22—224
तारांकित प्रश्न संख्या :	46 से 60	22—38
अतारांकित प्रश्न संख्या :	396 से 422, 424 से 553, 100, 424	
	555 से 610 और 612 से 626	38—224
लखनऊ के दारूल उलूम नदवा तुल उलमा के छात्रावास में पुलिस द्वारा तलाशी लिये जाने के बारे में		224—241
श्री मोहम्मद यूनुस सलीम		224—225
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		225—227
श्री ई. अहमद		227—228
श्री चन्द्रजीत यादव		228—231
श्री चन्द्र शेखर		231—233
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी		233
श्री सैफुद्दीन चौधरी		233
श्री रामसागर		234
श्री भोगेन्द्र झा		234—236
श्री विद्याचरण शुक्ल		236—237
सभा पटल पर रखे गए पत्र		242—244
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
तेरहवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत		244
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
कार्यवाही सारांश–सभा पटल पर रखा गया		244
सभा का कार्य		245—247
समिति के लिए निर्वाचन		
कॉफी बोर्ड		247—248
विशेष संरक्षा ग्रुप (दूसरा संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित		248
विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण		248
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित		248
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण		249

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक–(पुरःस्थापित)	249
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण	249
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाइसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव	250—267
श्री के.वी. तंग्का बालू	250—260
श्री राम विलास पासवान	260—262
श्री भोगेन्द्र झा	263—264
श्री राम–निहोर राय	264
श्री नीतीश कुमार	264—265
श्री सैयद मसूदल हुसैन	265
विधेयक –पुरःस्थापित	268—270
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक–(अनुसूची में संशोधन)	
श्री बसुदेव आचार्य	268
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक–(अनुसूची में संशोधन)	
श्री याइमा सिंह युमनाम	268
पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा ११, आदि में संशोधन)	
श्री गुमान मल लोढा	268
पिछड़े राज्यों के उद्योगों के लिए बिजली की अविच्छिन्न पूर्ति बनाए रखना विधेयक	
श्रीमती भावना चिखलिया	269
चक्रवात, भूकंप और बाढ़ पीड़ित (वित्तीय सहायता और पुनर्वास) विधेयक	
श्रीमती भावना चिखलिया	269—270
गन्दी बस्तियां और झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र (बुनियादी सुख–सुविधाएं और अपसारण) विधेयक	
श्रीमती भावना चिखलिया	270
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों (सरकारी सेवाओं में) का आरक्षण विधेयक विचार के लिए प्रस्ताव	270—312
डा. पी. वल्लल पेरूमान	270—277
श्री नवल किशोर राय	277—280
प्रो. के.वी. थामस	280—282
श्री संतोष कुमार गंगवार	282—284
श्रीमती संतोष चौधरी	284—286
श्री चन्द्रजीत यादव	286—302
डा. जी.एल. कनौजिया	302—303

विषय	कालम
श्री पी.पी. कालियापेरूमल	303—305
श्री कालकादास	305—311
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने संबंधी करार का अनुसमर्थन करने का सरकार का निर्णय	
श्री प्रणव मुखर्जी	299—302

लोक सभा

शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 1994/18, अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स के अलाभकारी मार्ग

+

*41. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्रीमती सरोज दूबे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अलाभकारी मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स की ऐसी उड़ानों को बंद करने से अनुमानतः कितनी धनराशि की बचत होगी; और

(घ) इसके कारण फालतू हो जाने वाले विमानों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जो मार्ग अनुकूलिक महत्व के हैं, भले ही ये अलाभकारी हों, उन पर इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं बन्द करने का सरकार का विचार नहीं है। तथापि, हानियां कम करने के लिए, इंडियन एयरलाइन्स मार्गों को युक्तियुक्त बनाने का सोच रही है।

(ग) संभावित बचतें, युक्तियुक्तकरण की सीमा से संबंधित हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : मान्यवर अध्यक्ष जी, मंत्री जी का उत्तर अस्पष्ट है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण विभाग को सरकार बराबर उपेक्षा की दृष्टि से देखती रही है और इतने बड़े महत्वपूर्ण विभाग का आज भी कोई स्वतंत्र सचिव और चेयरमैन नहीं है जिससे नीतियों का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। इंडियन एयरलाइन्स को 73 करोड़ रूपये का प्रति वर्ष घाटा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने लाभकारी और अलाभकारी मार्ग हैं तथा किन–किन लाभकारी मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स और प्राइवेट एयरलाइन्स के विमान चलते हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो माननीय सदस्य ने यह कही कि न सेक्रेटरी है और न ही चेयरमैन है।

श्री राम प्रसाद सिंह : मैंने यह कहा है कि कोई स्वतंत्र सचिव और चेयरमैन नहीं है।

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, उनके इंडिपेंडेंट चार्ज के बारे में सवाल मुझ से पूछ रहे हैं ... **(व्यवधान)** जहां तक इकोनामिक और अनइकोनामिक रूट्स का सवाल है, इंडियन एयरलाइन्स की तकरीबन 139 सर्विसेज रोजाना चलती हैं जिसमें से 19 इंटरनेशनल है और 20 डोमैस्टिक हैं। इनमें से 92 सर्विसेज ऐसे हैं जो कैश कॉस्ट ऑफ अपरेशन है जो कि उसको पूरा करती है और 13 सर्विसेज ऐसी हैं जो कि टोटल कॉस्ट को पूरा करती है। 34 ऐसी हैं जो बिल्कुल अनइकोनामिक हैं जिन में न तो कैश कॉस्ट और न ही टोटल कॉस्ट इस कार्पोरेशन को मिलता है। जहां तक प्राइवेट एयरलाइन्स का सवाल है, इसकी बहुत लम्बी सूची है जिस को यहां कहना बड़ा मुश्किल होगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : संख्या बता दें।

श्री गुलाम नबी आजाद : जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइवेट एयरलाइन्स का पहले शेड्यूल नहीं बनाया गया था। अभी एक महीने पहले ही प्राइवेट एयरलाइन्स शेड्यूल के रूप में आ गई है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि फस्ट दिसम्बर को पहली दफा रैशनलाइजेशन ऑफ रूट शुरू हो गया और इसके हिसाब से 3–4 एयरलाइन्स ने उसे शुरू किया और 3–4 ने एक्सटैंशन मांगा है। हमें उम्मीद है कि एक महीने में सभी इसके हिसाब से अपनी सेवा शुरू कर देंगे। तीन रूट्स हमारे पास हैं–एक प्राफिट मेकिंग रूट्स हैं, दूसरे ब्रेक ईवन वाले हैं और तीसरे अनइकॉनामिक ऐंड फार फलंग एरियाज हैं। जो शेड्यूल अभी–अभी बना है, उसके हिसाब से पहली दिसम्बर से प्राइवेट एयरलाइन्स ने इन तीनों रूट्स पर जहाज चलाने शुरू कर दिये हैं।

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या आप इंडियन एयरलाइन्स को अलाभकारी मार्गों पर चलने के लिए मजबूर करेंगे या निजी कम्पनियों को ही मजबूत करेंगे ?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, हमने अभी पहली दिसम्बर से लागू किया है। अभी तक प्राइवेट एयरलाइन्स प्राफिट मेकिंग पर चलती थी। जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का सवाल है, अनइकोनॉमिक और ब्रेक–इवन रूट्स पर चलती थी, लेकिन जब से प्राइवेट एयरलाइन्स भी शैड्यूल एयरलाइन्स बन गई, तो प्राइवेट एयरलाइन्स और इंडियन एयरलाइन्स के बीच में रूट्स को बांटा गया है।

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि देश में बहुत से ऐसे अलाभकारी मार्ग हैं, जहां विमान सेवा जारी रखने पर इंडियन एयरलाइन्स को बहुत घाटा होता है। परन्तु देश में ऐसे बहुत से स्थान हैं, जिनका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत महत्व है। जैसे इलाहाबाद, झांसी, कानपुर, पंचमढ़ी, कान्हा केसरी, निकोबार आदि। आप जानते हैं कि देश की पूरी संस्कृति इलाहाबाद की तीन नदियों के संगम से जुड़ी हुई है। झांसी का अपना ऐतिहासिक महत्व है। कानपुर व्यावसायिक दृष्टि और पंचमढ़ी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री महोदय

से जानना चाहती हूं, विशेष महत्व के जो स्थान हैं, वहां पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नियमित रूप से या सप्ताह में दो या तीन दिन विमान सेवा जारी करने का इरादा है? यदि हां, तो प्रारम्भ में सरकार ने ऐसे कितने स्थानों का चयन किया है, जहां पर विमान सेवा जारी करेंगे? यदि नहीं, तो इतने महत्वपूर्ण जो नगर हैं, जो स्थान हैं, उनको क्या आप भारतीय पर्यटन मानचित्र से अलग रखना चाहते हैं, विमान सेवाओं से वंचित रखना चाहते हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक स्ट्रैटिक जगहें या टूरिस्ट से संबंधित जगहें हैं या रिलीजियस जगहें हैं, उनको हम महत्व जरूर देते हैं। जहां बिल्कुल ही टूरिस्ट ट्रैफिक नहीं है, वहां प्राइवेट एयरलाइन्स के लिए भी और टाउन कार्पोरेशन के लिए भी संभव नहीं है। इस वक्त 17 एयरलाइन्स चल रही हैं और इन 17 में से 10 एयरलाइन्स शैड्यूल एयरलाइन्स द्वारा ऑपरेट की जा रही है और सात एयर-टैक्सीज के रूप में चलती है। ये सात एयर-टैक्सीज कानपुर जैसी जगहों के लिए शुरू की थी, लेकिन वे फेल हो गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दिल्ली के नजदीक तीन-चार घन्टे की दूरी की जो जगहें हैं, जैसे चण्डीगढ़, कानपुर या लखनऊ, इन स्थानों के लिए सुपरफास्ट ट्रेन्स शुरू हो गई हैं, इस वजह से भी एयर-ट्रैफिक कम हो गया है। कानपुर हमने शुरू किया था, लेकिन पैसेंजर लोड नहीं है। इसी साल एक प्राइवेट एयर-टैक्सी शुरू की थी, लेकिन इस स्थान पर सुपर-फास्ट ट्रेन होने की वजह से इसे एक-डेढ़ महीने बाद बन्द करना पड़ा।

श्रीमती सरोज दुबे : मंत्री कृपया इलाहाबाद के बारे में बतायें। यहां कुम्भ मेला लगता है और धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री गुलाम नबी आजाद : कुम्भ मेला तो एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए लगता है। ...**(व्यवधान)** जहां तक इलाहाबाद का प्रश्न है, मुझे याद है पिछले साल मैंने बताया था, तीन साल पहले इलाहाबाद के लिए सर्वे किया था। वहां पर मैक्सिमम 12 और मिनिमम 3 के बीच में पैसेंजर थे, तो क्या इस स्थिति में कोई एयरलाइन्स चल सकती है। ...**(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश और बिहार के जो क्षेत्र है इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर और बुद्धिष्ट क्षेत्र हैं, इन स्थानों के लिए हमने एक महीने पहले यू.पी. एयरवेज चलाई है। इसमें यू.पी. की सरकार है और इक्विटी पार्टिसिपेशन है।

उनको एक नया लाइसेंस दिया है जो इसी एरिया में और जिन तमाम जगहों की मैंने चर्चा की, जैसे इलाहाबाद वगैरह को मिला करके उन्होंने माना है कि इस रूट पर वे हवाई-जहाज चलाएंगे।

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, निर्धारित सेवाओं पर प्रचालन हेतु निजी एयर टैक्सियों की अनुमति प्रदान करते समय सरकार ने समय-समय यह घोषणा की थी कि मुख्य मार्गों और लाभकारी मार्गों पर विमान सेवा संचालित करने वाली निजी विमान कम्पनियों से एक अलाभकारी या कम लाभकारी मार्ग पर भी अपनी सेवा शुरू करने के लिए कहा जायेगा। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा किया जा रहा है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे दुर्गम क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है ?

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि एक विमान सेवा दिल्ली-कलकत्ता-गुवाहाटी मार्ग में प्रारम्भ की गई है और दूसरी डिब्रूगढ़ और कलकत्ता के बीच प्रस्तावित है। परन्तु मध्य क्षेत्र में क्या किया गया है? गुवाहाटी बिल्कुल पश्चिम में है और डिब्रूगढ़ बिल्कुल पूर्व में स्थित है। गुवाहाटी और दिल्ली मार्ग को जोरहाट और तेजपुर से कब जोड़ा जायेगा?

श्री गुलाम नबी आजाद : जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि इन एयरलाइन्स की अनुसूचित एयरलाइन्स बन जाने के पश्चात् इन्हें अलाभकारी मार्गों पर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अपनी सेवा प्रारम्भ करनी होगी। उन्हें अपनी 10 प्रतिशत उड़ानें पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरम्भ करनी होगीं और इस 10 प्रतिशत में से पूर्वोत्तर क्षेत्र का अधिकांश भाग निजी एयरलाइन्स द्वारा और सरकारी एयरलाइन्स द्वारा कवर कर लिया जायेगा।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि कुछ ऐसी विमान सेवाएं हैं जो लाभ में हैं लेकिन उनके बावजूद भी कुछ मार्गों पर, जैसे बम्बई, इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली, इन मार्गों पर नियमित सेवा न करके आप सप्ताह में केवल 4 या 5 दिन की सेवाएं दे रहे हैं, क्या इनकी लाभ की स्थिति होने से उनको नियमित करने जाएंगे। क्या सप्ताह में पूरे सातो दिन इनको सेवाएं मिलेंगी?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया कि अब रेशनलाइजा कर रहे हैं जो इम्पोरटेंट रूट्स हैं जैसे अगर चार दिन इंडियन एयरलाइन्स चलती हैं तो तीन दिन उसमें प्राइवेट एयरलाइन्स चलेगी। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि सात के सात दिन इंडियन एयरलाइन्स चलेंगी, इस तरह से अभी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्लेग का पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव

\+

*42. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
डॉ. पी. वल्लल पेरुमान :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्लेग की बीमारी के फैलने से देश में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सामान्य स्थिति बहाल करने और विदेशी पर्यटकों के मन से भय दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबंस कौर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष की सदृश अवधि की तुलना में, सितम्बर 1994 तक पर्यटक आगमन में लगभग 17.2 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्लेग की घटना तथा इसके प्रतिकूल प्रचार ने न केवल वृद्धि पर ही प्रहार किया बल्कि अक्तूबर के पहले पखवाड़े में लगभग 46 प्रतिशत की भारी कमी भी उत्पन्न की और महीने के अंत में कुल मिलाकर यह कमी 34.8 प्रतिशत रही। तथापि, नवम्बर के दौरान यह कमी घटकर 16.9 प्रतिशत रह गई तथा दिसम्बर, 1994 के पहले 4 दिनों में आगमन में 0.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी। आगमन में कमी होने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के अर्जन में लगभग 385.33 करोड़ रूपये का घाटा रहा है।

(ग) प्रतिकूल प्रचार को प्रभावहीन करने और विदेशी पर्यटकों के मन से डर दूर करने के लिए पर्यटन विभाग और एयर इंडिया द्वारा कड़े कदम उठाए गए थे जो नीचे बताए गए हैं :

(1) भारत में प्लेग की घटना से संबंधित तथ्यपूर्ण सूचना नियमित आधार पर विदेश स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों को दी गई थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यवसाय, मीडिया और पर्यटकों को पूरी तरह से ब्यौरेवार जानकारी दी।

(2) विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों और एयरइंडिया कार्यालयों ने उनके अपने-अपने क्षेत्रों में मीडिया तथा यात्रा व्यवसाय के साथ उनके मन से सभी डर दूर करने हेतु नियमित रूप से बैठकें की।

(3) अपने इस दृष्टिकोण की विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए समस्या को स्थानीकृत कर लिया गया है तथा सूरत के अतिरिक्त अन्य सभी स्थान यात्रा हेतु सुरक्षित है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी वक्तव्य का विदेश में व्यापक प्रचार किया गया था।

(4) विदेश स्थित कार्यालयों के चालू प्रचार तथा संवर्धनात्मक कार्यक्रमों का परिवर्तित स्थिति से मेल बैठाने के लिए पुनः अनुस्थापन किया गया।

(5) मुख्य धारा वाले मीडिया, यात्रा मीडिया तथा यात्रा व्यवसाय को भारत का दौरा करने हेतु एक खुला निमंत्रण दिया गया था कि वे स्वयं वस्तु-स्थिति को देखें तथा अपने देशों में लौट कर तथ्यात्मक स्थिति बताएं। इस प्रयोजन के लिए एयर इंडिया ने 500 निःशुल्क यात्राओं की पेशकश की है। अब तक 282 व्यक्तियों ने देश का दौरा किया है और सकारात्मक प्रचार किया है।

(6) प्लेग पर रिपोर्टों के कारण उत्पन्न हुए डर को दूर करने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थिति से शीघ्र निपटने हेतु, जो कि हर प्रकार से सीमित तथा नियंत्रित कर ली गई थी, नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर सिलसिलेवार साक्षात्कार दिए गए थे। इनमें बी.बी.सी., अमेरिकन टेलीविजन सी. बी.एस., कनेडियान टेलीविजन तथा दूरदर्शन शामिल हैं।

(7) नागर विमानन और पर्यटन मंत्री ने गल्फ क्षेत्र में अपने प्रतिपक्ष के साथ व्यक्तिगत रूप से बात की तथा उड़ानों के पुनः आरम्भन हेतु दिल्ली में तैनात उनके राजदूतों के साथ सम्पर्क बनाए रखा।

(8) नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री ने विश्व-भर में एयर इंडिया के प्रबंधकों से बातचीत की तथा उन देशों में एयरलाईनों तथा व्यवसाय में आत्म-विश्वास जगाने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों हेतु निर्देश दिए।

(9) स्थिति की जांच तथा प्रतिकूल प्रचार के खण्डन हेतु सुधारात्मक उपायों के लिए पर्यटन राज्य मंत्री ने एक अन्तः मंत्रीवर्गीय बैठक ली।

(10) यात्रा व्यवसाय तथा उपभोक्ताओं को पुनः आश्वस्त करने के लिए पर्यटन राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक उद्योग प्रतिनिधि-मण्डल ने कुछ मुख्य पर्यटक उत्पादक देशों का दौरा किया।

(11) स्थिति से आशंकित विदेशी पर्यटकों, उनकी सरकारों तथा एयरलाईनों को पुनः आश्वस्त करने की दृष्टि से निर्गामी सवारियों की चिकित्सा जांच तथा वायुयानों का धूम्रीकरण का कार्य आरंभ किया गया।

(12) नागर विमानन सचिव ने सभी विदेशी एयरलाइनों के साथ, उन्हें उड़ाने दोबारा शुरू करने हेतु प्रभावित करने के लिए तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराने हेतु एक बैठक की।

(13) जब से प्लेग का प्रकोप हुआ, भारत ने कई महत्वपूर्ण यात्रा बाजारों तथा उत्सवों जैसे कि, विश्व यात्रा बाजार, लंदन; गल्फ पर्यटन उत्सव, अबधूबी; प्रोत्साहन एक्स्पो, पैरिस; कोलोन टूरिज्म इंटरनेशनल मेसस, फ्रेंकफर्ट; बस्सल्ज व्यवसाय उत्सव, एम्स्टर्डम, फिलोक्सेनिआ पर्यटन उत्सव, ग्रीस; में भाग लिया।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान मीडिया ने भारत में प्लेग के बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार किया है। उसने न केवल अपनी विमान सेवा ही रद्द की बल्कि खाड़ी देशों को भी अपनी विमान सेवाएं रद्द करने के लिए भड़काया गया। सरकार द्वारा पाकिस्तान के इस प्रचार का जोरदार खंडन न करने का क्या कारण है? यदि यह सरकार समय पर कार्यवाही करती तो पर्यटन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से देश को बचाया जा सकता था।

श्रीमती सुखवंस कौर : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि प्लेग का प्रचार हुआ और इसका प्रचार पाकिस्तान तथा अन्य देशों ने भी किया, लेकिन यह सही नहीं है कि हमने ठीक समय पर कार्यवाही नहीं की और उस प्रचार का खंडन नहीं किया। जहां भी यह प्रचार हुआ, हम लोगों ने देश में, विदेश में पूरे कदम उठाए, इसी वजह

से शुरू में अक्तूबर में 40 प्रतिशत कमी थी और आज हम तकरीबन 0.7 परसेंट पर जा रहे हैं।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार उचित समय पर अपना कदम उठाती तो 385.33 करोड़ रूपए का घाटा नहीं होता। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस घाटे की कमी के लिए कौन जिम्मेदार होगा और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी?

लेकिन मुझे खुशी होती कि हमारे सदस्यगण भी कभी-कभी अखबारों के डर से दूर रहते। अखबारों से ऐसे डरा जाता है, जैसे कोई शेर से डर जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम सदन में भी माफी मांगते हैं और बाहर जनता के सामने भी माफी मांगते हैं। मैंने प्रेस कांफ्रेंस और पब्लिक मीटिंग्स में भी कहा है कि इस घटना को यदि किसी ने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है तो वह हमारा मीडिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का भी इसमें हाथ रहा है। उससे तो हम अपेक्षा नहीं करते हैं कि वह हमारे लिए प्रचार करेगा। वह तो कल भी हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करता था, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन जिस तरह से आउट आफ प्रपोर्शन इस चीज को बढ़ाया गया...

श्री राम विलास पासवान : मीडिया में टीवी और रेडियो भी आता है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं सभी की बात कर रहा हूं। मुझे निजी अनुभव है जब मैंने विदेशों में वहां के पर्यटन मंत्रियों, सिविल एवीएशन मिनिस्टर्स, ट्यूरिस्ट आफिसर्स, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स, एयर इंडिया के लोगों से बात की तथा ट्रेवल एजेंट्स और ट्यूर आपरेटर्स से भी बात की तो उन्होंने कहा कि सब लोगों ने आपके पेपर्स को ही कोट करके यह लिखा है। मेरे ख्याल में कभी-कभी हमें इस बारे में भी चर्चा करनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. वल्लल पेरूमान।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : मुझे बहुत दुःख है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुन्डा जी, उनका नाम सूची में है। मुझे उन्हें अनुमति देना ही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुन्डा जी, उनकी बात समाप्त होनें और उन्हें जवाब मिल जाने के पश्चात् मैं आपको यह प्रश्न करने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जायें।

डा.पी. वल्लल पेरूमान : महोदय, प्रधान मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर बिल्कुल ठीक है। परन्तु साथ ही इस जानलेवा महामारी का प्रकोप पुनः फैलने से रोकने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। बताया जाता है कि न्यूमोनिक प्लेग जो सूरत शहर में फैला था वह रिहायशी और वाणिज्यिक क्षेत्रों से कूड़े-करकट के ढ़ेर को हटाने में नगर प्राधिकारियों की असफलता के कारण फैला था। अनधिकृत कालोनियों और गन्दी बस्तियों की संख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जब तक कि नगर प्राधिकारियों द्वारा सफाई हेतु स्थायी कदम नहीं उठाये जायेगें, विश्व समुदाय का यह विश्वास नहीं लौटाया जा सकता है कि भारत पर्यटन हेतु एक सुरक्षित स्थान है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या पर्यटन मंत्रालय द्वारा शहरों की सफाई हेतु कोई नीति तैयार की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। मुन्डा जी, अब आप अपनी बात प्रारम्भ करें।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : इस सम्मानणीय सभा को यह बताते हुए मुझे अत्यन्त दुःख होता है कि सभी पयर्टक भारत को "फ्री टूरिस्ट सेन्टर" समझ कर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किस प्रकार मंत्री जी ने सदन में उत्तर दिया है। मैं नहीं जानता हूं कि मंत्री जी पुरूष चिकित्सक हैं या महिला चिकित्सक। हमें मंत्री जी से यह पूछना चाहिए कि यह बीमारी संक्रामक है या नहीं। विदेशियों सहित अनेक व्यक्ति प्लेग से पीड़ित हैं परन्तु वे शिकायत नहीं कर रहे हैं। फिर यह प्रश्न सभा में किस प्रकार उठा? खैर चूंकि यह प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु यह गलत बात है।

क्या मैं सरकार और माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने भारत आने वाले पर्यटकों की यह पता लगाने के लिए जांच की है कि वे बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हैं या स्वस्थ्य व्यक्ति? माननीय मंत्री जी मुझे यह बतायें।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि हम यहां दो मंत्री उपस्थित हैं। वह "महिला चिकित्सक" नहीं हैं और मैं "पुरुष चिकित्सक" नहीं हूं।

अध्यक्ष महादेय : उन्होंने अंग्रेजी शैली को समृद्ध बनाया है।

श्री शरद दिघे : उत्तर (ख) में दिये गये आंकड़ों से ऐसा लगता है कि प्लेग के समाचार से पयर्टकों की संख्या में आई अत्यधिक गिरावट में सुधार लाने में लगभग दो महीने का समय लग गया।

सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत में पर्यटकों की संख्या में कमी आने के जिम्मेवार कौन-कौन देश थे। दूसरे, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, आपके मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच क्या किसी प्रकार का समन्वय था।

श्री गुलाम नबी आजाद : हमें सबसे गहरा आघात खाड़ी देशों से पहुंचा था क्योंकि विमान सेवायें बिल्कुल बन्द हो गई थी। कोई भी विमान सेवा चालू नहीं थी।

जहां तक देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आने का संबंध था ऐसा मुख्य रूप से यूरोपीय देशों से था जहां से कि सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। इस मुद्दे से संबंधित यही क्षेत्र हैं। जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका का या कनाडा का सम्बन्ध है, उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा था।

जहां तक समन्वय का संबंध है, इस मामले में समन्वय था। यहां तक कि मंत्रिमंडल सचिवालय स्तर पर भी समन्वय था और मंत्रिमंडल सचिव की पर्यटन सचिव, नागर विमानन सचिव और

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक भी हुई थी। अपने स्तर पर भी हम एक दूसरे के सम्पर्क में थे। मुझे यह कहना चाहिए कि हमारे समन्वित प्रयासों से, न केवल दो या तीन मंत्रालयों के बीच बल्कि अपने विदेश कार्यालयों के साथ और दिल्ली में स्थित विभिन्न देशों के संबंधित राजदूतों के साथ मिलकर किये गये हमारे प्रयासों के कारण हम यथा संभव कम से कम समय में स्थिति में सुधार कर पाये। जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी-अभी कहा कि अक्तूबर के महीने में पर्यटकों का आना विगत वर्ष के इसी समय ही तुलना में 46 प्रतिशत तक कम हो गया था। परन्तु अब हमें खुशी है कि दो महीने में ही, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिए बहुत ही कम समय है, हम स्थिति में सुधार कर पाने में सक्षम हो गये। अब विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हमारे आंकड़े न केवल समतुल्य हैं बल्कि विगत दिसम्बर की तुलना में यह 0.7 प्रतिशत अधिक हैं।

ऋण की प्रमुख दरें

\+

43. **श्री ब्रह्मानन्द मण्डल :**
श्री गुरूदास कामत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण की प्रमुख दरें स्वयं निर्धारित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय का औचित्य क्या है;

(ग) ऋण लेने वालों पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि पर ब्याज दरों में तदनुरूप कमी के क्या दुष्परिणाम होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) दिनांक 18 अक्तूबर, 1994 से प्रभावी और उस तारीख से तत्काल पहले का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण दर ढांचा नीचे दिया गया है :

(प्रतिशत वार्षिक)

ऋण सीमा का आकार	18 अक्तूबर, 1994 से पहले की दरें		18 अक्तूबर, 1994 से प्रभावी दरें
	सावधि ऋण	अन्य सभी अग्रिम	सभी अग्रिम (सावधि ऋण सहित)
1. 25,000/- रू. तक और उसके सहित	12.0	12.0	12.0
2. 25,000/- रु. से अधिक और दो लाख रू. तक	14.0	15.0	13.5
3. दो लाख रू. से अधिक	14.0 (न्यूनतम)	15.0 (न्यूनतम)	स्वतंत्र

उपर्युक्त स्थिति से यह देखा जा सकता है कि दो लाख रूपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए अपनी ऋण दरें निर्धारित करने हेतु अब बैंकों को स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऋण की मूल दरों के लिए बैंकों को अपने-अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है जो दो लाख रूपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए अच्छी साख वाले ग्राहकों से बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली न्यूनतम दर होगी। प्रत्येक बैंक द्वारा ऋण की मूल दर की घोषणा की जानी आवश्यक है और उसे उसकी सभी शाखाओं में समान रूप से लागू किया जाना होगा। तथापि दो लाख रूपए तक की ऋण सीमाओं की ऋण दरों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा। ऋण की दरों के उपर्युक्त युक्तियुक्तकरण से ब्याज दरों का ऐसा ढांचा बनेगा जिसके द्वारा बैंक उधारकर्त्ताओं से ब्याज दरें प्रभारित करने में ऐसा लचीलापन ला सकेंगे जो बैंक की निधियों की लागत का द्योतक होगा और साथ ही बैंक अच्छे ऋण रिकार्ड वाले उधारकर्त्ताओं को उत्तम दरें प्रदान कर सकेंगे। यह बैंक ऋण में वृद्धि भी सुनिश्चित करेगा जो औद्योगिक क्रियाकलापों में वृद्धि से जुड़ा है। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे अपने संसाधनों का उपयोग करें।

(घ) वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर उल्लिखित ब्याज दर ढांचे के हाल ही के सरलीकरण में वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा राशियों पर ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन बचत जमा खाते की ब्याज दर में पहली नवम्बर, 1994 से 0.5% की कमी कर उसे 5.0% से घटाकर 4.5% कर दिया गया है। बचत जमा खाते की ब्याज दर को कम करने से बैंकों द्वारा जमा राशियां जुटाए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि दो लाख रूपये की सीमाओं तक दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता वाणिज्यिक बैंकों को दे दी गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, विदेशी बैंकों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बैंकों पर यह नियम लागू होगा? अगर यह नियम सरकार की नई आर्थिक नीति के घोषित होने पर लागू नहीं होती है तो क्या इन सारे बैंकों में अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होगी?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अक्तूबर, 1994 में घोषित की गई ऋण नीति के अनुसार यह तय किया गया कि 2 लाख रूपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में ऋण की मूल दरें को मुक्त किया जाए और बैंक ऐसी ऋण सीमाओं के लिए अपनी दरों का निर्धारण करने में स्वतंत्र होंगे। महोदय, अधिकतर बैंकों ने ऋण की मूल दर 14 प्रतिशत निर्धारित की है, जो अक्तूबर 1994 से पहले 15

प्रतिशत थी। मैंने अपने लिखित उत्तर में बता दिया है कि यह सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा स्पष्ट सवाल यह है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, निजी बैंक हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के और विदेशी बैंक हैं, क्या इन सभी बैंकों मे ये नियम लागू होंगे। यदि समान रूप से सब पर नियम लागू नहीं होते हैं और दर तय करने के लिए सब स्वतंत्र रहेंगे, तो क्या अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होगी, इस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिला।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, संबद्ध नियम और विनिमय सभी अनुसूचित बैंको पर समान रूप से लागू होते हैं। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक निजी बैंक और निजी विदेशी बैंक शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि जनवरी 1994 से दर 0.5 प्रतिशत कम कर के उसको घटा कर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया है और कहा गया है कि ब्याज दर कम करने से जमा राशियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंको में लोग चाहते हैं कि अधिक ब्याज मिले फिर ब्याज दर कम करने से कैसे जमाकर्त्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक जमा राशि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए आपने क्या उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यह सही है कि 1 नवंबर 1994 से बचतों पर ब्याज की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4.5 प्रतिशत सालाना कर दिया गया है। तथापि 46 दिनों के लिए सावधि जमाराशियों पर 7 प्रतिशत की ब्याज दर दी जा रही है। इस उच्च दर का निर्धारण इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि बचत खाते के एक बड़े भाग का उपयोग आवश्यक रूप से चालू खाते के रूप में किया जाता है। अतः हमारा विचार है कि ब्याज दर में परिवर्तन करने से बैंको द्वारा जमाराशियों जुटाए जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं इस पुनीत सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि 1993-94 के दौरान जमा राशियों में केवल 23, 059 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई, जबकि 1994-95 के दौरान, 11 नवंबर 1994 तक यही राशि 41, 336 करोड़ रूपए थी।

अध्यक्ष महोदय : वे उस औचित्य के विषय में जानना चाहते हैं, जिससे आप यह निष्कर्ष निकालते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, बचत खातों के काफी बड़े भाग को चालू खाते के रूप में परिचालित किया जाता है। अतः बैंको का यह सोचना उचित है कि चूंकि चालू खातों पर कोई ब्याज दर नहीं लगता, बचत खातों पर दिए जाने वाले ब्याज दरों में कुछ कमी की जा सकती है। जो सचमुच बचत कर रहे हैं, अर्थात जो वास्तव में बचत खाता धारक हैं, उन्हें इस थोड़ी सी कटौती से कोई डर नहीं है क्योंकि 46 दिन और उससे अधिक की जमा राशियों पर उन्हें 7 प्रतिशत तक की ब्याज दर मिल जाएगी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : 46 से 90 दिनों के लिए निर्धारित जमाराशि की ब्याज दर 7 प्रतिशत है। वित्त मंत्रालय कुछ भी कहे, परंतु यह सत्य है कि मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत है। वे इस वर्ष के अनंतिम आंकड़ों की गणना इसी तारीख को पिछले वर्ष के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर करते हैं। इसी तारीख की अंतिम रूप से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्तमान अनंतिम आंकड़ों का अनुमान लगाने का उनके पास एक साधारण तरीका है और हर कोई जानता है कि विगत कई वर्षों से अंतिम रूप से प्राप्त आंकड़े अनंतिम आंकड़ों से ज्यादा हैं। उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि मुद्रा स्फीति की दर दो डीजिट में और 10 प्रतिशत है।

अगर बैंकों में निर्धारित जमाराशियों पर 7 प्रतिशत या 10 प्रतिशत की ब्याज दर है, तो वास्तविक दर शून्य है। अगर हम 10 प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर को देखते हैं, तो निर्धारित जमाराशियों पर 10 प्रतिशत की ब्याज दर और 46 से 90 दिनों की अवधि के लिए जमा राशियों पर 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर, नाम मात्र की ब्याज दर है।

क्या माननीय मंत्री इसको देखने के लिए और धन जमा करने की दरों में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, ताकि जमाकर्त्ताओं को ब्याज के रूप में अच्छी राशि मिल सके।

श्री मनमोहन सिंह : ब्याज का ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी संबद्ध तथ्यों को देखता है। मुद्रास्फीति की दर एक कारक है। निवेश कार्यकलाप को पुनः प्रारम्भ करना एक अन्य कारक है। बैंको द्वारा उत्पादन उद्देश्यों के लिए ऋण देने के संबंध में निधियों की लागत में वृद्धि से उत्पन्न प्रभाव एक अन्य कारक है। इन सभी कारकों को देखना पड़ता है। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक इन सभी कारकों से अवगत है और, अगर आवश्यक हुआ, तो वे स्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर ढांचे में परिवर्तन करेंगे।

श्री हरि किशोर सिंह : माननीय मंत्री ऐसे बोल रहे हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश और सरकार से भी ऊपर है। बैंको में थोड़ी सी बचत आम लोगों के लिए काफी सहायक होती है। उनके पास बैंको में जाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होता है। अतः बचत जमाराशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उन पर प्रभाव पड़ता है। क्या माननीय मंत्री इस मुद्दे पर ध्यान देंगे कि छोटे जमाकर्त्ता जो बचत बैंको में जमा करना चाहते हैं, घाटा उठा रहे हैं क्योंकि कई जगहो में, बचत बैंक नहीं हैं अतः क्या वे इस पर विचार करेंगे कि छोटे जमाकर्त्ता प्रभावित न हों। मैं जानना चाहता हूं कि दर को कम करने का क्या कारण है?

श्री मनमोहन सिंह : मैंने पहले ही बताया है कि एक कारक जिस पर बैंको को ध्यान देना पड़ता है, निधियों की लागत है और पूरे देश में, निवेश क्रियाकलाप को पुनः आरम्भ करने के लिए ऋण देने की दरों को कम किए जाने की आवश्यकता रही है। बैंक अनुदान देने वाली संस्थाएं नहीं है। उन्हें अपने द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर घटाना होता है और यह घाटा कहीं और से पूरा करना होगा और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वास्तव में बचत करने वालों को बचत जमा राशियों में की गई इस थोड़ी सी कटौती से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी वास्तविक बचत कर्त्ता, यदि बैंक में 46 दिनों के लिए धनराशि जमा रखता है, उसे 7 प्रतिशत तक का ब्याज मिलेगा।

श्री हरि किशोर सिंह : आपने जमा राशि पर ब्याज दर को 13 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। यह ठीक है। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह आवश्यक है। लेकिन आप गरीबों को सजा क्यों दे रहे हैं? वे प्रभावित हो रहे हैं। श्री मनमोहन सिंह जी, चौथे श्रेणी के कर्मचारी के लिए 46 दिन काफी समय है।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने उसका औचित्य पहले ही बता दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इससे किसी भी वास्तविक बचत कर्ता को परेशानी नहीं होगी।

श्री हरि किशोर सिंह : आपका ऐसा विश्वास हो सकता है। आपकी विश्वसनीयता को कोई चुनौती नहीं दी जा रही है। आपके तर्क को चुनौती दी जा रही है। **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : मुझे स्पष्ट करने दें। अगर कोई अपने बचत खाते को चालू खाते के रूप में चलाना चाहे, तो, मैं सोचता हूं कि यह एकदम उचित है कि उस पर दी जाने वाली ब्याज दर चालू खाते पर दी जाने वाली ब्याज के करीब हो, न कि उच्च ब्याज दर ढांचे के अनुसार हो।

श्री राम कापसे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो–तीन मुद्दों के विषय में जानना चाहूंगा। पहला है, शहरी सहकारिता बैंक, जिन्हें इस नई स्थिति में अनुसूचित बैंको के साथ स्पर्धा करनी होगी, की क्या स्थिति होगी? इस कर ढ़ांचे का शहरी सहकारिता बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मैं एक और मुद्दा उठाना चाहूंगा। माननीय मंत्री ने बताया कि प्रत्येक बैंक द्वारा ऋण की मूल दर की घोषणा की जानी आवश्यक है और उसे उसकी सभी शाखाओं में समान रूप से लागू किया जाना होगा। परंतु, उसके पश्चात् एक उल्लेख है कि इससे बैंक अच्छे ऋण रिकार्ड वाले उधार कर्त्ताओं को उत्तम दरें प्रदान कर सकेंगे। यह कैसे होगा? यदि बैंक की ब्याज दर सभी ऋणदाताओं, सभी शाखाओं के लिए समान हो, तो आप किस प्रकार कह सकते हैं कि जिनकी अच्छी साख है, ऐसे ऋण लेने वालो को बैंकों द्वारा सर्वोत्तम संभव दरों पर ऋण दिया जा सकेगा।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का संबंध है, अधिकांश बैंकों की हालत खराब है। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन बैंकों को घाटा होगा और इसके लिए आपने पर्याप्त सावधानि बरती है।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, शहरी सहकारी बैंकों को भी अन्य बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

श्री राम कापसे : क्या उन्हें अनुमति दी जाएगी।

श्री मनमोहन सिंह : हां, उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुमति दी जाएगी। दूसरे, जहां तक ब्याज दरों का मामला है, तो तथ्य यह है कि देश में किसी बैंक विशेष की सभी शाखाओं में ब्याज की मुख्य दर समान होने का यह मतलब नहीं है कि उस शाखा से सभी लोगों को समान ब्याज दरें मिलेंगी। मैं समझता हूं यह ब्याज दर उन कर्जदारों पर भी लागू होंगी, जिनकी साख सर्वोत्तम है। यह अच्छी साख वाले को पुरस्कृत करने के लिए है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी शाखा में प्रत्येक व्यक्ति को समान ब्याज दर मिलेगी।

जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के विषय में तीसरे प्रश्न का संबंध है, यह निश्चित रूप से सत्य है कि यदि राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी कार्यकुशलता में सुधार नहीं लाते, यदि वे अपनी वसूली की स्थिति में सुधार नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि दबाव होगा। हम जानबूझकर धीरे–धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बैंकिंग प्रणाली, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली भी शामिल हैं, भी ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने कि उनका दर्जा इस प्रकार से बढ़ाया जाए कि उन्हें अपनी लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकें, दोनों ही दृष्टि से ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा कर सकें। ...**(व्यवधान)**

डॉ. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर निर्धारित करते समय मुद्रास्फीति दर, निवेश संबंधी कारकों और निधियों की लागत जैसे अनेक पहलुओं पर विचार करता है, इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा। यदि ब्याज दर बचत के लिए प्रोत्साहन नहीं देना है तो क्या यह निवेश लागत को भी प्रभावित नहीं करता? क्या यह निधियों की लागत को भी प्रभावित नहीं करता है?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

डॉ. मुमताज अंसारी : इसे किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है ताकि यह बचत करने वालों के लिए अनुत्साहजनक न हो क्योंकि बचत निवेश का स्रोत है, विधि का स्रोत है? मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी बचतकर्ताओं को किसी प्रकार बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की योजना बना रहे हैं अथवा नहीं?

श्री मनमोहन सिंह : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह उपाय बचत दर को स्वतः ही प्रभावित नहीं करेगा। मेरे विचय से यह दर ढ़ांचा नवम्बर से ही शुरू किया गया है। यदि, उदाहरण के तौर पर, कुछ समय बाद, यह साबित होता है कि इसका वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है तो मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक कभी भी इसकी पुनरीक्षा कर सकता है।

कर वसूली

+

*44. **श्री वी.एस. विजयराघवन :**
श्री महेश कनोडिया :

*क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न केन्द्रीय करों की वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान सरकार ने कितनी धनराशि के कर वसूल किये;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान राजस्व की वसूली में विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान किये गये राजस्व की तुलना में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न केन्द्रीय करों की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य, चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान वसूल किए गए करों की राशि और विगत वर्ष की संगत अवधि में प्रतिशतता वृद्धि निम्नानुसार है :

(रू. करोड़ों में)

कर का नाम	लक्ष्य	वसूल की गई राशि (अप्रैल, 94 –सितम्बर, 1994)	विगत वर्ष की संगत अवधि में वृद्धि (+) कमी (–) %
1. सीमा शुल्क	25,200	11,616.72	(+) 15.18
2. उत्पाद शुल्क	36,530.85	17,243.48	(+) 21.36
3. निगम कर	12,480	4,961.37	(+) 76.50
4. आयकर	10,925	3,963.21	(+) 24.63
5. ब्याज कर	1,044	193.88	(+) 24.82
6. व्यय कर	210	92.00	(+) 3.44
7. धन कर	125	29.13	(–) 52.02
8. दान कर	5	4.04	(+) 58.43

(ङ) सरकार, वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान राजस्व वसूली को और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से राजस्व स्थिति पर निरन्तर निगरानी रख रही है।

श्री वी.एस. विजयराघवन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर संतोषप्रद है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कराधान दर को पांच वर्षों की अवधि के लिए अपरिवर्तित रखने और बेहतर कर वसूली पर ध्यान देने का कोई प्रस्ताव है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन है।

श्री वी.एस. विजयराघवन : क्यों?

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा नीतिगत मामला है और वह इस तरह से उत्तर नहीं देना चाहेंगे।

श्री वी.एस. विजयराघवन : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कर वसूली का राज्य वार ब्यौरा देगी।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, इसके लिए, मुझे अलग से नोटिस चाहिए। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों से वसूल किए गए कर के विषय में है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित में भेजिए।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जी हां।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि आठ प्रकार के केन्द्रीय करों की वसूली के मामले के पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा कर की वसूली की गई। लेकिन केवल धन कर के मामले में...

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न करने की अनुमति दी गई थी न कि उत्तर पढ़ने की।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : लेकिन धन कर के मामले में, वसूली सामान्य से 52.02 प्रतिशत कम है। इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, हमने धन कर की सीमा को बढ़ा कर 35 लाख रू. मूल्य की सम्पत्ति तक कर दिया है। यह सिर्फ एक प्रतिशत वसूली है। हमने कुछ परि सम्पत्तियों की छूट भी दी है। अब शहरी भूमि, जो कर निर्धारित के पास 'स्टॉक–इन–ट्रेड' के लिये है, पर तीन वर्ष की अवधि के लिए धन कर नहीं लगाया जाएगा और किसी व्यक्ति का मकान या मकान का कोई हिस्सा धन कर से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो अभी अपना जबाव दिया है उसमें जितनी धनराशि की बात लिखी है उससे आधी धनराशि भी वसूल नहीं हो रही है, इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी है कि समुद्री जहाजों से जो सामान बाहर से देश में आता है और जिस पर कस्टम ड्यूटी भरनी चाहिए, लेकिन वह नहीं भरी जाती है, जिसकी चर्चा यहां पर अनेक बार हो चुकी है, तो क्या सरकार के ध्यान में यह आया है और यदि आया है, तो सरकार ने इसके बारे में क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह सही नहीं है। जब हम अप्रैल से नवम्बर, 1993 तक की राजस्व वसूली को देखते हैं तो पता चलता है कि कुल केन्द्रीय घर की वसूली केवल 40,847 करोड़ रू. थी। अब अप्रैल से नवम्बर, 1994 तक की अवधि में सीधे 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 50,624.69 करोड़ है।

तस्करी के समान के बारे में, यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष मामला है, तो वह मुझे लिख सकती हैं, मैं इसकी जांच कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह इसके विषय में नहीं पूछ रही है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, प्रश्न केन्द्रीय कर राजस्व में हो रही वृद्धि से संबंधित है। यह सहमति व्यक्त की गई है कि यदि हम वास्तव में कर की वसूली में वृद्धि करना चाहते हैं, तो हमें मूल्य वृद्धि कर प्रणाली को पूरे देश में बढ़ावा देना होगा। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि निकट भविष्य में मूल्य वर्धित कर प्रणाली पूरे देश में लागू करने के लिए क्या कदम उठाने की योजना बना रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में उत्पादन पर कर की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और बिक्री पर कर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसलिए, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य वर्धित कर प्रणाली संविधान संशोधन के बाद ही लागू हो सकती है। इसके लिए देश में व्यापक सहमति की जरूरत होगी। विद्यमान संवैधानिक दायरे में हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं।

उत्पादक मूल्य वर्धित कराधान प्रणाली के सन्दर्भ में और हमने पिछले तीन वर्षों में काफी प्रगति की है।

चालू वर्ष के बजट में मैंने और अधिक उपभोक्ता वस्तुओं पर संशोधित मूल्य वर्धित कराधान प्रणाली लागू की है। अब केवल वस्त्र, सिगरेट जैसी दो या तीन वस्तुओं और एक या दो क्षेत्र इससे बाहर हैं। इसके साथ-साथ हम राज्य सरकारों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह उनके हित में है कि वे राज्य स्तर की 'वाट' प्रणाली के साथ अधिक मिलती-जुलती बिक्री कर प्रणाली अपनाएं। मैंने इस मामले पर विचार करने के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। मैं उनकी प्रतिक्रिया से बहुत प्रोत्साहित हुआ। मैंने ।। वित्त मंत्रियों की एक समिति गठित की थी। वह इस देश में अप्रत्यक्ष कर ढांचा विकसित करने के प्रश्न की जांच करेगी जो केन्द्रीय स्तर और राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसमें समन्वय स्थापित करेगी। मुझे आशा है कि देश में धीरे-धीरे एक विस्तृत आम सहमति कायम होगी और हम मूल्य वर्धित कराधान प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे, परन्तु उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए सशक्त राष्ट्रीय आम सहमति की आवश्यकता होगी।

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : महोदय, मद एक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इस देश के लगभग नब्बे करोड़ लोगों द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं से एकत्रित किया जाता है।

मद सख्या सात धन कर के संबंध में है। यहां सरकार ने देश को यह सकेत देने में उपेक्षा की है कि शहरों और कस्बों वाले क्षेत्रों में जो लोग धन प्राप्त करेंगे उन्हें धन कर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास जैसे शहरों मे कर की अदायगी किए बिना बड़ी-बड़ी इमारतें और फार्महाउस रखने वाले लोगों को खुली छूट देना सरकार की नीति है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में सरकार के क्या दिशा निर्देश हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय , हमने जानबूझ कर धन कर में परिवर्तन किये हैं ताकि धन के अनुत्पादक प्रयोग को रोका जा सके। हमने धन कर को ध्यान में रखते हुए उत्पादक सम्पत्तियों में निवेश को छोड़ दिया है। हमने मूल छूट सीमा बढ़ा दी है। धन कर केवल ऐसी अनुत्पादक सम्पत्तियों पर लागू होता है जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

श्री अमल दत्त : महोदय, मुझे लगता है कि कर वसूली में काफी वृद्धि हुई है और धन कर को छोड़कर शेष सभी मदों पर प्रतिशतता में पर्याप्त सकारात्मक वृद्धि हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कर वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने के कारण हुआ है ? यदि ऐसा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन करों के संबंध में अभी भी कितनी कर चोरी का अनुमान है जिसे पुनः कर लगाकर वसूल किया जा सकता है? सरकार के पास इसके अनुमानित आंकड़े होने चाहिए।

सरकार बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अदा किये जा रहे बड़े-बड़े वेतनों पर रोक लगाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? मुझे बताया गया है कि अब भारत में भी बड़ी-बड़ी कम्पनियों में भी यही हो रहा है जो भारतीय मापदण्डों से बहुत बड़ी है। अब तक हमने देखा है कि केवल वेतन ही प्रति वर्ष एक करोड़ तक हो रहा है। अब मैं समझता हूं कि सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया से अवगत होना चाहता हूं।

श्री मनमोहन सिंह : इस वर्ष कर संग्रहण में सुधार सन्तुलित कर प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विगत तीन वर्षों में आरम्भ की गई नीति के औचित्य के लिए पर्याप्त है ताकि लोगों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलें और वे ईमानदारी से अपना कर अदा कर सकें।

दूसरे प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाना भी हमारी नीति का एक ध्येय है। मुझे लगता है कि हमने आय कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दोनों दृष्टि से अपने तंत्र को पर्याप्त सुदृढ़ किया है। परन्तु मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हमने सभी कमियां दूर कर दी हैं। देश में अभी काफी करे चोरी हो रही है।

श्री अमल दत्त : कितनी ?

श्री मनमोहन सिंह : मुझे इसका कोई अनुमान नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। जहां तक संभव होता है सरकार की नीति कर चोरी को रोकने के लिए कर वसूली तंत्र और कर प्रशासन को सुदृढ़ करने की है।

जहां तक वेतन के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि जो कुछ अब हो रहा है, वह सही दिशा में एक कदम है। विगत में वेतनों का एक बड़ा भाग गुप्त रूप से दिया जाता था। हमें ऐसे मामलो का पता चला है जहां कम्पनियां बहुत अधिक वेतन दे रही थी परन्तु उन्हें खातों में दर्शा नहीं रही थीं। जहां कहीं हमें ऐसे मामले मिले हैं वहां हमने कम्पनियों को कहा है कि वे ईमानदारी का रास्ता अपनाएं। बहुत सी कम्पनियों की कथनी और करनी में अब बहुत अन्तर नहीं है। कर राजस्व को इससे सीधा लाभ मिलता है। मैं उस प्रक्रिया को निरूत्साहित नहीं करना चाहता।

[हिन्दी]

रूई का उत्पादन

+

*45. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**
श्री केशरी लाल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994–95 के दौरान देश में उत्पादित होने वाले रूई की कुल मात्रा का आंकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के लिए कितनी रूई की आवश्यकता है;

(घ) देश में आज की तिथि तक कुल कितनी रूई उपलब्ध है;

(ङ) वर्ष 1994–95 के दौरान रूई के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह निर्यात किन–किन देशों को किया जाएगा; और

(च) सरकार ने रूई के मूल्यों पर नियंत्रण रखने और कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख). कपास की संभावित उत्पादन होने वाली कुल मात्रा का मूल्यांकन विभिन्न एजेंसियों द्वारा संबध कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए उत्पादन तथा बाजार में आवकों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

(ग) वर्ष 1994–95 के लिए कपास की आवश्यकता जिसमें मिलों, छोटी मिलों की मांग तथा एक्स–फैक्टरी खपत भी शामिल है, लगभग 130–132 लाख गांठ होने की संभावना है।

(घ) चालू कपास मौसम के लिए कपास का प्रारंभिक स्टाक 22.7 लाख गांठ था। अब तक बाजार मे कपास की आवक लगभग 16 लाख गांठ होने का अनुमान है।

(ङ) दीर्घकालिक निर्यात नीति के अनुसार सरकार ने वर्ष 1994–95 के दौरान निर्यात के लिए कपास की पांच लाख गांठों की घोषणा की है। भारत से रेशे वाली कपास का निर्यात अधिकांशतः जापान, हांगकांग, ताईवान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, बंगलादेश और नेपाल आदि को किया जाता है।

(च) सरकार ने कपास की कीमतों पर नियंत्रण रखने, घरेलू उद्योग को कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे :

(1) शून्य आयात शुल्क से कपास के आयात को ओ जी एल के अंतर्गत रख दिया गया है;

(2) सरकार ने आयात शुल्क की शून्य दर पर 29385 मी. टन विस्कोस स्टेप्ल फाइबर के आयात की अनुमति दी है;

(3) कपास के स्टाक की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए सरकार ने कपास नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है;

(4) चुनिन्दा ऋण नियंत्रण लगाना दोबारा शुरू किया गया है;

(5) वस्त्र आयुक्त ने "हैंक यार्न दायित्व आदेश" को सख्ती से लागू किया है;

(6) अग्रिम लाइसेंस धारकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह यार्न का निर्यात करने की अनुमति से पूर्व कपास का पहले आयात करे; तथा

(7) सरकार प्रत्येक वर्ष कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषण करती है।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय , प्रश्न के क व ख भाग में 1994–95 में उत्पादित रूई की कुल मात्रा का आंकलन तथा उस संबंध में ब्यौरा मांगा गया था परन्तु उत्तर में उसके बारे में केवल मात्र प्रक्रिया बताई गई है। पिछले दो वर्षों में कपास में रोग के कारण उत्पादन में बहुत कमी आई है। मंत्री महोदय ने बताया है कि देश में 130–132 लाख गांठों की आवश्यकता है, स्टॉक की पोजीशन 22.7 लाख गांठ है और 16 लाख गांठ उपलब्ध होनी है। इस तरह से 38–39 लाख गांठें मिलेंगी जबकि 130–132 लाख गांठों की जरूरत है। मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या सरकार उपलब्धता और आवश्यकता के अन्तर को मिटाने के कोई उपाय करेगी और ऐसी हालत में हथकरघा उद्योग को कैसे जीवित रखा जा सकेगा?

श्री जी. वेंकट स्वामी : यह सही है कि देश में रूई के उत्पादन में पिछले दो सालों से कमी आई है। इसलिए हमने प्रोटैक्शन लेकर बनुकरों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की है। देश में अभी रूई आनी शुरू हुई है। मैं बता चुका हूं और माननीय सदस्य को भी मालूम है कि हमारे को आज 130–132 लाख गांठो की जरूरत है। दिसम्बर के आखिर से जनवरी तक देश में और मिलों को कितनी रूई की जरूरत है, यह भी मैंने अपने जवाब में दिया है। देश के कन्जमशन के लिए 1991–92 में 111 लाख बेल, 1992–93 में 125 लाख बेल और 1993–94 में 128 लाख बेल की जरूरत थी। इस साल 130 –132 लाख बेलों की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश में इससे ज्यादा रूई उपलब्ध होगी और हम उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे।

अब रहा सवाल यह कि लास्ट ईयर काटन का उत्पादन कम हुआ है, तो उसके लिए हमने कई प्रीकाशंस लिये हैं। हमने काटन का इम्पोर्ट ओ जी एल में फ्री किया है ताकि यहां के वीवर्स के ऊपर कोई भार न पड़े , वह भूखा न मरे और जितना वह चाहे, काटन ओ जी एल कि साथ यहां ला सके। इसी तरह से विस्कोस को भी हमने जीरो रेट के ऊपर लाने की कोशिश की है ताकि वीवर्स के ऊपर उसका असर न पड़े।

इसी तरह से ट्रेडर्स काफी हंगामा करते हैं, वह काटन को लेकर रखते हैं और उसके रेट्स को बढ़ाते हैं। अभी तीन दिन पहले कैंडी रेट 2000 रू. को बढ़ा दिया गया था , हमने उस स्टॉक कंट्रोल आर्डर को 7 तारीख को फिर चालू किया तो कल कैंडी का रेट 1000 के ऊपर गिर चुका है। हम इसको पुरी तरह से कण्ट्रोल करते हुए देश के अन्दर मिलों की जितनी जरूरत है, उतनी काटन सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक और बात मुझे हाउस को खास तौर से बतानी है कि हमारे देश में इस साल 83 नई स्पिंडलग मिल्स आई है, जिसकी वजह से जो स्पिंडल्स की पहले क्षमता 28.09 मिलियन थी, वह अब बढ़कर 29.05 हो गई है। इसी तरह से रोटर्स की क्षमता पहले 1,27,000 थी, जो 1,46,000 हो गई है। इन्क्रीज आफ इण्डस्ट्रीज की वजह से काटन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है लेकिन उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में पूरी तरह से काटन की कैपेसिटी इस्तेमाल हो। गवर्नमेंट इस विश्वास के साथ चल रही है कि हम इसको पूरी तरह से कण्ट्रोल कर लेंगे।

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि पिछले दो सालों में कपास का उत्पादन घटा है और कपास की फसल में बीमारी काफी लगी है। इसमें जो एजेंसियां है, जैसे काटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया है या दूसरी एजेंसीज है, उनके माध्यम से किसानों को कीटनाशक दवाईयां खरीदने के लिए ब्याज रहित ऋण देने के कुछ उपाय करने का आप विचार करेंगे ?

इसके साथ--साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि नोर्दर्न रीजन से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इत्यादि राज्यों से टैक्सटाइल मिलों और व्यापारियों को रूई प्राप्त करने में क्या कोई कठिनाई आ रही है, जिसके फलस्वरूप इस रीजन से टेक्सटाइल मिलों द्वारा तथा ईस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन और इंडियन काटन फैडरेसन द्वारा रूई खरीदने का बहिष्कार करने की बात कही गई है? यदि ऐसा हुआ तो उत्तरी क्षेत्र में रूई के भाव बहुत गिरेंगे और किसानों को बेहद हानि होगी। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय क्या कहना चाहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर दे सकते हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, काटन के भाव सपोर्ट प्राइस से पंजाब मे 125--130 परसेण्ट तक ज्यादा हैं, मध्य प्रदेश में 87--96 परसेण्ट तक ज्यादा, गुजरात में 84 परसेण्ट ज्यादा, आन्ध्र प्रदेश में 62.5 परसेण्ट ज्यादा और कर्नाटक मे 100 परसेण्ट ज्यादा इस वक्त किसान को मिल रहे है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : अगर माननीय सदस्य किसी पर्टिकुलर ऐजेंसी का नाम लें तो मैं कुछ कह पाऊंगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

[हिन्दी]

केशरी लाल : अध्यक्ष महोदय , उत्तर सही नहीं आया है। यह देश के किसानों से जुड़ा सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हुआ। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की आय

***46. श्री राम विलास पासवान :**
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश मे चल रही विदेशी विमान सेवाओं के कारण एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की आय में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1992--93, 1993--94 और तदुपरान्त एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को राजस्व की अनुमानतः कितनी हानि हुई है;

(ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के किन--किन क्षेत्रों में राजस्व की कमी आई है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). यद्यपि विदेशी एयरलाइनो के बढ़ते हुए प्रचालनों के साथ, भारतीय हवाई मार्केट में एयर इंडिया के हिस्सेदारी में गिरावट आई है, तथापि वर्ष 1992--93 की तुलना में 1993--94 में एयर इंडिया के राजस्व अर्जन में कोई कमी दिखाई नहीं देती है। वर्ष 1994--95 में भी, अर्जित राजस्व में कोई महत्वपूर्ण कमी की आशा दिखाई नहीं देती। विदेशी विमान कम्पनियों के प्रचालन से इंडियन एयरलाइंस के अर्जन में बुरा प्रभाव पडने की आशा नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपनी मार्केट हिस्सेदारी में वृद्धि करने की दृष्टि से एयर इंडिया ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कदम उठाये हैं। यथा :

(1) विमान--बेड़ा आधुनिकीकरण-- चार नये बोइंग 747--400 विमान लगाना ।

(2) चार नये गंतव्य स्थानों अर्थात् दार--ए--सलाम, डरबन, जोहन्सबर्ग और जकार्ता को शामिल किया गया है।

(3) उत्पाद में सुधार और सेवा में श्रेष्ठता लाने के लिए एक उत्पाद श्रेष्ठता कार्यवाही योजना तैयार की गई है।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(4) अहमदाबाद, हैदराबाद और अमृतसर जैसे आन्तरिक अंतर्देशीय स्थानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को द्रुतगामी और तात्कालिक सम्पर्क प्रदान करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स के विमानों से हब एण्ड स्पोक प्रचालन आरंभ किये गये हैं।

(5) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने भारत के भीतर और भारत से बाहर के लिए यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए एक अथवा दोनों एयरलाइनों पर सम्मिलित गंतव्य नेटवर्क पर 'माइलेज' प्वाइंट अर्जित करने के लिए एक संयुक्त फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम तैयार किया है। आवश्यक यात्री सूचना, होटल बुकिंग, कार किराए पर देना आदि के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए इंडियन एयरलाइंस के साथ कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू की गई है।

पायलटों, कमान्डरों और इंजीनियरों द्वारा त्याग-पत्र

*47. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के अनुभवी पायलट, कमान्डर और इंजीनियर इन विमान कम्पनियों से अपनी नौकरी छोड़कर एयर टैक्सी ऑपरेटरों/ विदेशी एयरलाइनों की सेवा में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसका इन एयरलाइनों के परिचालनात्मक कार्य निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए जाने का विचार है;

(च) क्या इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधकों ने इस संबंध में सरकार के पास कोई योजना भेजी है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ख) इंडियन एयरलाइंस अपने विमानचालकों और इंजीनियरों से काफी बड़ी संख्या में त्यागपत्र प्राप्त करने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की दशा से गुजर रहा है। 1991 से नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान 146 विमानचालकों ने त्याग-पत्र दे दिया और 18 ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली; इसी अवधि में 80 इंजीनियरों ने त्यागपत्र दे दिया और 14 ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।

एयर इंडिया के मामले में, संगठन छोड़ने वाले विमानचालकों और इंजीनियरों की संख्या अधिक नहीं है। 1991-92 से अक्तूबर, 1994 की अवधि के दौरान एयर इंडिया की सेवा से 12 विमानचालकों, 18 तकनीकी अधिकारियों और 9 इंजीनियरों ने त्यागपत्र दे दिया।

(ग) कार्मिकों के पलायन का मुख्य कारण हवाई टैक्सी प्रचालकों/विदेशी एयरलाइनों द्वारा अधिक परिलब्धियों का दिया जाना है।

(घ) अर्हताप्राप्त इंजीनियरों की कमी के कारण अनुसूचित प्रचालनों के लिए इंडियन एयरलाइंस के विमानों की उपलब्धता में कमी आई है और कर्मीदल के सदस्यों की कमी के कारण इसके उड़ान प्रचालन प्रभावित हुए हैं। विमानचालकों/इंजीनियरों के त्यागपत्र के कारण एयर इंडिया के अनुसूचित प्रचालनों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ङ) विमानचालकों/इंजीनियरों के पलायन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. इंडियन एयरलाइंस ने त्यागपत्र दिये जाने के लिए नोटिस अवधि को 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया है और नोटिस के एवज में वेतन जमा करने का प्रावधान समाप्त कर दिया है।
2. नागर विमानन महानिदेशक ने यह अनुदेश जारी किये हैं कि हवाई टैक्सी प्रचालक राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्होंने अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' ले लिया हो।
3. इंडियन एयरलाइंस ने बंध-पत्र की राशि को 35,000 रूपए से बढ़ाकर 10 लाख रूपए कर दिया है।
4. कुछ विदेशी एयरलाइनों के साथ इस प्रकार का समझौता भी किया गया है कि वे प्रबंधकवर्ग से परामर्श किये बिना इंडियन एयरलाइंस के विमानचालकों को नौकरी न दें।
5. विमानचालकों/इंजीनियरों के साथ उत्पादकता सम्बद्ध करार किया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहायता

*48. **श्री चित्त बसु :**
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1990-91 से विदेशी सहायता की एक बड़ी राशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार विदेशी सहायता की प्राप्ति और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) सहायता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) विदेशी सहायता का तेजी से तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की 1990–91 से आगे अनाहरित शेषों को दर्शाने वाला विवरण निम्न प्रकार है :–

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	अनाहरित शेष	जिसमें से (भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग)
1990–91	53,719.73	18,451.43
1991–92	76,074.43	24,896.78
1992–93	80,835.04	24,862.19
1993–94	78,840.78	24,862.19

(ख)(i) संबंधित वर्षों के दौरान की गयी विदेशी सहायता की वचनबद्धताएं निम्न प्रकार हैं :–

(करोड़ रूपये में)

1991–92	11,506.33
1992–93	17,802.31
1993–94	11,834.41

(ख) (ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार उपयोग निम्नप्रकार है :–

(करोड़ रूपये में)

राज्य	1991–92	1992–93	1993–94
1. केन्द्रीय	6679.04	6100.14	6668.85
2. आंध्र प्रदेश	368.45	711.29	588.54
3. असम	0.00	0.00	0.00
4. बिहार	6.88	36.70	4.06
5. गुजरात	285.83	448.22	103.91
6. हरियाणा	29.36	8.97	17.03
7. हिमाचल प्रदेश	8.81	25.30	0.00
8. जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
9. कर्नाटक	257.00	242.15	263.65
10. केरल	60.92	60.65	95.06
11. मध्य प्रदेश	66.43	26.94	19.30
12. महाराष्ट्र	338.91	486.94	528.16
13. उड़ीसा	68.47	90.37	91.49
14. पंजाब	27.29	45.01	30.55
15. राजस्थान	4.19	29.58	66.39
16. तमिलनाडु	289.99	385.18	398.03
17. उत्तर प्रदेश	766.65	376.48	439.39
18. पश्चिम बंगाल	114.52	90.71	73.23
19. बहु–राज्य	631.93	676.53	727.88
जोड़	10004.67	9841.16	10115.52

(ग) और (घ). परियोजना के लिए प्राप्त सहायता को परियोजना पर खर्च किया जाता है, अपेक्षित उपयोग के धीमे रहने के मुख्य कारणों में अपर्याप्त प्रावधान और पूरक वित्त प्रबंध का होना, प्रापण और संविदा सम्बन्धी विलम्ब, आरंभ करना और अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब सम्मिलित हैं।

बाहर से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु सौ प्रतिशत अतिरिक्तता के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देना, राज्यों को अग्रिम केन्द्रीय अतिरिक्त सहायता देना, बोली सम्बन्धी दस्तावेजों का मानकीकरण और प्रापण की प्रक्रियाओं को सरल एवं सुप्रवाही बनाना, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बाह्य सहायता से प्राप्त धन पर मध्यस्थता हटाना, पोर्टफोलियो को युक्तिसंगत बनाना और आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंध एकक की स्थापना जैसे उपाय सहायता राशि के बेहतर उपयोग के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपायों में से हैं।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम

*49. **श्री मंजय लाल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से भारत पर्यटन विकास निगम के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का कार्य निष्पादन सन्तोषजनक पाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). जी, हां । सरकार द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा समय–समय पर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में विदेशी आगन्तुकों के रात्रि के ठहरने का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	विदेशी गेस्टनाइट्स
1991–92	426587
1992–93	483884
1993–94	508417

(ग) और (घ). जी, हां । भारत पर्यटन विकास निगम ने कर से पहले अपने निविल लाभ को 1991–92 में 5.84 करोड़ रू. से बढ़ाकर 1992–93 में 10.05 करोड़ रू. और 1993–94 में 24.02 करोड़ कर लिया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 139 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

यह लगातार लाभ दर्शाता रहा है और नवम्बर, 94 को समाप्त पहले आठ महीनों में इसने अनुमानतः 15.11 करोड़ रू. का लाभ अर्जित किया है। कार्य निष्पादन में सुधार करना एक सतत् प्रयास है।

[अनुवाद]

लघु क्षेत्र

*50. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र के मामले में उत्पाद शुल्क में किये गये संशोधनों तथा सीमाशुल्क में की गयी कटौती के परिणामों की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे लघु क्षेत्र के औद्योगिक विकास तथा उत्पादन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) लघु उद्योग क्षेत्र का देश के औद्योगिक उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत योगदान होता है। वर्ष 1994-95 के बजट में, सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के लिए उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूटों की समीक्षा की है और ऐसी अधिकांश छूटों को समाप्त कर दिया गया है। पूर्ण शुल्क छूटों को समाप्त करने से वास्तव में लघु उद्योग एकक को अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त होता है क्योंकि उस मामले में उसी प्रकार के माल का विनिर्माण करने वाले बड़े एकक को शुल्क अदा करना पड़ता है जबकि छोटा लघु उद्योग एकक शुल्क छूट/रियायत का लाभ प्राप्त कर सकता है।

सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र तथा अन्यों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1994-95 के बजट में किए गए उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क संबंधी अधिकांश परिवर्तनों के कारण पड़ने वाले संभावित प्रभाव की समीक्षा की है। प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रति जोड़ा 50 रूपये मूल्य तक के जूतों, छातों, नालीदार बक्सों, रबर के गुब्बारों, रूमालों, शॉलों, बिजली की सहायता के बिना बनाये गये साबुन, तौलियें, जो अधिकतर लघु उद्योग क्षेत्र में बनाये जाते हैं तथा हथकरघा क्षेत्र द्वारा विनिर्मित अन्य वस्तुओं जैसे कतिपय माल के संबंध में उत्पाद शुल्क छूट को बहाल कर दिया गया है।

उत्पाद शुल्क छूटों को समाप्त करने के परिणामस्वरूप इनमें से अधिकांश वस्तुओं को लघु उद्योग एककों को उपलब्ध उत्पाद शुल्क रियायतें मंजूर की गयी हैं।

सरकार द्वारा लघु उद्योग इकाइयों से संबंधित उत्पाद शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभिन्न उपाय भी किये गये हैं। इन उपायों में शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग में पंजीकरण कराने की अपेक्षा को समाप्त करना, एक वर्ष में 30 लाख रूपये से कम का कारोबार करने वाली इकाइयों द्वारा घोषणा दायर करने की अपेक्षा को समाप्त करना और उत्पाद शुल्क प्रयोजनों के लिए लघु उद्योग एकक के निजी रिकार्डों को स्वीकार करना शामिल है।

उत्पाद शुल्क रियायत के लिए लघु उद्योग योजनाओं में ब्रांड नाम संबंधी उपबंध में कुछेक परिवर्तन भी किये गये हैं ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि लघु उद्योग एकक एक वर्ष में 30 लाख रूपये तक के उत्पाद शुल्क की अदायगी किये बिना और किसी जटिल प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना किसी व्यक्ति के लिए ब्रांडिड मशीनरी पार्टों का विनिर्माण कर सके।

बजट में सीमाशुल्क में कमी की गयी है ताकि स्वदेशी उद्योग को उचित लागत पर महत्वपूर्ण आयातित कच्ची सामग्रियां और पूंजीगत माल उपलब्ध कराया जा सके। इससे लघु उद्योग क्षेत्र को भी लाभ होगा।

(ग) चूंकि बजट प्रस्तावों का उद्देश्य सामान्य तौर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा करना है, इसलिए इनसे लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को और अधिक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

* 51. **श्री नवल किशोर राय :**
डॉ. असीम बाला :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत संचालित कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण हेतु एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन जुटाने हेतु स्रोतों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक स्रोत से अनुमानतः कितनी राशि प्राप्त होगी; और

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) से (ङ) वस्त्र अनुसंधान संघों ने 2005.72 करोड़ रू. के निवेश से 79 एन.टी.सी. मिलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं बनाई हैं। आधुनिकीकरण योजनाओं में 36 गैर-अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम मिलों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करना शामिल है। श्रम मंत्रालय की एन.टी.सी. संबंधी विशेष त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की है कि एन.टी.सी. मिलों के साथ-साथ उसकी अधिग्रहित मिलों को आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है। जैसा कि वस्त्र अनुसंधान संघो ने प्रस्ताव किया है। 15 अधिग्रहित मिलों के राष्ट्रीयकरण के कानूनी पहलुओं, आधुनिकीकरण योजनाओं के वित्त पोषण के साधनों आदि की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। चूंकि एन.टी.सी. के 8 सहायक निगमों के मामले पहले ही बी.आई.एफ.आर. को भेज दिए गए हैं, इसलिए जो भी अंतिम योजना बनेगी उसे बी.आई.एफ.आर. का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य वस्तुओं पर प्रतिबंध

*52. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :**
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) हाल ही में देश में प्लेग फैलने के दौरान और उसके

बाद जिन देशों ने भारत से खाद्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया था, उनके नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक देश द्वारा प्रतिबंधित खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप देश को कितने राजस्व की हानि हुई, और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जिन प्रमुख देशों ने भारत से खाद्य मदों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, वे हैं-- यू.ए.ई., सऊदी अरब, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, बहरीन, कुवैत, आदि।

(ख) सभी खाद्य मदें।

(ग) प्लेग के कारण हुई हानि का आकलन करना संभव नहीं है। किन्तु अक्तूबर, 1994 के दौरान कुल निर्यात 2198 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है जो अक्तूबर, 1993 में हुए कुल निर्यात की अपेक्षा 27 प्रतिशत अधिक और चालू वित्तीय वर्ष के किसी भी महीने किए गए निर्यात की तुलना में अधिक है।

(घ) इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं का सामना करने हेतु किए गए उपायों में उल्लेखनीय है-- विभिन्न निर्यातकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि खाद्य उत्पाद दूषित नहीं हैं और निर्यातकों को यह सलाह देना कि वे आयातक देशों के आयातकों अथवा प्राधिकारियों के इस अनुरोध का अनुपालन करें कि उनके पास माल जीवाणु-संदूषण से मुक्त स्वास्थ्यकर स्थिति में पहुंचे। अफवाहें रोकने के लिए भी अनेक उपाय किए गए ।

सरकारी क्षेत्र के बैंक

53. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बहुत से बैंकों को लाभ होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा घाटे पर चल रहे बैंकों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित बैंकों द्वारा नियत लाभ दर्शाए जाने की आशा की जाती है :

1. इलाहाबाद बैंक
2. आन्ध्रा बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ इंडिया
5. केनरा बैंक
6. कॉर्पोरेशन बैंक
7. देना बैंक
8. इंडियन बैंक
9. इंडियन ओवरसीज बैंक
10. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
11. पंजाब नेशनल बैंक
12. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
13. सिंडिकेट बैंक
14. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
15. विजया बैंक
16. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
17. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
18. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
19. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
20. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
21. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
22. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
23. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

(ग) सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों पर, अन्य बातों के साथ-साथ, उधार दी गई निधियों का समुचित अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऋणों का मूल्यांकन करने के वास्ते अपनी मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता, अपने प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्ष सृजित करने, निष्क्रिय ऋणों में कमी करने और उत्पादकता के स्तरों में वृद्धि करने पर जोर देते रहे हैं। हानि उठाने वाले कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में, उनकी समस्याओं की जांच करने और उनके पुनरुद्धार के लिए पैकेज तैयार करने में उनके संबंधित प्रबंधनों की सहायता करने तथा इन बैंकों को अर्थक्षम बनाने के लिए कार्यनीतियों का सुझाव देने के लिए बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है।

बाल श्रमिक

***54. श्री जायनल अबेदिन :**
श्री शिवाजी पटनायक :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल श्रमिकों की नियुक्ति और उनके शोषण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक व्यापक कानून बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कानून के कब तक लाये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची के भाग

(क) और (ख) में उन व्यवसायों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है जिनमें 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 5 (1) के तहत गठित बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति अनुसूची में और व्यवसायों और प्रक्रियाओं के नाम जोड़ने के प्रयोजन के लिए सरकार को सलाह देती है। इस समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम की अनुसूची में और नाम जोड़ दिये हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची के भाग 'क' और 'ख' जिसमें और नाम जोड़े गए हैं, संलग्न हैं।

बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम,1961 आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों में भी सुरक्षात्मक उपबंध किए गए हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि विभिन्न कानूनों में बालकों के संबंध में किए गए सभी उपबंधों को समान रूप से कार्यान्वित किया जाए । अतः किसी अतिरिक्त विस्तृत कानून की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्रीय तथा राज्यस्तरों पर इन कानूनों के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए प्रवर्तन तंत्र स्थापित किए गए हैं। इन अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लघंन करने के लिए नियोजकों के विरूद्ध अभियोग चलाए जा सकते हैं। इन कानूनों के बेहतर प्रवर्तन के लिए प्रवर्तन संबंधी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।

प्रतिषेधात्मक विनियमों के अतिरिक्त, सरकार ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए बाल श्रम नीति, 1987 के तहत कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बाल श्रम से संबंधित कानून के सुदृढ़ीकरण का उपाय, बाल श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए, जहां संभव है, सामान्य विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने और बालकों को रोजगार से मुक्ति दिलाने के लिए वेतन सहित/कम वेतन वाले बाल श्रम की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई योजना को शुरू किया जाना शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत कामकाजी बालकों को शामिल किया गया है, का भी एक सहभागी है।

अनुसूची (धारा 3 देखें)

भाग-क

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबद्ध कोई व्यवसाय –

(1) रेलवे द्वारा यात्री, माल अथवा डाक परिवहन,

(2) सिंडर उठाना, राख के गढ्ढे की सफाई अथवा रेल परिसरों में भवन निर्माण,

(3) रेलवे स्टेशन पर खान–पान प्रतिष्ठान में कार्य इसमें वैंडरों अथवा प्रतिष्ठान के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म अथवा बाहर की गतिविधि शामिल है,

(4) रेलवे स्टेशन का निर्माण से संबंधित कार्य अथवा कोई अन्य कार्य जहां ऐसा कार्य रेलवे लाईन के अत्यधिक समीप अथवा रेलवे लाइनों के बीच किया जाता है,

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर पत्तन प्राधिकरण,

(6) अस्थायी लाइसेन्सों वाली दुकानों में पटाखों तथा आतिशबाजी की बिक्री से संबंधित कार्य,

(7) बूचड़ खाने/पशुवध गृह।

भाग-ख

प्रक्रियाएं

(1) बीड़ी बनाना

(2) कालीन–बुनाई

(3) सीमेन्ट विनिर्माण, सीमेन्ट को बोरी में भरने सहित।

(4) कपड़ा छपाई, रंगाई तथा बुनाई

(5) माचिस विनिर्माण, विस्फोटक तथा आतिशबाजी

(6) अभ्रक कटाई तथा विखण्डन

(7) शैलैक विनिर्माण

(8) साबुन विनिर्माण

(9) चमड़ा शोधन

(10) ऊन की सफाई

(11) भवन निर्माण तथा विनिर्माण उद्योग

*(12) स्लेट पेंसिल विनिर्माण (पैकिंग सहित)

*(13) गोमेद से उत्पाद विनिर्माण

*(14) विषैली धातुओं तथा सीसा, पारा, मैगनीज, क्रोमियम, कैडेमियम, बेंजिन, कीटनाशक तथा एसबेस्टास जैसे पदार्थों के प्रयोग से विनिर्माण प्रक्रियाएं।

**(15) जोखिमकारी प्रक्रियाएं जैसा कि धारा 2 (ग ख) में परिभाषित किया गया है और "खतरनाक कार्य" जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 के अंतर्गत बने नियमों में अधिसूचित किया गया है,

**(16) छपाई, जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2(ट)(IV) में परिभाषित किया गया है।

**(17) काजू तथा केशनट की छिलाई करना तथा प्रसंस्करण करना।

**(18) इलैक्ट्रोनिक उद्योगों में सोल्डरिंग कार्य

निर्देश :– *भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 5 जून, 1989 की अधिसूचना संख्या (का.आ.) 404 (असा.) द्वारा

निर्देश :– **भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 263 (असा.) द्वारा

अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया जाना

*55. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा

विनियमन अधिनियम, 1973 का उल्लंघन करके विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय को जाँच के दौरान कुछ ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए विदेश में धन भेजने के लिए अनिवासी (बाह्य) खातों का दुरूपयोग किया गया है।

(ग) सरकार अनिवासी (बाह्य) खातों के दुरूपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है। जब कभी ऐसे दुरूपयोग के बारे में आसूचना प्राप्त होती है, विस्तृत जांच की जाती है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में किए गए प्रावधान के अन्तर्गत सम्बंधित व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक से भी अपनी आवधिक लेखा परीक्षा/ बैंकों के निरीक्षण में अनिवासी बाह्य खातों के लेन–देन पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

पटसन विविधीकरण हेतु राष्ट्रीय केन्द्र

*56. **श्री तरित वरण तोपदार :**
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पटसन विविधीकरण हेतु एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा;

(ग) क्या यह केन्द्र अपनी गतिविधियों का भारतीय पटसन निर्माता संघ और भारतीय पटसन निगम के साथ समन्वय रखेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र ने अपने कुछ क्रियाकलाप पहले ही आरंभ कर दिए हैं।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र का एक मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में विभिन्न पटसन तथा वस्त्र निकायों के लिए केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करना है।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति की दर

*57. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**
श्री जगजीत सिंह बरार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान अंक–दर–अंक आधार पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर क्या थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक और उपभोक्ता मूल्य–सूचकांक संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुद्रास्फीति की दर छः सप्ताहों से लगातार बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और मुद्रास्फीति दर पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले छः महीनों की प्रत्येक सप्ताह की अंक–दर–अंक पर वार्षिक मुद्रास्फीति नीचे दिखाई गई है :

को समाप्त सप्ताह	मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)	
7.5.94	12.01	
14.5.94	11.94	
21.5.94	12.06	
28.5.94	11.54	
4.6.94	11.85	
11.6.94	11.78	
18.6.94	12.01	
25.6.94	11.59	
2.7.94	11.85	
9.7.94	11.55	
16.7.94	11.78	
23.7.94	11.43	
30.7.94	11.27	
6.8.94	10.69	
13.8.94	10.23	
20.8.94	10.16	
27.8.94	9.57	
3.9.94	8.77	
10.9.94	9.27	
17.9.94	8.93	
24.9.94	8.64	
1.10.94	8.27	अनंतिम
8.10.94	8.52	(")
15.10.94	8.60	(")
22.10.94	8.97	(")
29.10.94	9.41	(")
5.11.94	8.96	(")
12.11.94	8.89	(")
19.11.94	9.43	(")

(ख) थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई डब्ल्यू) में मासिक संकलन द्वारा पिछले छः महीनों की आवश्यक वस्तुओं की वार्षिक मुद्रास्फीति दर इस प्रकार थी :–

1994-95	मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)	
	थोक मूल्य सूचकांक	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
मई	14.0	13.7
जून	13.4	10.9
जुलाई	12.9	12.6
अगस्त	10.8	12.0
सितम्बर	7.9	उपलब्ध नहीं
अक्तूबर	7.4	---
नवम्बर	9.1	---

(ग) और (घ). जी. नहीं । 8.10.94 से 19.11.94 के लगातार छः सप्ताहों के दौरान मुद्रास्फीति दर 8.6 प्रतिशत से 9.4 प्रतिशत के बीच रही है।

(ङ) सरकार द्वारा हाल ही के महीनों में किए गए मुद्रास्फीति घटाने के उपाय इस प्रकार हैं :–

(i) पिछले वर्ष 7.3 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) की तुलना में वर्ष 1994–95 में राजकोषीय घाटे को 6 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय ।

(ii) बजट घाटे और वर्ष 1994–95 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से तदर्थ सरकारी हुंडियों के रूप में निवल उधार को 6,000 करोड़ रूपए तक सीमित करना और ऐसा तंत्र शुरू करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सीमा निरंतर 10 दिन के कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए 3,000 करोड रूपए से अधिक नहीं हो।

(iii) मुद्रास्फीति की वृद्धि में कमी करने की दृष्टि से बैंकों के नकद प्रारक्षित मुद्रा भंडार के अनुपात को 14 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करना।

(iv) मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत शून्य शुल्क सहित चीनी और कपास के आयात की अनुमति देना।

(v) परिष्कृत पामोलीन के आयात को मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखना और 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आयात की अनुमति देना।

(vi) कपास/यार्न आपूर्ति को पूरा करने के लिए रियायती शुल्क पर विस्कोज स्टेपल फाइबर के आयात की अनुमति देना।

(vii) खाद्यान्न भंडारों के वृहत् सरकारी भंडार से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री द्वारा खाद्यान्न बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप करना।

(viii) कृषि से संबंधित कच्चा माल जैसे :– कपास, वनस्पति तेल, तिलहन और दालों के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपाय।

[अनुवाद]

म्युचुअल फंड योजनाएं

***58. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जिन विदेशी कंपनियों को म्युचुअल फंड योजनाएं बनाने और शुरू करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये कंपनियां देश में आंतरिक संसाधनों और भारतीय जनता द्वारा किए गए अंशदानों को जुटाकर अपना पूंजी आधार बना रही हैं;

(ग) क्या इनमें विदेशी कंपनियों का कुल पूंजी में अपना योगदान एक प्रतिशत से भी कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) म्युचुअल फंडों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों के अनुसार, म्युचुअल फंड योजनाए चलाने के लिए परिसम्पत्ति प्रबंध कंपनी की स्थापना एक पूर्वापेक्षा है। सुधार कार्यक्रम के भाग के रूप में, परिसम्पत्ति प्रबंध कंपनियों की स्थापना करने के लिए विदेशी इक्विटी भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यमों को एफ आई पी बी अनुमोदन तंत्र के जरिए प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुमति दी जाती है । भारत सरकार के अनुमोदन से स्थापित परिसम्पत्ति प्रबंध कंपनियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

परिसपत्ति प्रबंध कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम मे विदेशी भागीदार का नाम और उसमें % शेयर धारिता	संयुक्त उद्यम में मुख्य भारतीय भागीदार का नाम और उसमें % शेयर धारिता
1	2	3
आई टी आई पायोनियर ए एम सी लि	पायोनियरिंग मैनेजमेंट कार्पोरेशन (33.33%)	इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लि., ग्रुप कंपनियां और ए बी डी अन्य (66.67%)
मॉर्गन स्टैनले एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्रा.लि	मॉर्गन स्टैनले मारिशस कं. लि. (75%)	अनेक कंपनियां और व्यक्ति (25%)

1	2	3
सी आर बी एसेट मैनेजमेंट कं.लि.	कीस्टोन (20%) डेवू (5%)	सी आर बी कैपिटल मार्किट्स लि. एण्ड एसोसिएट्स (सी आर बी सी आर भन्सली) (75%)
क्रेडिट कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कं.लि.	इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन वाशिंगटन (20%) एडिनबर्ग फंड मैनेजमेट, यू.के. (10%)	क्रेडिट कैपिटल फाइनेंस कार्पोरेशन लि. (60%) अन्य (10%)
ट्वेन्टियथ सेंचुरी एसेट मैनेजमेंट कार्पोरेशन लि.	इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन, वाशिंगटन (10%) केम्पर कार्पोरेशन (33.3%)	ट्वेन्टियथ सेंचुरी फाइनेंस कार्पोरेशन लि. (40%) अन्य (16.7%)
जी आई सी एसेट मैनेजमेंट कं.लि.	सोरोस फंड मैनेजमेंट (33.3%)	भारतीय साधारण बीमा निगम लि. और इसकी सहायक कंपनियां (66.7%)

(ख) से (घ). अभी तक स्थापित की गई परिसंपत्ति प्रबंध कंपनियां में विदेशी इक्विटी का स्तर 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक रहा है।

हवाई अड्डों पर सुविधाएं

*59. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर हवाई यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त पार्किंग स्थल और बुनियादी सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नये भारतीय एकीकृत विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस समस्या का अध्ययन किया है और हवाई अड्डों पर यातायात सुविधाओं के संवर्द्धन हेतु कुछ मार्गोपायों का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से, पार्किंग स्थल का अभाव और हवाई यातायात नियंत्रण क्षमता की सीमाओं की कमी का अनुभव केवल दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर पाया जाता है। अंतर्देशीय हवाई अड्डों के बीच बंगलौर, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, कुल्लू और लुधियाना हवाई अड्डों पर पार्किंग बेज की कमी और टर्मिनल भवनों में अत्यधिक भीड़-भाड़ का अनुभव किया जाता है।

(ख) आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है और इसे प्रयोजित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से किया जाता है।

दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डे पर हवाई यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण, 12 आदर्श हवाई अड्डों के विकास और विभिन्न हवाई अड्डों पर पार्किंग स्थान तथा टर्मिनल भवन के विस्तार जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सस्ते होटल

*60. **श्री के. प्रधानी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम वर्गीय घरेलू पर्यटकों के लिए सस्ते होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों को इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और उन्होंने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, नहीं। होटलों का निर्माण करना निजी क्षेत्र का कार्य है। तथापि, सस्ते होटलों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार राज्य वित्त निगमों, भारतीय पर्यटन वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत किए गए ऋणों पर कर छूट और ब्याज इमदाद जैसे विभिन्न प्रोत्साहन (1,2, और 3 सितारा अनुमोदित होटल परियोजनाओं के लिए) प्रदान करती है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों हेतु संचालन एजेंसियां

396. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपनी संचालन एजेंसियों को छः केन्द्रीय उपक्रमों और एक राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए नये प्रोमोटरों हेतु विज्ञापन देने और उनकी तलाश करने के लिए कहा है जैसाकि 29 सितम्बर, 1994 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने सूचित किया है कि उसने उसके पास भेजे गए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के 11 मामलों में (8 केन्द्रीय और 3 राज्य)

परिचालन एजेंसियों को प्रबंधन में परिवर्तन का निदेश दिया है। ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड
2. रिचर्डसन क्रूडस लिमिटेड
3. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड
4. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
5. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
6. यू. पी. ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
7. इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
8. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिक लिमिटेड
2. सदर्न एक्सप्लोजिव लिमिटेड
3. भदोही वूलेन्स लिमिटेड

औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जो एक अर्धन्यायिक निकाय है, संबंधित कंपनी, प्रशासनिक मंत्रालय और राज्य सरकार को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के लिए पुनरूद्धार के सम्मत पैकेज के साथ आगे आने का युक्ति संगत अवसर प्रदान करता है। जब कंपनी और/या प्रशासनिक मंत्रालय/राज्य सरकार पुनरूद्धार योजना तैयार करने की स्थिति में नहीं होती है, तब प्रबंधन में परिवर्तन सहित रुग्ण कंपनी के पुनरूद्धार की संभावना का पता लगाने के लिए औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा एक परिचालन एजेंसी की नियुक्ति की जाती है।

हस्तशिल्पों का निर्यात

397. श्री आर. जीवरत्नम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को कुल कितने अमरीकी डालर मूल्य की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ख) सरकार की चालू वित्तीय वर्ष और आगामी दो वर्षों के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में कितनी वृद्धि करने की योजना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) विभिन्न देशों को निर्यात किए गए हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्पों का वर्ष 1992–93 तथा 1993–94 के लिए अमरीकी डालर के रूप में कुल मूल्य क्रमशः 883.70 अमरीकी मिलियन डालर तथा 1071.35 (अनन्तिम) मिलियन डालर था।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और आगामी दो वर्षों में हाथ से बने कालीनों सहित हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार की योजना में विदेश में बिक्री–सह–अध्ययन का प्रयोजित करना, क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करना, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और उत्सवों में भाग लेना, विदेश में संवर्धन प्रचार को बढ़ावा देना तथा नई दिल्ली में प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प और उपहार मेला तथा कालीन व्यापार मेला आयोजित करना शामिल है।

[हिन्दी]

अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना

398. श्री एन.जे. राठवा :
श्री हरिन पाठक :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गुजरात में कोई अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं और कंटेनर माल केन्द्रों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इस समय देश में सोलह इन्लैण्ड कंटेनर डिपो कार्य कर रहे हैं। इन्लैण्ड कन्टेनर डिपुओं की एक राज्य–वार सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) और (ग). जी, हां। दो इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो (सूरत तथा अहमदाबाद प्रत्येक में एक) गुजरात में कार्य कर रहे हैं।

(घ) देश में इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों को एक ही स्थान पर निर्बाधन सुविधा प्रदान करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक अन्तर–मंत्रालयी समिति कार्य कर रही है। उन स्थानों को दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है जिन स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का अनुमोदन किया गया है।

विवरण-I

इन्लैंड कन्टेनर डिपो

1. तुगलकाबाद (दिल्ली)
2. लुधियाना (पंजाब)
3. अहमदाबाद (गुजरात)
4. पुणे (महाराष्ट्र)
5. वादीबन्दर (महाराष्ट्र)
6. तोंदरारपट, मद्रास (तमिलनाडु)
7. बंगलौर (कर्नाटक)
8. कोयम्बतूर (तमिलनाडु)
9. गुंटूर (आंध्र प्रदेश)
10. अनापर्ति (आंध्र प्रदेश)
11. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
12. मुलुंद (महाराष्ट्र)
13. चिराला (आंध्र प्रदेश)
14. अमिनगांव (असम)
15. सूरत (गुजरात)
16. जयपुर (राजस्थान)

विवरण-II

अन्तर मन्त्रालयी समिति द्वारा अनमोदित अतिरिक्त इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों की सूची

इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो

1. इन्दौर (मध्य प्रदेश)
2. बालासोर (उड़ीसा)

कन्टेनर फ्रेट स्टेशन

1. अमृतसर (पंजाब)
2. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) (दो सीएफएस)
3. नावा शेवा (महाराष्ट्र)
4. तूतीकोरियम (तमिलनाडु) (तीन सीएफएस)
5. कांडला (गुजरात)
6. सूरत (गुजरात)
7. द्रोणागिरि नोड, न्यू बम्बई (महाराष्ट्र)
8. फरीदाबाद (हरियाणा)... (दो सीएफएस)
9. जोधपुर (राजस्थान)
10. दशरथ, बड़ौदा (गुजरात)
11. नासिक (गुजरात)
12. माधववरम, मद्रास (तमिलनाडु)
13. उदयपुर (राजस्थान)
14. भटिंडा (पंजाब)
15. कालमबोली (महाराष्ट्र)
16. त्रिपुरा (तमिलनाडु)
17. कोटा (राजस्थान)
18. कोचिन (केरल).. (दो सीएफएस)
19. कानपुर (उत्तर प्रदेश)

[अनुवाद]

जर्मनी से सहायता

399. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान जर्मनी से कुल कितनी धनराशि की सहायता मिली है;

(ख) यह सहायता किन-किन परियोजनाओं के लिए दी गयी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इस सहायता के उचित उपयोग पर किस प्रकार निगरानी रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहयोग के अन्तर्गत प्राप्त जर्मन सहायता की कुल राशि इस प्रकार है :

वर्ष	राशि
1993-94	364.00 मिलियन ड्यूश मार्क
1992-93	562.10 मिलियन ड्यूश मार्क
1991-92	548.60 मिलियन ड्यूश मार्क

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए सहायता दी गई, उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) भारत सरकार/राज्य सरकारों के सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और वचनबद्ध राशि के उचित उपयोग की मॉनीटरिंग की जाती है। आर्थिक कार्य विभाग भी संघ सरकार/राज्य सरकारों के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और परियोजना प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से परियोजनाओं और सहायता के उपयोग की समीक्षा करता है।

विवरण

1. उर्वरक आयात कार्यक्रम I और II
2. मध्य प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति
3. नेवेली लिग्नाइट निगम II और III
4. सिंगरौली विद्युत केन्द्र परियोजना
5. महासागरीय जलयान
6. रेल दुर्घटना राहत
7. कोरबा विद्युत केन्द्र परियोजना
8. रमागुन्डम् विद्युत केन्द्र परियोजना
9. प्रजनन मवेशी की सप्लाई
10. हेवी ड्यूटी ब्रेकडाउन क्रेन्स
11. फरक्का तापीय विद्युत केन्द्र
12. राजस्थान लघु सिंचाई
13. रमागुन्डम ओपनकास्ट माइन
14. रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला
15. एच.डी.एफ.सी.
16. दादरी विद्युत केन्द्र
17. रेलवे निवेश कार्यक्रम
18. उरां संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र
19. लिफ्ट सिंचाई उड़ीसा
20. पूंजीगत वस्तु ऋण सीमा
21. अध्ययन और विशेषज्ञ निधि
22. हुडको
23. राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण
24. वित्तीय संस्थाओं को ऋण सीमा
25. सिडबी
26. मैसूर सीमेंट
27. रेलवे कॉइल स्प्रिंग सिथोली
28. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
29. वित्तीय संरचनात्मक समायोजन ऋण
30. एन आई सी अध्ययन और विशेषज्ञ निधि
31. एन डी डी बी अध्ययन और विशेषज्ञ निधि
32. जलसंभर विकास, महाराष्ट्र
33. डॉट परियोजना

[हिन्दी]

सावधि जमाराशि योजना

***400. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि*

(क) क्या वर्तमान निर्धारित ब्याज दर पर पांच वर्ष के लिए सावधि जमाराशि योजना को जारी रखना प्रासंगिक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ब्याज दर की सम्पूर्ण राशि की समीक्षा करने का है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार बदलते आर्थिक परिदृश्य में इसकी समीक्षा करने के बाद सावधि योजना को कब तक तर्कसंगत बनाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). संभवतः माननीय सदस्य का आशय बैंकों द्वारा तैयार की गई पांच वर्षों की सावधि जमा योजना से है। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने किसी सावधि, जमा योजना का निर्धारण नहीं किया है। ऐसी योजनाएं बैंक स्वयं भारतीय बैंक संघ की अनुमति को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल 46 दिन से 3 वर्ष और अधिक की अवधि की प्ररिपक्वता वाली जमाराशियों पर ब्याज दर निर्धारित किया है। विद्यमान निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 46 दिन से 3 वर्ष और अधिक की अवधि की परिपक्वता के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक की अनधिक ब्याज दर का निर्धारण किया है। बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे विभिन्न परिपक्वताओं के लिए "10 प्रतिशत वार्षिक की अनधिक" की सीमा के अन्दर ब्याज दर का निर्धारण करें। जब कभी ब्याज दर का संशोधन किया जाता है तो वह नवीन जमाराशियों और परिपक्वता जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होता है। वह विद्यमान जमा राशियों पर लागू नहीं होता है। विद्यमान जमाराशियों पर उनकी परिपक्वता तक संविदागत दर पर ब्याज अर्जित होता रहता है।

[अनुवाद]

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशि

401. श्री छेदी पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा हुई धनराशि कितनी है और इन बैंकों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए बेरोजगार युवाओं को और लघु/मध्यम उद्योगपतियों को कितनी ऋण राशि वितरित की गई;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत आठ माह से इन बैंकों के पास भारी संख्या में स्वादी ग्रामोद्योग योजनाएं लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : *(क) मार्च 1992, मार्च 1993 और मार्च 1994 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिये बिहार में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियों की मात्रा नीचे दी गई है :*

को समाप्त वर्ष	जमाराशियों की मात्रा (करोड़ रु. में)
मार्च 1992	1729.02
मार्च 1993	1963.32
मार्च 1994	2218.17

लघु/मझोले उद्योगों और विभिन्न परियोजनाओं के लिये बेरोजगार युवकों को बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की राशि के बारे में ऑकड़ा सूचना प्रणाली से अलग से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, प्राथमिकता क्षेत्र के निम्नलिखित खंडों के लिये बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जून 1992 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के लिये संवितरित ऋण नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)

जून को समाप्त वर्ष	लघु उद्योग	लघु सड़क और जल परिवहन परिचालक	खुदरा व्यापारी	छोटे व्यवसायी	व्यावसायिक और स्वरोजगार वाले व्यक्ति
1990	3913.34	1291.06	2134.09	2169.49	952.86
1991	3397.93	1291.96	2376.75	1997.98	1038.68
1992	2378.70	871.98	1735.37	1385.06	849.43

(इनमें बेरोजगार युवकों के ऑकडे भी शामिल हैं)

(ख) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा यूरो-इश्यू

402. डॉ. सुधीर राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड को अपनी डालर यूरो-इश्यू योजना पर कार्य करने से अनुमति देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने निगम को घरेलू स्रोतों से धन उगाहने की अनुमति देने से भी इन्कार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा व्यय और अन्य आवश्यकताओं के लिए अपनी निधि बढ़ाने के संबंध में सरकार से किए गए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार ने वी.एस.एन.एल. को अपनी यूरो इश्यू योजना आगे बढ़ाने के लिए अनुमति दिए जाने से मना नहीं किया है। उक्त मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपयुक्त उत्तर (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपनी 8-वी पंचवर्षीय परियोजनाओं में संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इक्विटी के इश्यू के अनुमोदनार्थ सरकार से संपर्क स्थापित किया है। यूरो इश्यू अन्य परम्परागत प्रणालियों की तुलना में निधियों की वसूली का सबसे सस्ता मार्ग पाया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना (आई.पी.आर.एस.) के अन्तर्गत दावों का निपटारा

403. श्री मोहन रावले : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत इंजीनियरिंग सामान के निर्यातकों के भुगतान संबंधी बहुत से दावे सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन दावों को कब तक निपटा दिया जायेगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 28 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना (आई पी आर एस) के अन्तर्गत इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के पास लम्बित दावों का कुल मूल्य 389 करोड़ रूपये है।

(ग) आई पी आर एस के भुगतान का वित्तपोषण मूलतः एकीकृत इस्पात संयंत्रों पर लगाए गए उपकर से निर्मित इंजीनियरी सामान निर्यात सहायता निधि से किया जाता है। लम्बित दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ

404. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों को पुनः प्रयोज्य बनाकर इसका निर्यात करने के लिए इस अपशिष्ट का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में आयात किया जाता है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) प्लास्टिक अवशिष्ट के आयात की अनुमति लाइसेंस पर ही दी जाती है।

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान शुल्क की लागू दरों पर प्लास्टिक अवशिष्ट के आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

मात्रा : मी. टन
मूल्य : लाख रू

अवशिष्ट के ब्यौरे	1991-92	1992-93	1993-94
1. एथिलीन के पोलिमर्स के अवशिष्ट	11.75 (141)	86.63 (1466)	564.50 (11915)
2. स्टाइरिन के पोलीमर्स के अवशिष्ट	5.01 (79)	22.51 (263)	32.52 (659)
3. विनाइलक्लोराइड के पोलीमर्स के अवशिष्ट	3.46 (37)	4.27 (85)	46.03 (757)
4 अन्य प्लास्टिक के अवशिष्ट	791.26 (9602)	1706.33 (18865)	2548.74 (37184)

राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर बकाया राशि

405. श्री राम कापसे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सरकार की राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर 31 दिसम्बर, 1993 तक बकाया राशि का ब्यौरा क्या है,

(ख) देय राशि का भुगतान न करने के कारण क्या हैं, और

(ग) महाराष्ट्र सरकार को इस राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) से (ग). दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार एन टी सी को कपास की आपूर्ति करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उपजकर्त्ता विपणन संघ को भुगतान करने के लिए 74.17 करोड़ रू. की धनराशि बकाया थी। एन टी सी द्वारा कपास की खरीद उधार की जाती है इसलिए किसी भी समय भुगतान के लिए बकाया देय राशि का रहना स्वाभाविक है। संसाधनों के सृजन तथा नगद धाटों की प्रतिपूर्ति और द्रव्यता के लिए निधियों की प्राप्ति होने पर इस प्रकार के बकाया चुका दिए जाते हैं।

आयकर विवरणी

406. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** 29 जुलाई, 1994 के अताराकित प्रश्न सं. 905 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुगतान और वितरण अधिकारी स्रोतों पर आयकर में कटौती करने के लिए उत्तरदायी है,

(ख) यदि हां, तो आयकर विभाग द्वारा इन अधिकारियों की आयकर विवरणी की जांच के लिए इन्हे नियुक्त करने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या आयकर अधिकारियों के ध्यान में स्रोतों पर कर संग्रह में कुछ अनियमितताएं आयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रति-जांच के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत भुगतान तथा वितरण प्राधिकारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की आय-विवरणियों की जांच करने के निमित्त कोई प्रावधान नहीं है। जो व्यक्ति इन भुगतानों को प्राप्त करता है वह स्वयं आयकर विवरणी दायर करने के लिए उत्तरदायी होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). कर कटौती कर्ताओं द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने संबंधी अनुपालन की अनियमितताओं के ब्यौरे समूचे देश में फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करने होंगे और इसमें लगने वाला समय और प्रयास प्राप्तव्य उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, इस प्रकार की अनियमितताओं की रोकथाम करने के लिए फार्मों तथा विवरणियों की जांच, लेखों की संवीक्षा, आयकर अधिनियम की धारा 133-ए के अन्तर्गत सर्वेक्षण आदि के रूप में एक नियंत्रणकारी क्रियाविधि पहले से ही मौजूद है। इस प्रति-जांच के कारण अतिरिक्त राजस्व की वसूली होती है।

भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन द्वारा विदेशों में व्यापार मेलों का आयोजन

407. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन द्वारा विदेशों में गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, आयोजित किये गये व्यापार मेलों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन द्वारा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में अगस्त, 1993 के दौरान इन मेलों का आयोजन करने में कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) मेले में भाग लेने के लिये भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन को भारतीय कंपनियों से कुल कितनी आय हुई;

(घ) क्या भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन को इन व्यापार मेलों के आयोजन से कोई घाटा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार का विचार मेलों के आयोजन की पुनरीक्षा करने तथा तत्संबंधी उपायों में सुधार करने के लिये उपयुक्त कदम उठाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों में इटपो द्वारा विदेशों में प्रत्येक वर्ष आयोजित किए गए व्यापार मेलों का ब्यौरा दिया गया है:

वर्ष	मेलों/मामलों के प्रकार			कुल मामले	सहभागितों द्वारा सूचित सृजित व्यापार (करोड़ रू.)
	सामान्य मेले	विशेषीकृत वस्तु	भारतीय (केवल)		
1992-93	20	21	2	43	437.44
1993-94	21	21	–	42	354.36
1994-95	15	13	4	32+1*	796.00 (दिसंबर 94 तक हुए 26 मामलों के लिए)

* सिंगापुर में अन्य एजेंसी द्वारा आयोजित एक मामले में इटपो द्वारा दिया गया सहयोग

"इटपो" के उपर्युक्त आयोजनों में भागीदार सहयोग के देश/क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार है :-

वर्ष	आस्ट्रेलिया	अमरीका	पश्चिमी यूरोप	पूर्वी यूरोप	दक्षिण पूर्वी एशिया	पश्चिम एशिया उत्तरी अफ्रीका	दक्षिणी अफ्रीका
1992-93	–	2	17	5	6	13	–
1993-94	–	4	16	–	11	11	–
1994-95	1	2	14	2	8	4	2

(ख) दिनांक 22-28 अगस्त, 1994 के दौरान जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित भारतीय प्रदर्शनी के लिए इटपो द्वारा 433.37 लाख रू. खर्च किए गए थे।

(ग) भारतीय प्रदर्शनी जोहान्सबर्ग में भागीदारी के लिए भारतीय कंपनियों से वसूल किया गया भागीदारी शुल्क 368.90 लाख रू. था।

(घ) और (ङ). इटपो विदेश में "लाभ या हानि" के आधार पर मेलों में भाग नहीं लेता है। यह मेलों का आयोजन निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में करता है।

(च) और (छ). विदेश में मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन से संबंधी कार्यक्रम का निर्णय इटपो द्वारा लिया जाता है तथा वाणिज्य मंत्रालय की प्रदर्शनी सलाहकार समिति उसका अनुमोदन करती है। कार्यक्रम को बनाते समय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए थ्रस्ट क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात देशों/वस्तुओं तथा विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों की सिफारिशों पर बल दिया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय तथा इटपो सहभागिता की क्वालिटी की निरंतर समीक्षा करते हैं तथा सहभागियों से प्राप्त पुनर्निवेशन (फीडबैक) तथा निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के व्यापक हित में रखकर उपयुक्त उपाय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

बैंकों के पब्लिक इश्यू

408. श्री बारे लाल जाटव : क्या **वित्त मंत्री** 12 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2917 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक इश्यू के संबंध में बैंकों से अब तक जानकारी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से अब तक प्राप्त सूचना अधूरी है तथा इसमें और स्पष्टीकरण की जरूरत है। जब पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाएगी तो उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मुफ्त विमान यात्रा की सुविधा

409. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** 12 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2948 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). अभी तक सूचना एकत्र की जा रही है, मुख्यतः विमान कम्पनियों से अधिक सूचना एकत्रित किए जाने के कारण विलम्ब हो रहा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण

410. श्री अमल दत्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्देश दिये गये हैं;

(ग) क्या बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में धनराशि के प्रवाह को रोकने के लिए भी निर्देश दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि उन्हें अपनी ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखाओं के संबंध में अखिल भारत आधार पर अलग–अलग 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि जबकि यह आवश्यक नहीं है कि यह अनुपात शाखा–वार–जिला–वार या क्षेत्र–वार अलग–अलग प्राप्त किया जाए, तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण विनियोजन में असंतुलनों को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अनुपातों में व्यापक विसंगति से बचा जाए। अलबत्ता, किसी खास राज्य या क्षेत्र में ऋण जमा अनुपात उस राज्य/क्षेत्र के ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो सिंचाई, बिजली, रेल, सड़क, परिवहन, बुनियादी और तकनीकी शिक्षा उद्यमवृत्ति तथा कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक निविष्टियों और विपणन केन्द्रों की उपलब्धता आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास जैसे कारकों द्वारा निर्धारित और प्रभावित होता है। यह भी कहा जा सकता है कि बैंक ऋण और उत्पादन/उत्पादकता के बीच कारगर संबंध स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक ऋण का विकास करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1.4.1989 से सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एस ए ए) योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण ऋण का संवितरण स्थूल योजना अर्थात आधार स्तरीय या ग्राम स्तरीय योजना पर आधारित होता है। सेवा क्षेत्र योजना के तहत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा के अन्तर्गत 10–15 ग्रामों का एक ग्रुप होता है । सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, ऋण सुविधाओं में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले अग्रिम तथा कृषि, लघु उद्योग, ग्रामीण कारीगर, ग्रामोद्योग और सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत दिए जाने वाले अग्रिम भी शामिल होते हैं।

हथकरघों को विद्युत करघों में बदलना

411. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन ने उत्पादकता तथा बुनकरों के लाभ में वृद्धि करने की दृष्टि से हथकरघों को विद्युतकरघों में बदलने के लिए आन्ध्र प्रदेश में कोई प्रायोगिक परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार हैंक यार्न की कम सप्लाई वाले क्षेत्रों में कताई एककों की स्थापना करने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बुनकरों को सप्लाई किए जाने वाले हैंक यार्न की सुपुर्दगी लेने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना करने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) हथकरघों को विद्युत करघों में बदलने की दक्षिण भारतीय मिल संघ द्वारा तैयार की गई कोई प्रायोगिक परियोजना के संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रमिकों संबंधी मामले

412. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फैक्टरी मालिक श्रमिक विवादों में सुनवाई हेतु न्यायालयों में उपस्थित नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु फैक्ट्री मालिकों की निर्धारित तिथियों पर न्यायालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

सिलीगुड़ी के चाय नीलामी केन्द्र

413. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुड़ी के चाय नीलामी केन्द्र के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). सरकार को सिलीगुड़ी स्थित चाय नीलामी केन्द्र को आधुनिक बनाने के किसी प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है। किन्तु, ऐसा समझा जाता है कि सिलीगुड़ी चाय नीलामी समिति निर्धारित समय-सीमा के भीतर चाय की नीलामी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक दूसरे चाय नीलामी हाल का निर्माण कर रही है।

[हिन्दी]

पहाड़ी जिलों में औद्योगिक एककों को आयकर छूट

414. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में औद्योगिक एककों को आयकर में छूट देने के मामले की जांच करने के लिए गठित किए गए अध्ययन दल की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। पिछड़े जिलों का पता लगाने संबंधी अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है।

(ख) और (ग). रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

हड़तालें

415. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के विनिर्णय के परिणामों का इस बीच अध्ययन किया है कि हड़ताल यदि समाज के व्यापक हित में समुचित नहीं है तो विधिसम्मत हड़ताल के कारण भी मजदूरी काटी जा सकती है, और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). हड़ताल अवधि संबंधी वेतन के बारे में उच्चतम न्यायालय का हाल का फैसला 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है।

उच्चतम न्यायालय के इस फैसले की, कि जब तक हड़ताल वैध और न्याय संगत न हो, हड़ताल की अवधि के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, प्रतियां अक्तूबर, 1994 में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों के श्रम सचिवों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनकी सूचना और मार्ग-निर्देश के लिए परिचालित कर दी गयी हैं।

[हिन्दी]

चीन के साथ व्यापार संतुलन

416. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच प्रतिवर्ष कुल कितना निर्यात और आयात हुआ;

(ख) क्या इस समय कोई व्यापार घाटा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार इस घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान भारत-चीन के बीच हुए व्यापार के आंकड़े निम्नलिखित हैं :-

	चीन को निर्यात	चीन से आयात	कुल व्यापार
	(करोड़ रु. में)		
1992-93	409	365	774
1993-94	857	972	1,829

(ख) और (ग). चालू वर्ष (1994-95) के दौरान अप्रैल-अगस्त महीनों के उपलब्ध नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत से चीन को हुए 336 करोड़ रुपये के निर्यात और चीन से किए गए 833 करोड़ रुपये के आयात में भारत को 497 करोड़ रुपये का व्यापार घाटा हुआ है। 1993-94 में व्यापार घाटा 115 करोड़ रुपये का था लेकिन गत दो वर्षों में व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था।

(घ) यह देखा जा सकता है कि भारत-चीन व्यापार कुछ उतार-चढ़ाव के साथ तेजी से बढ़ रहा है। चीन को हमारे निर्यात और सामान्यतः द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए जो सतत प्रयास किए जा रहे हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं : सीमा व्यापार खोलना और उसका विस्तार करना, संयुक्त उद्यमों का संवर्द्धन, व्यापार स्तर पर संबंधों को प्रोत्साहन देना, व्यापार वस्तुओं का विविधीकरण, बीसा की क्रियाविधि का सरलीकरण और एक दूसरे के देश में बैंकों की शाखाएं खोलने का करार करना।

[अनुवाद]

समूह बीमा

417. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **वित्त मंत्री** 19 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3561 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 31 मार्च, 1994 तक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को राज्यवार अलग-अलग कुल कितनी राशि के प्रीमियम का भुगतान किया गया;

(ख) 31 मार्च, 1994 तक अन्य समूह बीमा योजनाओं के लिए व्यवसायवार और राज्यवार अलग-अलग कितनी राशि के प्रीमियम का भुगतान किया गया; और

(ग) 31 मार्च, 1994 तक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना (एल ए एल जी आई) और अन्य समूह बीमा योजनाओं के अन्तर्गत की गयी राज्यवार दावों के लिए भुगतान की गई राशि का और ऐसे लाभार्थियों की संगत संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

यूनिट स्कीम, 1964

418. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1994 में यू.एस.-64 यूनिटों का बाजार मूल्य कितना रहा;

(ख) क्या उक्त मूल्य यू.टी.आई. द्वारा प्रत्याशित मूल्यों से कहीं अधिक रहे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) चूंकि यू.एस.-64 सूचीबद्ध योजना नहीं है, इसलिए इसके कोई औपचारिक मूल्य भाव उपलब्ध नहीं हैं। जिस मूल्य पर लेन-देन किया जाता है, वह समय विशेष की मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। आमतौर पर, द्वितीयक बाजार में यूनिटों के मूल्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा घोषित बिक्री और पुनः खरीद मूल्यों के बीच भिन्न-भिन्न रहते हैं। जुलाई-नवम्बर, 1994 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा घोषित मूल्य निम्नानुसार थे :-

अवधि	बिक्री मूल्य (रू.)	पुनः खरीद मूल्य (रू.)
01.07.94-15.07.94	16.50	15.50
16.07.94-31.07.94	17.00	15.95
01.08.94-15.08.94	17.50	16.30
16.08.94-31.8.94	18.00	16.75
01.09.94-15.09.94	18.50	17.25
16.09.94-31.10.94	18.70	17.40
01.10.94-31.10.94	बुक क्लोजर	
01.11.94-30.11.94	18.90	17.60

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आयकर रियायत

419. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि दी गई विभिन्न कर रियायतों से वास्तव में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण पर वित्तीय रियायतों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 1993 में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल ने एक अध्ययन किया था।

(ख) अध्ययन दल के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे :–

(एक) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को मदद देने में कर–प्रोत्साहनों ने एक सकारात्मक भूमिका अदा की होगी।

(दो) परन्तु व्यवस्थित लागत लाभ–विश्लेषण के अभाव में स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि उनको लागू करने से समग्र राष्ट्रीय कल्याण में सुधार हुआ है।

(तीन) यह आशा की जाती थी कि विकसित राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के संबंध में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए कर प्रोत्साहन दिए जाएं जिसका आशय नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता और बाजार अवसरों जैसे कारकों के महत्व पर बल भी देना था।

(चार) चूंकि कर–प्रोत्साहनों की लागत मात्रात्मक रूप में कम ही निर्धारित की जाती है अतः उनके अपर्याप्त रूप से उपयोग करने का अनुमान है। पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में बजटीय निधियों की समान मात्रा अधिक प्रभावकारी हो सकती है यदि पिछड़े क्षेत्रों के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए इसको सीधे व्यय किया गया हो।

स्वापक औषधियों का जब्त किया जाना

420. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1993 से आज तक विभिन्न एजेन्सियों द्वारा गुजरात, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में जब्त किये गये स्वापक औषधियों, विदेशी हथियारों, मुद्रा तथा नशीले पदार्थों आदि का ब्यौरा क्या है और उनका बाजार मूल्य कितना है;

(ख) इसमें शामिल पाये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उत्पाद शुल्क विभाग और तटरक्षक बल ने कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इसके लिए उनमें से प्रत्येक को कितनी–कितनी धनराशि के पुरस्कार दिये गये;

(ग) ऐसे मामलों के संबंध में "टाडा" के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को जमानत पर और कितने व्यक्तियों को पैरोल पर रिहा किया गया तथा कितने व्यक्तियों को एक से अधिक बार पैरोल पर रिहा किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को रद्द किया जाना

421. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत में प्लेग फैलने के समाचार के पश्चात् इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कालीकट विमानपत्तन से कितनी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द किया गया;

(ख) इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान किसी निजी विमान सेवा ने कालीकट से अपनी उड़ानों को रद्द किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपनी उड़ानों को रद्द करने का क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). सूरत में प्लेग के फैलने की रिपोर्ट के बाद यू.ए.ई. ओमान और कुवैत द्वारा भारत के लिए/से सेवाओं के प्रचालन पर प्रतिबंध लगा दिए जाने पर, कालीकट से इंडियन एयरलाइन्स की ग्यारह उड़ानें रद्द की गयी थी और इसके फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को लगभग 28 करोड़ रूपए की हानि उठानी पड़ी।

(ग) और (घ). जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स ने यू.ए.ई., ओमान तथा कुवैत द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण कालीकट से अपनी उड़ानें रद्द कीं।

कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण

422. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा परेशान किये जाने के संबंध में शिकायतों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी बैंकों के नाम जारी मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह उपबंधित है कि 25,000/– रू. तक की ऋण सीमा वाले ऋण आवेदनों का निपटान 15 दिनों के अन्दर और 25,000/– रू. से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदनों का निपटान आठ से नौ सप्ताह के अन्दर किया जाना चाहिए। बैंक शाखाएं आवेदकों से सीधे ही या फिर राज्य द्वारा प्रायोजित किसी अभिकरण के मार्फत ऋण आवेदन प्राप्त करती हैं और तदनुसार ही, उनकी मंजूरी की जाती है। अलबत्ता, ऋणों की नामंजूरी, ऋणों की मंजूरी

में देरी, उधारकर्ताओं को तंग करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों संबंधी मार्गनिर्देशों का अनुपालन न करना, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण संवितरण में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं आदि जैसी बैंकों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं। आंकड़ा सूचना प्रणाली से बैंकों के विरूद्ध किसी निश्चित अवधि में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या का पता नहीं चलता है। तथापि, प्राप्त सभी शिकायतों को उसकी प्रकृति और गम्भीरता के आधार पर संबंधित बैंकों/भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ उठाया जाता है ताकि उपचारी कार्रवाई की जा सके। यथाशीघ्र शिकायतों के निपटान के लिए गम्भीरता पूर्वक प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बाल और बंधुआ मजदूर आयोग

424. श्री सुकदेव पासवान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवंबर, 1994 के "जनसत्ता" में "बाल और बंधुआ मजदूरों के लिए नागरिक आयोग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या बाल बंधुआ मुक्ति मोर्चा और अन्य कल्याण संस्थान काफी समय से बाल श्रमिक और बंधुआ मजदूरों पर आयोग के गठन की मांग करते रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को बाल एवं बंधुआ मजदूरों की गम्भीर समस्याओं की जानकारी है;

(घ) क्या सरकार को जागृत करने के लिए बाल श्रमिकों द्वारा तैयार किए गए कालीनों और अन्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). जी, हां। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ,सहित कुछ क्षेत्रों से राष्ट्रीय बंधुआ श्रम आयोग गठित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 13 राज्यों के श्रम मंत्रियों के एक दल द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने बंधुआ बाल श्रमिकों सहित राष्ट्रीय बंधुआ श्रम आयोग के गठन की भी मांग की है।

(घ) से (ङ). यह पता लगाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं कि कालीन निर्माण में बाल श्रमिक नियोजित नहीं है। विकास आयुक्त का कार्यालय, हस्तशिल्प, कपड़ा मंत्रालय द्वारा नेशनल काऊंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के माध्यम से करवाए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग में कुल नियोजित श्रम बदा में बाल श्रमिकों की प्रतिशतता 1994 में 7.5% अर्थात् 1992 से 5% कम है। इसके अलावा, 2.4% बालक मजदूरी के आधार पर नियोजित किए जाते हैं। कालीनों का निर्यात इस शर्त के अधीन किया जाता है कि निर्यातक कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के यहां पंजीकृत होने चाहिए और निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अपनाई गयी स्वैच्छिक आचरण संहिता जिसमें यह भी शर्त शामिल है कि कालीन बुनाई में बाल श्रमिकों का प्रयोग न हो, का पालन करना आवश्यक है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कालीन बुनाई और जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। यह अधिनियम प्रचलन में है।

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूर

425. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं जिनमें गांवों की अल्पवयस्क लड़कियां बंधुआ मजदूर के रूप में काम करती पाई गई हैं,

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके पुनर्स्थापन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत लिंग भेद (सैक्स) और आयु के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है और इसलिए पुरूष/महिला बंधुआ श्रमिकों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि गोवा में 32 युवा बालिकाएं बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य कर रही थीं। गोवा राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त की गयी जानकारी के अनुसार, जांच-पड़ताल के दौरान यह पता चला कि तमिलनाडु और केरल की 24 बालिकाओं, जिनमें से कुछ अवयस्क थीं, से मैसर्स राहुल फूड (गोवा) द्वारा उनकी इच्छा के विपरीत कार्य लिया जा रहा था। बालिकाओं को मुक्त करा दिया गया है और तमिलनाडु तथा केरल की राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उनका पुनर्वास करें।

रुग्ण सरकारी उपक्रमों का पुनरुद्धार

426. श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन रुग्ण सरकारी उपक्रमों की पुनरूद्धार प्रक्रिया में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और निजी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार रियायत/राहत प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस आई सी ए) की धारा 15 के अंतर्गत, रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) के पास संदर्भ भेजना अनिवार्य है। एस आई सी ए के उपबंधों के अनुसार, बाइफर को यह धारणा बनाने से पूर्व कि कंपनी का परिसमापन करना उचित एवं न्यायोचित होगा, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के पुनरूद्धार के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाना होता है। बाइफर को प्रशासनिक मंत्रालय तथा रुग्ण कम्पनी सहित सभी संबंधितों को सुनवाई का उचित अवसर भी प्रदान करना होता है। बाइफर को और समय की मंजूरी के लिए प्राप्त किसी अनुरोध पर भी विचार करना होता है। इसके अलावा, कुछ रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, बाइफर ने प्रशासनिक मंत्रालय/संबंधित कंपनी को अनुरोध किए जाने पर समय की मंजूरी प्रदान की है ताकि वे अतिरिक्त निधियों को लगाने और इससे संबंधित मामलों जैसे मुद्दों पर अपनी अंतिम राय दे सकें, जो कि पुनरूद्धार करने या विकल्प के रूप में बन्द करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए अनिवार्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के चार मामलों के संबंध में, न्यायालयों द्वारा बाइफर के समक्ष कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई है।

(ग) से (ङ). बाइफर ने सूचित किया है कि रियायतों/राहतों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देश बैंकों के मार्गदर्शन के लिए हैं, जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के संबंध में ऋणों के पुनर्निर्धारण, ब्याज दर में कमी आदि के बारे में हैं। पुनरूद्धार योजनाएं तैयार करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

मास्को में भारतीय कम्पनी की स्थापना

427. श्री बलराज पासी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कंपनियों ने मास्को में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो मास्को में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूसी सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल और मसालों का निर्यात

428. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान मसालों, तेल और तेल-रेज़िन का निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मसालों, तेल और तेल रेज़िन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). मसाला बोर्ड ने वर्ष 1994-95 के लिये 82.5 करोड़ रूपये मूल्य के 1300 मी.टन के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि वर्ष 1993-94 में अनुमानतः 69 करोड़ रूपये मूल्य का 1270 मी.टन का निर्यात किया गया था। हालांकि इस लक्ष्य को मार्च, 1995 तक प्राप्त करना है, फिर भी अक्तूबर, 1994 तक 36.69 करोड़ रूपये मूल्य के 635 मी. टन मसालों और ओलियोरेजिन का वास्तविक निर्यात दिया गया है।

(घ) मसाले का तेल और ओलियोरेजिन के निर्यात संवर्धन के लिए किये गये प्रयासों में शामिल हैं :

(1) एक निर्यातोन्मुख इकाई की स्थापना करने और ई पी सी जी योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल का आयात करने की सुविधा;

(2) मसालों के तेल और ओलियोरेजिन के 30 सितम्बर, 1995 तक निर्यात पर उप-कर की समाप्ति;

(3) अनुसंधान संस्थानों के जरिये मसालों के तेल और ओलियोरेजिन के नये उपयोगों का विकास; और

(4) मसाला बोर्ड की बाजार संवर्धन योजनाएं।

बाल श्रम

429. श्री मंजय लाल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवंबर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "चाइल्ड लेबर सेफ्टी नीड ऑफ द आवर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में बाल श्रम का पता लगाने तथा इस गम्भीर समस्या को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) 15 अगस्त, 1994 को माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2000 तक जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम को समाप्त करने से सम्बधित एक योजना की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में लगे हुए 20 लाख बालकों को कार्य से मुक्त कराने का प्रस्ताव है। प्रधान मंत्री जी के कार्यक्रम के अनुसरण में "राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन अधिकरण" नामक एक उच्च अधिकार-प्राप्त प्राधिकरण का गठन किया गया है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची (क और ख) में, उन व्यवसायों/प्रक्रियाओं की पहचान की गई है जिनमें बाल श्रम प्रतिषिद्ध है। इस अधिनियम के अन्तर्गत् अधिनियम की विद्यमान अनुसूची में और व्यवसायों और प्रक्रियाओं को जोड़ने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक

तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गई है। इस अधिनियम में संशोधन करके इसके उपबंधों को और कड़े बना देने से संबंधित एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, बाल श्रम से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन में सुधार करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रवर्तन तंत्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

स्वापक पदार्थों की तस्करी

430. डॉ. वसंत पवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में/देश से बाहर स्वापक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की पश्चिमी सीमा से कोई बाहरी देश तस्करी को बढ़ावा दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) चूंकि स्वापक पदार्थों की तस्करी एक गुप्त प्रक्रिया है, अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि देश में/देश से बाहर यह बढ़ रही है अथवा घट रही है। फिर भी, उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान जब्त किए गए स्वापक औषधों की मात्रा निम्नानुसार है :–

स्वापक औषध	1991	1992	1993
		(मात्रा किलोग्राम में)	
अफीम	2145	1918	3011
हेरोइन	622	1153	1088
गॉंजा	52633	64341	98867
हशीश	4413	6621	8238
कोकीन	0.008	0.420	2
मैथाक्वालोन	4415	7475	15004
एसेटिक एन्हाइड्राइड	–	–	19758 (लि.)

(ख) पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान बोर्डर से लगे क्षेत्र तथा इण्डो–म्यांमार बोर्डर विशेष रूप से तस्करी के लिए अति संवेदनशील है।

(ग) सभी प्रवर्त्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्त्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रवर्त्तन एजेंसियों को वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान किए गए हैं। भारत–पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। एन.डी. पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्त्तन एजेंसियों के अतिरिक्त बी.एस.एफ. और तटरक्षक जो भूमि और समुद्रतट पर लगाए गए हैं, को सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

विसकॉस स्टेपल फाइबर तथा पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का आयात

431. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विसकॉस स्टेपल फाइबर तथा पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत छः माह के दौरान ऐसे फाइबरों का कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान शुल्क मुक्त आयात के कारण कुल कितने राजस्व की हानि हुई;

(घ) इस समय देश में ऐसे फाइबरों की मांग एवं खपत की क्या स्थिति है;

(ङ) अतिरिक्त मांग की पूर्ति हेतु कुल कितना आयात किए जाने का विचार है; और

(च) इस निर्णय से ऐसे फाइबरों के घरेलू बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) प्रयोक्ता उद्योग को विसकॉस स्टेपल फाइबर (वी एस एफ) की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने केवल 29.358 मी.टन वी एस एफ के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान वी एस एफ का वास्तविक शुल्क मुक्त आयात नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अप्रैल, 1994–सितम्बर, 1994 तक की अवधि के दौरान विसकॉस स्टेपल फाइबर और पालिएस्टर स्टेपल फाइबर की खपत के आंकड़े निम्न अनुसार हैं :–

विसकॉस स्टेपल फाइबर – 80,195 एम टी

पालिएस्टर स्टेपल फाइबर – 1,22,332 एम टी

(ङ) वी एस एफ के इस शुल्क मुक्त आयात से ऐसी आशा है कि 31–3–1995 तक घरेलू आपूर्ति के अतिरिक्त 29,358 मी.टन वी एस एफ तक की मांग को पूरा कर लिया जाएगा।

(च) वी एस एफ का शुल्क मुक्त आयात घरेलू बाजार में इस फाइबर की मांग और पूर्ति के बीच का अन्तर दूर करने में सहायक होगा तथा इसका इस फाइबर की घरेलू कीमतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

सीमा शुल्क अधिकारी

432. कुमारी क्रिजा तोपनो : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान देश में विभिन्न हवाई अड्डों

पर सीमा शुल्क अधिकारियों पर हमले की कोई घटना प्रकाश में आई है;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सीमा शुल्क अधिकारियों को ऐसी घटना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रमिक सहकारी समितियां

433. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री राम कृपाल यादव :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंद पड़े औद्योगिक उपक्रमों के अधिग्रहण के लिए देश में कितनी श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई है; और

(ख) ऐसी समितियों की स्थापना के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार किसी रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के प्रबन्धन के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास संदर्भ भेजना अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत कर्मकार सहकारी समिति के माध्यम से रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के पुनरूद्धार के लिए एक उपाय की परिकल्पना की गयी है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्मचारी सहकारिता समिति के माध्यम से रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को पुनरूजीवित करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अब तक पांच योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। ये योजनाएं इस प्रकार हैं : –

1. कमानी ट्यूब लि., बम्बई।
2. न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स, कलकत्ता।
3. पावडर मेटल्स एंड एलॉय लि., थाणे।
4. कमानी मेटल एंड एलॉय लि., बम्बई।
5. एच.ई.एस. लि., बम्बई।

उपर्युक्त क्रम संख्या 1 तथा 2 पर उल्लिखित योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं, अन्य तीन योजनाएं अभी तक आरम्भ नहीं हुई हैं। एक सामान्य नीति के रूप में श्रम मंत्रालय अन्य बातों के साथ–साथ कर्मचारी सहकारिता समितियों के माध्यम से पुनर्वास योजनाओं को बढ़ावा देता है। उद्योग–वार त्रिपक्षीय समितियों ने यह संकल्प किया है कि उद्यम स्तर पर प्रबंधन तथा कर्मकार एक साथ बैठें तथा पुनर्वास प्रस्ताव तैयार करें और उनके विचारार्थ प्रस्तुत करें। ऐसे प्रस्ताव सहकारिता आधारित भी हो सकते हैं।

विमान ईंधन

434. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विमान ईंधन की चोरी की कोई घटना प्रकाश में आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) विमान ईंधन की चोरी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा पवन हंस जैसे किसी भी सिविल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर द्वारा विमानन टरबाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) की चोरी की घटना की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

435. **श्री राम बदन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक की कुछ और शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये शाखाएं किन–किन स्थानों में खोली जाएंगी; और

(ग) इन शाखाओं को कब तक खोला जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इस समय उत्तर प्रदेश में उनकी दस शाखायें खोलने की योजना है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

जिला/शहर	खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या
इलाहाबाद	2
शाहजहांपुर	1
मुरादाबाद	1
वाराणसी	1
लखनऊ	1
रायबरेली	1
देहरादून	1
कानपुर	2

प्रस्तावित केन्द्रों में शाखायें खोलना परिसर, पक्की सड़क, दूर संचार आदि जैसी उचित आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

436. श्री नुरुल इस्लाम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा 1993–94 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्र को राज्यवार कितना ऋण आबंटित किया गया; और

(ख) इस ऋण का किन–किन क्षेत्रों में उपयोग किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) सम्बद्ध बैंकों से अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त करने के पश्चात इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फार्मेट के अनुसार बैंकिंग उद्योग के विभिन्न मदों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करता है, उन्हें संकलित और समेकित करता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है और इसीलिये वर्ष 1993–94 के दौरान राज्यवार प्राथमिकता क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की राशि से संबंधित आंकड़े अब तक उपलब्ध नहीं है। तथापि, जून, 1993 को समाप्त वर्ष के लिये राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। अनुबंध में दर्शाये गए अनुसार बैंकों द्वारा संवितरित ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे, जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1. कृषि
2. लघु उद्योग
3. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उधारकर्त्ता जैसाकि नीचे दिया गया है :–

(क) लघु सड़क और जल परिवहन परिचालक

(ख) खुदरा व्यापारी

(ग) लघु कारोबार परिचालक

(घ) व्यावसायिक और स्वरोगजार वाले व्यक्ति

(ङ) छात्रों को शिक्षा संबंधी ऋण

(च) 5,000/– रू. तक आवास के उद्देश्य से ऋण लेने वाले अ.जा./अ.ज.जा. और कमजोर वर्ग

(छ) पूर्णतः उपभोग ऋण वाले कमजोर वर्ग के उधारकर्ता।

(ज) आवास वित्त।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जून 1993 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त वर्ष के दौरान संवितरित ऋण की राशि का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संवितरित ऋण की राशि
1	2
उत्तरी क्षेत्र	1284.86(करोड़ रु.)
हरियाणा	212.77
हिमाचल प्रदेश	36.39
जम्मू एवं कश्मीर	4.79
पंजाब	537.19
राजस्थान	178.70
चंडीगढ़	26.27
दिल्ली	288.74
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	34.67
असम	24.65
मणिपुर	2.37
मेघालय	2.21
नागालैण्ड	1.81
त्रिपुरा	2.78
अरूणाचल प्रदेश	0.08
मिजोरम	0.02
सिक्किम	0.75
पूर्वी क्षेत्र	438.03
बिहार	162.77
उड़ीसा	67.99
पश्चिम बंगाल	206.94
अंडमान एवं निकोबार	0.35
केन्द्रीय क्षेत्र	780.75
मध्य प्रदेश	163.99
उत्तर प्रदेश	616.77
पश्चिमी क्षेत्र	1547.37
गुजरात	399.21
महाराष्ट्र	1109.16
दमन एवं दियु	0.21
गोवा	38.35
दादरा एवं नागर हवेली	0.45
दक्षिणी क्षेत्र	2416.75
आन्ध्र प्रदेश	564.27
कर्नाटक	459.65
केरल	286.61
तमिलनाडु	1091.65
पांडिचेरी	14.33
लक्षद्वीप	0.25
सम्पूर्ण भारत	6502.45

[हिन्दी]

जाली निर्यातक

437. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जाली निर्यातक/निर्यात करने वाली फर्में हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान का इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अनुबन्ध/समझौते

438. **श्री हरिन पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशों के साथ किये गये अनुबन्धों/समझौतों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : एम.एम.टी.सी. द्वारा वर्ष 1992–93 तथा 1993–94 की अवधि के दौरान विदेश में विभिन्न देशों के साथ की गई संविदाओं/करारों का वस्तुवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एम.एम.टी.सी. द्वारा की गयी संविदाएं/करार

लौह अयस्क देश का नाम	मद/मदें	**मात्रा : लाख मी.टन** संविदा की गई मात्रा 1992–93	1993–94
1	2	3	4
चीन मलेशिया डीपीआरके संयुक्त राज्य अमरीका थाईलैंड जापान दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान	लौह अयस्क का निर्यात	122.3	147.3
मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, बाक्साईट तथा मड कैमिकल्स, आदि			
जापान स्पेन	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	2.99	3.46
बहरीन दक्षिण कोरिया यू.के. दुबई पाकिस्तान ताईवान पोलैंड इटली स्विटजरलैंड चीन उत्तर कोरिया संयुक्त अरब अमीरात जोर्डन सीरिया	क्रोम अयस्क का निर्यात	2.87	2.44
	बाक्साईट	0.30	——
	मड कैमिकल्स आदि	1.16	0.06
संयुक्त राज्य अमरीका		7.32	5.95
वस्त्र, चाय, काफी और टूथपेस्ट			
सीआईएस देश (उक्रेन, रूस, कज़ाकिस्तान)	वस्त्र	शून्य	0.42
	चाय	शून्य	2.27
	टूथपेस्ट और काफी का निर्यात	शून्य	1.69
	अलौह धातुओं तथा औद्योगिक कच्चे माल का आयात	0.34	0.54
अलौह-धातु तथा औद्योगिक कच्चा माल			
सीआईएस देश (रूस तथा तापसे) बुल्गारिया	अलौह–धातुओं तथा औद्योगिक कच्चे माल का निर्यात	शून्य	0.10

मात्रा : **लाख मी. टन**

मूल्य : मिलि. अमरीकी डालर में

एम.एम.टी.सी. द्वारा की गई संविदाएं/करार

यूरिया देश का नाम	मद/मदें	**मात्रा : लाख मी.टन** संविदा की गई मात्रा 1992–93	1993–94
1	2	3	4
सीआईएस कतर सऊदी अरब कुवैत रुवाईस			

1	2	3	4
लीबिया	यूरिया का	20.02	26.48
रूमानिया	आयात		
जर्मनी			
नीदरलैंड			
क्रोएशिया			
इटली			
मिस्र			
पोलेंड			
बंगलादेश			
स्पेन			
इंडोनेशिया			
यू.एस.ए.			
प्रति-व्यापार		**मूल्य**	**मूल्य (मिलि. अमरीकी डालर)**
संयुक्त राज्य अमरीका	प्रति व्यापार के		
स्विटजरलैंड	रूप में यूरिया,	87.06	43.06
जर्मनी	एम ओ पी का		
यू.के.	आयात		
रूस			
इस्रराईल			
बैल्जियम			
जापान			
हांगकांग			
सिंगापुर			
कतर			
संयुक्त अरब अमीरात			
सऊदी अरब			
कुवैत			
साइप्रस			

[हिन्दी]

रुग्ण औद्योगिक एककों में फंसी धनराशि

439. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री महेश कनोडिया :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक एककों को ऋण के रूप में दी गई भारी राशि रुग्ण औद्योगिक एककों में फंसी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु, मध्यम एवं बड़े औद्योगिक एककों को कुल कितनी ऋण राशि दी गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान लघु, मध्यम एवं बड़े रुग्ण औद्योगिक एककों में फंसी धनराशि का उद्योगवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड

440. **डा. पी. वल्लल पेरुमान :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के कुछ प्रतिशत लाभ की उत्पादकता से जुड़े वेतन के रूप में इसके श्रमिकों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर श्रमिक संघों की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). जी हां। सरकार के दिशानिदेशों के अनुसार, मजदूरी समझौता उद्योग की भुगतान क्षमता के आधार पर किया जाता है। कम्पनी के निवेश तथा विकास की आवश्यकताओं के लिए 40 प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित रखते हुए गत तीन वर्षों के दौरान कल्याण उपायों पर किए गये पूंजीगत व्यय के उपरान्त कोल इंडिया द्वारा अर्जित लाभ के 60 प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार–V तैयार करने के लिए, ताकि उत्पादकता में सुधार लाया जा सके, कोयला श्रमिकों को दे दिया गया है।

(ग) इस संबंध में व्यवसाय संघों की ओर से सरकार को कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुयी है।

हस्तशिल्प निर्यात में सहायता

441. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक, निर्यात के लिए काष्ठ हस्तशिल्प बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को सहमत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत काष्ठ हस्तशिल्प के उत्पादन के लिए एककों की स्थापना हेतु केरल को कितनी धनराशि दी जा रही है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से निर्यात हेतु लकड़ी के हस्तशिल्प तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। भारत सरकार कार्यान्वयन एजेन्सी होगी और डिजाइन, उत्पाद विकास, उपकरणों के सुधार, विपणन संवर्धन

के क्षेत्र में अपने संसाधनों का उपयोग करेगी। परियोजना लागत अमरीकी डालर 986,000 होगी। प्रस्ताव के अंतर्गत तीन मौजूदा सामान्य सुविधा केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जाएगा और तीन नए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इनके अलावा चार लकड़ी पकाई संयंत्र लगाए जाएंगे।

(ग) त्रिवेन्द्रम में लकड़ी पकाई संयंत्रों को स्थापित करने और मौजूदा सामान्य सुविधा केन्द्र को सुदृढ़ करने आदि के लिए 50,000 अमरीकी डालर की राशि निर्धारित की गई है।

लेटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार संबंध

442. **श्री सूरज मंडल :**
श्री के. प्रधानी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच लेटिन अमरीकी देशों ने व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए अपने यहां की उदारीकृत आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए भारत सरकार को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

रेशम उद्योग

443. **श्री हरिसिंह चावडा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा राज्य में रेशम उद्योग के विकास के लिए कोई योजना भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) गुजरात सरकार ने राज्य में रेशम उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई योजना नहीं भेजी है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन परियोजनाएं

444. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अंदर और बाहर के कुछ व्यक्तियों/इकाइयों को देश में पर्यटन परियोजनाएं आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित व्यक्तियों/एककों और मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां। पिछले तीन वर्षों में होटल और रोमांचक पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 365 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा, 75 पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को विदेशी निवेश/सहयोग के लिए अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा अर्जित लाभ

445. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में निवेश के उपरान्त अर्जित मुनाफें को स्वदेश ले जाने हेतु गारंटी दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). वर्तमान मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत, कर के भुगतान आदि के अधीन रहते हुए निवेश पर अर्जित किए गए लाभों के प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनेक देशों के साथ किए जा रहे द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करारों में भेदभाव रहित आधार पर निवेशों और आय के अबाधित अंतरण की व्यवस्था की गई है।

जनता कपड़ा योजना

446. **श्री काशीराम राणा :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धीरे-धीरे जनता कपड़ा योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में बुनकर संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कुछ बुनकर संघों से ऐसे अभयावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें अनुरोध किया गया है कि जनता कपड़ा योजना को पांच वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाऐं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दुग्ध उत्पादों का निर्यात

447. श्री साईमन मरांडी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार कुल कितने दूध, मक्खन एवं दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया गया है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). वर्ष 1991-92, 1992–93 तथा 1993–94 में दूध, मक्खन तथा अन्य दुग्ध उत्पादों की कुल मात्रा और मूल्य नीचे दिये गये हैं:

मात्रा: एम टी
मूल्य: लाख रूपये

	1991–92		1992–93		1993–94 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
दूध, क्रीम तथा मीठा–युक्त दूध	2294.91	892.12	591.49	379.16	1577.15	947.59
अम्लयुक्त दूध तथा क्रीम	–	–	8.00	0.72	12.60	11.83
प्राकृतिक दुग्ध उत्पाद	6.09	4.77	–	–	–	–
मक्खन तथा घी	340.22	225.70	492.48	456.00	437.20	352.58
पनीर तथा दही	2.20	1.73	–	–	2.73	5.26
	2643.42	1124.32	1091.97	835.88	2029.68	1317.26

(स्रोत : डी जी सी आई एस, कलकत्ता)

जहां तक निर्यात के देशों का सम्बन्ध है, यह सूचना वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मन्थली स्टेटिस्टिक्स आंफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया में उपलब्ध हैं। वर्ष 1992-92, 1992–93 तथा 1993–94 के लिए इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के दोनों सदनों में पहले ही रखी जा चुकी हैं।

आंतरिक/विदेशी ऋण

448. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1994 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध की समाप्ति पर आंतरिक और विदेशी ऋण की कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि में आंतरिक और विदेशी ऋणों पर देय इनके ऋणों/ब्याज पर सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि का अलग–अलग और शीर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में कितनी विदेशी मुद्रा जमा की गई और इन जमा राशियों पर देय ब्याज का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी खाते में कुल बकाया ऋण इस प्रकार था:

	(करोड़ रूपए) खातों के अनुसार (अनन्तिम)
(1) आन्तरिक ऋण और अन्य देयताएं	440337
(2) विदेशी ऋण (30.9.94 को विद्यमान विनिमय दर पर)	132199

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है:

	(करोड़ रूपए) बजट अनुमान 1994–95	सितम्बर, 94 तक अदा किया गया
1 2	3	4
वापसी-अदायगी		
(i) आन्तरिक ऋण और अन्य देयताएं (इसमें 91 दिवसीय सरकारी हुण्डियों, आरक्षित निधियों और ब्याज रहित जमाराशियां तथा उचंत लेन–देन शामिल नहीं हैं)	58244	22073
(ii) विदेशी ऋण	5388	2575

1	2	3	4
ब्याज			
	(i) आन्तरिक ऋण और अन्य देयताएं	41839	13404
	(ii) विदेशी ऋण	4161	1980

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

शुल्क मुक्त आयात

449. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मारूति उद्योग लिमिटेड को पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में दी गई छूट का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा आयातित पूंजीगत वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को कितनी बचत हुई;

(ग) क्या सरकार का मारूति उद्योग लिमिटेड को पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में और अधिक छूट देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान मारूति उद्योग लि. को सीमा शुल्क में छूट देने के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का विचार देश में उपभोक्ता वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने हेतु कोई योजना लागू करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मारूति उद्योग लि. द्वारा 352.92 करोड़ रूपये के मूल्य के आयात किये गये विनिर्दिष्ट पूंजीगत माल, औजार तथा अतिरिक्त पुर्जों की कुछेक निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा करने पर सीमाशुल्क से छूट दी गयी थी।

(ख) मारूति उद्योग लि. द्वारा 346.48 करोड़ रू. के मूल्य के आयात किए गए माल में 123.05 करोड़ रू. का सीमा शुल्क ग्रस्त है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). ऐसी ही रिआयतों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

(छ) उपभोक्ता माल को निःशुल्क आयात करने की मंजूरी देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एशियाई देशों के समूह के साथ व्यापार

450. **श्री धर्मण्णा मॉडयया सादुल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). जी, नहीं। एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में वृद्धि करने का सरकार के पास कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, भारत सरकार का यह प्रयास रहा है कि एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकारी तथा व्यापारिक शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान करने सरकारी तथा व्यापारिक दोनों स्तरों पर पारस्परिक सम्पर्क में वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस बारे में हाल में जो पहल की गई है उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है :

(1) खाड़ी तथा पश्चिम एशिया के संबंध में इजराएल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करके आर्थिक तथा व्यापार करार को अन्तिम रूप दिया गया है और भारत सरकार ने जून 1994 में ओमान सल्तनत के साथ आर्थिक, व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग के संबंध में एक करार किया है।

(2) पूर्वी एशिया के संबंध में, भारत-फिलीपीन्स संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक मनीला में 7-18 जनवरी, 1994 तक आयोजित की गई। वाणिज्य मंत्री ने दिनांक 9-1-1994 को हांगकांग में पूर्वी एशियाई क्षेत्र के देशों में भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित किया। भारत-थाइलैण्ड संयुक्त व्यापार समिति की 7वीं बैठक अगस्त, 1994 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। वाणिज्य मंत्री तथा मंगोलिया के व्यापार एवं उद्योग मंत्री के बीच दिनांक 2 सितम्बर, 1994 को एक संयुक्त व्यापार उप-समिति की स्थापना के लिए उलानबटार में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। भारत तथा म्यांमार के बीच जनवरी, 1994 मे सीमा व्यापार करार किया गया। वियतनाम समाजवादी गणराज्य तथा भारत गणराज्य के व्यापार शिष्टमंडलों के बीच हुई बैठक के सम्मत कार्यवृत्त पर नई दिल्ली में दिनांक 25 नवम्बर, 1994 को हस्ताक्षर किये गये।

(3) अप्रैल 1993 में, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव तथा बांग्लादेश ने दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) पर हस्ताक्षर किए जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। सार्क देशों के बीच अर्न्तक्षेत्रीय व्यापार को और बढ़ाने के लिए टैरिफ अधिमानों के आदान-प्रदान के लिए भी कदम उठाए जाते हैं।

(4) भारत एस्कैप क्षेत्र के विकासशील देशों के बीच बैंकाक करार के रूप में जानी जाने वाली एक क्षेत्रीय अधिमानी व्यापारिक व्यवस्था का सदस्य भी है। भारत, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका इसके सदस्य हैं।

[हिन्दी]

बोनस की अधिकतम सीमा

451. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस की अधिकतम सीमा में बढ़ोत्तरी करने सम्बन्धी मामला सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) से (ग). सितम्बर, 1993 में राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) की स्थायी समिति में अन्य बातों के साथ–साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस मंजूर करने की पात्रता की अधिकतम सीमा में वृद्धि किए जाने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष की मांग पर भी विचार किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि रेलवे कर्मचारियों के मामले में, उत्पादकता से जुड़े बोनस की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 4500/–रू. तथा उत्पादकता से जुड़े बोनस की अन्य स्कीमों के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में 3500/–रू. कर दिया जाए। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस मंजूर करने की पात्रता की अधिकतम सीमा में वृद्धि किए जाने संबंधी मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, जोकि अभी 2500/–रू. ही है।

[अनुवाद]

अवैध रूप से कोयला भेजना

452. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश को भारी मात्रा में अवैध रूप से कोयला भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए कोई तंत्र बनाया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). उपलब्ध रिपोर्टों से बागला देश को कोयले की तस्करी किए जाने का पता नहीं चलता है।

(ग) और (घ). भारत–बांगलादेश सीमा पर तैनात केन्द्रीय सरकार की तस्करी रोधी एजेन्सियां तथा अर्द्ध–सैनिक बल तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए सतर्क रहते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का विलय

453. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों ने परस्पर विलय की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सहयोगी बैंकों ने परस्पर विलय (क्रास मर्जर) के लिए औपचारिक रुप से मांग/अनुरोध नहीं किया है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के विलय के लिए 1992 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रस्ताव पर भारतीय स्टेट बैंक के कार्यपालकों के साथ विचार–विमर्श किया था। इस समय भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के विलय के लिए कोई सक्रिय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में घाटा

454. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखायें घाटे में चल रही हैं;

(ख) 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान उक्त शाखाओं में कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन शाखाओं को बन्द कर देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 31.3.94 की स्थिति के अनुसार उसकी हानि उठाने वाली शाखाओं की संख्या 3416 थी।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान उठाई गई हानि की कुल राशि क्रमशः 70 करोड़ रूपए, 74.83 करोड़ रूपए और 122.05 करोड़ रूपये थी।

(ग) और (घ). भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि हानि उठाने वाली शाखाओं को बंद करने पर तभी विचार किया जाएगा जब उन्हे लाभ वाली स्थिति में लाने के दूसरे उपाय असफल हो जाएंगे।

अलबत्ता, हानि उठाने वाली किसी भी शाखा को अभी तक बंद नहीं किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनियमितताएं

455. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में की गई अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरूद्ध ग्राहकों की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उनके लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (जिसके क्षेत्राधिकार में उत्तर प्रदेश राज्य आता है) को पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरूद्ध शिकायतें (अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों सहित) प्राप्त हुई जिसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

वर्ष (जुलाई-जून)	बैंकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या
1991-92	894
1992-93	785
1993-94	790

(ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक इन शिकायतों को सम्बद्ध बैंकों के पास उचित कार्रवाई/निवारण/टिप्पणियों के लिये भेजती है। भारतीय रिजर्व बैंक गंभीर शिकायतों की जांच अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कराता है।

[अनुवाद]

कच्चे मसालों का आयात

456. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मसालों, तेलों और तेल (रिजिन) के निर्यातकर्ताओं से कच्चे मसालों के आयात के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). जी, हां। निर्यातक लौंग, इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता के आयात के लिए शुल्कमुक्त लाइसेंसों का लाभ चाहते हैं।

आयात-निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जब भी आवश्यक पाया जाता है, परिवर्तन कर दिये जाते हैं।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों की वित्तीय व्यावहार्यता

457. **डा. साक्षीजी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की तकनीकी अथवा वित्तीय व्यावहार्यता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को उत्तर प्रदेश में निजी-क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों से कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो 1993-94 और 1994-95 के दौरान अभी तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड ने सूचित किया है कि उसने उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट की तकनीकी या वित्तीय व्यवहार्यता का अलग से कोई अध्ययन नहीं किया है। अलबत्ता, निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड के पास प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों का वह अग्रणी संस्था के रूप में या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की अग्रणी भूमिका के तहत गैर-अग्रणी संस्था के रूप में तकनीकी, वित्तीय या वाणिज्यिक मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन वित्तीय सहायता मंजूर करने की प्रक्रिया के एक भाग के रुप में होता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). ये सवाल ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

458. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं और उनकी कुल जमाराशि तथा कार्यकारी पूंजी कितनी-कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, इन बैंकों से कितने ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है और इनके द्वारा कितनी धनराशि के ऋण वितरित किये गये;

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त अवधि के दौरान इन बैंकों में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इन बैंकों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गुजरात राज्य में 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) कार्यरत है और मार्च 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार इन आर आर बी के द्वारा जुटायी गई जमाराशियां और उनकी कार्यशील पूंजी क्रमशः 165.43 करोड़ रू. और 226.45 करोड़ रू. थी।

(ख) वर्ष 1991–92 और 1992–93 के दौरान इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लाभान्वित हुए ग्रामीण ग्राहकों की संख्या क्रमशः 61923 और 56738 थी। इन आर आर बी के वर्ष 1991–92 और 1992–93 के दौरान संवितरित ऋणों की राशि क्रमशः 31.11 करोड़ रू. और 33.77 करोड़ रू. थी। नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993–94 के दौरान राज्य के पांच आर आर बी के, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, लाभान्वित ग्रामीण ग्राहकों की संख्या 35039 थी और संवितरित राशि 24.01 करोड़ रू. थी।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की सूचना प्रणाली से आमतौर पर आर आर बी में और देश में उनकी शाखाओं में पाई जाने वाली अनियमितताओं की संख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

तथापि, कार्यालय की जीप के दुरुपयोग, यात्रा और वाहन खर्चों के अनुचित दावे पेश करने, ऐसे खर्च करने, जिनसे बचा जा सकता था, संबंधी कुछ आरोपों के बारे में पंचमहल बड़ोदरा ग्रामीण बैंक के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रयोजक बैंक द्वारा शिकायत की जांच करवायी गई थी और उसने शिकायत को बेबुनियाद पाया।

(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से उनके ऋण परिचालनों में अधिक लचीलापन लाने और उनकी सम्बद्ध बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये दिसम्बर, 1993 में उपायों के एक पैकेज की घोषणा की गई है। इन उपायों में गैर–लक्ष्यगत समूह वित्त को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर–निधि कारोबार बढ़ाना, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र बाध्यताओं से मुक्त करना, जिनका वर्ष 1992–93 के दौरान संवितरण 2 करोड़ रू. से कम था और उन्हें मंडियों, तालुक, जिला मुख्यालय, कृषि उत्पाद केन्द्रों जैसे स्थानों में घाटा देने वाली शाखाओं को पुनः स्थापित करने की अनुमति देना और उन शाखाओं के परिसरों जिसके लिये आर आर बी प्रमुख बैंकर हैं, में विस्तार पटल खोलना शामिल है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपॉजिट लॉकर सुविधा प्रदान करने की भी अनुमति दी गई है।

व्यापक पुनर्गठन के लिये 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान की गई है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

459. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के लिए सुझाव देने हेतु गठित की गई समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार ने 1993 में औद्योगिक रुग्णता और निगमित पुनर्संरचना पर डा. ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की थी, जिसने अन्य बातों के साथ–साथ रुग्णता का शीघ्र पता लगाने और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को तुरंत निपटान करने वाली संस्था के रूप में पुनर्संरचना करने की अनुमति प्रदान करने के लिए रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष अनुबंध) अधिनियम 1985 में संशोधन की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

निर्यातोन्मुखी उद्योग के रूप में पर्यटन

460. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने पर्यटन को केन्द्रीय विषय बनाने और निर्यातोन्मुखी उद्योग का दर्जा देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (एफ आई सी सी आई) द्वारा तैयार किए गए पोज़ीशन पेपर में यह सुझाव दिया गया है कि चूंकि पर्यटन एक राष्ट्रीय उत्पाद है और किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं है इसलिए इसे केन्द्रीय विषय बनाया जाए। और आगे यह सुझाव दिया गया है कि पर्यटन को निर्यातोन्मुखी उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को दिनांक 25 नवम्बर, 1994 को गोवा में हुए भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के सम्मेलन में फिर से दोहराया गया था।

(ग) वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

गुजरात में कृषि आधारित उद्योग

461. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गुजरात में कोई कृषि–आधारित उद्योग स्थापित किया गया है या किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये कितनी धनराशि नियत की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि गुजरात में कृषि पर आधारित किसी उद्योग की स्थापना नहीं की गयी है और न ही स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है। अलबत्ता, उसने राज्य में वर्ष 1994–95 के दौरान गैर–कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 33.40 करोड़ रूपए सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए योजनाबद्ध ऋणों के अन्तर्गत 169.25 करोड रूपए की पुनर्वित्त सहायता आबंटित की है।

पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की कमी

462. **श्री विजय एन. पाटील** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता है और इस समय कितने प्रशिक्षक हैं;

(घ) क्या प्रशिक्षकों की कमी का इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस से काफी बड़ी संख्या में अनुदेशकों और होनहार अनुदेशकों के त्यागपत्र देने पर कमी हो गई।

(ग) 60 अनुदेशकों/परीक्षकों की आवश्यकता की तुलना में इंडियन एयरलाइंस के पास इनकी संख्या 18 ही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस ने पात्र विमानचालकों को अनुदेशकों में बदलने के संबंध में नागर विमानन महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

विदेशों में रोजगार के लिए सहायता

463. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य सरकार को विदेशों में रोजगार के इच्छुक लोगों को आवश्यक सहायता देने के लिए अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने विदेशों में रोजगार पाने के लिए लोगों के सहायतार्थ कोई एजेंसी स्थापित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). मैसर्स गुजरात राज्य निर्यात निगम लि., अहमदाबाद, जो गुजरात सरकार का एक उपक्रम है, वे विदेशों में कर्मकारों को नियोजित करने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। पंजीकरण के लिए निगम से कतिपय सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परियोजना पैकेज योजना के अंतर्गत सहायता

464. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान परियोजना पैकेज योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) प्रोजेक्ट पैकेज योजना के अंतर्गत प्रत्येक 3 वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के हथकरघा बुनकरों को ऋण देने के लिए दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

लाख रूपयों में

क्र सं. राज्य	वित्तीय सहायता की राशि (ऋण)		
	1991-92	1992-93	1993-94
1. आन्ध्र प्रदेश	–	–	45.625
2. असम	6.125	25.50	7.25
3. बिहार	–	5.00	0.82
4. गुजरात	–	–	19.85
5. हिमाचल प्रदेश	12.25	43.66	19.695
6. जम्मू व कश्मीर	–	–	9.75
7. कर्नाटक	–	12.50	44.585
8. केरल	50.97	25.50	31.25
9. मणिपुर	3.424	–	26.911
10. उड़ीसा	3.125	11.79	24.2725
11. राजस्थान	2.225	25.5075	–
12. तमिलनाडु	–	–	5.125
13. त्रिपुरा	–	–	17.80
14. उत्तर प्रदेश	–	36.51	45.06
15. पश्चिमी बंगाल	–	–	2.00
	78.119	185.9675	299.9935

(ख) इसके लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 300 लाख रूपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

निजी विमान कम्पनियों के विमान

4665 **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी विमान कम्पनियों अथवा हवाई टैक्सी चालकों द्वारा देश में उड़ाये जा रहे प्रत्येक विमान की आयु कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन विमानों की उड़न–योग्यता और सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है;

(ग) क्या इन विमानों में से अधिकांश विमानों को उन पश्चिमी विमान कम्पनियों से पट्टे पर लिया गया है जिन्होंने इनको चलाना बंद कर दिया है; और

(घ) ऐसा प्रत्येक विमान कितने वर्षों तक उड़ान भर सकता है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) निजी विमान कंपनियों अथवा हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा देश में उड़ाए जा रहे प्रत्येक विमान की आयु को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) निजी एयरलाइनों/हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा प्रचालित कुल 51 विमानों में से 28 विमान विदेशी एजेंसियों से पट्टे पर लिए गए हैं। पूर्व प्रचालकों ने इन विमानों का उपयोग बन्द नहीं किया था।

(घ) आधुनिक परिवहन विमान के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। विनिर्माताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उड़न योग्य स्थिति में आरक्षित किए जाने तक विमान निरन्तर प्रचालन कर सकता है।

विवरण

एयर टैक्सी प्रचालकों/निजी एयरलाइनों की सूची

प्रचालक	प्रकार	वी.टी रजि.	आयु	स्वामी/पट्टाकता
1	2	3	4	5
1. एरियल सर्विसेज	बीच जेट 400	वी टी–ओएएम	6	एरियल सर्विसेज (प्रा.) लि. मि.
2. एरियल सर्विसेज	बीच जेट 400	वी टी–टीइएल	6	एरियल सर्विसेज (प्रा.) लि. मि.
3. अर्चना एयरवेज	एल 410 यूवीपी इ9डी	वी टी–इंटीए	2	अर्चना एयरवेज लि. मि.
4. अर्चना एयरवेज	एल 410 यूवीपी ई9डी	वी टी–इंटीवी	1	अर्चना एयरवेज लि. मि.
5. अर्चना एयरवेज	एल 410 यूवीपी ई9डी	वी टी–इंटीसी	2	अर्चना एयरवेज लि. मि.
6. दमानिया एयरवेज	बोइंग 737–200	वी टी–पीडीए	14	ववारिया फ्लूगेसेल्सचाफ्ट एम वी एच यू कम्पनी
7. दमानिया एयरवेज	बोइंग 737–200	वी टी–पीडीवी	14	ववारिया फ्लूगेसेल्सचाफ्ट एम वी एच यू कम्पनी
8. दमानिया एयरवेज	बोइंग 737–282	वी टी–पीडीसी	11	पी एल एन गोथ इक्यूपमेंट फंड 6
9. दमानिया एयरवेज	बोइंग 737–282	वी टी–पीडीडी	11	पी एल एम ग्रोथ इक्यूपमेंट फंड 6
10. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	बोइंग 737–200	वी टी–इंडब्ल्यूबी	13	पी एल एम इक्यूपमेंट ग्रोथ फुंड3यूएसए
11. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	बोइंग 737–200	वी टी–इंडब्ल्यूसी	13	जी बी एयरवेज लि.मि. यूके
12. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	बोइंग 737–200	वी टी–इंडब्ल्यूडी	13	जी पी ए, जीपीए हाऊस, आयरलैण्ड
13. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	बोइंग 737–200	वी टी–इंडब्ल्यूजे	14	पी एल एम ग्रोव इक्यूपमेंट फंड 6
14. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	फोकर एफ–27	वी टी–इंडब्ल्यूई	14	फोकर एयरक्राफ्ट बीवी, अमेस्टर्डम
15. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	फोकर एफ–27	वी टी–इंडब्ल्यूजी	14	फोकर एयरक्राफ्ट बीवी, अमेस्टर्डम
16. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	बोइंग 737–200	वी टी–इंडब्ल्यूएच	15	ऐयरलिंगस, आयरलैण्ड
17. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	बोइंग 737–200	वी टी–इंडब्ल्यूआई	15	ऐसलिंगस, आयरलैण्ड
18. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	बोइंग 737–200	वी टी–इंडब्ल्यूएफ	13	जीपीए, जीपीए हाऊस, आयरलैण्ड
19. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	फोकर एफ–27 एनके 500	वी टी–इंडब्ल्यूके	14	फोकर एयरक्राफ्ट पीवी, अमैस्टर्ड
20. इंडिया इन्टरनेशनल एयरवेज	हॉकर सिडले एचएस–125	वी टी–इक्यूजेड	27	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज प्रा. लि.मि.
21. इंडिया इन्टरनेशनल एयरवेज	बेल206बी 3 जेट रेंजर	वी टी–इंटीएच	14	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज प्रा. लि.मि.
22. इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	बेल206बी 3 जेट रेंजर	वी टी–इंटीएम	16	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज प्रा. लि.मि.
23. इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	सेसना सिटासन 2	वी टी–इंयूएन	12	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज प्रा. लि.मि.

1	2	3	4	5
24. जैगसन एयरलाइन्स	डोनियर 228–201	वी टी–ईएसक्यू	12	जैगसन एयरलाइन्स
25. जैगसन एयरलाइन्स	डोनियर 228–201 के	वी टी–इंयूएम	8	डोनियर लुफ्तफार्ट जीएमवी एच
26. जैगसन एयरलाइन्स	डोनियर 228–201	वी टी–ईएसएस	11	जैगसन एयरलाइन्स
27. जेट एयरवेज (इं) प्रा. लि.मि.	बोइंग 737–400	वी टी–जेएएफ	1	मलेशिया एयरलाइन्स सिस्टम पी एचडी
28. जेट एयरवेज (इं) प्रा. लि.मि.	बोइंग 737–400	वी टी–जेएइं	1	मलेशिया एयरलाइन्स सिस्टम पी एचडी
29. जेट एयरवेज (इं) प्रा. लि.मि.	बोइंग 737–300	वी टी–जेएए	3	विल्मिंगटन ट्रस्ट कम्पनी
30. जट एयरवेज (इं) प्रा. लि.मि.	बोइंग 737–300	वी टी–जेएबी	3	विल्मिंगटन ट्रस्ट कम्पनी
31. जेट एयरवेज (इं) प्रा. लि.मि.	बोइंग 737–300	वी टी–जेएसी	5	जे। सिल्वर लीज कम्पनी लि.मि.
32. जेट एयरवेज (इं) प्रा. लि.मि.	बोइंग 737–300	वी टी–जेएडी	5	जे.। सिल्वर लीज कम्पनी लि.मि.
33. एमजी एक्सप्रेस लि.मि.	बोइंग 737–200ए	वी टी–एमजीए	13	डेयूत्सचे लुफ्तहंसा ए. जी.
34. एमजी एक्सप्रेस लि.मि.	बोइंग 737–200ए	वी टी–एमजीबी	13	डेयूत्सचे लुफ्तहंसा ए. जी.
35. एमजी एक्सप्रेस लि.मि.	बोइंग 737–200ए	वी टी–एमजीसी	13	डेयूत्सचे लुफ्तहंसा ए. जी.
36. एमजी एक्सप्रेस लि.मि.	बोइंग 737–200ए	वी टी–एमजीडी	13	डेयूत्सचे लुफ्तहंसा ए. जी.
37. नेप्क एयरलाइन्स	फोकर एफ–27 एमके 500	वी टी–एनईए	10	एनईपीसी मिकन लि.मि.
38. एनईपीसी मिकन लि.मि.	फोकर एफ–27 एमके 500	वी टी–एनईबी	8	एनईपीसी मिकन लि.मि.
39. एनईपीसी मिकन लि.मि.	फोकर एफ–27 एमके 500	वी टी–एनईसी	8	एनईपीसी मिकन लि.मि.
40. एनईपीसी मिकन लि.मि.	फोकर एफ–27 एमके 500	वी टी–एनईडी	8	एनईपीसी मिकन लि.मि.
41. एनईपीसी मिकन लि.मि.	पीच किंग एअर सी–90	वी टी–एनईएफ	14	एनईपीसी मिकन लि.मि.
42. सहारा इंडिया एयरलाइन्स	बोइंग 737–200	वी टी–एसटीबी	14	पपीएलएम ग्रोथ इक्यूपमेंट .फंड6
43. सहारा इंडिया एयरलाइन्स	बोइंग 737–400	वी टी–एसआईसी	3	इंटरनेशनल लीज एण्ड फाइनेंस कार्पो.
44. सहारा इंडिया एयरलाइन्स	बोइंग 737–400	वी टी–एसआईडी	4	इंटरनेशनल लीज एण्ड फाइनेंस कार्पो.
45. सराया एवियेशन	बीच बारोन बी–58	वीटी–एसएसएम	24	सराया एवियेशन प्रा. लि.मि.
46. सराया एवियेशन प्रा. लि.मि.	बीचक्राफ्ट बारोन बी58	वी टी–एसजीएम	17	सराया एवियेशन प्रा. लि.मि.
47. ट्रांस भारत एवियेशन	बीच 99	वी टी–ईआरपी	25	ट्रांस भारत एवियेशन प्रा, लि.मि.
48. ट्रांस भारत एवियेशन	बीच 99	वी टी–ईएसयू	26	ट्रांस भारत एवियेशन प्रा. लि.मि.
49. उड़ान रेजी. एण्ड फ्लाइंग इन्स्टीट्यूट सेसना 152		वी टी–ईएसवी	15	उड़ान रेजी. एण्ड फ्लाइंग इन्टी.
50. उड़ान रेजी. एण्ड फ्लाइंग इन्स्टीट्यूट सेसना 172		वी टी–ईएसडब्ल्यू	12	उड़ान रेजी. एण्ड फ्लाइंग इन्टी. इन्दौर
51. उड़ान रेजी. एण्ड फ्लाइंग इन्स्टीट्यूट सेसना 172		वी टी–ईएस एक्स	11	उड़ान रेजी. एण्ड फ्लाइंग इन्टी. इन्दौर

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में परोसे जाने वाले भोजन

466. श्री राम निहोर राय :
श्री अमर रायप्रधान :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में परोसे जाने वाले घटिया किस्म के भोजन और सामिष भोजन की अनुपलब्धता के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है और इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी. हां। गत दो वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर परोसे जाने वाले घटिया किस्म के भोजन के बारे में इंडियन एयरलाइन्स को 423 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) इंडियन एयरलीइन्स ने भोजन की पसन्द, उड़ान व्यजंन

सूथी और विमान में सेवा सहित अपने खान–पान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया है। यह एक सतत प्रक्रिया है। शिकायत पर तुरन्त कार्रइवाई की जाती है जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है :

(1) शिकायतें प्राप्त होने पर पावती भेजी जाती है।

(2) अनुभूत कमियों को सूचीबद्ध किया जाता है और हल निकालने के लिए खान–पान कर्ताओं के साथ पाक्षिक बैठकों में बारीकी से चर्चा की जाती है।

(3) जहां शिकायतें दोहराई और गंभीर किस्म की होती है वहां चूक पर उचित ध्यान देने और भविष्य में सुधार के लिए खानपान कर्ताओं को उपयुक्त दण्ड दिया जाता है।

ऋणों को बट्टे खाते में डालना

467. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री पंकज चौधरी :
श्री अमरपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूल न होने के कारण बट्टे खाते में डाले गये ऋणों का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बीस बड़े व्यापारिक घरानों को कितना ऋण दिया गया और उसमें से कितने ऋण को बट्टे खाते में डाला गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऋणों की वसूली पर राष्ट्रीय–कृत बैंकों का कुल कितना खर्च हुआ; और

(घ) सरकार ने भविष्य में ऋण की वसूली सुनिश्चित करनें हेतु क्या ठोस कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार

468. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के किसी मामले का हाल ही में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय ने इस वर्ष विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के 249 मामले पकड़े हैं। इन लेन–देनों में लिप्त पाए गए 253 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशियों के फलस्वरूप 676.53 लाख रू. के समकक्ष विदेशी मुद्रा और 914.42 लाख रू. की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। कसूरवार व्यक्तियों के विरूद्ध कानून के अंतर्गत उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(ग) सरकार विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार पर कड़ी चौकसी रख रही है। जब भी इस प्रकार के व्यापार की आसूचना प्राप्त होती है, व्यापक जांच–पडताल की जाती है और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

ई.पी.एफ. जमा न कराने वाले उपक्रम

469. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**
प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सरकारी और निजी क्षेत्रों के राज्य–वार कितने प्रतिष्ठान वर्ष–वार अपने कर्मचारियों का ई.पी.एफ. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं करा रहे हैं, और

(ख) नियोक्ताओं से ई.पी.एफ की बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 क, 8 ख एवं 14 के तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत की गयी व्यवस्था के अनुसार चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि के बकाया देयों की वसूली हेतु आवश्यक कानूनी तथा दाण्डिक कार्रवाई पहले ही की जा रही है।

विवरण

क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4
आन्ध प्रदेश	1300	793	971
बिहार	1087	1120	1139
दिल्ली	468	275	456
गुजरात	633	585	282
हरियाणा	263	327	360
कर्नाटक	317	330	409
केरल	523	145	503

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	577	662	693
महाराष्ट्र	940	887	876
उ.पू. क्षेत्र	238	277	145
उड़ीसा	518	468	390
पंजाब	904	1081	1329
राजस्थान	408	417	490
तमिलनाडु	901	1296	1316
उत्तर प्रदेश	623	1011	1230
प.बंगाल	1307	1223	1232
कुल	11007	10900	11821

सहकारी कताई मिलें

470. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सहकारी कताई मिलों को लाइसेंस देने संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) और (ख). उदारीकृत औद्योगिक नीति के अनुसार स्थान संबंधी कुछ प्रतिबंधों के अध्यधीन नई कताई मिलों की स्थापना करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार का गुजरात में केन्द्रीय क्षेत्र में कोई कताई मिल स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया द्वारा विमान किराये पर लेना

471. श्री राम पूजन पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया विदेशों से विमान किराये पर अथवा पट्टे पर लेती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किराये पर/पट्टे पर लिए गए विमानों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितना प्रभार दिया गया तथा इसका भुगतान किस मुद्रा में किया गया?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि एयर इंडिया के पास पर्याप्त विमान क्षमता नहीं है, इसलिए यात्री और मालवाही दोनों प्रकार के कुछ अनुसूचित सेवाओं, क्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसने विमान पट्टे पर लिये हैं।

(ग) 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान अदा किये गये विमान पट्टा प्रभारों के विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

अवधि	विमान का प्रकार	जिसस पट्टे पर लिया गया	अदा की गई राशि
1991–92	आईएल–62 एम	एयरोफ्लोट	14.59 करोड़ रूपए
1991–92	आईएल–76	–वही–	16.02 करोड़ रूपए
अप्रैल–मई, 1991	बी–747 मालवाही	एवर ग्रीन इन्टरनेशनल	4.14 करोड़ रूपए
1992–93	आईएल–62	एयरोफ्लोट	14.82 करोड़ रूपए
1992–93	आईएल–76	–वही–	18.87 करोड़ रूपए
1993–94	आईएल–62	एयरोफ्लोट	16.49 करोड़ रूपए
1993–94	आईएल–76	उजबेकिस्तान	21.68 करोड़ रूपए
जुलाई, 1993 से से मार्च, 1994	डीसी–8/73 मालवाही	एयरवेज एवरग्रीन इन्टरनेशनल	9.64 करोड़ रूपए

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों का भरा जाना

472. श्री आनन्द अहिरवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 12 अगस्त, 1994 के अतासकित प्रश्न संख्या 2904 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सभी रिक्तियों को भर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भर लिया जायेगा;

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिनांक 1–10–1994 की स्थिति के अनुसार 224 बकाया आरक्षित रिक्तियों के लिए 66 अ.जा./अ.ज.जाति उम्मीदवारों की भर्ती की गई थी।

(ख) और (ग). योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण रिक्तियां पूरी तरह से नहीं भरी जा सकी थी।

(घ) सरकारी निदेशों के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को यथा अनुमेय विभिन्न छूटों/रियायतों को बढ़ाकर बकाया रिक्तियों को भरने के लिए ठोस प्रयास करती आयी है। तथापि, इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई निश्चित समय–सीमा तय कर पाना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा

473. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में अभी तक प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान 86.66 लाख रूपये की लागत की 9 परियोजनाओं/स्कीमों को गुजरात में पर्यटन के विकास हेतु स्वीकृति दी थी। मंजूर की गई परियोजनाओं और राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	मंजूर की गई राशि (रूपये लाखों में)
	1992-93	
1.	तरणतार के लिए शिविर उपकरण	15.90
2.	प्रचार–सहायता	5.00
	1993-94	
3.	नल सरोवर पर पर्यटन परिसर	19.60
4.	पोरबंदर में कैफेटेरिया	14.60
5.	सोमनाथ मंदिर की प्रकाश–पुंज व्यवस्था	17.46
6.	स्पिरिट टाइप लैण्ड सेलिंग याच की दो यूनिटें	4.48
7.	नवरात्रि–उत्सव	1.85
8.	तरणतार मेला	2.69
9.	प्रचार–सहायता	5.00
	जोड़	96.66

[हिन्दी]

जमा-ऋण अनुपात

474. **श्री खेलन राम जांगड़े :**
डा. सुधीर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1993 और अक्तूबर, 1994 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जमा ऋण अनुपात कितना था,

(ख) क्या कतिपय राज्यों में जमा–ऋण अनुपात औसत राष्ट्रीय अनुपात से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). दिसम्बर, 1993 और जून, 1994 (अधतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है। खराब आधारभूत सुविधाएं, ऋण खपाने की क्षमता, वसूली का वातावरण आदि, कतिपय राज्यों में ऋण जमा अनुपात का स्तर कम होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। कुछ राज्यों मे ऋण जमा अनुपात का स्तर कम होने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्या की जांच करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया था। दूसरे राज्यों में, जहां ऋण जमा अनुपात खराब है और कोई कृतिक बल गठित नहीं किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजकों से इस मुद्दे पर विचार–विमर्श करने और संबंधित राज्य में ऋण जमा अनुपात के कम स्तर में सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपाय करने का परामर्श दिया था।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिसम्बर 1993	जून 1994
1	2	3
हरियाणा	49.7	45.9
हिमाचल प्रदेश	27.8	28.4
जम्मू एवं कश्मीर	25.9	24.2
पंजाब	40.2	39.4
राजस्थान	51.2	48.4
चड़ीगढ़	150.9	139.7
दिल्ली	80.6	55.6
अरूणाचल प्रदेश	13.0	12.6
असम	42.8	41.6
मणिपुर	72.5	64.7
मेघालय	15.3	14.8
मिजोरम	18.1	18.1
नागालैंड	31.9	42.2
त्रिपुरा	43.4	44.8
बिहार	35.1	33.6
उड़ीसा	62.6	78.1
सिक्किम	22.3	19.0
पश्चिम बंगाल	47.0	42.6
अंडमान एवं निकोबार	18.0	19.0
मध्य प्रदेश	55.8	54.1
उत्तर प्रदेश	34.7	36.7
गोवा	27.3	22.9
गुजरात	47.0	43.0

1	2	3
महाराष्ट्र	69.4	70.9
दादर एवं नगर	23.7	20.5
हवेली	15.2	14.9
दमन एव दीव	78.7	71.8
आन्ध प्रदेश	74.5	67.2
कर्नाटक	43.1	41.0
तमिल नाडु**	85.2	86.0
पाडिचेरी	42.1	43.4
अखिल भारत	58.6	54.6
लक्षद्वीप **	9.3	9.00

स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकी भारतीय रिजर्व बैंक

आयकर अधिकारी

475. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली में आयकर अधिकारियों के कदाचार की घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). 7–9–1994 को तथाकथित रूप से घूस लेते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एक आयकर उपायुक्त और एक आयकर निरीक्षक को पकड़ा गया। दूसरी घटना में इन्ही परिस्थितियों में 25–9–94 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 3 निरीक्षकों को पकड़ा गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) आयकर उपायुक्त और एक निरीक्षक को निलम्बित किया गया और दूसरे 3 निरीक्षकों को स्थानान्तरित कर दिया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उनके विरूद्व जांच शुरू कर दी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत का इंडियन एयरलाइंस में विलय

476. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री अन्ना जोशी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत कर्मचारियों के इंडियन एयरलाइंस में विलय कार्य की देखरेख के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के विलय की प्रक्रिया में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(घ) क्या दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया जारी है; और यदि हां, तो यह कार्य तक तक पूरा हो जाएगा; और

(ङ) इंडियन एयरलाइंस में विलय के बाद वायुदूत के कर्मचारियों का दर्जा क्या होगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में खपाने के लिए 70 प्रतिशत कर्मचारियों का पता लगाया गया है। उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं प्रक्रिया को यथा संभव शीघ्र पूरा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) वर्ष 1992–93 के लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने और खपाने की प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद ही दोनों कंपनियों का विलय संभव हो सकता है तथा इसलिए कुछ और समय लगने की संभावना है। विलय पूरा कर सकने में लगने वाली ऐसी समय सीमा का उल्लेख करना मुश्किल है।

(ङ) वायुदूत के कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइंस के शार्ट हॉल प्रचालन विभाग में खपाया जा रहा है और वे इंडियन एयरलाइंस के सेवा नियमों द्वारा शासित होंगे। तथापि उनके प्रोन्नति अवसर शार्ट हॉल प्रचालन विभाग के अन्दर ही होंगे।

आयकर अपवंचन

477. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** 29 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 919 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;और

(ग) कुल कितनी राशि की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क की कथित तौर पर कंपनियों द्वारा अपवंचन की गई है जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/कानूनी कार्यवाही चल रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एक सौ करोड़ रू. से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क के कथित अपवंचन के मामले

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क की राशि (करोड़ रूपयों में)	क्या मामला सीगेट/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में पांच वर्षों से अधिक अवधि से अनिर्णीत पड़ा हुआ है
		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	
1.	मैसर्स आई.टी.सी. लि., बंगलौर	दो मामले, एक मामले में 143.22 करोड़ रू. और दूसरे मामले में 803.78 करोड़ रू. ग्रस्त हैं जो कुल मिलाकर 947.00 करोड़ रू. बैठते हैं।	दोनों मामले समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली के समक्ष न्यायनिर्णय के लिए पड़े हुए हैं। इससे पहले इन मामलों पर न्यायनिर्णय को सीगेट द्वारा स्थगित कर दिया गया था। स्थगन आदेश को 21.3.94 को रद्द करवाया जा सका है।
2.	मैसर्स जी.टी.सी. इन्डस्ट्रीज लि. बम्बई	201.00 करोड़ रूपये (छः मामले)	सभी छः मामले उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में पांच वर्षों से अधिक अवधि से अनिर्णीत पड़े हुए हैं।
3.	मैसर्स न्यु टोबेको कम्पनी लि. बिक्कावोले	1. 74 करोड़ रू. 2. 28 करोड़ रू. 102 करोड़ रू.	पहला मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा हुआ है। दूसरा मामला न्यायनिर्णयन के लिए पड़ा हुआ है।
		सीमाशुल्क	
1.	मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि.	1. 119 करोड़ रू. 2. 174 करोड़ रू. 293 करोड़ रू.	पहला मामला सीगेट के समक्ष पड़ा हुआ है। दूसरा मामला न्यायनिर्णयन के लिए समाहर्ता के समक्ष पड़ा हुआ है। ये दोनों मामले इन प्राधिकारियों के पास पांच वर्षों से कम अवधि से अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण

478. श्री राम कृपाल यादव :
श्री हाराधन राय :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने राज्य-वार और संस्था-वार कितनी राशि के ऋण स्वीकृत और वितरित किये?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बकाया आयकर

479. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दस प्रमुख व्यक्तियों/ कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर आयकर की सर्वाधिक राशि बकाया है तथा प्रत्येक मामले में कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है; और

(ख) बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उन प्रमुख 10 व्यक्तियों/कम्पनियों के नाम, जिनकी तरफ वर्ष 1993-94 में आयकर की सर्वाधिक मांग बकाया है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बकाया धनराशि भी उनके नामों के सामने दर्शाई गई है।

(ख) जहां तक संलग्न विवरण के क्रमांक 1,3 और 6 पर दर्शाए गए सर्वश्री हर्षद मेहता, हितेन पी. दलाल तथा भूपेन्द्र पी. दलाल के बारे में बकाया कर की वसूली का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि विशेष न्यायालय (अपवृत्य) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत नियुक्त अभिरक्षक द्वारा इन व्यक्तियों को अधिसूचित किया गया है। अतः इन व्यक्तियों की सम्पत्ति अधिसूचना की तारीख से न्यायालय द्वारा स्वतः कुर्क की गई समझी जाती है। अतः इन व्यक्तियों की सम्पत्तियों के खिलाफ इन मांगों की वसूली के लिए कोई सीधी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत केवल न्यायालय के हस्तक्षेप पर वसूल की जा सकती है। आयकर विभाग ने सभी मांगों के बारे में अभिरक्षक को सूचित कर दिया है। जब भी अभिरक्षक न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत निधि रिलीज करता है तभी ये मांगें रिलीज/ समायोजित की जाएंगी।

शेष 7 मामलों में, कानून के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार बकाया कर की वसूली के लिए ब्याज तथा दंड लगाना, बैंक खातों की कुर्की करने के लिए कुर्की आदेश जारी करना, चल एवं अचल परिसम्पत्तियों की कुर्की/बिक्री, अभियोजन चलाना, मांग आदि की वसूली के लिए किस्तों की स्वीकृति आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं। चूंकि इन मामलों में मांग का अधिकांश भाग अपीलों आदि के रूप में विवादग्रस्त होता है तथा विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों और न्यायालयों द्वारा उन्हें स्थगित किया जाता है अतः स्थगन आदेशों को रद्द करने या अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए उपाय किए जाते हैं।

वसूली की प्रगति की विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर निगरानी भी की जाती है। जिन मामलों में अधिक कर बकाया होता है, उनकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाती है।

विवरण

क्र.सं.	व्यक्ति/कम्पनी का नाम	वर्ष 1993–94 के लिए बकाया आयकर मांग (रूपये लाखों में)
1.	श्री हर्षद मेहता	1,11,947.65
2.	भारतीय स्टेट बैंक	1,02,409.23
3.	श्री हितेन पी. दलाल	32,514.00
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि.	26,491.00
5.	पीयरलैस जनरल फाइनेंस	23,090.00
6.	श्री भूपेन्द्र पी. दलाल	19,438.00
7.	बैंक नेशनल डी पैरिस	16,730.00
8.	जी.टी.सी. इंडस्ट्रीज लि.	16,602.22
9.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	13,860.87
10.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	11,888.00

[अनुवाद]

हांगकांग के साथ सहयोग

480. श्री भेरू लाल मीणा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हांगकांग की सरकार की ओर से चीन में संयुक्त उद्यम हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

वार्षिक योजना में कटौती

481. डा. पी. वल्लल पेरूमान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को 1995–96 वार्षिक योजना में वास्तव में कोई भारी कटौती करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में योजना आयोग की क्या राय है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख). वर्ष 1995–96 की वार्षिक योजना के साईज का अभी निर्णय किया जाना है।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

482. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रबड़ की कमी है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने प्राकृतिक रबड़ का आयात करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चालू वर्ष (1994–95) के दौरान प्राकृतिक रबड़ का अनुमानित उत्पादन तथा खपत क्रमशः 4.75 लाख मी. टन तथा 4.85 लाख मी. टन है। इसमें मांग पूर्ति के बीच 10,000 मी. टन का नाममात्र का अंतर शामिल नहीं है।

(ख) और (ग). रबड़ बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष (1994–95) के दौरान प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए अब तक कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फ्रांसीसी वस्त्र निर्माताओं का प्रतिनिधिमंडल

483. श्री शरत पटनायक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी वस्त्र निर्माताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत को उच्च तकनीकी उपस्करों की पूर्ति करने की पेशकश की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सरकार को भारत में फ्रेंच वस्त्र विनिर्माण प्रतिनिधिमण्डल के हाल ही के दोरे की जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में बिजली-करघा सेवा केन्द्र

484. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कहां–कहां बिजली–करघा सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) 1994–95 में किन–किन स्थानों पर इन केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कोई भी विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त होने पर तथा विद्युत करघा बाहुल्य क्षेत्र के आधार पर विद्युत करघा सेवा केन्द्रों की अवस्थिति तय की जाती है।.

(ग) एक नए विद्युत करघा सेवा केन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार 3 लाख रू. का एक ही बार अनुदान तथा 4.50 लाख रू. का आवर्ती अनुदान देती है।

निपटान आयोग में अनियमितताएं

485. श्री अमर रायप्रधान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को चालू वर्ष के दौरान निपटान आयोग (आयकर और धन कर) नयी दिल्ली में अनियमितताओं के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए (ख), (ग), (घ) और (ङ) का प्रश्न नहीं उठता।

विदेश स्थित निर्यातकों द्वारा धन भेजना

486. श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री प्रेम धूमल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय निर्यातकों का धन विदेशों में भेजे जाने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय निर्यातकों को इस समय निम्नलिखित विदेशी विनिमय सुविधाओं की अनुमति दे दी गई है :

(एक) सितम्बर, 1991 में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित योजना के तहत भारतीय निर्यातकों, जिनकी विशाल आयात/निर्यात बिक्री और कुल विदेशी विनिमय प्राप्तियां 4 करोड़ रूपए से कम नहीं है, को भारत और विदेश में विदेशी मुद्रा खाते रखने की अनुमति दी गई है। इन निर्यातकों को इन खातों में उनको निर्यात प्राप्तियों का 100 प्रतिशत तक जमा करने और उनको निर्यात व अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। वे मुद्रा विनिमय अर्जित करने वालों के विदेशी मुद्रा खातों को रखने के पात्र नहीं है।

(दो) किसी भी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा का भुगतान प्राप्त करने वाले माल और सेवाओं के निर्यातकों और किसी अन्य परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में देश में भेजे गए धन के अन्य प्राप्तकर्ताओं को भारत में बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में प्राप्तियों का 25 प्रतिशत तक रखने की अनुमति दी गई है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली विदेशी मुद्रा के खातों में जमा राशियों को खाताधारकों के सभी विनिर्दिष्ट वास्तविक भुगतानों के लिए खाताधारकों को, उपयोग में लाने की अनुमति दी जा सकती है।

चीन में निवेश

487. श्री सी.के. कुप्पुस्वामी :
श्री डी. वैंकटेश्वर राव :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के एक शिष्ट मंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की है और उस देश में भारतीय निवेश को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकाला है;

(ग) क्या दोनों देशों ने किसी व्यापार समझौता/संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). महामहिम मैडम वू यी, विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग मंत्री के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल ने जून, 1994 में भारत का दौरा किया था। दोनों पक्षों ने एक व्यापार संलेख को अंतिम रूप दिया था, जिसमें परस्पर व्यापार हित की मदों को दर्शाने वाली और व्यापार संवर्धन हेतु एक सहमत दृष्टिकोण शामिल था। दोनों पक्षों ने आर्थिक संबंधों तथा व्यापार, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी संबंधी चीन–भारत संयुक्त दल की एक बैठक भी की । इस बैठक में इन क्षेत्रों में उनके द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गयी तथा सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापार उपायों पर एक समझौता किया गया। इसमें संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देने, संवर्धन करने तथा उनका विस्तार करने संबंधी करार शामिल था। तथापि इस दौरे के दौरान न तो किसी नए व्यापार करार पर और न किसी विशिष्ट संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए गए।

गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवकों को ऋण

488. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1993–94 और 1994–95 में अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने बेरोजगार युवकों ने बड़े, मझोले और लघु उद्योगों की स्थापना हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण हेतु आवेदन किया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को और कितना बैंक ऋण स्वीकृत किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योगों के विकास हेतु धन

489. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में लघु उद्योगों के विकास हेतु और अधिक धनराशि आवंटित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि नियत की गयी है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि नियत की गयी थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

490. श्री हरिभाई पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 में गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हुई है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, सभी भारतीय बैंकों को अपने निवल ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देना होता है। इस संबंध में कोई राज्य–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। संबंधित बैंक को 40 प्रतिशत का लक्ष्य अखिल भारत आधार पर प्राप्त करना होता है। अलबत्ता, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिले के लिए कतिपय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। गुजरात राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक, देना बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसके मुकाबले वार्षिक ऋण योजना 1993–94 के अंतर्गत गुजरात में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार थीं :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	(करोड़ रूपए में) लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि का प्रतिशत
1993–94	622.86	631.70	101.42

इस संबंध में बैंक के कार्यनिष्पादन की ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं।

[हिन्दी]

खान श्रमिकों को लाभ

491. श्री बीर सिंह महतो : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

खान श्रमिकों को खान श्रमिक कल्याण निधि से प्रदान की जाने वाली चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : लौह–अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, चूना–पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि तथा अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि में से इन कल्याण निधियों के अंतर्गत शामिल किए गए खान कर्मकारों को चिकित्सा तथा अन्य लाभों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

खान श्रमिकों से संबंधित स्वास्थ्य योजनाओं की सूची

तपेदिक

1. तपेदिक से पीड़ित खान श्रमिकों को अस्पतालों/सैनेटोरियमों में विस्तरों का आरक्षण और घरेलू उपचार के लिए योजना ।

कैंसर

2. कैंसर से पीड़ित खान श्रमिकों को उपचार के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति।

गुर्दा प्रत्यारोपण और हृदय रोग

3. गुर्दा प्रत्यारोपण और हृदय रोगों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता।

मानसिक रोग

4. (i) खान श्रमिकों के उपचार और (ii) खान श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता।

चश्मा

5. चश्मे की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

कुष्ठ रोग

6. इन्डोर और आउटडोर दोनों प्रकार के चिकित्सा उपचार करने वाले स्थानीय निकायों, संगठनों आदि को सहायता अनुदान की अदायगी, इसके अलावा खनिकों को कुछ हद तक निर्वाह भत्ता भी दिया जाता है।

कृत्रिम अंग

7. कृत्रिम अंगों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

घातक और गम्भीर दुर्घटना

8. गम्भीर और घातक प्रकृति की दुर्घटनाओं के लिए खान श्रमिकों अथवा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।

सहायता-अनुदान

9. एम्बुलेंस वैन की खरीद के लिए लौह अयस्क और मैंग्नीज अयस्क और क्रोम अयस्क और चूना पत्थर और डोलोमाइट अयस्क खानों के प्रबंधन को सहायता–अनुदान।

10. खान श्रमिकों के लिए अपने खुद के औषधालयों के रख--रखाव के लिए खान प्रबंधनों को सहायता–अनुदान।

खान श्रमिकों की शिक्षा संबंधी योजनाएं

1. खान श्रमिकों के स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता।

2. खान श्रमिकों के प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों को वर्दी पाठ्य पुस्तकों, कॉपियों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता।

3. खान श्रमिकों के स्कूल जाने वाले बच्चों के आवागमन हेतु स्कूल बस खरीदने हेतु प्रबंधन को वित्तीय सहायता।

4. पुस्तकालय एवं पठन कक्ष स्थापित करने या पुस्तकालय एंव पठन कक्ष गठित करने हेतु खान प्रबंधन को वित्तीय सहायता।

5. पुस्तकालय सेवाओं के रख–रखाव हेतु खान प्रबंधन को वित्तीय सहायता।

6. फर्नीचर और उपस्कर खरीदने हेतु शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता।

7. विभाग द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में खान कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन।

खान श्रमिकों के आमोद-प्रमोद संबंधी योजनाएं

1. विभाग द्वारा खेल–कूद/सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना और खेल–कूद आदि हेतु खान प्रबंधन को वित्तीय सहायता।

2. खान श्रमिकों के आवागमन हेतु बसों की खरीद हेतु खान प्रबंधन को वित्तीय सहायता।

3. खान श्रमिकों हेतु भ्रमण अध्ययन दौरे आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता।

4. खान श्रमिकों के परिवार के महिला सदस्यों को शिल्प प्रशिक्षण और बालकों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा चलाया जा रहा बहुउद्देशीय संस्थान।

5. खेल–कूद मैदान के निर्माण हेतु खान प्रबंधन को वित्तीय सहायता।

6. खान श्रमिकों के लाभ हेतु पुरी में एक अवकाश–गृह बनाया गया है।

7. खान श्रमिकों हेतु खान प्रबंधनों को टी.वी. सैट और डिश–एन्टिना प्रदान करने हेतु नई योजना।

खान श्रमिकों को जलापूर्ति हेतु योजनाएं

1. कुओं की खुदाई हेतु छोटे खान के मालिकों को वित्तीय सहायता।

2. जलापूर्ति योजला के निष्पादन हेतु छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

3. जलापूर्ति योजना के निष्पादन हेतु बड़ी खानों के प्रबंधनों को वित्तीय सहायता।

आवास योजना

1. खान श्रमिकों हेतु कार्य स्थल के निकट कम लागत के टाईप–I और टाईप–II मकानों के निर्माण हेतु खान प्रबंधनों को वित्तीय सहायता।

2. अपना घर स्वयं बनाओ योजना : खान श्रमिकों को अपना घर बनाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण आर्थिक सहायता।

[अनुवाद]

पर्यटन क्षेत्र में सहकारी अभियान

492. श्री सुधीर सावंत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में सहकारी अभियान पर जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में सहकारी अभियान को बढ़ावा देने की दृष्टि से कार्यक्रम तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या किसी पर्यटन सहकारी समिति ने सहायता के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के क्षेत्र में।

(ख) पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में, जो देश में पर्यटन के विकास के लिए तैयार की गई थी, पर्यटन के क्षेत्र में सहकारी अभियान को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों का विकास करना शामिल नहीं है तथापि, कार्य योजना पर्यटन के विकास के लिए सरकार की प्राथमिकता और उसके सफल होने की नीति नियत करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम मजदूरी

493. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खनन, निर्माण एवं रेल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने श्रमिक इससे लाभन्वित होंगे?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 12.7.94 की अधिसूचना के द्वारा , खनन, निर्माण और रेलवे सेक्टरों के केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 39 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों की मूल मजदूरी की न्यूनतम दरों, विशेष भत्तों की दरों को संशोधित कर दिया है। इन क्षेत्रों में कर्मकारों की प्रत्येक श्रेणी के लिए संशोधित न्यूनतम दरों और विशेष भत्तों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। संशोधन से खनन क्षेत्र के लगभग 17.6 लाख कर्मकारों, निर्माण क्षेत्र के 3.5 लाख कर्मकारों, और रेलवे में माल लादने, उतारने तथा राख के गड्ढों की सफाई करने के कार्यों में लगे 24 हजार कर्मकारों के लाभन्वित होने की संभावना है।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र के 39 अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

खनन

जिप्सम खानें, बैराइट्स खानें,बॉक्साइट खानें, मैगनीज खानें, चीनी मिट्टी की खानें, क्रोमाइट खानें, क्वार्टजाइट खानें, सिलिका खानें, कायनाइट खानें, तांबा खानें चिकनी मिट्टी की खानें, पत्थर खानें, सफेद चिकनी मिट्टी की खानें, गेरू की खानें, फायरक्ले खानें, सेलखड़ी (सोप स्टोन और टेल्क सहित) खानें, एस्बेस्टस खानें, मेग्नेसाइट खानें, ग्रेफाइट खानें, पेल्सपार खानें, रेड ऑक्साइड खानें, लैटाराइट खानें, डोलोमाइट खानें, लौह–अयस्क खानें, ग्रेनाइट खानें, वाल्क्रेम खानें, मैग्नेटाइट खानें, रॉक फॉस्फेट खानें, हेमेटाइट खानें, संगमरमर और कैल्साइट खानें, यूरेनियम खानें, अभ्रक खानें, और क्वाट्ज खानें।

मूल मजदूरी

कर्मकार की श्रेणी	भूतल से ऊपर	परिशोधित मूल मजदूरी (रू. प्रतिदिन) भू–तल के नीचे
कुशल	28.00 रू.	34.00 रू.
अर्द्ध कुशल	34.00 रू.	41.00 रू.
कुशल/लिपिकीय	41.00 रू.	50.00 रू.
अति कुशल	50.00 रू.	60.00 रू.

विशेष भत्ते

कर्मकार की श्रेणी	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1281 से ऊपर 4 अंक वृद्धि पर विशेष भत्ते की परिशोधित दर	
	भूतल से ऊपर	भूतल से नीचे
अकुशल	9 पैसे	11 पैसे
अर्द्ध कुशल	11 पैसे	13 पैसे
कुशल/लिपिकीय	13 पैसे	16 पैसे
अति कुशल	16 पैसे	19 पैसे

विनिर्माण

(सड़कों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण प्रक्रिया, भवनों का रखरखाव, रनवे का निर्माण एवं रखरखाव और पत्थर–तोड़ना या पत्थर पीसना)

मूल मजदूरी

कर्मकार की श्रेणी	क्षेत्र (रूपये प्रति दिन)		
	क	ख	ग
अकुशल	36.00रू.	34.00रू.	28.00रू.
अर्द्ध कुशल	43.00रू.	41.00रू.	34.00रू.
कुशल/लिपिकीय	57.00रू.	51.00रू.	43.00रू.
अति कुशल	65.00रू.	63.00रू.	51.00रू.

विशेष भत्ता

कर्मकार की श्रेणी	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1281 से ऊपर 4 अंक वृद्धि पर विशेष भत्ते की परिशोधित दर		
	क	ख	ग
अकुशल	11 पैसे	11 पैसे	9 पैसे
अर्द्ध कुशल	13 पैसे	13 पैसे	11 पैसे
कुशल	16 पैसे	16 पैसे	14 पैसे
अति कुशल	20 पैसे	20 पैसे	10 पैसे

रेलवे

(रेलवे माल शेडों में सामान उतारने/चढ़ाने के कार्य और राख के गड्डे की सफाई/इन नियोजनों में कार्य केवल अकुशल प्रकृति का है)

मूल मजदूरी

क्षेत्र	परिशोधित मूल मजदूरी (रू. प्रति दिन)
क	42.00 रू.
ख	33.00 रू.
ग	29.00 रू.

विशेष भत्ते

क्षेत्र	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1281 से ऊपर 10 अंक वृद्धि पर विशेष भत्ते की परिशोधित दर
क	33 पैसे
ख	26 पैसे
ग	23 पैसे

औद्योगिक कर्मकारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव के आधार पर विशेष भत्ता प्रति छःमाह में संशोधित किया जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वायु सेवाएं

494. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वायु सेवाएं शुरू करने के लिए कौन-कौन सी अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनायी गई है और इस क्षेत्र में पर्यटक आवागमन की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत पहले से ही पूर्वोत्तर में प्रचालन कर रहे हैं। पवन हंस लिमिटेड शीघ्र ही पूर्वोत्तर में हेलीकाप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा सरकार ने निजी अनुसूचित एयरलाइनों को पूर्वोत्तर सहित अलाभकारी क्षेत्रों के ट्रंक मार्गों पर उनके प्रचालनों की 10 प्रतिशत उड़ान को अनिवार्य कर दिया है। अनुसूचित प्रचालकों के लिए हाल ही में अनुमोदित अनुसूची के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में निम्नलिखित स्टेशनों को विमान मार्गों से जोड़ा गया है।

1. डिब्रूगढ़ 2. गुवाहाटी 3. सिल्चर 4. अगरत्तला

पूर्ववर्ष 1991,1992 और 1993 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में आए अंतर्देशीय और विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या का एक विवरण में संलग्न है।

विवरण

अनुमानित अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन उत्तर पूर्वी राज्य

राज्य	1991		1992		1993*	
	अन्तर्देशीय	अन्तर्राष्ट्रीय	अन्तर्देशीय	अन्तर्राष्ट्रीय	अन्तर्देशीय	अन्तर्राष्ट्रीय
अरूणाचल प्रदेश	4,072	0	2,901	26	एन.ए.	एन.ए.
आसाम	14,270	385	19,029	431	19,676	440
मणिपुर	92,806	310	85,246	405	60,043	188
मेघालय	152,889	428	138,932	252	155,667	408
मिजोरम	15,146	15	13,595	8	35,235	115
नागालैंड	66,440	121	34,137	69	24,164	16
त्रिपुरा	809,655	706	890,620	700	एन.ए.	एन.ए.

* अनुमानित

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

495. श्रीमती वसुंधरा राजे :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस उद्देश्य हेतु आबंटन में वृद्धि का प्रावधान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कार्यकारी पूंजी, आधुनिकीकरण और कंट्रोल कपड़े पर राज सहायता के लिए कितनी धनराशि मंजूर/ उपलब्ध की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) से (ग). वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में वस्त्र मिलों की आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 750 करोड़ रू. की एक राशि उद्दिष्ट करके वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना बनाई गई थी। वस्त्र मंत्रालय ने 1500 करोड़ रू. की बढ़ी हुई राशि के साथ 8 वीं योजना में भी इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव किया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

(घ) वर्ष 1994–95 के दौरान एन टी सी को सरकार द्वारा स्वीकृत/दी गई निधियां निम्न प्रकार है :

रू. करोड़

	वर्ष 1994–95 में स्वीकृत/रिलीज की गई धनराशि	वर्ष 1994–95 प्रदत धनराशि (बजट प्राक्कलन)
कार्यशील पूंजी	49.00	1.00 (टोकन प्रावधान)
आधुनिकीकरण	–	1.00
श्रमिक सुव्यवस्थिकरण (स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना)	10.00	84.00
कंट्रोल के कपड़े के लिए आर्थिक सहायता	–	10.00

[हिन्दी]

टेक्सटाइल फाइबर पर उत्पाद शुल्क

496. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार टैक्सटाइल फाइबर पर राजा चेलैया समिति द्वारा की गई सिफारिश की तुलना में अधिक उत्पाद शुल्क वसूल कर रही है;

(ख) क्या टेक्सटाइल फाइबर अधिक उत्पाद शुल्क लगाए जाने से उद्योग संकट में पड़ गया है जिसके कारण कई व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं और विदेशी मुद्रा की भी हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्पाद शुल्क के अवहनीय भार को दूर करके इस उद्योग के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राजा चेल्लैया समिति ने टेक्सटाइल फाइबर के लिए उत्पाद शुल्क की दरों के बारे में कोई विशेष सिफारिश नहीं की है।

(ख) से (घ). पिछले कई वर्षों से टेक्सटाइल फाइबरों पर मूल उत्पाद शुल्क में उत्तरोत्तर कमी की जा रही है। मौजूदा दर 20 प्रतिशत है। फाइबर के विनिर्माताओं को उनकी निविष्टियों तथा पूंजीगत माल पर अदा किए गए उत्पाद शुल्क का माडवेट क्रेडिट लेने की भी अनुमति दी गई है। 20 प्रतिशत की मौजूदा दर अन्य बहुत से शुल्क्य माल पर शुल्क की दरों के बराबर ही है। टेक्सटाइल फाइबर पर मौजूदा उत्पाद शुल्क लगने के कारण टेक्सटाइल फाइबर उद्योग के पंगु हो जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

कलीनों का निर्यात

497. डा. रमेश चन्द्र तोमर : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कालीनों की मांग में कमी आने के कारण कालीन उद्योग मंदी का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) (क) जी नहीं। जहां तक हाथ से बुने ऊनी/रेशमी/स्टेपल कालीनों आदि का संबंध है, कई वर्षों से इन वस्तुओं का मांग में वृद्धि हुई है, जो गत तीन वर्षों के नीचे दिए गए निर्यात आंकड़ों से स्पष्ट है :

वर्ष	करोड़ रू. में	अमरीकी डालर (मिलियन में)
1991–92	847.61	343.83
1992–93	1043.19	365.39
1993–94 (अनन्तिम)	1390.00	443.18

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में बैंक जमा

498. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जुटाई गई जमा का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने गुजरात में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक धनराशि जुटाई है;

(ग) क्या जुटाई गई भारी राशि की तुलना में गुजरात में निवेश कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा गुजरात में निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). मार्च 1992, मार्च 1993 और मार्च 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां, ऋण राशियां और ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया हैं। यद्यपि ऋण जमा अनुपात में दर्शाए गए अनुसार, राज्यों में जुटाई गई धनराशि की तुलना में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित ऋण में एक राज्य से दूसरे राज्य में अन्तर है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में अलग–अलग,60 प्रतिशत ऋण जमा अनुपात प्राप्त करना है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि यद्यपि, यह अनुपात पृथक रूप से शाखा वार, जिला वार या क्षेत्रवार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है तथापि बैंकों से कहा

गया है कि ऋण संवितरण में असन्तुलन को कम से कम करने के लिए विभिन्न राज्यों/ क्षेत्रों के बीच अनुपात में व्यापक असमानता से बचा जाए। अलबत्ता किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में ऋण जमा अनुपात, उस राज्य या क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जिस पर, सिंचाई, बिजली, रेल, सड़क, परिवहन, आधारभूत और तकनीकी शिक्षा, उद्यमशीलता और अपेक्षित निवेश की उपलब्धता और कृषि, औद्योगिक उत्पाद आदि के लिए बाजार सुविधा जैसी संरचनात्मक सुविधाएं प्रभाव डालती है।

कम ऋण जमा अनुपात वाले कुछ राज्यों में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने समस्याओं पर ध्यान देने और उपचारी उपाए सुझाने के लिए कृतक बलों का गठन किया है। अन्य राज्यों में, जहां ऋण जमा अनुपात बहुत खराब है और किसी कृतक बल का गठन नहीं किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्यों के राज्य स्तरीय बैंक समिति के प्रायोजक बैंकों से कहा है कि इस मसले पर विचार करें और कम ऋण जमा अनुपात में सुधार करने के लिए उचित कार्रवाई करें।

मार्च, 1992, मार्च,1993 तथा मार्च, 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्यवार जमाराशि, ऋण और ऋण जमा अनुपात

(लाख रूपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1992			मार्च 1993			मार्च 1994		
	जमा राशियां	ऋण	ऋण जमा अनुपात	जमा राशियां	ऋण	ऋण जमा अनुपात	जमा राशियां	ऋण	ऋण जमा अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	4342,48	2455,01	56.5	5063,99	2809,80	55.5	5948,21	2990,86	50.3
हिमाचल प्रदेश	1590,86	530,11	33.3	1855,79	589,41	31.8	2187,55	624,56	28.6
जम्मू एव कश्मीर	2011,94	864,32	43.0	2233,39	993,86	44.5	2724,47	1245,04	45.7
पंजाब	11063,04	4668,77	42.2	12661,11	5383,09	42.5	14852,89	6244,76	42.0
राजस्थान	6159,30	3426,26	55.6	7256,10	4003,52	55.2	8630,20	4246,71	49.2
चंडीगढ़	1590,84	1035,74	65.1	1977,61	1001,24	50.6	2251,04	1885,87	83.8
दिल्ली	20843,83	15237,50	73.1	23559,26	20950,12	88.9	41171,48	22989,72	73.0
अरूणाचल प्रदेश	174,00	25,06	14.4	200,50	27,53	13.8	225,59	29,60	13.1
असम	2424,02	1190,64	49.1	2667,85	1300,58	48.8	3065,88	1311,03	42.8
मणिपुर	109,16	79,26	72.6	105,11	88,65	84.3	126,12	90,97	72.1
मेघालय	382,33	77,12	20.2	457,76	77,17	16.9	534,85	83,95	15.7
मिजोरम	106,54	23,10	21.7	113,00	23,59	20.9	117,50	24,11	20.5
नागालैंड	226,90	88,89	39.2	241,70	97,61	40.4	235,17	97,62	41.5
त्रिपुरा	306,25	172,70	56.4	337,26	196,65	58.3	357,11	197,19	55.2
बिहार	9959,63	3936,23	39.5	11100,72	4312,01	38.8	12564,45	4534,50	36.1
उड़ीसा	3022,53	2102,67	72.2	3591,09	2394,04	66.7	3995,44	2436,10	61.0
सिक्किम	104,52	28,42	27.2	121,80	29,58	24.3	127,27	27,98	22.0
पश्चिम बंगाल	20015,03	10977,93	52.7	23070,25	12468,69	52.2	27864,49	12901,36	46.5
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	64,97	21,05	32.4	79,17	29,03	23.1	94,89	17,09	18.6
मध्य प्रदेश	8491,56	5411,15	63.7	9444,03	5885,81	62.3	10964,41	0142,29	56.0
उत्तर प्रदेश	22539,38	10056,21	44.0	25431,28	10773,00	42.4	29019,46	11033,07	37.2
गोवा	1660,02	152,48	30.9	1987,85	007,61	30.6	2341,56	597,59	25.3
गुजरात	13716,87	7345,19	53.5	16145,34	8461,21	52.4	19157,15	8867,92	46.3
महाराष्ट्र	52987,07	33067,45	02.4	65257,20	39928,57	61.2	70557,60	43704,91	01.9
दादर एवं नागर	19,11	8,81	40.1	28,69	8,35	29.1	38,33	7,87	20.5
दमन एवं द्वीप	69,98	13,75	19.6	84,19	14,88	17.7	106,01	16,36	13.4
आन्ध्र प्रदेश	12167,02	9810,21	80.7	13895,78	11117,36	80.1	16580,2	11853,70	71.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	11216,62	8793,19	78.4	13366,73	10031,96	75.1	15298,08	10728,11	70.1
केरल	9386,43	4867,56	51.9	11726,71	5706,67	40.9	14461,38	6412,87	43.3
तमिलनाडु	15153,36	15121,00	99.8	18745,15	16334,65	87.1	21187,26	18393,12	06.8
लक्षद्वीप	11,92	1,47	12.0	13,61	1,35	9.9	15,30	1,43	9.3
पांडीचेरी	367,68	175,63	47.8	433,66	194,44	44.8	515,81	217,50	42.3
अखिल भारत	233085,69	142210,93	61.0	27406793	16583621	60.5	317917,50	180016,59	50.0

[अनुवाद]

प्लेग के प्रकोप के कारण भारत पर्यटन विकास निगम को हुआ घाटा

499. श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम को देश में प्लेग के प्रकोप के कारण भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घाटे को किस प्रकार पूरा करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). जी, हां। यद्यपि, प्लेग के प्रकोप के कारण भारत पर्यटन विकास निगम को हुए घाटे के परिमाण का सही प्रकार से मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है, तथापि, अक्तूबर, 1994 के लिए घाटों का मोटे तौर पर अनुमान नीचे दिया गया है :

	अक्तूबर,1994 का घाटा	
	कुल कारोबार	निविल लाभ
बजटीय	18.13	2.56
वास्तविक	15.42	0.48
लाभ में अनुमानित हानि	2.71	2.08

(ग) स्थिति से उबरने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उठाए गए कदमों में अक्तूबर से नवम्बर, 94 के दौरान प्राप्त बुकिंग के लिए कमरा किराए में 50 प्रतिशत की रियायत के रूप में प्रोत्साहन देना, ग्रुप टेरिफ को 10 से घटा कर 6–8 का ग्रुप साइज करना, स्थिति का स्वयं मूल्यांकन करने के लिए यात्रा लेखकों और विदेशी यात्रा प्रचालकों को आमंत्रित करना, उत्साही बिक्री ब्लिटस विदेशी विक्रय बैठकों, सेमिनारों, आदि में भाग लेना शामिल है।

बुनकरों के लिए कल्याण योजनाएं

500. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघो बुनकरों के कल्याण हेतु गत एक वर्ष के दौरान शुरू की गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से कितने बुनकर लाभान्वित हुए है, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंर्गतत दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए निम्नलिखित योजनाऐं कार्यान्वित कर रही है :–

1. कार्यशाला–सह–आवास योजना।
2. समूह बीमा योजना।
3. थ्रिफट फंड योजना।
4. स्वास्थ्य पैकेज योजना।

कार्यशाला सह आवास योजना और थ्रिफट फंड योजना सातवीं योजना से कार्यान्वित की गई है। वर्ष 1991–92 में इन योजनाओं का संशोधन किया गया था। समूह बीमा योजना और स्वास्थय पैकेज योजना वर्ष 1992–93 से आरंभ की गई हैं।

(ख) और (ग). कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभंवित बुनकरों की संख्या और इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1993–94 के दौरान जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :

(लाख रूपयों में)

क्र. सं.	योजना	राज्य	वर्ष 1993–94 में जारी की गई सहायता	लाभांवित बुनकरों की संख्या (अनुमानित)
1	2	3	4	5
1.	कार्यशाला सह आवास योजना	1. आन्ध्र प्रदेश	175.785	2227
		2. असम	8.87	222
		3. बिहार	52.00	1300
		4. हिमाचल प्रदेश	28.00	700
		5. जम्मू व कश्मीर	3.76	.4
		6. कर्नाटक	32.94	824
		7. केरल	78.4797	507
		8. मध्य प्रदेश	40.00	1000
		9. मणिपुर	30.00	750
		10. मिजोरम	4.00	100
		11. उडीसा	40.00	1000

1	2	3	4	5
		12. राजस्थान	40.16	1004
		13. त्रिपुरा	8.00	200
		14. तमिलनाडु	84.00	600
		15. उत्तर प्रदेश	182.00	2600
		कुल	799.9947	13208
2.	थ्रिफ्ट फंड योजना	1. आंध्र प्रदेश	60.58	60,580
		2. कर्नाटक	17.00	17,000
		3. मणिपुर	1.28	1,280
		4. राजस्थान	1.65	1,650
		5. तमिलनाडु	140.00	1,40,000
		6. पश्चिमी बंगाल	10.00	10.00
		कुल	230.51	2,30,510
3.	समूह बीमा योजना	1. आंध्र प्रदेश	11.20	28,000
		2. उड़ीसा	8.80	22,000
		3. तमिलनाडु	28.489	1,13,956
		4. उत्तर प्रदेश	8.00	20,000
		5. पश्चिमी बंगाल	0.40	1,000
		कुल	56.889	1,84,956
4.	स्वास्थ्य पैकेज योजना	1. आन्ध्र प्रदेश	50.00	9,550
		2. असम	47.875	9,475
		3. बिहार	49.50	68,200
		4. जम्मू व कश्मीर	14.99	2,746
		5. कर्नाटक	21.40	3,120
		6. मणिपुर	38.08	8,160
		7. उड़ीसा	20.08	4,400
		8. राजस्थान	20.00	2,914
		9. त्रिपुरा	3.15	590
		10. तमिलनाडु	56.80	8,250
		11. उत्तर प्रदेश	56.50	11,116
		12. पश्चिमी बंगाल	34.30	7,700
		कुल	412.595	1,36,221

अमरीकी व्यापार कानून 'सुपर 301'

501. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इस वर्ष अक्तूबर में अमरीकी व्यापार कानून 'सुपर 301' थोपे जाने का एक और प्रयास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख). सयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार सम्भवतः अपने व्यापार कानून के नए 'सुपर 301' प्रावधान के अंतर्गत अग्रता विदेशी व्यवहार के रूप में भारत द्वारा वस्त्रों के क्षेत्र में बाजार पहुंच की मनाही पर विचार कर रही थी। किन्तु, अन्ततः भारत को इस रूप में अभिज्ञात नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात ऋण पर ब्याज

502. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात ऋणों पर ब्याज दरें कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्यात विकास दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनानुसार, निर्यात ऋण संबंधी ब्याज–दर–ढांचा पोत–लदान पूर्व ऋण के मामले में 270 दिन तक और पोत–लदानोत्तर ऋण के मामले में 6 महीने तक की अवधि के लिये अपरिवर्तनीय रहता है। पोत– लदान की तारीख से 6 महीने के बाद की अवधि के लिए पोतलदानोत्तर ऋण के लिए लागू ब्याज की दरों और अन्यथा विनिर्दिष्ट निर्यात ऋण को 18 अक्तूबर, 1994 से अविनियमित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक निर्यात ऋण की उपर्युक्त दो श्रेणियों की उधार दरों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि निर्यात ऋण के लिये ब्याज दर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं है, अतः निर्यात की वृद्धि दर पर किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव की संभावना नहीं है।

कर वसूली

503. श्री हाराधन राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी–कितनी आयकर, सम्पत्ति कर और उपहार कर की वसूली हुई;और

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कोटि में पांच सर्वाधिक करदाता कौन–कौन हैं और उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन करदाताओं में से प्रत्येक ने कितनी राशि का भुगतान किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1991–92,1992–93 तथा 1993–94 के दौरान निगम कर, आयकर, धनकर तथा उपहार कर की राज्यवार वसूली के विवरण I, II, और III संलग्न हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना राज्यवार संकलित नहीं की जाती है।

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए निगम कर, आयकर, धनकर और उपहार कर के संबंध में राज्य वार एवं संघ क्षेत्र वार वसूली

(रूपये करोड़ों में)

राज्य	निगम कर	आयकर	धनकर	उपहार कर
आन्ध्र प्रदेश	115.93	265.94	9.50	0.99
अरुणाचल प्रदेश	–	0.22	–	–
असम	41.44	07.86	1.64	0.06
बिहार	22.45	171.50	1.90	0.08
गोवा	25.14	27.68	1.99	0.02
गुजरात	136.35	560.49	22.11	0.50
हरियाणा	25.27	84.95	3.35	0.64
हिमाचल प्रदेश	1.39	21.96	0.39	–
जम्मू तथा कश्मीर	21.78	27.65	–	–
कर्नाटक	118.26	341.79	15.13	0.36
केरल	70.90	187.05	5.13	0.32
मध्य प्रदेश	27.02	213.76	4.92	0.24
महाराष्ट्र	3375.01	1980.46	120.26	2.04
मणिपुर	0.05	2.11	0.06	0.00
मेघालय	0.48	4.21	0.19	0.09
मिजोरम	–	–	–	–
नागालैंड	0.04	2.83	0.02	0.03
उड़ीसा	20.49	79.00	0.48	0.03
पंजाब	138.88	199.36	9.34	0.08
राजस्थान	49.33	142.62	4.78	0.18
सिक्किम	0.16	0.30	0.00	0.00
तमिलनाडु	477.23	553.51	33.56	1.23
त्रिपुरा	0.03	4.80	0.05	0.01
उत्तर प्रदेश	284.42	427.81	9.72	0.32
पश्चिम बंगाल	872.82	424.80	20.65	1.25
संघ क्षेत्र				
अंडमान निकोबार	2.91	0.48	0.01	0.00
चंडीगढ़	23.19	32.23	1.12	0.03
दमन	0.09	0.80	0.02	0.00
दीव	–	0.08	0.00	0.00
दादर और नागर हवेली	0.01	0.24	0.00	0.00
पांडिचेरी	1.68	8.04	0.31	0.04
लक्ष द्वीप	–	–	0.00	0.00
नई दिल्ली	1039.72	729.06	39.18	0.58
सी.टी.डी.एस.	956.90	175.64	–	–
योग	7849.17	6738.89	306.31	8.52

विवरण -II

वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए निगम कर, आयकर, धनकर और उपहार कर के संबंध में राज्य-वार एवं संघ क्षेत्र-वार वसूली

(रूपये करोड़ों में)

राज्य	निगम कर	आय कर	धन कर	उपहार कर
आन्ध्र प्रदेश	190.43	314.32	14.16	0.60
अरुणाचल प्रदेश	–	1.52	–	–
असम	44.11	56.30	2.17	0.05
बिहार	19.75	240.83	2.42	0.03
गोवा	29.95	48.69	3.53	0.08
गुजरात	199.07	645.86	32.34	1.06
हरियाणा	27.28	92.38	4.54	0.06
हिमाचल प्रदेश	2.52	25.81	0.46	–
जम्मू तथा कश्मीर	18.46	30.84	–	–
कर्नाटक	165.85	391.45	20.48	0.29
केरल	99.54	195.61	7.65	0.22
मध्य प्रदेश	57.81	217.03	7.28	0.14
महाराष्ट्र	3966.20	2327.74	188.46	3.39
मणिपुर	0.18	3.82	0.08	–
मेघालय	2.68	4.89	0.26	0.01
मिजोरम	–	0.01	–	–
नागालैंड	0.02	6.85	0.02	–
उड़ीसा	22.11	84.77	0.75	0.03
पंजाब	131.40	234.18	14.42	(–)0.03
राजस्थान	61.92	175.14	7.31	0.09
सिक्किम	0.01	0.32	–	–
तमिलनाडु	381.25*	653.74*	47.76	1.00
त्रिपुरा	0.03	6.25	0.02	0.01
उत्तर प्रदेश	53.43	450.76	16.92	0.28
पश्चिम बंगाल	845.67	485.07	31.02	1.26
संघ क्षेत्र				
अंडमान निकोबार	3.21	0.77	0.02	–
चंडीगढ़	26.51	26.92	1.63	0.01
दमन	0.03	0.68	0.06	–
दीव	–	0.1	–	–
दादर और नागर हवेली	–	0.17	–	–
पांडिचेरी	–**	–**	–	–
लक्ष द्वीप	–	–	–	–
सिलवासा	–	–	–	–
नई दिल्ली	1409.28	958.91	63.86	0.76
सी.टी.डी.एस.	1139.75	213.71	–	–
योग	8898.51	7895.35	467.64	9.34

* इसमें पांडिचेरी की वसूली भी शामिल है।

** अलग से आंकडे उपलब्ध नहीं है।

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए निगम कर, आयकर, धनकर और उपहार कर के संबंध में राज्य-वार एवं संघ क्षेत्रवार वसूली

(रूपये करोड़ों में)

राज्य	निगम कर	आयकर	धनकर	उपहार कर
आंध्र प्रदेश	223.82	340.61	5.45	0.50
अरूणाचल प्रदेश	–	1.72	–	–
असम	38.39	68.61	0.96	0.02
बिहार	15.73	207.80	0.90	0.05
गोवा	57.85	44.45	0.82	0.02
गुजरात	227.57	793.00	10.35	(–)0.09
हरियाणा	40.50	103.66	1.09	0.02
हिमाचल प्रदेश	3.73	24.76	0.19	0.01
जम्मू और कश्मीर	3.33	40.62	0.12	–
कर्नाटक	261.74	491.52	9.36	0.35
केरल	142.62	243.54	4.17	0.36
मध्य प्रदेश	55.09	252.35	3.88	0.08
महाराष्ट्र	4389.56	2847.81	49.89	1.59
मणिपुर	0.05	6.72	0.03	–
मेघालय	1.61	9.98	0.19	–
मिजोरम	–	0.03	–	–
नागालैण्ड	0.05	4.75	0.01	–
नई दिल्ली	1308.68	1048.59	22.16	0.39
उड़ीसा	15.52	93.66	0.20	0.02
पंजाब	116.14	241.37	2.49	–
राजस्थान	59.29	181.77	1.83	0.12
सिक्किम	–	0.16	–	–
तमिलनाडु	549.98	723.53	22.18	0.68
त्रिपुरा	0.05	5.36	0.05	0.01
उत्तर प्रदेश	184.93	493.69	3.89	0.20
प. बंगाल	1040.52	535.06	13.16	0.56
संघ शासित प्रदेश				
अण्डमान निकोबार	2.86	0.78	0.01	–
चण्डीगढ़	52.93	26.77	0.36	0.02
दमन	0.04	0.35	0.06	–
दीव	–	0.04	–	–
दादर और नागर हवेली	–	–	–	–
पाण्डिचेरी	4.04	9.05	0.18	0.08
लक्षद्वीप	–	–	–	–
सिलवसा	0.05	0.38	–	–
सीटीडीएस	1263.62	276.62	–	–
योग	10060.29	9119.11	153.98	4.99

विश्व बैंक का राज्यों को समायोजन ऋण

504. श्री अमर पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र समायोजन ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक से राज्यों को मिलने वाले 'राज्य क्षेत्र समायोजन ऋणों' निगरानी रखने/पर्यवेक्षण करने के लिए एक शीर्षस्थ एजेंसी गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) से (घ). राज्य सरकारों को सम्भव संरचनात्मक समायोजन ऋणों के बारे में बैंक के साथ कुछ प्रारम्भिक बातचीत होती रही है। ये ऋण परियोजना–भिन्न से सहबद्ध किए जाने और राज्य स्तरीय सुधारों के समर्थन में राज्य सरकारों को त्वरित संवितरण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हैं। ये ऋण भारत सरकार को विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे और तत्पश्चात् ये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 100 प्रतिशत सहयोग के तौर पर राज्यों को दे दिये जाएंगे।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में जनता कपड़े का उत्पादन

505. श्री दत्ता मेघे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कौन–कौन सी मिलें जनता कपड़े का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) 1993–94 के दौरान राज्य में जनता कपड़े के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को कहां तक हासिल किया जा चुका है; और

(ग) वर्ष 1994–95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) किसी भी मिल को जनता कपड़ा तैयार करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है तथापि महाराष्ट्र में निम्न अभिकरण जनता कपड़ा तैयार कर रही है :–

1. महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम लि., नागपुर।
2. विधर्व बुनकर केन्द्रीय सहकारी समिति लि.।
3. पश्चिम महाराष्ट्र बुनकर केन्द्रीय सहकारी संघ लि., सोलापुर।

(ख) वर्ष 1993–94 के लिए महाराष्ट्र के लिए 28 मिलियन वर्ग मीटर के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 20.25 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया।

(ग) 24 मिलियन वर्ग मीटर।

[अनुवाद]

"गैट" के अंतर्गत भारत के निर्यात/आयात पर प्रभाव

506. डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गैट" के अनुच्छेद XVIII 12 (बी) के अंतर्गत आयात नियंत्रण व्यवस्था, परिमाण संबंधी प्रतिबंध, आयात लाइसेंसिंग तथा उपभोक्ता वस्तुओं संबंधी निषेधात्मक सूची के संबंध में भारत को उपलब्ध भुगतान संतुलन की सुविधा की विश्व व्यापार संगठन द्वारा समीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत के निर्यात/आयात व्यापार तथा उपभोक्ता वस्तु उत्पादक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख). भुगतान संतुलन प्रतिबंधों से संबंधित गैट समिति ने गैट के अनुच्छेद 18, 12 (ख) के अंतर्गत 15 नवम्बर, 1994 को भारत से साधारण परामर्श किया। समिति ने अगले वर्ष के उत्तरार्द्ध में पूर्ण परामर्श का निर्णय किया है। भुगतान संतुलन की सुविधा भारत को अभी भी उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कपड़े का उत्पादन

507. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों की तुलना में हमारे देश में कपड़े का कम उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) और (ख). हमारे देश और पश्चिमी देशों के बीच कपड़े के उत्पादन की तुलना नहीं की गई है क्योंकि पश्चिमी देशों के कपड़ा उत्पादन के आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) देश में कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे निम्नानुसार हैं :—

1. अवस्थापना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्यधीन क्षमता के सृजन तथा विस्तार पर लगे प्रतिबंध को हटाना।
2. शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों तथा ऐसे एककों के मामलों को छोड़कर जो कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले शहर से 25 कि.मी. के भीतर स्थापित हैं यदि यह 24.4.91 से पूर्व औद्योगिक क्षेत्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र में स्थित नहीं हैं, तो इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
3. जहां कहीं भी आवश्यक हो नीति संबंधी हस्तक्षेप करके उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. ओ जी एल के अन्तर्गत वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देना तथा ऐसी मशीनों के आयात पर शुल्क में कटौती करना।

मध्य प्रदेश में बीड़ी श्रमिक

508. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का इन श्रमिकों हेतु अलग से चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) मध्य प्रदेश में लगभग 6.00 लाख बीड़ी कर्मकार हैं।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश में केवल बीड़ी कर्मकारों के लिए 22 औषधालय (16 स्थिर-एवं-सचल, 1 सचल और 5 स्थिर) स्थापित किए गए हैं जिनका विवरण संलग्न है।

विवरण

जबलपुर क्षेत्र
मध्य प्रदेश

1. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, सिहोरा, जिला जबलपुर
2. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, जबलपुर, जिला जबलपुर
3. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, गढ़कोटा, जिला सागर
4. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, देवरी, जिला सागर
5. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, सागर, जिला सागर
6. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, दमोह, जिला दमोह
7. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, हट्टा, जिला-दमोह
8. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, नोहटा, जिला दमोह
9. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, ग्वालियर, जिला ग्वालियर
10. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, बेगमगंज, जिला रायसेन
11. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, भोपाल, जिला भोपाल
12. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, सनवाड, जिला खरगौन
13. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, रीवा, जिला रीवा
14. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, धमतारी, जिला रायपुर
15. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, राजनन्द गांव, जिला राजनन्द गांव
16. स्थिर-एवं-सचल औषधालय, जरौरा, जिला रतलाम
17. सचल औषधालय, सतना, जिला सतना
18. स्थिर औषधालय, इन्दौर, जिला इन्दौर
19. स्थिर औषधालय, कटंगी, जिला जबलपुर

20. स्थिर औषधालय, बारासियोनी, जिला बालाघाट
21. स्थिर औषधालय, गुना, जिला गुना
22. स्थिर औषधालय, बुरहानपुर, जिला खंडवा

परिधान निर्माण परिसर

509. श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री विजय एन. पाटील :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिधान निर्माण परिसर की स्थापना करने हेतु परिधान निर्माताओं को सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दी जाने वाली सहायता का स्वरूप, परिसर की स्थापना के लिए स्थान का चयन और इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तिरूअनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

510. श्री ए. चार्ल्स : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर हवाई पट्टी के विस्तार, राडार अधिष्ठापन, प्रिसीजन अप्रोच लाइटिंग केन्द्रीय वातानुकूलन और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के विस्तार कार्य को पूरा करने में कोई विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त कार्यों को पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा करने के लिए कोई अविलंबनीय कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). राडार लगाने में लगभग तीन माह का विलंब हो चुका है। राडार के भवन के निर्माण में विद्युत तथा सिविल काम के कुछ विशिष्ट प्राचल शामिल थे जो कि विभिन्न स्थितियों में यथार्थतापूर्वक राडार की आपूर्ति करने वाले की मशविरा से पूरे किए जाने थे। राडार लगाने का काम अगस्त, 1994 में पूरा हो चुका है।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रिसीजन अप्रोच लाइटिंग प्रणाली लगाने में विलम्ब हुआ है। इस मामले को केरल सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

धावनपथ का विस्तार करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के विस्तार के प्रस्ताव को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है। निविदाएं आमंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इस भवन में केन्द्रीय वातानुकूलन उपलब्ध करवाया जाएगा।

कोयर प्रसंस्करण उद्योग को उत्पाद शुल्क से छूट

511. श्री के. मुरलीधरन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार कोयर प्रसंस्करण उद्योग में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कोयर प्रसंस्करण मशीनरी पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सरकार को कोयर प्रसंस्करण मशीनरी पर उत्पाद शुल्क से छूट देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए, इस समय इस मामले में सरकार के विचारों की जानकारी देना संभव नहीं है।

एन.आई.एफ.टी.

512. श्री पी.सी. चाको : क्या **वस्त्र मंत्री** 26 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4523 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तिरूअनंतपुरम में एन.आई.एफ टी. की शाखा स्थापित करने के लिए निःशुल्क आवास और भूमि प्रदान करने के लिए केरल राज्य सरकार की सहमति प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है; और

(घ) इस शाखा को स्थापित करने के लिए निर्धारित तिथि क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). जी, हां। केरल सरकार ने तिरूअनन्तपुरम में राष्ट्रीय फैशन टेक्नालाजी संस्थान की शाखा की स्थापना करने के लिए आवश्यक भूमि और भवन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है। तथापि, केरल सरकार से लागत में सहभागिता करने के प्रति सहमति अभी प्राप्त होनी है। केरल में निफ्ट की शाखा की स्थापना करने के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

जनता कपड़े

513. श्री एन.जे. राठवा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष गुजरात को जनता कपड़े की सप्लाई मांग से कम थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गुजरात को मांग और उसे की गई सप्लाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गुजरात के जरूरतमंद लोगों को बेहतर किस्म के जनता कपड़े की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार को जनता कपड़े की आपूर्ति नहीं करती है लेकिन उत्पादन और राज्य में ही वितरण के लिए राज्य सरकार को जनता कपड़े का उत्पादन आबंटित किया जाता है। चूंकि भारत सरकार की नीति के अनुसार आठवीं योजना के अंत तक जनता कपड़ा योजना को समाप्त करना है इसलिए देश में समूचे लक्ष्य को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। तदनुसार अन्य राज्यों की भांति गुजरात राज्य के लिए भी लक्ष्य कम किया गया है।

(ख) गुजरात सरकार ने लक्ष्य में वृद्धि के लिए अनुरोध नहीं किया है वस्तुतः गुजरात में उत्पादन लक्ष्य के आबंटन से बहुत कम है। गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य और जनता कपड़े के उत्पादन का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन वर्ग मीटर में)	उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)
1991-92	13.00	7.61
1992-93	13.00	2.72
1993-94	7.50	3.92

(ग) भारत सरकार ने अच्छी किस्म के जनता कपड़े के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. मलरी, टसर, मूंगा, रेशम और फैन्सी तथा सजावट के कपड़ों को छोड़कर सभी प्रकार के फाइबर से तैयार किए गए वस्त्रों के उत्पादन की अनुमति दी गई है।
2. इस प्रकार उत्पादित कुल कपड़े का कम से कम 80 प्रतिशत सूती मदों के लिए प्रति इकाई मूल्य 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर और ऊनी मदों के लिए 34.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
3. ग्रे मदों के उत्पादन को कुल उत्पादन के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है।
4. रंगे हुए सूत से सभी धारीदार/चारखानों/डिजायन/एक रंग वाले कम से कम 50 प्रतिशत उत्पादन को अनिवार्य कर दिया गया है।

[अनुवाद]

महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों का निर्यात

514. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में अत्यंत लोकप्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन देशों को ऐसे वस्त्रों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) जी, हां। फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में महिलाओं के परिधान काफी लोकप्रिय हैं।

(ख) और (ग). महिलाओं के परिधानों सहित परिधानों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात-उत्पादन के लिए रियायती शुल्क/शून्य शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल की शुल्क-मुक्त आयात की विशेष व्यवस्थाएं, निर्यात-ऋण की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी का आगम

515. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने विदेशी पूंजी के बढ़ते हुए आगम को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विदेशी पूंजी के आगम को नियंत्रित करने का है;

(ग) यदि हां तो इस प्रकार की नीति कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). विदेशी पूंजी के बढ़ते हुए प्रवाह का प्रश्न विभिन्न मंचों पर उठाया जाता रहा है। इक्विटी, अर्थ ऋण और ऋण के रूप में विदेशी पूंजी से सम्बन्धित प्रवाह प्रत्येक के लिए विशिष्ट मार्ग निर्देशनों और विनिर्दिष्ट शर्तों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यूरो इश्यूओं सहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए इक्विटी प्रवाह को जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति विवरण द्वारा शासित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यूरो इश्यूओं के माध्यम से भारतीय निगमों द्वारा विदेशी पूंजी बाजारों में पूंजी के जुटाए जाने को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता होती है जिनकी आवधिक समीक्षा आवश्यक होती है। ऋण से सम्बन्धित प्रवाह उद्देश्यों, परिपक्वताओं सहित भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले मानदण्डों के आधार पर शासित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण की मात्रा निरन्तर वहनीय स्तरों पर रखी जाए। इन दिशा निर्देशों की समीक्षा भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित प्रवाहों और भण्डारों के अनुवीक्षण करने और मुद्रास्फीति से सम्बन्धित दबावों पर नियन्त्रण के विचार को ध्यान में रखते हुए स्वतः चालू और निरन्तर आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

तिरूपति विमानपत्तन

516. श्री डी. वैंकटेश्वर राव : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूपति विमानपत्तन के विस्तार से संबंधित कार्य अब तक पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस विमानपत्तन का नामकरण भगवान वेंकटेश्वर के नाम पर करने की मांग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 6.69 करोड़ रूपए की लागत पर बोइंग प्रचालनों के लिए 4500 फुट से 7500 फुट तक धावनपथ का विस्तार और सुदृढ़ीकरण का कार्य पहले से ही पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 125 अन्दर आने वाले और 125 बाहर जाने वाले यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 4 करोड़ रूपए की कुल लागत पर तिरूपति में मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार करने की भी योजना बनाई है। 16.70 करोड़ रूपए की लागत पर डॉप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्व परास और दूरी मापक उपस्कर को लगाने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। फरवरी, 1996 तक डॉप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्व परास और दूरी मापक उपस्कर लगाने की आशा है।

(ग) से (ङ). लार्ड वेंकटेश्वर के नाम पर तिरूपति हवाई अड्डे का पुनः नाम करने के लिए तिरूमला तिरूपति देवास्थानम से अनुरोध प्राप्त हुआ था।

मौजूदा नीति के अनुसार अन्तर्देशीय हवाई अड्डों का नाम उस शहर/नगर के नाम पर रखा जाता है जहां की वे आवश्यकता पूरी करते हैं। इस नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शेयर पूंजी

517. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 94 और 30 सितम्बर, 94 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल शेयर पूंजी कितनी है और इसमें सरकार की भागीदारी कितनी है और इसका बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उस चुकता पूंजी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जो 30 सितम्बर, 1994 में भी वही रही।

यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी अनुषंगी बैंकों में सरकार की कोई शेयर धारिता नहीं है लेकिन अनुबंध के क्रम सं. 1 और 19 के राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल शेयर पूंजी सरकार के पास है।

विवरण

31.3.94 और 30.9.94 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों/ भारतीय स्टेट बैंक और इसकी अनुषंगी बैंकों की चुकता पूंजी

क्र.सं.	बैंक का नाम	चुकता पूंजी (करोड़ रू. में)
1	2	3
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा	739.30
2.	केनरा बैंक	588.79
3.	कारपोरेशन बैंक	112.00
4.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	128.00
5.	पंजाब नेशनल बैंक (*)	788.84
6.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	338.00
7.	विजया बैंक	192.00
8.	इलाहाबाद बैंक	262.50
9.	बैंक ऑफ इंडिया	1104.00
10.	देना बैंक	277.00
11.	इंडियन बैंक	423.00
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1075.00
13.	सिंडिकेट बैंक	839.00
14.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	367.50
15.	आन्ध्रा बैंक	242.00
16.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	334.50
17.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	672.99
18.	यूको बैंक	1035.00
19.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	578.00
20.	भारतीय स्टेट बैंक	473.83
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	8.75
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	20.80
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	17.25
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	12.00
25.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्रा	9.50
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	20.00
27.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	24.75

(*) तुलन-पत्र को अन्तिम रूप दिए जाने तक आंकड़े अनन्तिम।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन

518. श्री बापू हरि चौरे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व व्यवस्था के अनुरूप रखने की अपनी नीति के अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में प्रमुख संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 29) द्वारा फेरा में प्रमुख परिवर्तन किए गए थे। तथापि, फेरा का फिलहाल व्यापक पुनरीक्षण किया जा रहा है और इसमें और आगे परिवर्तनों पर, यदि आवश्यक हुआ तो, विचार भी किया जा सकता है।

स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के नाम-निर्देशित निदेशक

519. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज बोर्डों के नाम-निर्देशित निदेशकों की भूमिका को उद्देश्यपूर्ण और कारगर बनाने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किए गए अथवा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार ने प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के शासी निकाय में नामिती निदेशकों के रूप में तीन व्यक्तियों को नामित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अधिकार देने के लिए हाल ही में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 10 को संशोधित किया है। यह परिकल्पना की गई है कि "सेबी-नामितियों" की प्रणाली "सेबी" को स्टॉक एक्सचेंजों के प्रबंध में भागीदारी करने तथा स्टॉक मार्किट को अधिक प्रभावी तरीके से विनियमित करने में सक्षम बनाएगी।

(ग) स्टॉक एक्सचेंजों के शासी बोर्डों को, "सेबी" द्वारा अप्रैल, 1993 में जारी किए गए आदेश के अनुसरण में, स्टॉक-ब्रोकर निदेशकों तथा बाहरी व्यक्तियों के 50 : 50 अनुपात के आधार पर पुनर्गठित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

गुजरात में कपड़ा मिलें

520. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आज तक गुजरात और देश के अन्य भागों में कितनी बन्द कपड़ा मिलों को पुनः चालू किया गया;

(ख) कितनी मिलें अभी भी बन्द पड़ी हैं तथा उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया;

(ग) इन बंद मिलों में कितने मूल्य की मशीनरी बेकार पड़ी है;

(घ) इन मिलों के बंद होने के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हुए हैं;

(ङ) इन श्रमिकों को कितनी अनुग्रह राशि दी जा रही है; और

(च) वर्ष 1995 के दौरान कितनी मिलों को पुनः चालू कर दिया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल बंद नहीं है। सरकार ने रूग्ण उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित किया है। 31-10-94 को बी आई एफ आर के पास 275 मिलें रूग्ण मिलों के रूप में पंजीकृत थीं। 31-10-94 तक बी आई एफ आर के प्रयासों से गुजरात की एक मिल तथा देश के अन्य भागों से आठ मिलों को पुनर्जीवित किया गया था।

(ग) इसको केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ). इन मिलों के अस्थायी तौर पर बन्द होने के कारण 1.77 लाख कामगार बेरोजगार हुए बताए गए हैं। वस्त्र मंत्रालय ऐसे कामगारों को कोई अनुग्रह पूर्वक राशि का भुगतान नहीं करता है।

(च) बी आई एफ आर के पास पंजीकृत रूग्ण वस्त्र मिलों के मामले प्रक्रिया के विभिन्न सौपानों में हैं। इसलिए उनका पुनरूद्धार बी आई एफ आर के निर्णयों पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

कालीकट विमानपत्तन विकास कोष

521. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन यात्रियों को कोई विशेषाधिकार/विशेष सुविधा दी जा रही है जिन्होंने कालीकट विमानपत्तन विकास कोष में निवेश/योगदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन अनिवासी भारतीयों को जिन्होंने कालीकट विमानपत्तन विकास कोष में योगदान दिया है उनकी राशि एवं उस पर ब्याज की अदायगी के लिए कोई वचन/आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (रा.वि.प्रा.) ने मालाबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट डवलपमेंट सोसायटी को एक विशेष विश्राम कक्ष के लिए अस्थायी रूप से स्थान उपलब्ध करवाया है। यह विश्राम कक्ष उन लोगों के प्रयोगार्थ है जिन्होंने कालीकट विमानपत्तन विकास निधि में एक निर्धारित सीमा से अधिक अंशदान दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

522. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शीघ्र पुनर्गठन के लिए कार्य दल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में रंगराजन समिति की रिपोर्ट को अब तक लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) जो उपक्रम बंद होने के कगार पर हैं उन्हें बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) (ख) और (ङ). सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की त्वरित संरचना के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में, सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल का गठन किया है जो समय-समय पर रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा करेगा और रूग्ण उद्यमों के संबंध में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड के समक्ष सरकार के दृष्टिकोण को निश्चित करेगा। सरकारी क्षेत्र के 50 रूग्ण उद्यमों को पहले ही औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को निर्दिष्ट किया जा चुका है। एक विशेष त्रिस्तरीय समिति भी सरकारी क्षेत्र में रूग्णता के सभी मामलों की जांच क्षेत्रीय स्तर की औद्योगिकी समिति के जरिए कर रही है ताकि सर्वसम्मति बनाई जा सके।

(ग) और (घ). संबद्ध रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। चूंकि रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों का स्वरूप दूरगामी नीति विषयक निहितार्थों से है, इसलिए विभिन्न मुद्दों की जांच की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम

523. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन उपक्रमों की रूग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन रूग्ण उपक्रमों को ओद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्णय आने तक पहले की तरह धनराशि उपलब्ध करायी जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार उसके पास सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एककों के 120 मामले पंजीकृत थे।

(ख) और (ग). बाइफर के पास पंजीकृत मामलों की जांच रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार की जाती है ताकि उनके पुनरूद्धार या विकल्प के तौर पर परिसमापन की संभाव्यता का पता लगाया जा सके। पुनरूद्धार की संभाव्यता का निर्धारण करने के लिए, जांच में अन्य बातों के साथ-साथ, रूग्णता के कारणों का अध्ययन शामिल होता है। इस प्रकार की जांच के आधार पर, 31 मार्च 1994 की स्थिति के अनुसार बाइफर ने पुनरूद्धार के लिए 23 मामलों को उपयुक्त और 21 मामलों को अनर्थक्षम पाया है। पुनरूद्धार के लिए उपयुक्त पाए गए 23 मामलों में से, 11 मामलों में योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, 7 मामलों में प्रारूप योजनाएं परिचालित की गई हैं और 5 मामलों में प्रारूप योजनाएं तैयार की जा रही हैं। 21 अनर्थक्षम मामलों में से, 3 मामलों में संबंधित उच्च न्यायालय से परिसमापन के लिए सिफारिश की गई है और 13 मामलों में इस आशय के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं कि क्यों न कम्पनी का परिसमापन कर दिया जाए।

(घ) और (ङ). जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को बाइफर के पास संदर्भित किया जाता है, तो बैंक आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करते हैं, और अलग-अलग मामलों के आधार पर परिचालनों को "जारी रखने" की अनुमति प्रदान करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि उन्हें इन कंपनियों की ऋण सुविधाएं अचानक नहीं रोकनी चाहिए, बल्कि परिचालनों को "जारी रखने" के संबंध में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

[हिन्दी]

रूग्ण उद्योगों का पुनः चालू किया जाना

524. श्री गुमान मल लोढ़ा :
श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और चालू वर्ष के दौरान अब तक औद्योगिक तथा वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रूग्ण औद्योगिक एककों के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) ऐसे मामलों पर औद्योगिक तथा वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और ऐसे कितने मामले अंतिम रूप से निपटा दिए गए हैं;

(ग) निपटान के लिए कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा रूग्ण औद्योगिक एककों की भारी संख्या को देखते हुए औद्योगिक तथा वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 1993 और 1994 (31 अक्तूबर, 1994 तक) के दौरान पंजीकृत, निपटाए गए और लम्बित रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों के मामलों की संख्या निम्न प्रकार थी :-

		1993	1994*
1.	पंजीकृत मामले	152	166
2.	उपर्युक्त 1 में से अन्तिम रूप से निपटाए गए मामले	84	21
3.	लम्बित मामले	68	145
4.	वर्ष के दौरान (जिनमें पहले के वर्षों में पंजीकृत मामले सम्मिलित हैं) निपटाए गए मामले	232	232

* 31 अक्तूबर, 1994 तक।

(घ) बाइफर में इस समय अध्यक्ष और आठ सदस्यों के पद मंजूर हैं और इस समय सभी पद भरे हुए हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्योग

525. **श्री तरित बरण तोपदार :**
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के सम्बद्ध उपबंधों के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे कितने उद्योगों के लिये प्रचालन एजेंसियों की नियुक्ति की गयी है और तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है; और

(ग) प्रचालन एजेंसियों ने ऐसे कितने उद्योगों को अर्थ-क्षम अथवा अर्थ-अक्षम पाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के (पीएसयू) 63 मामले इसके पास भेजे गए थे, जिसमें से 9 मामलों को पंजीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार उक्त तारीख को उनके पास पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 54 मामले थे।

(ख) यदि रूग्ण कम्पनी के लिये स्वयं अपनी निवल मालियत को अपनी संचित हानियों से अधिक बढ़ाना व्यवहार्य न हो और जनहित में एसआईसीए की धारा 18 में विनिर्दिष्ट अन्य उपायों को स्वीकार करना आवश्यक या समयोचित हो तो इस निर्णय के बाद रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 17(3) के अर्न्तगत बाइफर द्वारा एक परिचालन एजेंसी (ओए) नियुक्त की जाती है। 50 मामलों में बाइफर द्वारा परिचालन एजेंसियां नियुक्त की गई हैं जिनमें से 16 मामलों में परिचालन एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ग) परिचालन एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर बाइफर ने 8 मामलों को अर्धक्षम पाया है जिनमें से दो मामलों में पुनरूद्धार योजना की मंजूरी दी गई है, दो अन्य मामलों में प्रारूप पुनरूद्धार योजनाएं परिचालित की गई हैं और चार मामलों में प्रारूप पुनरूद्धार योजनाएं तैयार की जा रही हैं। बाइफर ने शेष 8 मामलों को अर्धक्षम नहीं पाया है।

[हिन्दी]

पटसन मिलें

526. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरानी पटसन मिलों की समस्याओं के बारे में कोई सर्वेक्षण/आंकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). पुरानी पटसन मिलों का कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथपि, सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ पटसन उद्योग की आधुनिकीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रु. की पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, पटसन अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए 100 करोड़ रु. की विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना, वाणिज्यिक आधार पर विविधीकृत पटसन उत्पादों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन देना, निर्यात बाजार सहायता तथा लाभकारी लागत जमा कीमत फार्मूले के आधार पर बी.ट्विल पटसन बोरों की खरीद शामिल है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

527. **श्री महेश कनोडिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1994 के "नवभारत टाइम्स" में "बीमार उद्योगों के लिए गठित संस्था खुद बीमार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। संभवतः माननीय सदस्य 17 अक्तूबर, 1994 को भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल महासंघ द्वारा आयोजित उस कार्यशाला के बारे में कह रहे हैं जहां भाग लेने वालों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) के कार्यकरण पर भी विचार व्यक्त किया था।

(ग) और (घ). रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के प्रावधानों के अंतर्गत बाइफर एक अर्द्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई थी। इसने मई, 1987 से पूर्णरूपेण कार्य करना आरंभ कर दिया था। रूग्ण और संभावित रूप से रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों का समय रहते पता लगाने, ऐसी कम्पनियों के संबंध में विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा निवारक, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपाय करने, जो ऐसी कम्पनियों के सन्दर्भ में किया जाना आवश्यक है और इस प्रकार निर्धारित उपायों को शीघ्रता से लागू कराने के उद्देश्य से बीआईएफआर की स्थापना की गई थी। बाइफर ने सूचित किया है कि 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार,

रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों के 1612 मामले इसके पास दर्ज कराये गये थे। इन मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1.	दर्ज किए गए मामले	1612
2.	न चलाए जाने योग्य मानकर रद्द कर दिए गए	339
3.	अनुमोदित/मंजूर पुनर्वास योजनाएं	463
4.	संबंधित उच्च न्यायालय को समापन के लिये सिफारिश किए गए	347
5.	एक बार निर्णय लिये जाने के बाद पुनः शुरू किये गये मामले	42
6.	अन्य	11
7.	कुल (2 से 6 तक)	1202
8.	लम्बित मामले	410

बाइफर ने आगे सूचित किया है कि मामलों के निपटान में लगने वाले समय में निश्चित रूप से कमी आ रही है। जबकि वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान दर्ज किये गये मामलों के निपटान में लगा औसत समय 730 दिन था, वर्ष 1990, 1991 और 1992 के लिये औसत समय 585 दिन था। वर्ष 1993 के लिये निपटाये जा चुके मामलों में लगा औसत समय 165 दिन था।

औद्योगिक रूग्णता का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने के लिये फरवरी, 1994 में एसआईसीए में और संशोधन किये गये थे। सरकार ने 1993 में डॉ. ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में औद्योगिक रूग्णता और निगमित पुनर्गठन से संबंधित एक समिति भी गठित की थी जिसने, अन्य बातों के साथ–साथ रूग्णता का शीघ्र पता लगाने की अनुमति देने और बाइफर को शीघ्रता से कार्रवाई करने वाली संस्था के रूप में पुनर्गठित करने के लिये एसआईसीए के संशोधन से संबंधित सिफारिशें की हैं।

भारतीय स्टेट बैंक का पुनर्गठन

528. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन पर क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंक के पुनर्गठन के लिए सुझाव देने के वास्ते किसी समिति का गठन नहीं किया था। अलबत्ता, इस प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक परामर्शी फर्म (अर्थात् मैकिन्सी एण्ड कं. इंक, न्यूयार्क) की सेवाएं प्राप्त की गई हैं।

(ख) उक्त फर्म ने अभी तक पुनर्गठन पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) और (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

फीचर फिल्मों पर उपकर

529. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फीचर फिल्मों पर उपकर में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) सिने कर्मकारों और उनके परिवारों के लिए कल्याण क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिए सिने कर्मकार कल्याण निधि के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए फीचर फिल्मों पर लगाए जाने वाले उपकर की दर को 13.10.94 से बढ़ा दिया गया है। फीचर फिल्मों पर लगने वाले उपकर की संशोधित दरें निम्नानुसार हैं :–

फीचर फिल्म	प्रति फिल्म पर उपकर की दर
हिन्दी फिल्में	10,000/– रू.
तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम फिल्में	5,000/– रु.
बंगाली, मराठी और गुजराती फिल्में	3,000/– रु.
उड़िया, असमिया और सभी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में	2,000/– रु.

एयर इंडिया के विमान का आपात स्थिति में नीचे उतारा जाना

530. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :
श्री तारा सिंह :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अक्तूबर माह के दौरान उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल को चीन ले जा रहे एयर इंडिया के विमान को दिल्ली से उड़ान भरने के बाद नीचे उतारना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). दिल्ली से बीजिंग को प्रचालन कर रहे एयर इंडिया बोइंग 747 विमान वीटी–ईएफयू को जिसमें भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति यात्रा कर रहे थे, दिनांक 21.10.1994 को वापस दिल्ली लौटना पड़ा क्योंकि इसका दाहिनी ओर का विंग लैंडिंग गियर दरवाजा लैंडिंग गियर रिट्रेक्शन बन्द नहीं हो सका। तथापि विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया था।

(ग) और (घ). नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दुर्घटना की जांच की गई थी। दुर्घटना का कारण दाहिनी ओर के अवचक्र वैकल्पिक विस्तारित प्रणाली के केबल नियंत्रण में खराब सामान का पाया जाना है। नागर विमानन महानिदेशालय ने उन 3 विमान अनुरक्षण इंजीनियरों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया है जिन्होंने विमानों के अनुरक्षण/तोड़ फोड़ विरोधी संबंधी जांच की थी।

(ङ) इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एयर इंडिया के बेड़े में बी–747 विमानों पर निम्नलिखित एक समय की जांच की गई है :–

(1) वैकल्पिक लैंडिंग गियर विस्तारण प्रणाली का बेड़ेवार निरीक्षण।

(2) लैंडिंग गियर विस्तारण प्रणाली के केबल की बेड़ेवार टेंशन चेक। केबलों की अवस्था के निरीक्षण और वैकल्पिक लैंडिंग गियर विस्तारण प्रणाली के टेंशन चैक के लिए निरीक्षण अनुसूची चैक "ए" (1200 घंटे) में एक मद को अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय के रूप में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली

531. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विचार ट्रेवल एजेंटों को अंतर्राष्ट्रीय कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली का प्रयोग करने में निपुण बनाने हेतु प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रशिक्षण कब तक दिया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). ट्रैवल एजेंसियों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण अगस्त, 1994 में आरम्भ हुआ था। अब तक 130 ट्रैवल एजेंसियों के कर्मचारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

जाली शेयर सर्टिफिकेट

532. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जाली शेयर सर्टिफिकेटों का परिचालन रोकने हेतु निगरानी तंत्र के मूल्यांकन और इसे प्रभावी बनाने के लिए कोई पद्धति विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). देश में जाली शेयर सर्टिफिकेटों के परिचालन की सीमा का पता लगाना संभव नहीं है। तथापि, सरकार और स्टॉक एक्सचेंजों जैसे अन्य संबंधित अभिकरण जाली शेयर सर्टिफिकेटों के परिचालन पर नियंत्रण रखने के लिए निरन्तर सावधानी बरत रहे हैं।

[अनुवाद]

शेयरों की जानकारी प्रकट करना

533. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने शेयरों के अधिक अधिग्रहण और अधिकार में लेने संबंधी विनियमों को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) जानकारी प्रकट करने पर निगरानी रखने संबंधी प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन विनियमों के विरोध में काफी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य शेयरों के अधिग्रहण में अपेक्षाकृत अधिक सुस्पष्टता लाना और निवेशकों के संरक्षण की दृष्टि से प्रकटन प्रणाली के माध्यम से कंपनियों को अपने हाथ में लेना है।

(ग) किसी कम्पनी में शेयरों के कुछ न्यूनतम प्रतिशत को प्राप्त करने पर किसी अर्जक द्वारा समय–समय पर अपेक्षित उसके प्रकटन को भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मॉनीटर किया जाएगा। ये विनिमय "सेबी" को किसी निवेशक से प्राप्त शिकायतों की जांच करने अथवा विनियमों का किसी प्रकार उल्लंघन होने पर अपनी ओर से निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर अपवंचन के मामले

534. **श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री काशीराम राणा :
श्री ब्रह्मानंद मंडल :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री पंकज चौधरी :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए राज्य-वार कितने आयकर छापे मारे गए;

(ख) इन छापों के दौरान पाए गये/बरामद हुए आपत्तिजनक दस्तावेजों, लेखों, सोना, चांदी और अन्य बेनामी लेखों का **ब्यौरा क्या** है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, तथा कितने दोषी पाए गये; और

(घ) सरकार कर अपवंचन की घटनाएं रोकने के लिए क्या निवारक कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान तलाशी लिए गए मामलों में अभी तक कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है।

(घ) कर अपवंचन की रोकथाम किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निरन्तर चलने वाली अन्तर्निहित प्रक्रिया है। काले धन को कम करने के लिए सरकार समय-समय पर उचित समझे गए आवश्यक कानूनी, वित्तीय तथा प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक उपबंध विद्यमान हैं जिनका उद्देश्य काले धन को बढ़ने को रोकना है। इन उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44 ए ए तथा 44 ए बी के अन्तर्गत उचित मामलों में लेखों का अनिवार्य रख-रखाव तथा उनकी लेखा-परीक्षा, धारा 40 ए(3), 269 एस एस तथा 269 टी के अन्तर्गत नकद लेन देनों पर प्रतिबंध, अध्याय xx-ग के अन्तर्गत सम्पत्तियों का पूर्व क्रय-अधिकार, कर चूक कर्ताओं को दंड देने के लिए अर्थदंड तथा अभियोजनों से संबंधित उपबंध शामिल हैं। अधिनियम में कर अपवंचन का पता लगाने के लिए सम्मन सर्वेक्षण, तलाशी तथा अन्य जांच संबंधी उपबंध भी निहित हैं। इन उपबंधों का कर अपवंचन के उचित मामलों में सहारा लिया जाता है।

विवरण

सितम्बर, 1994 से नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान ली गई तलाशियों से संबंधित सूचना।

राज्य	ली गई तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत परिसम्पत्तियों का मूल्य (रू. लाखों में)			
		नकदी	जब्त जेवरात	अन्य	योग
आन्ध्र प्रदेश	92	121.50	123.27	1016.86	1261.63
असम (उ.पू.क्षे.)	–	–	–	–	–
बिहार	20	67.14	–	101.62	168.76
दिल्ली	105	64.60	13.06	34.56	112.22
गोवा	–	–	–	–	–
गुजरात	157	171.60	260.73	829.59	1261.92
हरियाणा	37	44.60	–	34.05	78.65
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
जम्मू तथा कश्मीर	–	–	–	–	–
कर्नाटक	54	74.81	13.34	344.40	432.55
केरल	16	16.38	24.34	156.68	197.40
मध्य प्रदेश	7	38.97	6.18	152.42	197.57
महाराष्ट्र	382	455.97	376.46	2111.28	2943.71
उड़ीसा	4	0.21	–	6.38	6.59
पांडिचेरी	–	–	–	–	–
पंजाब	79	69.35	149.85	233.93	453.13
राजस्थान	64	55.19	85.70	317.90	458.79
तमिलनाडु	69	134.23	203.12	135.85	473.20
उत्तर प्रदेश	64	105.34	45.90	314.82	466.06
पश्चिम बंगाल	135	207.97	306.29	1013.40	1527.66
	1285	1627.86	1608.24	6803.74	10039.84

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में महिला सहकारी बैंक

535. **श्री राम बदन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने महिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसे और बैंक खोलने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय

536. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहायक श्रमायुक्त के कार्यालयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के संबंध में कतिपय मार्गनिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय को दक्षिण के किसी राज्य में स्थानांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). कोलार गोल्ड फील्ड के सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय को हुबली, कर्नाटक में शिफ्ट किए जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत

537. **श्री नारायण सिंह चौधरी** :

श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी परिसंघ ने सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की अगली किस्त देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की दूसरी किस्त देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष की ओर से अंतरिम राहत की एक और किस्त की मांग की गयी है। विभिन्न कर्मचारी एसोशिएशनों की ओर से भी इसी प्रकार की मांगें प्राप्त हुई हैं। 26.11.1994 को हुई परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में इस मांग पर विचार विमर्श किया गया था। दोनों पक्षों की इस बात पर आपसी सहमति हुई थी कि अगर आयोग यह महसूस करता है कि उसके लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट उसकी नियुक्ति की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 8 अक्तूबर, 1995 तक प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है तो सरकार से कहा जाएगा कि वह वेतन आयोग से इस मांग की जांच करने तथा इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करे।

[अनुवाद]

आप्रेशन प्लेग

538. **श्री राम विलास पासवान** :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निःशुल्क अंतर्राष्ट्रीय टिकटों की पेशकश की थी, ताकि वे यहां स्वयं आकर देख सकें कि भारत पर्यटन के लिए सुरक्षित "प्लेग मुक्त" देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पेशकश का लाभ कितने विदेशी तथा कितने देशी लोगों ने उठाया और इस कारण एयरलाइन्स का कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या एयर इंडिया ने निःशुल्क टिकटों की पेशकश करने से पूर्व इस संदेश को प्रचारित करने के लिए कि भारत प्लेग मुक्त हो गया है, अपने विदेशी संसाधनों को भी जुटाया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). एयर इंडिया ने पर्यटन विभाग को 500 टिकट दिए थे जिससे वे प्रचार कार्मिकों, परामर्शदाता और बड़े यात्रा अभिकर्त्ताओं को स्वयं यह देखने के लिए भारत को यात्रा करने के लिए आमंत्रित कर सकें कि अधिकांश पर्यटन गंतव्य स्थान प्लेग की बीमारी से अछूते हैं। अभी तक 282 प्रचार कार्मिकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है ऐसे टिकटों को जारी करने से राजस्व को कोई हानि नहीं हुई।

(ग) और (घ). एयर इंडिया ने भी विदेशों में 100 कार्यालयों को इन कार्यों के लिए जुटाया :—

(1) ट्रैवल एजेंटों, यात्रा अभिकर्त्ताओं, बिजनेस हाऊस, और बिजनेस के अन्य प्रमुख संसाधनों को सीधे डाक से अवगत करवाया।

(2) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यतः यह मुख्य घोषणा थी कि भारत प्लेग मुक्त है।

(3) स्थानीय भारतीय मिशनों के साथ समन्वय स्थापित कर उनके अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके प्रतिपक्ष देशों के विदेशी यात्रियों के साथ यह सुनिश्चित किया कि भारत प्लेग मुक्त है यह सूचना उपयुक्त स्रोतों तक पहुंच गई है।

(4) स्थानीय समाचार पत्रों और प्रचारकों के साथ सम्पर्क किया तथा भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के साथ संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए सभाएं आयोजित की कि भारत में प्रचलित बीमारी का प्रतिकूल प्रचार प्रभावी रूप से विरोधी था।

फिल्मी सितारों पर आयकर की बकाया राशि

539. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री हाराधन राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के अंत में किन-किन फिल्मी सितारों पर दस लाख रूपये से अधिक की आयकर राशि बकाया थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनसे आयकर की कुल कितनी राशि वसूल की जानी थी; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 31.3.92, 31.3.93 और 31.3.94 की स्थिति के अनुसार उन फिल्मी सितारों के नाम, जिनकी तरफ 10 लाख रू. से अधिक की आयकर मांग बकाया थी, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बकाया धनराशि भी उनके नामों के सामने दर्शाई गई है।

(ग) अनेक मामलों में मांगें अपीलों के रूप में विवादग्रस्त होती हैं और इन अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है। कानून के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार बकाया करों की वसूली के लिए प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं। इन उपायों में ब्याज और दण्ड लगाना, चल तथा अचल संपत्तियों की कुर्की तथा इसके बाद संपत्ति आदि की बिक्री जैसे कुछ बाध्यकारी उपाय शामिल हैं। उपयुक्त मामलों में अभियोजन भी चलाया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	फिल्मी सितारे का नाम	निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार 10 लाख रू. और उससे अधिक आयकर की बकाया मांग		
		31-3-92	31-3-93	31-3-94
1	2	3	4	5
				(रू. लाखों में)
1.	स्व. श्री अमजद खान	13.09	48.99	34.40
2.	श्री राजेश खन्ना	38.67	102.00	100.60
3.	हेमा मालिनी	19.45	15.67	–
4.	राज बब्बर	19.70	17.95	–
5.	एस.के. शर्मा	12.26	–	–
6.	शत्रुघ्न सिन्हा	13.08	–	–
7.	गोविन्द आहुजा	18.04	29.22	–
8.	टीना अम्बानी	–	12.32	–
9.	जी. माधवी	–	14.79	18.75
10.	डिम्पल खन्ना	–	16.63	1.86
11.	रणवीर राज कपूर	–	12.72	–
12.	नसरूद्दीन शाह	–	12.27	–
13.	स्वर्गीय किशोर कुमार	–	–	45.52
14.	विजय आनन्द	–	–	13.87
15.	स्वर्गीय श्री प्रेम नज़ीर	10.79	10.79	10.35
16.	के. चिरंजीवी	26.67	12.88	37.21
17.	सुश्री स्मिता	15.24	14.24	13.44
18.	श्री अर्जुन	–	10.45	–
19.	मालाश्री	–	–	17.29
20.	आर. जयप्रदा	177.88	222.31	223.38
21.	ए. श्रीदेवी	88.89	52.16	52.33
22.	एस. कमल हासन	18.93	20.55	12.60
23.	सुहासिनी मणिरत्नम	28.35	19.30	
24.	पी. सौन्दर्या	13.34	14.92	
25.	आर. रजनीकान्त	15.08	12.56	3.78
26.	जी.एस.आर. कृष्णमूर्ति	19.88	15.09	–
27.	कुमारी एस. राधा	13.03	5.18	6.95
28.	के.एस. दत्तात्रेय	289.96	289.20	142.74
29.	एस. अम्बिका	16.32	5.57	5.21
30.	अमिताभ बच्चन	–	327.69	320.32
31.	ए. नागेश्वर राव	–	15.23	15.23
32.	ए. विजकान्त	–	13.21	15.16

[हिन्दी]

निष्क्रिय बैंक खाते

540. श्री लालू बाबू राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के उन विभिन्न निष्क्रिय खातों में कुल कितनी धनराशि पड़ी हुई है जिनसे खाता धारकों के पता न लग पाने या उनकी मृत्यु हो जाने के कारण तीन से दस वर्षों से अधिक अवधि में लेन-देन नहीं हो सका है;

(ख) संबंधित खाता धारकों की मुख्य श्रेणियां क्या हैं; और

(ग) ऐसे खाता धारकों के मामले कम करने तथा वास्तविक खाता धारकों या उनके उत्तराधिकारियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न निष्क्रिय खातों में 1,07,17,66,216.03 रूपए की धनराशि पड़ी हुई थी।

(ख) इन खातों में पड़ी हुई राशियां व्यक्तियों, कारबारियों, व्यवसायिकों, गृहिणियों आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों से संबंधित है।

(ग) बैंक ऐसे मामलों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाते हैं :—

(एक) दावों को निपटाने के लिए अद्यतन उपलब्ध पतों पर जमाकर्त्ताओं/उत्तरजीवियों के पास सूचना भेजी जाती है।

(दो) खातों में नामांकन के लिए और संयुक्त खाते खोलने की पद्धति का पहले से ही प्रावधान है।

[अनुवाद]

नौकरियों पर नई आर्थिक नीति का प्रभाव

541. **श्री चित्त बसु :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई आर्थिक नीति के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक सुधारों के कारण नौकरी के अवसरों की सम्भावित कमी के संबंध में हाल ही में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). जी, हां। भारत : तकनीकी सहायता सेवाओं के अंतर्गत यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत तैयार की गयी रोजगार, निर्धनता और आर्थिक नीतिया, शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में टिप्पणी की गयी है :—

"स्थायीकरण के उपायों से औद्योगिक मंदी आयी है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1980 के दशक में शुरू की गयी रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन प्रक्रिया पर स्थायीकरण के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 1991 से अल्प—रोजगार और निर्धनता दोनों के स्तर में वृद्धि हुई है, यद्यपि अनुभव के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।"

सरकार को अल्प अवधि के आर्थिक सुधारों के संभव प्रतिकूल प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी है, और इसलिए, सुधारों की सामाजिक लागत को न्यूनतम करने के लिए एक नीति बनायी गयी है। रोजगार वृद्धि, जो 1991—92 के दौरान लगभग एक प्रतिशत आंकी गयी थी, मुख्यतः कुल घरेलू उत्पाद की विकास दर के कम होने के कारण दो वर्षों—1992—94 के दौरान बढ़कर औसतन लगभग दो प्रतिशत हो गयी है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन की प्रक्रिया पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडा है। इसके स्थान पर आठवीं योजना में ऐसे कार्यक्रमों पर और अधिक जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजनागत परिव्यय, जो 1992—93 के दौरान 2436.20 करोड़ रूपए था, को 1993—94 के दौरान बढ़ाकर 4560 करोड़ रूपए तथा 1994—95 के दौरान और वृद्धि करके 5730 करोड़ रूपए कर दिया गया है।

पूंजी की उपलब्धता

542. **श्री मंजय लाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1994 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में विकासशील देशों में पूंजी की उपलब्धता संबंधी प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में सिंचाई एवं विद्युत क्षेत्रों में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निजी पूंजी के निवेश को आकृष्ट करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा—पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी ऋणों की अदायगी

543. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री नीतीश कुमार :
डा. पी. वल्लल पेरूमान :
श्री जगमीत सिंह बराड़ :
डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ऋणों को अदा की जाने वाली राशि और इन ऋणों पर देय ब्याज की राशि में गत कुछ वर्षों से निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार को विदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कितना ऋण प्राप्त हुआ और सरकार ने विदेशों को कितना ऋण दिया; और

(ङ) विदेशों से प्राप्त ऋण का सदुपयोग करने तथा निरर्थक सार्वजनिक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). देश द्वारा की गई ऋण की कुल अदायगियां अर्थात मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान 1991–92 में 8.22 बिलियन अमरीकी डालर, 1992–93 के दौरान 8.16 बिलियन अमरीकी डालर और 1993–94 के दौरान 8.14 बिलियन अमरीकी डालर थीं।

(घ) विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों (सरकारी और गैर–सरकारी खातों पर) से प्राप्त कुल विदेशी ऋणों और अनुदानों की राशि 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान क्रमशः 11615 करोड़ रूपए, 10982 करोड़ रूपए और 11781 करोड़ रूपए थी।

भारत सरकार द्वारा अन्य विदेशी देशों को दिए गए ऋणों की राशि 1991–92 में 9 करोड़ रूपए और 1993–94 में 109 करोड़ रूपए (लगभग) थी।

(ङ) सरकार ने विदेशी सहायता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे कि सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारों को ए.सी.ए. के रूप में 100 प्रतिशत को जारी करना, राज्य सरकारों को अग्रिम ए.सी.ए. के रूप में वार्षिक व्यय का 25 प्रतिशत जारी करना, बजटीय प्रक्रियाओं में होने वाली देरी पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता की प्राप्ति में मध्यस्थों को हटाना, जहां कहीं आवश्यक हो, परियोजनाओं को रद्द करना और उनका पुनर्गठन करना, परियोजनाओं का गहन अनुवीक्षण और वित्त मंत्रालय में एक परियोजना अनुवीक्षण यूनिट की स्थापना करने के साथ–साथ 'नोडल' अधिकारियों की नियुक्ति करना। सरकार ने राजस्व प्राप्तियों में सुधार लाने, निर्यातों में तेजी लाने के लिए अनावश्यक और कम प्राथमिकता वाले खर्चों को समाप्त करने, अदृश्य आयों में वृद्धि करने, कारगर आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने, विदेशी निधियों के ऋण –भिन्न अन्तः प्रवाह के सृजन में वृद्धि करने और व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार ली गई निधियों पर निर्भरता को घटाने के लिए भी अनेक उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा घाघरों और वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध

544. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :**
श्री राम कापसे :
श्री रमेश चेन्नित्तला :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
डा. वसंत पवार :
श्री श्रीकांत जेना :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय घाघरों को अमरीका में कोटा प्रणाली से छूट के लिए अमरीकी प्राधिकारियों के साथ किसी द्विपक्षीय वस्त्र/परिधान निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी प्राधिकारियों ने भारतीय घाघरों और अन्य परिधानों के आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप देश को अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई;

(च) क्या सरकार ने प्रतिबंध हटवाने संबंधी मामले पर अमरीकी प्राधिकारियों के साथ बातचीत की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निर्यातकों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ज). अमरीका को भारत से वस्त्र के निर्यात भारत अमरीकी द्विपक्षीय वस्त्र करार द्वारा विनियमित होते हैं। करार के अनुसार स्कर्ट कोटा मद है तथा यह 342/642 के अंतर्गत आती हैं जबकि 'घाघरों' को 'भारतीय मदों' के रूप में माना जाता है तथा इन्हें कोटा प्रतिबन्धों से छूट है।

संयुक्त राज्य अमरीका उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग (सी.पी. एस.सी.) ने 12 अगस्त, 1994 को भारत में विनिर्मित शियर रेयन शिफान स्कर्टों की बिक्री को इस आधार पर रोकने तथा उन्हें वापिस लेने की घोषणा की थी कि वे अति ज्वलनशील हैं। गेज लाइनिंग वाली शियर रेयन शिफान स्कर्टें जो कि सबका ध्यान आकर्षित करती थी। भारत से स्कर्टों के कुल निर्यात का बहुत कम प्रतिशत है। सरकार ने अमरीकी प्राधिकारियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए अगस्त, 1994 के अन्तिम सप्ताह में एक विशेषज्ञ दल को अमरीका भेजा था।

शियर रेयन शिफान स्कर्टों के लिए ज्वलनशीलता परीक्षण तथा प्रमाणीकरण शुरू किया गया है तथा अब इस प्रकार की सभी स्कर्टों को अधिसूचित प्रयोगशालाओं में परीक्षित करने तथा अमरीकी ज्वलनशीलता मानकों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने के बाद ही अमरीका को निर्यात किया जाता है। ज्वलनशीलता के मुददे को पारस्परिक रूप से संतोषजनक ढंग से हल कर लिया गया है।

अभ्रक व्यापार निगम का धातु एवं खनिज व्यापार निगम में विलय

545. **श्री हरिन पाठक :**
डा. कृपासिंधु भोई :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय अभ्रक व्यापार निगम का भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम लिमिटेड में विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). मिटको का एम.एम.टी.सी.लि. में विलय करने से संबंधित एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दुबई व्यापार मेला

546. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय कंपनियों ने सितंबर, 1994 के दौरान दुबई में भारतीय उत्पादों के एक विशिष्ट व्यापार मेले में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यापार मेले में कितने सेमिनारों और वर्कशापों का आयोजन किया गया और उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मेले में भाग लेने का भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख). समूचे भारत से विभिन्न किस्म के कृषिजन्य, उपभोक्ता तथा इलैक्ट्रानिक/इंजीनियरी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 140 कंपनियों ने सितंबर, 1994 में इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन (इटपो) द्वारा आयोजित 'इण्डिया इन दुबई 94' मेले में भाग लिया।

(ग) इस मेले में सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित नहीं की गई।

(घ) इस आयोजन के फलस्वरूप, भारतीय निर्यात न केवल दुबई में बढ़ेंगे बल्कि कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन तथा मिस्र जैसे देशों को भी निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है। इसमें 51.80 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हाजिर आदेश प्राप्त हुए और पर्याप्त पूछताछ की गई।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विमान चालकों को प्रशिक्षण

547. श्री बारे लाल जाटव :
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान चालकों के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने ऐसे उम्मीदवारों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ) जो नागर विमानन विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, प्रत्येक कामर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कुल तीन उम्मीदवारों तक को निःशुल्क प्रशिक्षण का अवसर देती है।

(ख) इग्नुआ द्वारा जिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया । उनकी संख्या नीचे दी गई है :–

1991–92	1 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति (कुल 2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों ने कोर्स में प्रवेश लिया।)
1992–93	कोई कोर्स संचालित नहीं किया गया।
1993–94	3 अनुसूचित जाति

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय में प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष 40 छात्रवृत्तियां देने की एक योजना है। कामर्शियल पायलट लाइसेंस को पूरा करने तक फ्री फ्लाइंग प्रशिक्षण के लिए समाज कल्याण मंत्रालय भी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मांध्यम से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कुल 15 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

नेशनल क्लीयरिंग सेल, मुम्बई

548. श्री राम कापसे :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री पी. कुमारासामी :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** 26 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 4498 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने नरीमन प्वाईंट, मुम्बई में नेशनल क्लीयरिंग सेल से मुम्बई में विभिन्न बैंकों के नाम जारी किये गये कुछ चैकों की विभिन्न तारीखों को चोरी छिपे मिटाने से संबंधित कथित धोखाधड़ी की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों तथा उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) अब तक धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त राशि 13.24 लाख रूपए है।

(घ) प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर बैंक के बंबई स्थित राष्ट्रीय समाशोधन केन्द्र के तीन मशीन परिचालकों, जिनका धोखाधड़ी में हाथ होने का संदेह है, को निलंबित कर दिया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास एफ आई आर दर्ज करायी गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमों के अंतर्गत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई है।

(ङ) बैंक ने समाशोधन गृहों का प्रबंध करने वाली अपनी सभी शाखाओं की धोखाधड़ी में अपनाये गये तौर–तरीकों के बारे में और ऐसे धोखाधड़ियों को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने के लिये सतर्क किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय समाशोधन केन्द्रों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बैंकों पर निर्धारित प्रक्रियाओं और प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिये जोर डालें।

बैंकों में कदाचार

549. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुछ कर्मचारी कदाचारों में लिप्त पाए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) उपरोक्त घपलेबाजी में लिप्त पाए जाने के कारण कितने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना प्रणाली के अंतर्गत, केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ियों/कदाचारों के ब्यौरे से संबंधित सूचना अलग से प्राप्त नहीं होती । वर्ष 1992 और 1993 के दौरान घटित हुई धोखाधड़ियों की कुल संख्या, उनमें अंतर्ग्रस्त राशियां और धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त होने के कारण हटाए/बर्खास्त/ सेवामुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :–

वर्ष	1992	1993
धोखाधड़ियों की संख्या	1717	2213
अंतर्ग्रस्त राशि	14449.10	32032.43
(लाख रूपए में)	+ 1500 फिजियन डालर	
बर्खास्त/सेवामुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या (आंकड़े अनन्तिम)	283	312

[अनुवाद]

गैट संधि के बाद निर्यात में वृद्धि

550. **श्री अजय मुखोपाध्याय** :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :
श्री सुधीर गिरि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैट के बाद से भारतीय निर्यात में वृद्धि हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि किन-किन क्षेत्रों में होगी;

(ग) इस मूल्यांकन का आधार क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों के लिए वर्ष–वार आधार पर कोई ठोस लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या निर्यात हेतु 300 करोड़ रू. की राजसहायता प्रदान करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). गैट सचिवालय द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार उरूग्वे दौर के परिणामस्वरूप व्यापार में सर्वाधिक वृद्धि कपड़ों, कृषि, वन एवं मत्स्य उत्पादों तथा संसाधित खाद्यों एवं पेय पदार्थों के क्षेत्रों में होगी। चूंकि हमारी मौजूदा तथा संभावित नियति प्रतियोगिता मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर निर्भर करती है, इसलिए भारत को इन क्षेत्रों में उरूग्वे दौर करार के समग्र लाभों में अपना यथोचित अंश(शेयर) मिलना चाहिए।

(घ) और (ङ). आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992–97 में मात्रा के रूप में 13.6 प्रतिशत की वार्षिक निर्यात वृद्धि की परिकल्पना की गई है, जिसमें योजना के टर्मिनल वर्ष में 1991–92 की कीमतों पर लगभग 33.5 बिलियन अमरीकी डालरों के कुल निर्यात अनुमान है।

(च) और (छ). चालू वर्ष में बजट अनुमानों में निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए 300 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है।

रबर का निर्यात/आयात

551. **श्री रमेश चेन्निथला** :
श्री पी.सी. थामस :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय प्राकृतिक रबर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू कीमत से अधिक है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या देश में रबर की मांग और सप्लाई के बीच कोई अंतर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या प्राकृतिक रबर का निर्यात कम हो रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने प्राकृतिक रबर का निर्यात और आयात हुआ;

(ज) उक्त अवधि के दौरान निर्यात और आयात में क्रमशः कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और व्यय की गई; और

(झ) रबर के आयात को रोकने, रबर उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :(क) से (झ). अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबर की कीमत अब घरेलू कीमत से अधिक है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

	कोट्टायम बाजार कीमत (रू. प्रति क्विंटल)	कुवाला लम्पुर बाजार कीमत (रू प्रति क्विंटल)
दिनांक 30.11.94 को	3500	4202

वर्ष 1994–95 के दौरान उत्पादन और खपत का अनुमान क्रमशः 475,000 मी. टन और 485,000 मी.टन है। इस प्रकार मांग और पूर्ति में 10,000 मी.टन का अन्तर है। किन्तु दिनांक 1.4.1994 की स्थिति के अनुसार, पिछले वर्ष से आगे लाया गया स्टाक 77,000 मी.टन का था।

प्राकृतिक रबर के निर्यात में गिरावट रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी निर्यातित तथा आयातित मात्रा नीचे दर्शाई जा रही है

वर्ष	निर्यात	आयात (मी.टन में)
1991–92	5834	शून्य
1992–93	5999	शून्य
1993–94	186	4131

निर्यात से अर्जित और आयात पर व्यय की गई कुल विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :–

वर्ष	निर्यात	आयात (करोड़ रू. में)	
		विनिर्माताओं द्वारा सीधे ही	निर्यात/प्रोत्साहन योजना/ अग्रिम लाइसेंस के तहत
1991–92	9.27	शून्य	28.42
1992–93	10.60	शून्य	43.01
1993–94	0.47	10.71	49.85

रबर का आयात कम करने, रबर उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने और उसका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) रबर बागान विकास योजना के तहत नए रोपण और पुनर्रोपण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करना।

(2) रबर उपजकर्ताओं के लिए उच्च्य पैदावार वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण ।

(3) परम्परागत क्षेत्रों में 2 हैक्टेयर और गैर–परम्परागत क्षेत्रों में 5 हैक्टेयर तक भूमि के लिए सात वार्षिक किश्तों में प्रति हैक्टेयर 8000 रू. के हिसाब से रोपण अनुदान देना।

(4) पौसीबैगों वाले पौधों के प्रयोग हेतु 3000 रू. प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अतिरिक्त प्रोत्साहन देना।

(5) परम्परागत तथा गैर–परम्परागत क्षेत्रों में नए रोपण का विस्तार और पुनर्रोपण कार्य करना।

(6) रबर के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

केलेंडर वर्ष

552. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल.के. झा समिति ने केन्द्र सरकार से केलेंडर वर्ष को वित्तीय वर्ष बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सिफारिश को स्वीकार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). एल.के. झा समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से परामर्श करके विस्तार से विचार किया गया था। चार राज्य सरकारों को छोड़कर सभी राज्य सरकारें इसमें किसी तरह के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थीं। इन चार राज्य सरकारों में भी अपनाए जाने वाले वैकल्पिक वित्तीय वर्ष के बारे में कोई मतैक्य नहीं था। यह देखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आज के हालातों में बजट कई बातों से प्रभावित होता है, जो दक्षिण–पश्चिमी मानसून (जिसे समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में परिवर्तन लाने का सुझाव देने का एक मुख्य कारण बताया गया है) की प्रवृति, सांख्यिकीय श्रृंखलाओं में एकरूपता बनाए रखने की कठिनाइयों, कर कानूनों में संशोधनों की आवश्यकता, किए गए परिवर्तनों को उपयुक्त रूप में पंचवर्षीय योजनाओं से आबद्ध करने की समस्याओं और वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर नहीं करती हैं, यह निर्णय लिया गया था कि मौजूदा वित्तीय वर्ष को बदलने की जरूरत नहीं है।

इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर, 1.4.86 को लोक सभा में भी रखा गया था।

फलों और सब्जियों का निर्यात

553. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष फलों एवं सब्जियो का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) देश में इनके निर्यात हेतु किन–किन स्थानों पर ढुलाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान निर्यात किए गए फल और सब्जियों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नलिखित है :–

मात्रा : 000 एम.टी. में
मूल्य करोड़ रूपए में

1991–92		1992–93		1993–94	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
493.20	180.21	512.99	293.98	461.89	397.27

(स्रोत: डी.जी.सी.आई.एण्ड.एस., कलकत्ता)

(ख) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, श्रीनगर और कोचीन में एयर कार्गो कांप्लेक्स, स्थापित किए जा चुके हैं जहां पर अन्य बातों के साथ–साथ इन वस्तुओं के निर्यात से संबंधित सुविधा उपलब्ध है।

अमरीका के साथ व्यापार संबंध

555. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री चित्त बसु :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और अमरीका परस्पर वाणिज्यिक संबंधों को व्यापक बनाने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्डर सैक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्टरनेशनल ट्रेड की यात्रा के बाद भारत–अमरीका संबंधों में किस सीमा तक सुधार हुआ है;

(घ) गत एक वर्ष से कितने अमरीकी व्यापारी भारत आए और भारत में पूंजी निवेश करने पर सहमत हुए; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). प्रधानमंत्री की मई, 1994 में अमरीका यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि अर्थव्यवस्था और वाणिज्य संबंधी उप–आयोग की बैठक की शुरूआत करके भारत–अमरीका संयुक्त आयोग को पुनर्जीवित किया जाए। इसके उपरान्त अमरीका सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियो और व्यापारियों ने भारत का दौरा किया। जनवरी, 1995 में एक बड़े वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडल के साथ अमरीका के वाणिज्य सचिव की यात्रा करने की तैयारी के लिए नवम्बर, 1994 में अमरीकी वाणिज्य विभाग के अवर सचिव श्री जैफरी गॉटन ने भारत की यात्रा की।

(घ) और (ङ). भारत के राजदूतावास वाशिंगटन डी.सी. और न्यूयार्क शिकागो तथा सैन फ्रांसिस्को स्थित भारत के कान्सुलेटस जनरल द्वारा चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक 11000 से अधिक पारपत्र (वीसा) जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा यू.एस.ए. के लिए 1–1–94 से 30–9–94 तक अनुमोदित विदेशी सहयोग के मामलों की संख्या 363 है जिनमें 1430.29 करोड़ की पूंजी अन्तर्ग्रस्त है।

[हिन्दी]

एयर टैक्सी आपरेटरों को एयरलाइन्स का दर्जा

556. श्री केशरी लाल :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एक एयर टैक्सी आपरेटर (ए.टी.ओ) को एयरलाइन्स का दर्जा देने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनेक एयर टैक्सी आपरेटरों को एयरलाइन्स का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन एयर टैक्सी आपरेटरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन एयर टैक्सी आपरेटरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक एयरलाइन्स का दर्जा नहीं दिया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) एयर टैक्सी आपरेटरों को क्या–क्या सुविधाएं/लाभ प्राप्त हैं और उन्हें एयरलाइन्स का दर्जा मिलने पर किन–किन दायित्वों का निर्वहन करना होता है;

(च) क्या इन एयर टैक्सी आपरोटरों को एयरलाइन्स का दर्जा मिलने पर ये इंडियन एयरलाइन्स की भांति अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर वायु सेवाएं शुरू करने के अधिकारी हो जाएंगे;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सभी अनुसूचित हवाई परिवहन प्रचालकों के लिए 1.3.1994 को प्रख्यापित मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन अपेक्षित है।

(ख) और (ग) जी, हां। निम्नलिखित छः हवाई टैक्सी प्रचालकों को देश के अन्दर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाए प्रचालित करने की अनुमति दी गई है :

1. मैसर्स ईस्ट वेस्ट ट्रैवल एण्ड ट्रेड लिंक्स लिमिटेड

2. मैसर्स जैट एयरवेज (प्रा.) लि. (सरकार के विदेशी निवेश अनुमोदन के आधार पर)
3. मैसर्स दमानिया एयरवेज लिमिटेड
4. मैसर्स मोदीलुफ्थ लिमिटेड
5. मैसर्स एन.ई.पी.सी. मिकन लिमिटेड
6. मैसर्स अर्चना एयरवेज

(घ) मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स, मैसर्स राज एयर, मैसर्स इंडिया इंटरनेशनल और मैसर्स जैगसन एयरलाइन्स के अनुरोधों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। मैसर्स सहारा इंडिया, राज एयर और जैगसन एयरलाइन्स को अनुसूचित हवाई प्रचालनों की अनुमति सिद्धान्त रूप में दे दी गयी है। प्रत्येक मामले में निर्णय योग्यता और इस संबंध में इन प्रचालकों द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर लिया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के प्रचालन की अनुमति देने से प्रचालन निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार होंगे :–

1. वे अपनी समयावलियां प्रकाशित कर सकते हैं।
2. वे आई ए टी ए के सदस्य बन सकते हैं।
3. एक विशेष समय पर, अनसूचित प्रचालन की एक उड़ान को किसी अन्य उड़ान की तुलना में उड़ान भरते/ अवतरण करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
4. उन्हें नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार प्रचालन करना होगा।

अनुसूचित प्रचालकों को निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा :–

1. उन्हें नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या एवी 11012/2/94–ए दिनांक 1.3.1994 के अनुसार इसमें श्रेणीकृत मार्ग I, II, II इन्ट्रा और 3 के अनुसार निर्धारित मार्गों पर न्यूनतम संख्या में उड़ानों का प्रचालन करना होगा।

(च) से (ज). जी, नहीं। अनुसूचित प्रचालकों को केवल भारत में ही हवाई परिवहन सेवाओं के प्रचालन की अनुमति दी गयी है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया पर उदारीकरण नीति का प्रभाव

557. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई परिवहन नीति के उदारीकरण के कारण इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कोई उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) निजी प्रचालकों के आने से इंडियन एयरलाइन्स के अपने बाजार की भागीदारी में हानि हुई है। एयर इंडिया निजी प्रचालकों से प्रभावित नहीं हुई है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने अनुमान लगाया है कि यदि निजी प्रचालक नहीं आते तो वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 में (सितम्बर, 1994 तक) क्रमशः 120 करोड़ रूपए, 460 करोड़ रूपए और 355.50 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करते।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स समय पर बेहतर कार्य–निष्पादन और मार्केटिंग पर विशेष जोर देने के साथ अपनी सेवाओं में सुधार लाने के द्वारा निजी एयरलाइनों की प्रतियोगिता से निपटने के लिए सभी प्रयास कर रही है। एयर इंडिया के प्रयास मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में हैं :–

(1) बेड़े का आधुनिकीकरण और नेटवर्क का विस्तार,
(2) उत्पादन का दर्जा बढ़ाना,
(3) हब और स्पोक प्रचालनों के माध्यम से अन्तस्थ स्थानों को पंहुचने की व्यवस्था करना, और
(4) इंडियन एयरलाइन्स के साथ समान रूप से विश्वभर में कम्प्यूट्रीकृत आरक्षण की व्यवस्था करना।

वस्त्र और परिधान संबंधी समझौता

558. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देश, विशेष रूप से अमरीका, यूरोपीय संघ के देश और कनाडा वस्त्र और परिधान संबंधी समझौते के संबंध में गैट 1994 के प्रथम चरण के सार्थक एकीकरण का प्रतिवाद कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन देशों ने समझौते की शुरूआत वस्त्र उत्पादों से ही शुरू करने का निर्णय किया है जोकि बहुरेशे करार के अधीन इस समय कोटा प्रतिबंध के अन्तर्गत नहीं आते;

(ग) क्या जेनेवा स्थित विकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र और परिधान ब्यूरो ने विश्व व्यापार संगठन के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख). संयुक्त राज्य और कनाडा द्वारा किए गए वस्त्र और परिधान संबंधी समझौते के अनुच्छेद 2.6 के अन्तर्गत प्रथम एकीकरण की अधिसूचनाओं में कोई वस्त्र और परिधान उत्पाद शामिल नहीं है जो इस समय बहुरेशा करार के अन्तर्गत प्रतिबंधित हों। यूरोपीय संघ द्वारा किए गए एकीकरण की अधिसूचना में केवल एक मद शामिल की गई है जिस पर इस समय प्रतिबंध है।

(ग) और (घ). अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं परिधान ब्यूरो (आई टी सी बी) ने एक विज्ञप्ति जारी की है. जिसमें बहुरेशा करार के नियंत्रक

देशों द्वारा किए गए प्रथम चरण के एकीकरण कार्यक्रम पर तीव्र निराशा व्यक्त की गयी है। इन देशों ने अनुरोध किया है कि वे आई टी सी बी के सदस्यों की न्याय संगत आशाओं को ध्यान में रखते हुए एकीकरण कार्यक्रम को सार्थक बनाए।

(ङ) सरकार ने हमारे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों को एकीकरण संबंधी उन अधिसूचनाओं के प्रति भारत का खेद व्यक्त कर दिया है, जिससे ऐसी आशंका पैदा हुई है कि हमारे प्रमुख व्यापारिक भागीदार वस्त्र और परिधान क्षेत्र के बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली में शीघ्र एकीकरण के बारे में गम्भीर नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में हवाला कारोबार

559. **श्री साइमन मरान्डी :**
श्री ब्रह्मानंद मंडल :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली में एक बड़े हवाला कारोबार के गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) चालू वर्ष में सरकार ने ऐसे कितने मामलों की जांच कर ली है और तस्करी गतिविधियों पर इसका प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय ने चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में चार बड़े हवाला व्यापार के मामलों का पता लगाया है। इन मामलों से संबंधित सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) चालू वर्ष के दौरान बयासी हवाला व्यापार के मामलों की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई से तस्करी की गतिविधियों पर निवारक प्रभाव पड़ा है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कामकाज में बाधा

560. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्रीमती गिरिजा देवी :
प्रो. के.वी. थामस :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री प्रभूदयाल कठेरिया :
श्री पंकज चौधरी :
श्री मोहन रावले :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानचालकों द्वारा बीमार पड़ जाने की रिपोर्टें भेजने और इंजीनियर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया द्वारा 'धीरे काम' के आह्वान के कारण अक्तूबर, 1994 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के सामान्य कामकाज में बाधाएं आई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त आन्दोलन के कारण एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की कितनी उड़ानें रद्द की गईं और इन दोनों राष्ट्रीय वाहकों में से प्रत्येक को कितना घाटा हुआ;

(घ) इन दोनों विमान सेवाओं के चालकों, इंजीनियरों एवं अन्य कर्मचारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार विभिन्न प्रकार के आन्दोलन किए और इन आन्दोलनों के कारण कुल कितनी उड़ानें रद्द की गईं और उक्त अवधि में प्रत्येक एयरलाइन्स को कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). एयर इंडिया लिमिटेड के उड़ान इंजीनियरों ने 25 अक्तूबर से 8 नवम्बर, 1994 तक बीमारी का बहाना बनाकर औद्योगिक कार्रवाई का सहारा लिया था। वे एयर इंडिया में कमांडर को दिये जाने वाले मुआवजा भुगतान का 90 प्रतिशत भुगतान के लिए मांग कर रहे थे। इसमें तैतीस उड़ान इंजीनियर अंतर्ग्रस्थ थे।

इंडियन एयरलाइन्स में भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के कुछ सदस्यों ने 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1994 तक बीमारी का बहाना लिया। काफी संख्या में विमानचालकों ने कम्पनी की सेवा से त्यागपत्र दे दिया जिसे अपेक्षित नोटिस अवधि न दिये जाने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका। इसलिए उन्हें ड्यूटी पर वापस आने के लिए कहा गया और दो विमानचालकों ने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट की। भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने इसका विरोध किया और इसके परिणामस्वरूप 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1994 तक की अवधि के दौरान 170 विमानचालकों ने बीमार होने के बारे में रिपोर्ट की।

(ग) 26 अक्तूबर से 7 नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान उड़ान इंजीनियरों द्वारा बीमारी का सहारा लेने के कारण एयर इंडिया की 29 उड़ानों को रद्द किया गया था। 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की 143 उड़ानों को रद्द किया गया था, मिला लिया गया था।

एयर इंडिया की 29 उड़ानों को रद्द करने पर इसे 2.92 करोड़ रूपए की निवल हानि हुई थी।

इंडियन एयरलाइन्स को 28 अक्तूबर, से 2 नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान 143 उड़ानों को रद्द करने के कारण 1.55 करोड़ रूपए की हानि हुई थी।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन–पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) एयरलाइनों के सुचारू कार्यचालन में किसी भी प्रकार की रूकावट को दूर करने के लिए दोनों एयरलाइनों के प्रबन्धक वर्ग

लगातार प्रयास कर रहे हैं। विवादों को निपटाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन समझौता संगठन और द्विपक्षीय विचार-विमर्श का उपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय विमान टिकटों पर छूट

561. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री भैरू लाल मीणा :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कुछ विदेशी विमान कम्पनियों को अपने यात्रियों को विमान पर छूट देने की अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार विभिन्न विमान कम्पनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमान टिकटों पर छूट देने के लिए स्वीकृति प्रदान करने की कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). सरकार द्वारा जारी किए गए नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत तृतीय/ चतुर्थ फ्रीडम कैरियर नागर विमानन महानिदेशालय में विशेष किराए दायर कर सकते हैं जो किराए दायर होने के 48 घंटे के अंदर अनुमोदित होंगे। बोर्ड ऑफ एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव्स-इंडिया प्रमुख समाचार-पत्रों में इन किरायों का विज्ञापन करवाएगा। अन्य वाहक नागर विमानन महानिदेशालय को लिखित रूप में अधिसूचित करने के बाद तृतीय और चतुर्थ फ्रीडम कैरियरों के अनुमोदित किरायों के समान किराए करने के हकदार होंगे। ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थान्सा, एयर इंडिया, एयर कनाडा, के.एल.एम टावर एयर, एयर फ्रान्स आदि द्वारा उनके तीसरे/चौथे स्वतंत्र यातायात के लिए दायर किए गए विशेष छूट किरायों का अनुमोदन हो गया है।

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का पुनः नामकरण

562. **डा. सुधीर राय :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी प्रबंधन जैसे आई.टी.सी.सी. के अंतर्गत चलाए जा रहे औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों का पुनः नामकरण करने हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं के अधिकारों में इस तरह के पुनः नामकरण से कोई परिवर्तन आएगा; और

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : *(क) और (ख). निजी संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं में अंतर करने के उद्देश्य से निजी संस्थाओं के नाम के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (औ. प्र. के.) तथा सरकारी संस्थाओं के नाम के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (औ.प्र.सं.) जोड़ने हेतु एक सामान्य परिपत्र अक्तूबर, 1994 में जारी किया गया था।*

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुंबई विमानपत्तन

563. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :**
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई विमानपत्तन के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). मुम्बई विमानपत्तन पर वायु यातायात नियंत्रण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। विश्वव्यापी निविदा के आधार पर एक अमरीकी कम्पनी को टर्न-की आधार पर ठेका दिया गया था।

मुद्रा स्फीति

564. **श्री राजेश कुमार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के समय और वर्तमान में मुद्रा और थोक बिक्री मूल्य सूचकांकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुद्रा स्फीति की दर में कमी का निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जुलाई, 1991 (6 जुलाई, 1991) के शुरू में थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू पी आई) 201 था। जुलाई 1991 में औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) द्वारा यथा निर्धारित खुदरे मूल्यों का सूचकांक 214 था। 19 नवम्बर को समाप्त हुए अद्यतन सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक 274.9 तक पहुंच गया है।

अक्तूबर 1994 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 289 तक पहुंच गया था। यह अन्तिम महीना है जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नरसिंहम समिति की रिपोर्ट

565. श्री अमल दत्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरसिंहम समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ख) अनुमानित परिणामों की तुलना में ऐसे कदम उठाए जाने के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उक्त रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है और इसकी लक्ष्य तिथि क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सांविधिक चल निधि अनुपात (एस.एल.आर.) और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) में कमी, ब्याज-दर ढांचे का सरलीकरण, पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण और प्रावधान करने संबंधी मानदंडों की स्थापना, शाखा लाइसेंसिंग/शाखा बंदी संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों का पुनरीक्षण, कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गैर-सरकारी क्षेत्र के नये बैंकों के प्रवेश संबंधी दिशानिर्देशों का जारी किया जाना, पूंजी-बाजार के उदारीकरण के लिये उपायों, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) को सांविधिक शक्तियां प्रदान करने, कर-रियायत के क्षेत्र में विभिन्न म्युचुअल फंडों के साथ समान व्यवहार इत्यादि सहित नरसिंहम समिति की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में जनता के लिये नई पूंजी जारी करने, विशेष वसूली अधिकरण स्थापित करने और भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में वित्तीय पुनरीक्षण संबंधी बोर्ड की स्थापना से संबंधित सिफारिशें भी लागू की गई हैं।

तथापि, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को कम करके 10 प्रतिशत करने और देशव्यापी परिसम्पत्ति पुनर्गठन निधि (ए आर एफ) की स्थापना से संबंधित समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है।

समिति की मुख्य सिफारिशें, जो अभी भी जांच के अधीन हैं, में आयकर अधिनियम के अधीन बैंकों और संस्थाओ द्वारा किये गये विशेष प्रावधान की कटौती, बैंक अधिकारियों की भर्ती में विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण ऋण की संरचना शामिल है।

बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में समिति ने एक विस्तृत प्रणाली का सुझाव दिया था और यह सिफारिश की थी कि संशोधित प्रणाली से संबंधित गतिविधि बाजार उन्मुख होनी चाहिए। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित समिति की सिफारिशों का संबंध है, कई वैकल्पिक मॉडलों पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तुलन-पत्र का आत्मनिर्भरता (स्टैंड- एलोन-बेसिस) के आधार पर निपटान करके उन्हें फिर से समर्थ बनाने का निर्णय लिया गया है। व्यापक पुनर्संरचना के लिये वर्ष 1994-95 के दौरान 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चुना गया है, और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से होने वाला अनुभव अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये दृष्टिकोण को आने वाले वर्षों में निर्देशित करेगा। समिति द्वारा सुझाये गये अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक कम्पनी में बदल दिया गया है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) की इक्विटी धारिता को इस कम्पनी में कम कर दिया गया है। इसके अलावा आई डी बी आई को पूंजी बाजार से अतिरिक्त इक्विटी जुटाने की अनुमति देकर और इसे और अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता और परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करके इसका पुनर्गठन करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 को संशोधित किया गया है। तथापि, आई डी बी आई के प्रत्यक्ष उधार देने के कार्य को हाथ में लेने के लिये एक कम्पनी के रूप में अलग से एक वित्तीय संस्था को शामिल करके आई डी बी आई के पुनर्गठन से संबंधित समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है।

इन कदमों का परिणाम आम तौर पर प्रत्याशानुसार रहा है। तथापि, वित्तीय क्षेत्र सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसे समग्र विकास की गति प्रदान करने के लिये जारी रखा जायेगा और यह देश को अपनी पूर्ण उत्पादक क्षमता का उपयोग करने में समर्थ बनायेगा।

अपरिष्कृत चमड़े का आयात

566. श्री आर. जीवरत्नम : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस से गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किए गए अपरिष्कृत चमड़े के आयात का ब्यौरा क्या है तथा आयातित चमड़े की मात्रा कितनी है और चमड़े की गुणवत्ता एवं इसके आपूर्ति स्रोत का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : पिछले 2 वर्षों के दौरान आयात किए गए कच्चे चमड़े की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रू. में)
1992-93	268	127.32
1993-94	505	328.82

टिप्पणी:- डी.जी.सी.आई.एंड एस. जोकि आयात तथा निर्यात के आकड़ों का एकमात्र स्रोत है, देश के अन्दर सप्लाई के स्रोत तथा गुणवत्ता से संबंधित आकड़े नहीं देता है। अतः ये आकड़े उपलब्ध नहीं है।

आकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

567. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालीन बुनाई उद्योग में कार्यरत 14

वर्ष से कम आयु के बच्चों के संबंध में सूचना एकत्रित करने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रूपए का अवमूल्यन

568. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूपए का और अवमूल्यन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग में घोटाला

569. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान करोड़ों रूपये के घोटाले में आयकर लिपिकों की संलिप्तता के बारे में 25 अक्तूबर, 1994 के 'पैट्रियट' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) जी, हां।

(ख) पुलिस प्राधिकारियों के साथ--साथ आयकर विभाग द्वारा भी जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) दो अवर श्रेणी लिपिकों को निलंबित किया गया है तथा जांच--पड़ताल पूरी होने के बाद उनके खिलाफ एवं दोषी पाए गए अन्य कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।

(ङ) उक्त जालसाजी का सरगना, जो एक कर परामर्शदाता है, द्वारा अपनायी गई कार्य प्रणाली के बारे में सभी कर निर्धारण अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है ताकि वे इस प्रकार के मामलों के बारे में सतर्क रहें।

[हिन्दी]

फूलों का निर्यात

570. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री बलराज पासी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरोपीय समुदाय द्वारा भारतीय निर्यात पर 15 प्रतिशत कर लगाए जाने के कारण फूलों के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यह सरकार को फूलों के निर्यात को कर मुक्त बनाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) यूरापीय संघ ने भारत से आयातित पुष्पोत्पादों पर कोई नया कर नहीं लगाया है। 15 प्रतिशत टैरिफ मौजूदा एमएफएन (परममित्र राष्ट्र) की दर है जो यूरोपीय संघ को फूलों के सभी निर्यातक देशों पर लागू है। लेकिन यह दर उन देशों पर लागू नहीं होती जो बहुत ही कम विकसित देश हैं और जिनके साथ विशेष अधिमानी द्विपक्षीय करार किए गये हैं।

(ख) और (ग). सरकार को यूरापीय संघ द्वारा लगाए गए 15 प्रतिशत टैरिफ को हटाने के बारे में निर्यातकों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यूरोपीय संघ की अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली में सुधार करने का सरकार का जो प्रस्ताव है उसकी औपचारिक सूचना दे दी गई है जिसमें तोड़े हुए फूलों पर शुल्क कटौती शून्य तक लाने का निवेदन शामिल है. इन सुझावों को भारत यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग की अक्तूबर, 1994 में हुई बैठक में पुनः दोहराया गया।

[अनुवाद]

विमान किराए

571. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :**
श्री भेरू लाल मीणा :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान किरायों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विमान किरायों में वृद्धि अथवा कमी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). अवतरण प्रभार, नौवहन संबंधी प्रभार, विमान अनुरक्षण, विमान बीमा, मूल्य ह्रास आदि जैसे विभिन्न लागत निवेश तत्वों में हुई वृद्धि को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने 25 जुलाई, 1994 से सभी सैक्टरों पर अपने अंतर्देशीय रूपया किरायों में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच वृद्धि की है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

572. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक इन परियोजनाओं पर परियोजनावार कितनी राशि व्यय की गयी; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993–94 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी सहायता की कुल राशि 10115.2 करोड़ रूपए है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना दस्तावेजों के अनुसार परियोजना के समापन की तारीख	(1994–95 के दौरान) विदेशी सहायता का संवितरण (करोड़ रू. में)
			(31.8.94 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1.	वर्षा पोषित जल संभर क्षेत्र परियोजना	31.12.93	0
2.	राष्ट्रीय कृषक अनुसंधान	30.6.94	3.54
3.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार II	31.3.94	7.50
4.	राष्ट्रीय डेयरी	31.12.94	0
5.	राष्ट्रीय बीज	30.6.95	0
6.	समेकित जल संभर मैदान	31.3.98	2.24
7.	समेकित जल संभर पहाड़ियां	30.6.97	3.66
8.	तमिलनाडु कृषि विकास	30.9.98	13.41
9.	झींगा और मछली पालन	30.6.99	0.00
10.	महाराष्ट्र वानिकी	30.9.98	0.00
11.	प. बंगाल वानिकी	30.9.97	0.00
12.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार	30.3.01	0.49
13.	बिहार पठार विकास	30.6.98	2.51
14.	एडीपी राजस्थान	30.9.99	0.00
15.	आन्ध्र प्रदेश वानिकी	30.9.00	0.00
16.	वन अनुसंधान शिक्षा	31.12.99	0.00
17.	रबड़ परियोजना	30.9.99	1.81
18.	राष्ट्रीय डेयरी	31.12.94	5.73
19.	तमिलनाडु कृषि	30.9.98	0.00
20.	सुन्दरबन विकास	30.6.88	0.00
21.	नाबार्ड	30.6.91	0.00
22.	दानिश मछली पालन टाडरी	31.3.93	0.00
23.	कृषि महिलाओं का प्रशिक्षण, उड़ीसा	31.5.94	0.00
24.	अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा	19.1.94	0.08
25.	पवनचक्की कृषि	31.12.92	0.00
26.	व्यापक जल संभर विकास	28.2.94	1.51
27.	स्वच्छ जल झींगा	10.11.94	0.00
28.	इंडो डेनिश व्यापक जल संभर विकास	5.10.99	0.00
29.	समेकित पशुधन	31.12.97	0.00
30.	इंडो–डेनिश मछली पालन	1.1.01	0.00
31.	कृषि में मध्य प्रदेश महिलाएं	19.11.98	0.00
32.	भूमि विकास, रामनाथपुरम	19.11.98	0.00
33.	कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण	30.9.20	2.08
34.	इंदिरा गांधी वानिकी	5.2.98	3.98
35.	वानिकी परियोजना, अरावली पर्वतमाला	31.3.97	5.23
36.	मछलीपालन जलपोत	–	0.00
37.	भू–जल का अन्वेषण	–	0.24
38.	केरल मछली पालन	1.7.94	0.00
39.	उर्वरक की आपूर्ति	1.1.01	0.00
40.	उत्तरी बंगाल तराई विकास	01.01.01	0.18

1	2	3	4
41.	उड़ीसा मछली पालन	31.3.91	0.00
42.	ऊर्जा संरक्षण	16.11.90	0.00
43.	हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली पालन प्रायोगिक परियोजना	21.01.93	0.00
44.	तमिलनाडु सामाजिक वानिकी	31.3.95	5.35
45.	उड़ीसा सामाजिक वानिकी	31.3.95	2.92
46	बिहार सामाजिक वानिकी	31.3.92	0.00
47.	वानिकी समन्वय	30.6.92	0.00
48.	ए आर डी सी स्विस अनुदान	01.01.01	0.00
49.	अन्तर्राज्यीय टसर	31.3.91	0.00
50.	डेयरी विकास, केरल	31.12.90	0.00
51.	नाबार्ड के लिए इंडो–स्विस अनुबन्ध	01.01.01	0.00
52.	नाबार्ड–VI	31.3.93	0.00
53.	राष्ट्रीय रेशम कीट पालन	31.12.96	0.00
54.	आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेशम कीट पालन का संवर्द्धन	31.3.94	0.00
55.	बकरी विकास के लिए इंडो–स्विस परियोजना	31.3.92	0.00
56.	राष्ट्रीय पशुधन नीति	30.9.95	0.00
57.	मिश्रित परियोजना	31.3.92	0.00
58.	एच.एफ.सी. वर्षा पोषित कृषि	31.3.94	0.00
59.	कर्नाटक सामाजिक वानिकी	31.3.91	0.00
60.	उड़ीसा मछली पालन उद्योग	31.3.91	0.00
61.	महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल	31.3.95	0.00
62.	पश्चिमी घाट वानिकी	31.3.99	0.00
63.	पौध विकास अनुसंधान	30.9.95	0.00
64.	संकर पशु	31.12.91	0.00
65.	संकर पशुओं की आपूर्ति	31.12.95	0.22
66.	एनडीडीबी	31.12.94	0.24
67.	महाराष्ट्र में विकास परियोजना	–	1.20
68.	उ.प्र. और प. बंगाल भूमि और जल संरक्षण	31.03.79	0.00
69.	जम्मू कश्मीर में शुष्क मछली पालन	31.12.90	0.00
70.	केरल में नारियल प्रोग्राम	31.12.94	0.00
71.	सहकारी ग्रामीण भण्डार	31.3.93	5.82
72.	भेड़ विकास परियोजना	31.12.94	0.00
73.	दक्षिण भागीरथी	31.12.97	0.00
74.	केरल में कृषि विपणन	31.12.97	0.00
75.	साझी भूमि का पुनर्वास, अरावली	31.10.99	0.00
76.	अन्तर्देशीय मछली पालन विकास	30.4.94	0.00
77.	केरल उद्यान	31.3.98	0.00
78.	दून घाटी समेकन	31.12.01	0.00
79.	झरिया खदान अग्नि नियंत्रण	30.6.95	0.00
80.	धान भूसा विद्युत जनरेटर	7.3.94	0.00
81.	आई आर ई डी ए चरण–II	–	0.00
82.	ऊर्जा प्रबन्ध	31.3.97	0.00
83.	कोयला	30.9.94	2.19
84.	सी आई एल	01.01.01	0.00
85.	ईस्ट कटरास परियोजना	30.6.94	0.11
86.	विस्फोटक गैलरी का कार्यान्वयन	30.6.94	0.95
87.	विस्फोटक गैलरी का कार्यान्वयन	30.6.94	2.45
88.	कोयला क्षेत्र	31.3.91	0.00
89.	कोयला परियोजना	01.01.01	0.00
90.	डी–517 ए.एल.–8065476	31.12.86	0.18
91.	रामगुण्डम ओपन कास्ट माइन्स	31.12.95	9.71
92.	एन.एल.सी. स्टडी एक्सपर्ट	01.01.01	0.00
93.	इंदिरा सरोवर	30.06.94	0.00
94	इंदिरा सरोवर	30.6.94	6.53
95.	नवीकरण संसाधन विकास	31.12.89	0.00
96.	फरक्का थर्मल	30.4.94	3.07
97.	इंदिरा सरोवर पनबिजली	30.6.93	0.00
98.	चन्द्रपुर थर्मल पावर	30.3.94	0.00
99.	केरल पावर	30.3.94	10.23
100.	संयुक्त चक्रीय पावर	31.12.93	47.67
101.	राष्ट्रीय पूंजी पावर	30.6.95	15.48
102.	तलचर थर्मल पावर	31.3.96	38.81
103.	कर्नाटक पावर	31.12.96	0.00
104.	एन.जे.पी.सी.	31.12.96	65.34
105.	महाराष्ट्र पावर	31.12.97	37.69
106.	उत्तरी क्षेत्र प्रसार परियोजना	30.9.98	13.54
107.	पावर उपयोगिताएं	31.12.97	2.81
108.	द्वितीय महाराष्ट्र पावर	30.6.98	47.64
109.	रामगुण्डम परियोजना	31.12.87	0.00
110.	अनपहर थर्मल पावर	30.9.95	0.00
111.	उत्तरी मद्रास थर्मल पावर	31.12.94	24.62
112.	रियाल सीमा थर्मल पावर	31.12.94	0.00
113.	2 उत्तरी मद्रास थर्मल पावर	31.12.95	25.62

1	2	3	4
114.	पावर कार्यकुशलता परियोजना	31.12.96	0.00
115.	इदुक्की पन बिजली	30.6.93	0.00
116.	चमेरा परियोजना	31.12.92	0.00
117.	एन.एच.पी.सी.	31.3.93	0.00
118.	टेस्टिंग इक्युपमेंट्स	31.3.93	0.00
119.	तलचर पावर परियोजना	31.12.92	0.00
120.	पूर्वी कटरा परियोजना	30.6.94	0.00
121.	तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन	31.10.97	4.66
122.	पूर्वी गण्डक नहर पन बिजली	31.12.94	0.87
123.	उज्जैनी पन बिजली	25.5.94	0.33
124.	तीस्ता नहर	18.12.93	4.81
125.	असम गैस टरबाइन	18.3.97	57.79
126.	श्रीसेलम लैफ्ट बैंक पावर स्टेशन	30.6.95	120.50
127.	असम गैस पावर स्टेशन	10.2.94	70.42
128.	रायचूर थर्मल पावर	20.1.94	6.42
129.	घाटघर पम्प भण्डारन	20.1.97	0.00
130.	बक्सीन ब्रिज गैस टरवाइन	25.9.95	55.63
131.	गंधार गैस आधारित कोचीन	27.3.95	10.89
132.	तीस्ता नहर	5.2.96	0.00
133.	पावर स्टेशन सुधार	5.2.97	0.00
134.	अन्नपार पावर प्रसार	30.7.96	18.66
135.	गंधार गैस आधारित सांझा पावर	30.3.95	174.14
136.	अन्नपार बी. थर्मल पावर	3.12.95	21.30
137.	श्री सेलम पावर प्रसार	30.6.96	0.00
138.	गंधार गैस बेस कम्बाइन	30.9.95	71.89
139.	अन्नपार बी. थर्नल पावर स्टेज V	11.3.01	43.0
140.	बकरेश्वर थर्मल पावर	11.3.89	3.02
141.	फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन	11.3.89	0.00
142.	कालन्दी पन बिजली	31.12.91	17.72
143.	ग्रांट इंडिया	31.12.94	2.78
144.	दि.वि.प्र. संस्थान	31.12.94	2.78
145.	रामगुण्डम थर्मल पावर	31.12.91	0.00
146.	उरी परियोजना	01.01.01	0.00
147.	चन्द्रपुर पोडगेहि	31.3.95	0.00
148.	पावर सेक्टर प्रोजेक्ट	31.3.90	0.10
149.	बेलको पावर परियोजना	31.10.91	0.00
150.	विद्युत कार्यक्षमता अनुदान	30.9.95	0.00
151.	चन्द्रपुर एचवीडीसी बैक–टू–बैक	31.3.97	0.00
152.	हीराकुंड जल पुनर्स्थापन	31.3.20	0.00
153.	एन.टी.पी.सी.	31.12.88	0.00
154.	रामागुण्डम	31.12.91	0.46
155.	कोरबा	31.12.90	0.00
156.	एन.एल.सी.–III	31.12.95	7.58
157.	फरक्का पावर परियोजना	31.12.93	0.35
158.	दादरी पावर परियोजना	31.12.94	1.93
159.	ऊरान संयुक्त चक्रीय पावर	30.9.94	3.67
160.	आयल इंडिया लिमिटेड	30.9.94	1.94
161.	ओ.एन.जी.सी. देहरादून	01.01.01	0.00
162.	तेल और गैस अन्वेषण एवं विकास	16.10.92	0.00
163.	क्रेडिट लाइन नं. 880	01.01.01	0.00
164.	एच बी जे परियोजना	30.6.93	0.00
165.	ओ.एन.जी.सी. मुम्बई	28.2.93	0.00
166.	गैस पाइप लाइन परियोजना	18.12.93	0.00
167.	ओ. एन. जी. सी. सेक्टर	31.3.89	0.00
168.	एचबीजे पाइप लाइन पम्प स्टैशन	31.3.93	0.00
169.	बरौनी आयल रिफाइनरी	01.01.01	0.00
170.	उर्वरकों का पुनर्स्थापन	31.12.91	0.00
171.	राष्ट्रीय उर्वरक	20.12.87	0.00
172.	इफको	31.10.89	0.00
173.	रामगुण्डम उर्वरक	20.1.94	0.00
174.	उद्योग मण्डल अमोनिया योजना	30.11.97	0.00
175.	उर्वरकों की आपूर्ति 1991–92		0.00
176.	ब्रिटिश उर्वरक परियोजना	31.3.92	0.00
177.	इंडो–ब्रिटिश उर्वरक चरण–I	31.3.91	0.00
178.	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम–II	30.12.94	4.18
179.	उर्वरक शिक्षण चरण–II	27.7.93	0.00
180.	उर्वरक आपूर्ति	31.12.98	0.00
181.	उर्वरक आपूर्ति	31.1.99	0.00
182.	राष्ट्रीय रेशम कीट पालन	31.12.96	9.74
183.	औद्योगिक तकनीकी विकास परियोजना	31.12.95	0.00
184.	औद्योगिक प्रदूषण	30.6.98	0.00
185.	सीमेंट उद्योग	30.6.94	10.29
186	औद्योगिक वित्त	31.12.95	0.00
187	निर्यात विकास	31.3.96	1.70
188.	इलैक्ट्रानिक उद्योग विकास	31.12.95	0.00
189.	औद्योगिक तकनीकी विकास	31.12.95	0.00
190.	सीमेंट उद्योग पुनर्संरचना	30.6.96	21.33

1	2	3	4
191.	औषध–भेषज	30.9.96	0.00
192.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	30.6.98	19.92
193.	सह–अनुदान–3	31.8.94	0.42
194.	II वां ऋण जयन्तीपुरम सीमेंट	30.10.89	0.00
195.	II वां ऋण दुर्गा सीमेंट	31.10.89	0.00
196.	II वां ऋण मालद्वीव पेपर	30.10.89	0.00
197.	II वां लुगरी फैक्टरी	30.10.89	0.00
198.	आई.डी.जी.–I कागज लुगदी	31.12.92	0.00
199.	सह–अनुदान–2	01.6.94	0.00
200.	भारतीय सीमेंट उद्योग	2.5.95	0.00
201.	आर.आई.एन.एल.	01.01.01	0.00
202.	उड़ीसा एल्युमीनियम	31.12.89	0.00
203.	राष्ट्रीय एल्युमीनियम परियोजना	31.10.93	0.00
204.	नेल्को	31.10.92	0.00
205.	आई.टी.आई	30.6.93	0.00
206.	तमिलनाडु लघु उद्योग विकास	10.8.94	0.00
207.	मैसूर कागज मिल्स	20.1.94	0.00
208.	मालकुण्ड तांबा विस्तार	12.1.95	0.00
209.	रोलिंग स्टाक वर्कशाप	27.3.95	0.00
210.	कोलाघाट थर्मल पावर	25.9.95	0.63
211.	बी.एच.ई.एल. हरिद्वार	01.01.01.	0.00
212.	एच.एम.टी.–IV	01.01.01	0.00
213.	एस.ए.आई.एल	01.01.01	0.00
214.	एच.जैड.एल	31.3.95	0.21
215.	मैसूर पेपर मिल	31.3.91	0.00
216.	व्यावसायिक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम सेवा	31.7.95	0.80
217.	तकनीकी सहायता	30.9.96	0.00
218.	तकनीकी विकास केन्द्र	30.7.95	0.00
219.	व्यापार और पर्यावरणीय सेवा	30.9.97	0.00
220.	विशेषज्ञ व अध्ययन	31.12.90	0.00
221.	अध्ययन विशेषज्ञ निधि–4	31.12.96	0.33
222.	अध्ययन विशेषज्ञ निधि–1	31.12.94	0.18
223.	अध्ययन विशेषज्ञ निधि–6	31.12.98	0.00
224.	औद्योगिक तकनीकी विकास	31.12.95	0.72
225.	इलैक्ट्रानिक औद्योगिक विकास	31.12.95	0.00
226.	निर्यात विकास परियोजना	31.3.96	0.71
227.	पूंजीगत सामान क्षेत्र विकास परियोजना	30.6.92	0.00
228.	इलैक्ट्रोनिक उद्योग विकास	–	6.01
229.	कोयला पत्तन परियोजना तकनीकी सहायता	30.6.98	4.58
230.	हुगली साफ मार्ग विकास परियोजना	01.01.01	0.00
231.	कोचीन पत्तन ट्रस्ट	01.01.01	0.00
232.	मुम्बई दिल्ली हवाई अड्डा आधुनिकीकरण	30.9.95	0.00
233.	भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण	31.3.94	0.00
234.	भारतीय रेलवे परियोजना	31.1.93	8.79
235.	भारत–II रेलवे परियोजना	31.12.96	27.96
236.	रेलवे मंत्रालय	01.01.01	0.00
237.	11वां ऋण सामान्य कारखाने	30.10.89	0.00
238.	महानगरीय मेट्रो रेलवे	01.01.01	0.00
239.	सउदी निधि	30.9.90	0.00
240.	कोरापुट रेलवे परियोजना	30.9.90	0.00
241.	रेलवे परियोजना	31.3.90	0.00
242.	रेलगाड़ी उल्लेखन प्रणाली	31.3.92	0.00
243.	रेलवे क्षेत्र अनुदान	30.9.92	0.00
244.	ब्रेक डाउन क्रेन रेलवे	31.12.90	1.34
245.	आर.सी. फैक्ट्री कपूरथला	31.12.91	0.00
246.	रेलवे नवीकरण कार्यक्रम	31.12.93	6.64
247.	गुजरात ग्रामीण सड़क	31.12.94	13.65
248.	दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग परि.	30.6.01	2.11
249.	राष्ट्रीय राजमार्ग	31.12.93	5.57
250.	राज्य सड़क परियोजना	30.6.95	19.24
251.	II राष्ट्रीय राजमार्ग	30.6.01	0.00
252.	सड़क सुधार परियोजना	31.12.94	39.06
253.	II सड़क सुधार परि.	31.12.96	39.58
254.	बी.आर.डी.बी. भूतल परि. मंत्रालय	01.01.01	0.00
255.	राष्ट्रीय राजमार्ग–II सुधार	31.3.98	0.00
256.	चार–लाइनों वाला रा.राजमार्ग–5	11.3.01	0.00
257.	नवां दूरसंचार	31.12.93	0.00
258.	दूरसंचार परियोजना	28.2.93	32.35
259.	दूसरी दूरसंचार परियोजना	31.12.94	17.52
260.	पनडुब्बी केबल अनुदान	31.1.91	0.00
261.	फोर्ट विकास परि.	31.12.92	0.00
262.	दूसरी पत्तन परि.	30.9.95	26.19
263.	सिमुलेटर आयात के लिए सामान्य करार	–	0.00

1	2	3	4
264.	प्रशि. उपस्कर उन्नयन सामान्य करार		0.00
265.	कोचीन पत्तन ट्रस्ट	01.01.01	0.00
266.	नव सेवा पत्तन परियोजना	01.01.01	0.00
267.	महासागर विकास	30.12.87	0.00
268.	हेलीकोप्टर निगम	31.12.89	0.00
269.	पर्यटक आधारभूत संरचना विकास परि.	20.1.94	0.00
270.	यमुना पर पुल	11.3.99	0.00
271.	यात्री नोका–लक्ष्यद्वीप	01.01.01	0.00
272.	गुजरात मध्यम सिंचाई	31.03.94	12.47
273.	ऊपरी गंगा सिंचाई	03.09.94	4.34
274.	प. बंगाल लघु सिंचाई	31.03.94	0.65
275.	महाराष्ट्र सिंचाई	30.06.94	15.60
276.	2 आन्ध्र प्रदेश सिंचाई	30.06.94	61.63
277.	बिहार सरकारी नलकूप	31.5.94	0.00
278.	राष्ट्रीय जल प्रबंध	31.3.95	41.67
279.	ऊपरी कृष्णा चरण–II	31.12.96	21.12
280.	पंजाब सिंचाई	30.3.98	15.16
281.	बाघ सुरक्षा परियोजना	30.9.97	9.06
282.	राजस्थान कमान क्षेत्र	31.12.88	0.00
283.	2 उत्तर प्रदेश नलकूप	31.3.91	0.00
284.	आई.डी.एफ.आई अनुदान	30.6.95	0.31
285.	राजस्थान कृषि	31.12.95	0.00
286.	बाड नियंत्रण प्रणाली	24.2.94	0.00
287.	जल संभर विकास परियोजना	30.6.94	0.60
288.	ऊपरी कोलांब सिंचाई	20.1.94	9.24
289.	ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई	20.1.94	3.23
290.	इन्द्रा गांधी नहर परि.	25.9.93	0.00
291.	उत्तर प्रदेश नलकूप	31.3.94	9.69
292.	उ.प्र. उप परियोजना–VI	01.01.01	0.00
293.	डूंगर पुर सिंचाई युक्त जलभूमि	31.3.96	0.55
294.	राजस्थान लघु सिंचाई परि.–I	31.12.93	3.10
295.	राजस्थान लघु सिंचाई परि.	31.12.91	0.00
296.	गिफ्ट सिंचाई, उड़ीसा	31.12.20	0.00
297.	टैंक सिंचाई का आधुनिकीकरण, त.ना.	31.12.91	0.00
298.	जल नियंत्रण प्रणाली	31.12.94	0.00
299.	टैंक सिंचाई,चरण II	31.10.95	2.15
300.	केरल लघु सिंचाई		0.00
301.	ईईसी सोधमुख व नोहर सिंचाई परि.	31.12.00	0.00
302.	भूमिगत जल की खोज और प्रबंध	31.7.98	2.71
303.	चौथी जनसंख्या (आर एफ)	31.3.94	0.00
304.	पांचवी जनसंख्या	31.12.95	3.26
305.	व्यावसायिक प्रशि. कार्यक्रम	31.12.96	14.03
306.	छठी जनसंख्या परि.	31.3.97	5.29
307.	दूसरी तमिलनाडु पोषाहार परि.	31.12.97	14.75
308.	तकनीकी शिक्षा	30.6.97	14.93
309.	एकीकृत बाल विकास	31.12.97	10.04
310.	सातवीं जनसंख्या	30.6.98	10.18
311.	तकनीकी शिक्षा–II	30.6.99	4.28
312.	आई सी डी एस–II	30.9.00	0.00
313.	बाल उत्तर जीविका व सुरक्षित मातृत्व	30.9.95	37.11
314.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	30.9.97	0.00
315.	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण	31.3.00	0.00
316.	उ.प्र. प्राथमिक शिक्षा	30.9.00	1.21
317.	उड़ीसा यात्रा विकास	31.3.96	1.25
318.	तमिलनाडु महिला विकास	28.8.99	2.39
319.	आ.प्र.ज.जा. विकास	31.3.99	0.00
320.	रेवा अस्पताल	30.6.93	0.00
321.	बस्ती जिला अस्पताल	31.12.94	1.29
322.	संस्थागत सहायता परि.	31.12.92	0.00
323.	अंधता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	31.10.94	0.00
324.	ग्रामीण पेयजल	31.8.94	0.00
325.	महिला एंव युवा प्रशि.	31.12.89	0.00
326.	ग्रामीण जलापूर्ति–II	31.12.93	0.00
327.	हैंडपम्प नवीकरण परि.	30.6.90	0.00
328.	स्वास्थ्य देखभाल त.नाडु	30.3.94	0.00
329.	स्वास्थ्य देखभाल, म.प्र.–II	30.3.95	2.05
330.	पोडूकोट्टी पशुधन विकास	15.11.94	0.78
331.	एकीकृत ग्रामीण सफाई–त. नाडु	30.6..95	0.00
332.	एकीकृत ग्रामीण सफाई–कर्नाटक	31.12.94	0.00
333.	स्वास्थ्य देखभाल, त.नाडु	31.3.98	0.00
334.	स्वास्थ्य देखभाल, म.प्र.–I	31.3.89	0.00
335.	महिला एवं युवा प्रशि. विस्तार, चरण–II	30.6.95	0.19
336.	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण–II	30.9.95	0.00

1	2	3	4
337.	अनौपचारिक प्रोढ़ शिक्षा	1.1.01	0.00
338.	अग्नि शमन उपस्करों का विकास	31.3.93	0.00
339.	स्वास्थ्य कोटि नियंत्रण	5.2.99	0.00
340.	अजन्ता एलौरा संरक्षण	30.3.99	0.25
341.	वर्दमान विश्वविद्यालय के लिए जा ए कल्वर	–	0.00
342.	गुजरात जलापूर्ति, संथालपुर	01.01.01	0.00
343.	गुजरात जलापूर्ति, सेमिहारजी	01.01.01	0.00
344.	गुजरात जलापूर्ति, लाथिहिल्ली	01.01.01	0.00
345.	ग्रामीण जलापूर्ति,व सफाई, कर्नाटक	01.01.01	0.00
346.	केरल जलापूर्ति, वक्कम ऊंज.एंजो.	01.01.01	0.00
347.	केरल जलापूर्ति, नाटिका फिर	01.01.01	0.07
348.	केरल जलापूर्ति, माला	01.01.01	0.00
349.	केरल जलापूर्ति, कुंद्रा	01.01.01	0.27
350.	केरल जलापूर्ति, कोईपुरम	01.01.01	0.00
351.	केरल जलापूर्ति, परवर्थी	01.01.01	0.05
352.	उ.प्र. जलापूर्ति	01.01.01	0.01
353.	ग्रामीण जलापूर्ति, उ. प्र.	01.01.01	0.00
354.	आं.प्र. जलापूर्ति, दर्सी	01.01.01	0.00
355.	आं.प्र. जलापूर्ति, मदक	01.01.01	0.00
356.	आं.प्र. जलापूर्ति, कर्नूल	01.01.01	0.00
357.	आं.प्र. जलापूर्ति, प्रकाशम	01.01.01	0.00
358.	गुजरात में महिलाओं को प्रशि.	01.01.01	0.00
359.	महिला समाख्या परि.	31.3.95	0.00
360.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रशि. नेटवर्क	–	0.00
361.	कृषि में महिलाओं को प्रशि.	31.4.98	0.16
362.	एकीकृत बाल विकास परि.	31.12.94	0.00
363.	अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम–II	31.12.91	0.00
364.	महिला विकास कार्यक्रम	31.12.91	0.00
365.	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम	31.3.94	0.00
366.	बालिकाओं को अनौपचारिक शिक्षा	31.3.92	0.00
367.	राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा	1.01.01	0.00
368.	परियोजना त.ना.	31.12.91	11.06
369.	आई.आई.एफ.एम	31.1.92	0.00
370.	पर्यावरणीय प्रशि. परि.	30.6.96	0.34
371.	लोक जुम्बिश कार्यक्रम	30.6.94	1.02
372.	इंडो–स्विस प्रशि. केन्द्र	30.6.94	0.00
373.	विशाखापत्तनम आवास	31.3.91	0.00

1	2	3	4
374.	विशाखापत्तनम आवास	31.3.89	0.00
375.	आं.प्र. प्राथमिक विद्यालय भवन	30.9.91	0.00
376.	इंदौर आवास	31.3.93	0.00
377.	आं.प्र. विद्यालय भवन–चरण–II	31.3.94	9.08
378.	हैदराबाद आवास–चरण–II	31.3.93	0.00
379.	आं. प्र. प्राथमिक विद्यालय	31.3.91	0.01
380.	उड़ीसा परिवार कल्याण	31.3.91	0.00
381.	एकीकृत परिवार कल्याण	31.3.91	0.00
382.	उड़ीसा परिवार कल्याण–II	30.6.95	0.00
383.	आं.प्र. विद्यालय स्वा. परि.	31.3.96	2.15
384.	परिवार नियोजन संचार	31.3.93	0.00
385.	प्रतिरक्षी पुनर्उत्पादक रोधी विकास	31.5.93	0.00
386.	प्रतिरक्षी टीका विकास	31.7.93	0.15
387.	स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट स्वै. संग.	30.9.95	0.00
388.	तीव्रीकरण के लिए कार्यक्रम	30.6.96	0.00
389.	एफ.पी. मे परिवर्तन	30.9.92	0.00
390.	एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम	30.9.89	0.00
391.	म. प्र. ग्रामीण जलापूर्ति	31.12.92	0.60
392.	उड़ीसा चक्रवात संरक्षण स्थल	31.12.88	0.00
393.	प.बं. बाढ़ पूर्वानुमान	12.2.89	0.00
394.	त. नाडु चक्रवात पूर्वानुमान	31.12.91	0.00
395.	आं. प्र. चक्रवात पूर्वानुमान	31.12.89	0.00
396.	त. नाडु चक्रवात पूर्वानुमान–III	31.12.91	0.00
397.	ग्रामीण विकास के लिए राज्यों के केन्द्र	31.12.91	0.00
398.	हाइड्रोलोजी से कम्प्यूटरी माडलिंग प्रणाली	01.01.01	0.00
399.	पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	31.10.95	0.00
400.	तमिलनाडु, जलापूर्ति परि.	31.12.94	0.00
401.	त. नाडु जलापूर्ति परि.	31.12.94	2.01
402.	बम्बई शहरी बैंक विकास	30.9.94	0.00
403.	केरल जलापूर्ति	31.3.94	0.26
404.	गुजरात शहरी विकास	31.12.94	1.63
405.	उ.प्र. शहरी विकास	31.3.96	5.34
406.	III बम्बई जलापूर्ति	30.6.94	9.62
407.	त. नाडु शहरी विकास	30.9.95	25.89
408.	हैदराबाद जलापूर्ति	31.3.98	3.21
409.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	31.12.97	0.00
410.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति	–	0.37

1	2	3	4
411.	मद्रास जलापूर्ति	31.12.95	0.00
412.	III बम्बई जलापूर्ति	30.6.94	0.00
413.	ग्रामीण जलापूर्ति त. नाडु	31.12.90	0.00
414.	ग्रामीण जलापूर्ति, कर्नाटक	31.12.90	0.00
415.	कर्नाटक राज्य विस्तृत भूमि प्रबंध	30.7.97	0.00
416.	शहरी नगर जलापूर्ति	30.3.98	3.25
417.	वार्षिक कार्रवाई योजना	21.12.97	0.00
418.	सी एम बी ए	1.01.01	0.00
419.	कानपुर–मिर्जापुर सफाई	1.01.01	0.00
420.	हि. प्र. जलापूर्ति	1.01.01	0.00
421.	ए पी डब्ल्यू एस एस महबूब नगर		0.00
422.	भारतीय मानव पुनर्वास कार्यक्रम	31.1.97	0.00
423.	हुडको	31.3.91	0.00
424.	विजयवाड़ा गंदी बस्ती सुधार	31.9.95	0.00
425.	कलकत्ता गंदी बस्ती सुधार	31.12.96	0.00
426.	आवास वित्त प्रणाली	30.6.97	0.00
427.	छिनागैली क्षेत्र सुधार परि.	31.3.96	0.00
428.	एचडीएफसी	31.12.93	0.00
429.	हुडको		3.95
430.	हुडको–II	31.12.97	0.00
431.	एच डी एफ सी –II	31.12.97	0.00
432.	सामाजिक सुरक्षा	31.12.93	0.00
433.	हाईड्रो कार्बन क्षेत्र	30.6.95	0.00
434.	एक्जिम बैंक	31.3.94	0.00
435.	एस आई डी वी आई	31.3.95	92.95
436.	उर्वरक के लिए आयात समर्थन		0.00
437.	सामाजिक सुरक्षा		0.00
438.	पैट्रोल का आयात		0.00
439.	उर्वरक–आयात		0.00
440.	प्राथमिक शिक्षा		0.00
441.	प्राथमिक शिक्षा को सहायता	01.01.01	73.18
442.	आस्ट्रियन पूंजीगत सामान 1991	01.01.01	0.00
443.	आई सी जी 1991	01.01.01	0.00
444.	ए सी जी 1991 (बी आर डी बी)	01.01.01	0.00
445.	IIIII वां ऋण	01.01.01	0.00
446.	III सामा·य प्रयोजनार्थ ऋण	01.01.01	0.00
447.	बेल्जियम पूंजीगत सामान	31.12.98	0.00
448.	X ऋण 24 एम	20.12.87	0.00
449.	ग्यारहवां ऋण	30.10.89	0.00
450.	इंडो–डेनिश अनुदान–I	31.12.92	0.00
451.	आईडी जी–I	31.12.92	0.00
452.	ग्यारहवां ऋण (आईसी आईसी आई)	30.10.89	0.00
453.	पर्यावरणीय मास्टर प्लान	31.12.95	0.00
454.	सामान्य आयात	30.9.00	0.00
455.	सामान्य ऋण	31.10.93	0.00
456.	सामान्य प्रयोजनार्थ ऋण	31.12.92	2.68
457.	राजुर खान के बारे में अध्ययन	30.6.94	0.18
458.	भारत व्यापार संवर्धन	30.9.95	0.50
459.	ऋण राहत सामान्य करार		0.00
460.	उन्नयन प्रशि. उपस्कर	01.01.01	0.00
461.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्ववि.	01.01.01	0.00
462.	भारत 1987	01.01.01	0.00
463.	भारत 1988	31.12.91	0.00
464.	आई डब्ल्यू ए आई	01.01.01	0.00
465.	उ. प्र. स्था. III	01.01.01	0.00
466.	भारत अनुदान 1990–91	01.01.01	0.00
467.	कैप्रोलिक्टम का आयात	01.01.01	0.00
468.	भारत अनुदान 1991–01		11.65
469.	उड़ीसा पर्यावरण कार्यक्रम	01.01.01	0.00
470.	पेड़ उगाने वाली सहकारी समितियां	31.12.93	0.00
471.	स्विस मिश्रित ऋण	30.4.88	0.87
472.	एसएमसी	01.01.01	0.00
473.	एसएमसी (आईसी आईसी आई)	01.01.01	0.00
474.	आईसीटीआरईटीएस चरण–III	31.12.90	0.00
475.	स्विस मिश्रित अनुदान–I	30.06.88	0.00
476.	इओइडीपी संवर्धन	31.12.95	0.00
477.	वित्तीय सहयोग	31.12.99	0.00
478.	1987 स्थानीय लागत अनुदान	31.03.91	0.17
479.	कानपुर विद्युत वितरण	31.3.96	0.00
480.	यू. के. भारत नेटवर्क		0.00
481.	पर्यावरण अनुदान 1993	31.12.98	0.00
482.	गुणवत्ता नियंत्रण	30.9.98	0.00
483.	कृषि वाणिज्यिकीकरण	30.9.98	0.00
484.	पूंजीगत माल–XXIV	31.12.92	0.00
485.	पूंजीगत माल	31.12.94	0.00
486.	लघुक्रियाकलाप स्कीम	01.01.01	0.00
487.	अनुदान सहायता	01.01.01	0.00

[हिन्दी]

एयर इंडिया को घाटा

573. डॉ. साक्षीजी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1994 के "हिन्दुस्तान" में "एयर इंडिया को ढाई (2.5) लाख डालर का चूना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ समाचार में बताया गया था कि अमेरिका में बसे हुए एक भारतीय ट्रैवल एजेंट ने 2.50 लाख अमरीकी डालर के एयर इंडिया के टिकट बेचे थे किन्तु उसने विमान कम्पनी की इसकी अदायगी नहीं की थी, उसने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया और इस तरह एयर इंडिया के साथ-साथ कई अन्य विमान कम्पनियों को भी धोखा दिया। समाचार में यह भी आरोप लगाया गया था कि इस धोखा-धड़ी में एयर इंडिया के कुछ अधिकारी भी शामिल थे।

(ग) से (ङ). एयर इंडिया लिमिटेड के उच्चाधिकारियों के एक उच्चस्तरीय दल ने स्थल पर जाकर अध्ययन किया तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें प्रक्रिया की त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए सिफारिशें की गई थीं। एयर इंडिया के गलती करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। मामले की विस्तृत जांच कराने के लिए सरकार ने इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है।

[अनुवाद]

यूरो-इश्यू

574. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर-नवम्बर, 1994 के महीनों के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्रों की किन-किन कंपनियों ने यूरो-इश्यू जारी किए और इन्होंने विदेशी मुद्रा में कुल कितना धन अर्जित किया;

(ख) ये कंपनियां इस धन का उपयोग किस तरह करेंगी;

(ग) क्या सरकार यूरो-इश्यूस के जारी करने और पूंजी बाजार से धन उगाहने और विशेषतः यूरो-धन के अंतिम उपयोग की निगरानी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उन कंपनियों की सूची जिन्होंने सितम्बर से नवम्बर, 1994 (25 नवम्बर, 1994 तक) के दौरान यूरो-इश्यू जारी किए और उनके द्वारा वसूल की गई राशियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ख) से (ङ). यूरो इश्युओं से हुई आय को 11 मई, 1994 के भारत सरकार के दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुमोदित अन्त-तक प्रयोगों के लिए लगाया जाना होता है। दिशा-निर्देशों के संबंध में, यूरो-इश्यू से संबंधित आय जुटाने वाली कंपनियों को उनके प्रयोग के बारे में तिमाही विवरण प्रस्तुत करने होते हैं। अंत तक प्रयोग संबंधी मापदण्ड तथा प्रतिधारण और प्रत्यावर्तन संबंधी अपेक्षाओं का उद्देश्य विदेशी मुद्रा अन्तःप्रवाहों और मुद्रा भंडारों का अनुवीक्षण करना और स्फीतिकारी दबावों पर नियंत्रण करना होता है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनियों का नाम	मिलियन अमरीकी डालर
1.	शिव इंडस्ट्रीज	45,000
2.	संघी पालिएस्टर	44,965
3.	जे सी टी लिमिटेड	47,244
4.	सेन्चुरी टेक्सटाइल एण्ड इन्डस्ट्रीज लि.	100,000
5.	ए पी आई सी (एफ सी सी बी)	67,515
6.	इंडिया सीमेन्टस	49,500
7.	जे.के. कार्पोरेशन लिमिटेड	55,000
8.	ऊषा बेल्ट्रॉन	35,000
9.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड	61,111
10.	श्रीराम इंडस्ट्रीज	40,037
11.	हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	65,000
		610,372

बीड़ी श्रमिकों को आवास ऋण

575. डॉ. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अब तक बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष से बीड़ी श्रमिकों को आवास ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (30-11-94 तक) के दौरान बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में से गुजरात के बीड़ी कर्मकारों हेतु कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम

576. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम), 1986 की खामियों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). अधिनियम के उपबंधों को और अधिक कठोर बनाने के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

577. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों के नवीकरण हेतु किसी विशेष योजना को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन होटलों के नाम क्या हैं तथा इन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां। वर्ष 1994-95 के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने 600 लाख रूपए के पूंजीगत परिव्यय की परिकल्पना करते हुए अपने होटलों के लिए एक नवीकरण कार्यक्रम तैयार किया है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1994-95 के दौरान नवीकरण/सुधार के लिए होटल-वार पूंजीगत योजना परिव्यय

(रू. लाखों में)

1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	175.00
2.	सम्राट होटल, नई दिल्ली	25.00
3.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	10.00
4.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	15.00
5.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	40.00
6.	लोधी होटल, नई दिल्ली	20.00
7.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	10.00
8.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	58.00
9.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	35.00
10.	कोवलम अशोक बीच रिज़ार्ट, कोवलम	20.00
11.	अशोक होटल, बंगलौर	30.00
12.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	10.00
13.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	20.00
14.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	15.00
15.	होटल वाराणसी अशोक	10.00
16.	होटल जम्मू अशोक	10.00
17.	होटल आगरा अशोक	5.00
18.	भरतपुर फॉरेस्ट लॉज	5.00
19.	होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	5.00
20.	होटल बोधगया अशोक	2.00
21.	होटल हसन अशोक	5.00
22.	होटल खजुराहो अशोक	5.00
23.	होटल मदुरै अशोक	5.00
24.	होटल मनाली अशोक	3.00
25.	होटल औरंगाबाद अशोक	20.00
26.	टेम्पल बे अशोक बीच रिज़ार्ट, मास्मल्लापुरम	42.00
		600.00

हीरा कॉम्पलेक्स

578. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हीरों के निर्यात के लिए गुजरात में हीरा केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात से हीरों के निर्यात के लिए सूरत और भावनगर में हीरा कॉम्पलेक्स बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक गैर सरकारी कंपनी हीरा एवं रत्न विकास निगम (डी जी डी सी), ने गुजरात में साघिन में एक डायमंड पार्क की स्थापना की है। हाल ही में, एक गैर-सरकारी उद्यम सूरत हीरा बोर्स, ने हीरों की आयात तथा निर्यात खेपों की सीमा-शुल्क संबंधी क्लीयरेंस हेतु डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क में प्रचालन कार्य शुरू किया है। यह एक इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो है। पार्क, में अवस्थित किए जाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में एक निर्यात संसाधन क्षेत्र को भी हाल ही में मंजूरी दी गई है।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्याज की दरें

579. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में जमा की गई राशि और लोक भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि में किए गए अंशदान पर ब्याज की दरों के निर्धारण के संबंध में विशिष्ट मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या इन वर्गों में ब्याज की दर और कर की देनदारी में कोई अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त/वयोवृद्ध नागरिकों द्वारा बैंकों में जमा की गई राशि के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बैंकों में जमा राशि पर कम ब्याज दर होने के कारण सेवानिवृत्त/वयोवृद्ध नागरिकों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सेवानिवृत्त/वयोवृद्ध नागरिकों द्वारा की गई बचत पर ह्रास को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) बैंक जमाराशियों की ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति की दर के अलावा विभिन्न पहलुओं अर्थात् बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने की लागत, अन्य वैकल्पिक बचत लिखतों पर अदा किए गए ब्याज की दर और बैंकों की अर्थक्षमता को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। जमाराशि की दरों और उधार दरों के बीच भी संबंध होता है। सार्वजनिक भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में किए गए अंशदान के मामले में, ब्याज दर निर्धारण मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, अर्थव्यवस्था में वृद्धि आदि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ). आंकड़ा सूचना प्रणाली से सेवानिवृत्त/वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बैंकों में जमा की गई राशियों के संबंध में अलग से ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है।

(च) और (छ). चूंकि बैंक जमाराशियां विभिन्न प्रकार के बचत लिखतों में से एक हैं, इसलिए निवेशकों के पास उनके जोखिम/प्रतिलाभ को ध्यान में रखते हुए उच्चतर प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए बचतों के अन्य लिखतों में निवेश करने का विकल्प होता है। अन्य बचत लिखतों की तुलना में कम प्रतिलाभ के बावजूद बैंक जमाराशियों की चल-निधि, सुरक्षा और आसानी से उपलब्धता का लाभ उसे आकर्षक बनाता है। अलबत्ता, इस समय बैंकों के लिए निर्धारित जमाराशि दरों की संरचना को इस समय पर्याप्त सुदृढ़ स्थूल आर्थिक परिस्थितियों और मुद्रास्फीति के दबाव में नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझा जाता है। सेवानिवृत्त/वरिष्ठ नागरिकों सहित बैंक जमाकर्त्ता कम से कम 46 दिनों की अवधि के लिए 7% की अधिकतम ब्याज दर प्राप्त कर रहे हैं।

गुजरात को वित्तीय सहायता

580. श्री गाणाजी मंगाजी ठाकुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने चालू वर्ष में राज्य में अस्पतालों की हालत में सुधार करने के लिए आवास और शहरी विकास निगम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अभी तक कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) ने सूचित किया है कि उसे चालू वर्ष के दौरान राज्य में अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने के लिये गुजरात सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। आवास एवं शहरी विकास निगम से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण राज्य में अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने के लिये गुजरात सरकार को उस मंत्रालय से कोई सहायता नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

581. श्री आनंद अहिरवार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में संगठित क्षेत्र में कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराना स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) कितनी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दी जानी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 1991 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में मुख्य कर्मकारों की संख्या 24.9 मिलियन थी। जनगणना आंकड़ों में संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के संबंध में अलग से सूचना नहीं है। तथापि, श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा जारी पॉकेट बुक ऑफ लेबर स्टैस्टिक्स (1994) के अनुसार, 1991 में मध्य प्रदेश में कारखानों में नियोजित कर्मकारों की अनुमानित औसत दैनिक संख्या 524,000 थी।

(ख) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

सर्विस एरिया एप्रोच योजना के अन्तर्गत आबंटित गांव

582. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सर्विस एरिया एप्रोच योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ख) गुजरात में सरकारी बैंकों की शाखाओं को उक्त योजना के अंतर्गत कितने गांव आबंटित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सेवा क्षेत्र योजना (एस ए ए) के तहत बैंकों को कई मार्गनिर्देश जारी किए हैं। सामान्यतया, प्रत्येक बैंक शाखा के सेवा क्षेत्र में विनिर्दिष्ट गांव आते हैं और ऋण देने की संभाव्यता का मूल्यांकन करने तथा सहायता के लिए हिताधिकारियों का पता लगाने हेतु सेवा क्षेत्र के गांवों का सर्वेक्षण करने के पश्चात् प्रत्येक शाखा द्वारा सेवा क्षेत्र के लिए वार्षिक ऋण योजनायें (ए सी पी) तैयार की जाती हैं। इसका उद्देश्य अपेक्षित क्षेत्रों में सुचारू ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। सेवा क्षेत्र योजना की ऋण सुविधाओं में सरकार के प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत दिए जाने वाले अग्रिम और कृषि, लघु उद्योग, ग्रामीण कारीगर, ग्रामोद्योग और सेवा क्षेत्र जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के अंतर्गत दिए जाने वाले अग्रिम भी आते हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग-अलग कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंकों द्वारा सरकार के विभिन्न प्रायोजित कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत अग्रिम प्रदान किए जाते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पटना सर्कल में सर्वाधिक आयकर और उत्पाद शुल्क दाता

583. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पटना सर्किल में सर्वाधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर देने वाले व्यक्तियों में पच्चीस शीर्ष व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि में उनके द्वारा कुल कितनी कर राशि का भुगतान किया गया और उन पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस सर्किल से उत्पाद कर और आयकर के रूप में कुल कितनी राशि एकत्रित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नशीली दवाओं का अवैध व्यापार

584. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1 जनवरी, 1994 से लेकर आज तक नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से संबंधित कितने-कितने मूल्य के कितने मामलों का पता चला;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1 जनवरी, 1994 से नवंबर, 1994 तक पता चले स्वापक औषधों के अवैध व्यापार के कुल मामलों की संख्या 10048 है। स्वापक औषधों का सही मूल्यांकन, जो प्रायः अनिर्धारित मात्रा और मिश्रण के होते हैं तथा जिन्हें नष्ट किया जाना होता है, संभव नहीं है।

(ख) 1 जनवरी, 1994 से नवंबर, 1994 तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 10594 है।

(ग) गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियो को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अभियोजित किया गया है जिसमे कठोर दण्ड की व्यवस्था है।

सोने का जब्त किया जाना

585. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इंडिया के एक विमान में दो करोड़ रूपये मूल्य का सोना जब्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो जब्त किये गये सोने का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ग) ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। अभिग्रहण के ब्यौरे और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :-

मात्र	मूल्य	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
41.976 किलोग्राम (विदेशी मार्के वाली सोने की 360 छड़ें)	1,98,12,672 रूपये (16.8.1994 को बम्बई हवाई अड्डे पर एयर इंडिया उड़ान 832 से)	कोई नहीं*

* जांच करने पर उन दो यात्रियों के पते जो इसमें शामिल हो सकते है फर्जी पाए गए थे और उनका पता नहीं लगाया जा सका।

(ग) पहले से किए गए नियमित तस्करी-रोधी उपायों के

अलावा सरकार ने इस समस्या, इसके विस्तार का अध्ययन करने तथा भारत में तथा विदेश में तस्करी में लिप्त व्यक्तियों/एजेन्सियों के बारे में कार्यवाही योग्य आसूचना एकत्रित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है।

[अनुवाद]

हेरिटेज होटलों की स्थापना

586. श्री के. प्रधानी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हेरिटेज होटलों के चयन के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में हेरिटेज होटलों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) सरकार ने एक स्वैच्छिक स्कीम शुरू की है जिससे 1950 से पहले के निर्मित भवन जैसे–दुर्ग, महल, हवेलियां, आदि यदि होटलों में परिवर्तित कर दिए जाएं तो उन्हें हैरिटेज होटलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उससे देश को पर्यटन के लिए एक नया आयाम मिलेगा।

(ख) और (ग). भारत सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य में महल सम्पत्तियों पर तैयार की गई एक सर्वेक्षण रिपोर्ट को ऐसी परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है। केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट संस्थानों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों पर पूंजी निवेश इमदाद तथा 5 प्रतिशत की ब्याज इमदाद प्रदान करती है।

राज्यों में निर्यात संवर्द्धन विभाग की स्थापना

587. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **वाणिज्य मंत्री** 5 मार्च, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से अपने–अपने राज्यों में एक–एक निर्यात मंत्रालय बनाने के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). दिनांक 15 जनवरी, 1993 को तत्कालीन वाणिज्य राज्य मंत्री ने 16 राज्यों के मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों को भेजे गए पत्र में सुझाव दिया था कि उनके यहां एक अलग निर्यात संवर्धन विभाग बनाने से निर्यात संबंधी मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलेगी। इस बारे में उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, जम्मू तथा काश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। पंजाब, कर्नाटक, जम्मू तथा काश्मीर, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने–अपने यहां के समग्र प्रशासनिक सन्दर्भ में उक्त प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं पाया। उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और गुजरात की सरकारों ने पाया कि उनके राज्यों में मौजूदा निर्यात संवर्धन ढांचा पर्याप्त है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने माननीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने का निर्णय लिया है।

किन्तु, यह मंत्रालय उन राज्य सरकारों से नियमित सम्पर्क बनाए हुए है जो अपने–अपने विभिन्न उपायों के जरिए राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन कार्य में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

भारत-ब्रिटेन व्यापार

588. श्री शरत पटनायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत–ब्रिटेन व्यापार बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क में कटौती करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). यूनाइटेड किंगडम और अन्य स्थानों के विभिन्न लोगों ने इंगित किया है कि यदि उच्च टैरिफ सम्बन्धी बाधाओं को कम कर दिया जाए तो भारत के साथ व्यापार और भारत में निवेश बढ़ सकता है।

कर सुधार समिति जिसकी अध्यक्षता प्रो. चैलय्या द्वारा की गई, की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने टैरिफों में चरणबद्ध रूप से कमी करने का मार्ग पहले ही अपना लिया है ताकि उन्हें अन्य तुलनीय विकासशील देशों में प्रचलित स्तरों के साथ व्यापक रूप से अनुरूप किया जा सके।

आवेदन-पत्र के साथ जमा धनराशि की वापसी

589. श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री सूची के खुलने और इश्यू जारी/आवेदन पत्र के साथ जमा धनराशि को वापस करने में व्यापाक अंतर है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में "सेबी" के निर्देशों के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई तंत्र बनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) कम्पनी अधिनियम और "सेबी" के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियों को 70 दिनों के भीतर आवेदन–राशि लौटाना और आबंटन पत्र जारी करना अपेक्षित होता है। तथापि, "सेबी" को इस संबंध में कुछ कंपनियों द्वारा किए गए विलम्ब से जुड़ी निवेशकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग). "सेबी" ने निवेशक की शिकायतें, जो कंपनियों,

इश्यू के रजिस्ट्रारों और मर्चेन्ट बैंकरों के साथ उठाई जाती है, प्राप्त करने का एक तंत्र विकसित किया है। कंपनियों को संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को इस आशय का एक वचन भी प्रस्तुत करना होता है कि सभी वापसी आदेश/शेयर सर्टीफिकेटों को निर्धारित समय-सीमा के काफी पहले प्रेषित कर दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नगर परिवहन सेवा

590. श्री अमर रायप्रधान : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा से सिलीगुड़ी तक और सिलीगुड़ी से बागडोगरा तक इंडियन एयरलाइन्स की नगर परिवहन सेवा शुरू करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

"गैट" समझौते से होने वाले लाभ

591. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "गैट" संधि स्वीकार करने से होने वाले दीर्घावधि और अल्पावधि प्रभावों का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). उरुग्वे दौरे के परिणाम कुल मिलाकर हमारे लिए लाभदायक होंगे। इस समझौते से नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली स्थापित होगी जिसमें व्यापक और ठोस नियम होंगे। प्रशुल्कों के कम होने तथा बहुरेशा करार के चरणबद्ध रूप में समाप्त होने के फलस्वरूप भारतीय सामान के लिए बाहर पहुंच के अधिक अवसर मिलेंगे। सेवाओं संबंधी करार से भी बहुपक्षीय नियमों के तहत वास्तविक व्यक्तियों की मात्रा निश्चित कर दिये जाने से सेवाओं का निर्यात भी होगा। हालांकि हमें अपनी पेटेन्ट प्रणाली में संशोधन करना होगा, लेकिन पेटेंटधारक द्वारा पेटेन्ट अधिकारों के दुरूप्रयोग के खिलाफ करार में सुरक्षा भी है। हमें पौध किस्म संरक्षण की अपनी अद्वितीय प्रणाली तैयार करने के लिए लोचशीलता प्राप्त होगी जिसमें कृषकों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं के लिए अधिकारों का प्रावधान किया जा सकेगा। कृषि में, हमारी विकास और सार्वजनिक कल्याण की नीतियां बाधित नहीं होंगी जबकि साथ ही हमारे उत्पादों के लिए अवसर सृजित होंगे।

एक संतुलित आकलन किया गया है कि विश्व व्यापार में प्रतिवर्ष लगभग 240 बिलियन डालर की वृद्धि होगी। अतिरिक्त निर्यातों के रूप में भारत को प्रतिवर्ष 1.5 से 2 बिलियन डालर का लाभ होने का अनुमान है। सरकार बाजार पहुंच अनुसूचियों का व्यापक विश्लेषण कर रही है जिससे कि उरुग्वे दौर के अन्तिम अधिनियम द्वारा सृजित अवसरों का सही-सही पता लगाया जा सके।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान का क्षतिग्रस्त होना

592. श्री श्रीकान्त जेना :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का एक विमान 19 अगस्त, 1994 को जयपुर में हवाई पट्टी को पार कर जाने के कारण भारी रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस घटना की यदि कोई जांच कराई थी तो उसके क्या परिणाम निकले और इस दुर्घटना के कारण अनुमानतः कितना घाटा हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइन्स का एयर बस ए-320 विमान 20-8-1994 को जयपुर हवाई अड्डे पर अवतरण करते समय धावनपथ के आखिरी छोर को पार कर गया था और इस कारण यह काफी क्षतिग्रस्त हो गया था।

(ख) और (ग). नागर विमानन महानिदेशक द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। विमान के विमानचालक और सह-विमानचालक को ग्राउण्ड कर दिया गया है।

गुजरात में लघु उद्योगों को ऋण

593. श्री दिलीपभाई संघाणी :
श्री हरिभाई पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने गुजरात में 1993-94 के दौरान और चालू वर्ष में नवम्बर तक लघु उद्योगों को कितनी धनराशि के ऋण दिये;

(ख) क्या राज्य में लघु उद्योग अन्य राज्यों की तुलना में बैंक ऋणों की अदायगी के मामले मे बेहतर स्थिति में है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋणों का विवरण

594. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आस्थगित ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत वाहनों की खरीद के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गुजरात और राजस्थान में ऋण की कितनी राशि वितरित की गई,

(ख) ऋण लेने वाले विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कितने वाहन खरीदे गए; और

(ग) ऋण लेने वालों में कितने शिक्षित बेरोजगार युवक हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात और राजस्थान में वाहनों की खरीद के लिए अपनी आस्थगित ऋण गारंटी योजनाओं अर्थात बिल पुनर्भुनाई योजना (बीआरएस) और प्रत्यक्ष भुनाई योजना (डीडीएस) के अंतर्गत संवितरित की गई सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(करोड़ रूपए)

	गुजरात			राजस्थान		
	बीआरएस	डीडीएस	कुल	बीआरएस	डीडीएस	कुल
1991-92	10.22	1.81	12.03	26.67	0.06	26.73
1992-93	11.65	0.85	12.50	29.49	0.04	29.53
1993-94	7.81	2.70	10.51	14.01	0.11	14.12

(ख) और (ग). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऐसे आंकडे नहीं रखे जाते।

स्वर्ण भंडार

595. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत समय में अन्य देशों में गिरवी रखे गए सोने के भंडारों को वापस भारत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सोने को देश से बाहर ले जाने और उसे स्वदेश वापस लाने में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). आवश्यक ऋणों को जुटाने के लिए जो सोना पहले विदेश में गिरवी रखा गया था, वह हमें वापस मिल गया है। सोने को भारत मे वास्तविक रूप से वापस नहीं लाया गया है। विदेशी प्रारक्षित निधियों के समग्र प्रबंध के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अपनी स्वर्ण धारिताओं का कुछ भाग विदेशी सेन्ट्रल बैंकों मे स्वर्ण जमा कराए जाने के रूप में रखता है जिससे कि उसकी स्वर्ण धारिताओं पर आय की प्राप्ति हो सके।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के सोने को इंग्लैंड के बैंक म हस्तान्तरित करने से भाड़े, बीमा और उठाने रखने संबंधी प्रभारों के कारण होने वाला व्यय 1.51 करोड़ रूपए था।

अलाभप्रद मार्गों पर उड़ानें

596. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू–कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अलाभप्रद मार्गों पर निजी विमान कम्पनियों द्वारा उड़ानें शुरू करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है;

(ख) इन राज्यों में विमान सेवाएं शुरू करने के लिए निजी विमान कम्पनियों ने क्या कार्यवाही की है एवं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स, वायुदूत और निजी विमान कम्पनियों ने किन–किन शहरों, कस्बों और क्षेत्रों में अपनी उड़ानें शुरू की हैं तथा खुले आकाश की नीति के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान इन्हें कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां। छः निजी संचालकों को देश में अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी गई है जिनमें से मोदी लुफ्त, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स, दमानिया एयरवेज़ तथा जेट एयरवेज से चार अनुसूचित वायु परिवहन प्रचालकों जो के ट्रंक मार्गों (कोटि-I) पर प्रचालन कर रहे हैं, को कोटि–II, कोटि अतः II तथा कोटि–III में प्रचालन करने की आवश्यकता है। उन्हें विभिन्न कोटियों के मार्गों/अंचलों में प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सेवाओं की आवश्यकता पूरी करने वाली अपनी नई अनुसूचियां भी 1–12–94 को या इससे पहले प्रचालित करनी थी। इन राज्यों के लिए निजी अनुसूचित प्रचालकों द्वारा दायर किए गए तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित मार्ग संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स, वायुदूत तथा निजी विमान कम्पनियों के कार्यक्षेत्र में आने वाले नगरों, शहरों तथा क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं देने वाले तीन विवरण–I, II, III तथा IV के रूप में संलग्न हैं। निजी विमान कम्पनियों को मुक्त आकाश नीति के अंतर्गत प्रचालन करने हेतु लाइसेंस दिए गए हैं। ऐसे निजी प्रचालकों द्वारा अर्जित राजस्व सरकार को दिया जाना आवश्यक नहीं है।

विवरण-I

लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 596

जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले मार्ग

1	2
1.	कलकत्ता–डिब्रूगढ़
2.	कलकत्ता–गुवाहाटी
3.	कलकत्ता–सिल्चर
4.	गुवाहाटी–डिब्रूगढ़
5.	गुवाहाटी–सिल्चर

1	2
6.	अगरतला–गुवाहाटी
7	कलकत्ता–अगरतला
8.	दिल्ली–जम्मू
9.	दिल्ली–श्रीनगर
10.	जम्मू–श्रीनगर
11.	कोचीन–अगत्ती

विवरण-II

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सेवित स्टेशनों की सूची

घरेलू

क्र.सं.	स्टेशन का नाम
1	2
1.	अगरतला
2.	आगरा
3.	अहमदाबाद
4.	अमृतसर
5.	औरंगाबाद
6.	बागडोगरा
7.	बंगलौर
8.	भावनगर
9.	भोपाल
10.	भुवनेश्वर
11.	भुज़
12.	बम्बई
13.	कलकत्ता
14.	कालीकट
15.	चंडीगढ़
16.	कोचीन
17.	कोयम्बतूर
18.	वाराणसी
19.	दिल्ली
20.	डिब्रूगढ़
21.	दीमापुर
22.	गोवा
23.	गुवाहाटी
24.	ग्वालियर
25.	हैदराबाद
26.	इम्फाल
27.	इन्दौर
28.	विशाखापतनम
29.	जयपुर
30.	जम्मू
31.	जोरहाट
32.	जोमनगर
33.	जोधपुर
34.	खजुराहो
35.	लेह
36.	लखनऊ
37.	मदुरै
38.	मंगलौर
39.	मद्रास
40.	नागपुर
41.	पटना
42.	पोर्ट ब्लेयर
43.	पुणे
44.	रायपुर
45.	राजकोट
46.	रांची
47.	सिल्चर
48.	श्रीनगर
49.	तेजपुर
50.	त्रिची
51.	त्रिवेन्द्रम
52.	उदयपुर
53.	बडोदरा

विवरण-III

वायुदूत द्वारा प्रचालित 13 स्टेशनों की सूची

असम	
–	डिब्रूगढ़
–	गुवाहाटी
–	लीलाबाड़ी
–	सिल्चर
अरुणाचल प्रदेश	
–	तेजू
–	जैरो
त्रिपुरा	
–	अगरतला
मेघालय	
–	शिलॉंग
मिजोरम	
–	एजवल
नागालैंड	
–	दीमापुर
वैस्ट बंगाल	
–	कलकत्ता
–	बागडोगरा
–	कूच बिहार

विवरण-IV

1	2
मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	
1.	अहमदाबाद
2.	औरंगाबाद
3.	बंगलौर
4.	बेलगांम
5.	भावनगर
6.	बम्बई
7.	कलकत्ता
8.	कालीकट
9.	कोचीन
10.	कोयम्बतूर
11.	दिल्ली
12.	दीव
13.	गोवा
14.	हैदराबाद
15.	जयपुर
16.	जोधपुर
17.	मद्रास
18.	मदुरै
19.	मंगलौर
20.	नागपुर
21.	पोरबन्दर
22.	पुणे
23.	राजकोट
24.	त्रिवेन्द्रम
25.	बडोदरा
26.	विजाग
27.	डिब्रूगढ़
28.	गुवाहाटी
29.	सिल्चर
मैसर्स मोदीलुफ्ट	
1.	अहमदाबाद
2.	अमृतसर
3.	बंगलौर
4.	बम्बई
5.	कलकत्ता
6.	कोचीन
7.	दिल्ली
8.	गोवा
9.	जयपुर
10.	खजुराहो
11.	पुणे
12.	उदयपुर
13.	वाराणसी
14.	जम्मू
15.	श्रीनगर
मैसर्स एनईपीसी एयरलाइन्स	
1.	अहमदाबाद
2.	बंगलौर
3.	बेलगांम
4.	भावनगर
5.	बम्बई
6.	कालीकट
7.	कोचीन
8.	अगत्ती
9.	कोयम्बतूर
10.	गोवा
11.	हुबली
12.	जामनगर
13.	केशोद (जूनागढ़)
14.	मद्रास
15.	मदुरै
16.	मंगलौर
17.	पोरबन्दर
18.	पुणे
19.	त्रिची
20.	त्रिवेन्द्रम
21.	बडोदरा
22.	विजयवाड़ा
23.	विजाग
मैसर्स दमानिया एयरवेज़	
1.	अहमदाबाद
2.	बंगलौर
3.	बम्बई
4.	कलकत्ता
5.	कोयम्बतूर
6.	दिल्ली
7.	गोवा
8.	इन्दौर

1	2
9.	मद्रास
10.	डिब्रूगढ़
11.	गुवाहाटी
मैसर्स जैट एयरवेज़	
1.	अहमदाबाद
2.	बंगलौर
3.	बम्बई
4.	कलकत्ता
5.	कालीकट
6.	कोचीन
7.	कोयम्बतूर
8.	दिल्ली
9.	गोवा
10.	हैदराबाद
11.	मद्रास
12.	मंगलौर
13.	भोपाल
14.	चंडीगढ़
15.	जबलपुर
16.	कुल्लू
17.	लुधियाना
18.	रायपुर
19.	शिमला
20.	अगरतला
21.	डिब्रूगढ़
22.	गुवाहाटी

स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार संबंधी मामलों को निपटाने हेतु विशेष अदालतें

597. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए दिल्ली में सात विशेष अदालतें गठित की हैं;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी अदालतें गठित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस समय राज्यवार कितनी विशेष अदालतें कार्य कर रही हैं;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान इन अदालतों में कितने मामले दर्ज किए गये; और

(ङ) इन मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने स्वापक औषध मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए 10 विशेष अदालतें गठित की हैं।

(ख) और (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेष अदालतों की संख्या निम्नानुसार है :–

1.	गोवा	1
2.	महाराष्ट्र	8
3.	मणिपुर	4
4.	मेघालय	5
5.	त्रिपुरा	1
6.	पश्चिम बंगाल	4
7.	तमिलनाडु	6
8.	राजस्थान	1
9.	सिक्किम	1
10.	नागालैण्ड	8

(घ) स्वापक औषध एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत वर्ष 1993 में अभियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 9964 थी। इन व्यक्तियों पर विशेष अदालतों द्वारा अथवा विशेष अदालतें न होने की स्थिति में सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। विशेष अदालतों में दर्ज किए गए मामलों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ङ) राज्य सरकारों ने पुनः अनुरोध किया है कि पर्याप्त संख्या में विशेष अदालतें गठित की जाए। प्रवर्त्तन एजेंसियों को भी यह कहा गया है कि वे अदालतों तथा अभियोक्ताओं से मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कार्यवाही करने हेतु अनुरोध करें।

[हिन्दी]

ऋण नीति

598. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक की नई ऋण नीति के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या विभिन्न बैंकों तथा बैंकों से ऋण लेने वाले व्यक्तियों के बीच अनिश्चितता की स्थिति व्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार नई ऋण नीति को कारगर ढंग से लागू करने के लिए प्रभावी बाजार निगरानी प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

17 अक्तूबर, 1994 को वर्ष 1994-95 की दूसरी छमाही के लिए घोषित ऋण नीति से है। ऋण नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक ऋण अपेक्षाओं को बैंकिंग प्रणाली पूरी कर सके और अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि को पुनरूज्जीवित किया जा सके।

(ख) और (ग). भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

(घ) और (ङ). ऋण नीति की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है। बैंक ऋण में वृद्धि के लिए निगरानी रखने और यदि आवश्यक हो तो, नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्रभावी प्रक्रिया पहले ही विद्यमान है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को बजटीय सहायता

599. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उ.प्र.) लिमिटेड की पांच मिलों अर्थात् न्यू विक्टोरिया, म्यूर, स्वदेशी काटन, लक्ष्मी रतन काटन, और एथरटन गिल्स की स्थिति सरकारी बजटीय सहायता में कटौती के कारण दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों के श्रमिकों को उनके वेतन, ग्रैच्युटी और भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). यू.पी. में स्थित मिलों सहित एन टी सी के अन्तर्गत मिलें कार्यशील पूंजी की भारी कमी के कारण उत्पादन के लिए मुख्य आवक प्राप्त करने तथा वेतनों, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि के बकाया देयों आदि के भुगतान में भी कठिनाई का सामना कर रही हैं। फिर भी, सरकार वेतनों, बोनस आदि के भुगतान के लिए निधियों को विशेष रिलीज कर रही है।

वित्तीय अनुशासन

600. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश में वित्तीय सुधारों हेतु कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ किए गए सुधारों के महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :-

(एक) सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए समूचे तौर पर तदर्थ राजकोषीय हुन्डियों की निवल निर्गम पर 6000 करोड़ रूपए की सीमा रखने के एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(दो) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखा जाने वाला सांविधिक नकदी अनुपात अपनी कुल निवल मांग और सावधि देयताओं के प्रति 34.75 प्रतिशत से घटाकर 31.50 प्रतिशत कर दिया गया है।

(तीन) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत 2 लाख रूपए से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दर को विनियंत्रित कर दिया गया है और उनके 25,000 रूपए से अधिक और 2 लाख रूपए तक के कार्यशील पूंजीगत अग्रिमों तथा सावधि ऋणों पर ब्याज दर को क्रमशः 0.5 और 1.5 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। और,

(चार) सभी सहकारी बैंकों की जमा और अग्रिम दोनों प्रकार की राशियों पर लगने वाले ब्याज दरों को भी विनियंत्रित कर दिया गया है, जिसके लिए 12 प्रतिशत की न्यूनतम उधार दर होगी।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से तदर्थ सरकारी हुंडियों की प्रणाली को 1997-98 से समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। जहां तक सांविधिक नकदी अनुपात (एस एल आर) का संबंध है, इसे कम करके मार्च 1996 तक 25 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है।

करेंसी नोटों का मुद्रण

601. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के विचार से करेंसी नोटों के मुद्रण की सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकिंग सेवा

602. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवाओं को आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) बैंकिंग सेवाओं को आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शामिल करने के लिए एक वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता।

[हिन्दी]

जानवरों की खाल का जब्त होना

603. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जनवरी, 1994 से पूरे देश में जब्त की गयी जानवरों की खाल का ब्यौरा क्या है और इसकी कीमत कितनी है; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बोनस की अधिकतम सीमा

604. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत** :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा को बढ़ाने तथा महंगाई भत्ते के संबंध में स्लैब प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत बोनस की अधिकतम सीमा बढ़ाने और केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की स्लैब प्रणाली शुरू करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

साधारण बीमा निगम की अनुषंगी कम्पनियों द्वारा दावों का भुगतान

605. **डॉ. रमेश चन्द तोमर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम द्वारा बीमा अधिनियम की धारा 64 वी बी के अनुसरण में अपनी अनुषंगी कंपनियों को मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या दावों का भुगतान करते समय धारा 64 वी बी के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है, और

(ग) दिल्ली स्थित न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी और अन्य कंपनियों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने दावे अस्वीकार किए गए और धारा 64 वी बी के उपबंधों का उल्लघंन करते हुए कितने दावों का भगुतान किया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

606. **श्री हरि केवल प्रसाद** :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के कृषि श्रमिकों के लिए स्वीकृत व्यापक कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं से कितने कृषि श्रमिक लाभान्वित हुए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के लिए संघ सरकार द्वारा अनुमोदित कोई योजना नहीं है। तथापि, ग्रामीण श्रमिकों, जिनमें उक्त राज्य के पूरे खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं, के कल्याण के लिए चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाओं में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :-

(i) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) इस योजना के अंतर्गत, आय सृजन की परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसके अतर्गत छोटे किसानों, सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण शिल्पियों को विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता दी जाती है, और विभिन्न दरों पर आवधिक ऋण दिया जाता है, इसके तहत अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान सहायता-प्राप्त उत्तर प्रदेश के परिवारों की संख्या क्रमशः 462259, 387961 और 445403 है।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.) और जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) का उद्देश्य अतिरिक्त लाभकारी रोज़गार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। दो योजनाओं (अर्थात् एन.आर.ई.पी. और आर एल.ई.जी.पी.) को 1989 में मिला दिया गया था और परिव्यय में पर्याप्त रूप से वृद्धि करके उसका नाम बदल कर जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) रख दिया गया था। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत सृजित किए गए रोजगारों की संख्या क्रमशः 1562.14, 1496.29 और 1739.18 लाख श्रम दिवस है। इस योजना को देश के ऐसे 120 पिछड़े जिलों में तेज कर दिया गया है जिनमें बेरोजगारी और अल्प रोजगार की बहुलता है।

(iii) स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (ट्राइसेम) इस योजना का उद्देश्य स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण श्रमिकों के कौशल का उत्थान करना है।

(iv) रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) 2 अक्तूबर, 1993 को पूरे देश के 1752 पता लगाए गए पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना चलाई गई जिसका उद्देश्य खेती का मौसम न होने पर अकुशल शारीरिक कार्य के लिए 100 दिनों का प्रत्याभूत वेतन–सहित रोजगार प्रदान करना है। इस योजना से प्रमुख रूप से खेतिहर मजदूरों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य नहीं रखे गए हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.) नामक एक योजना चलाई गई है जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए वर्ष 1982-83 में चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत उनके कौशल और अभिरूचि के अनुरूप आय सृजन के क्रियाकलापों के लिए एक ग्रुप एप्रोच का प्रयोग किया गया है। यह योजना ट्राइसेम और आई.आर.डी.पी. के सहयोग से चलाई जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों ने कई बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं जैसे जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1987 में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए चलाई गई समूह बीमा योजना, जो 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमांकन के अंतर्गत शामिल करने के लिए है और 1988 में आई. आर.डी.पी. के लाभानुभोगियों के लिए चलाई गई बीमा योजना/राज्य सरकारें वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही हैं।

[अनुवाद]

कालीकट विमानपत्तन पर एयर कार्गो काम्प्लेक्स

607. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट विमानपत्तन पर एयर कार्गो काम्प्लेक्स के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त काम्प्लेक्स का निर्माण कब तक किया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) से (घ). कालीकट विमानपत्तन पर एयर कार्गो काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए फिलहाल राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कालीकट के एयर कार्गो काम्प्लेक्स बनाने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात से लौह अयस्क का निर्यात

608. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष गुजरात में कुल कितने लौह अयस्क का उत्पादन किया गया और राज्य में निर्यात के लिए इसकी कुल कितनी मात्रा खरीदी गयी;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्य में लौह अयस्क के निर्यात और उसकी खरीद में भारी गिरावट आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, नागपुर द्वारा दिनांक 1.4.1990 तक के लिए तैयार किए गए खनिज बीजक के अनुरूप, गुजरात राज्य में लौह अयस्क का कोई भण्डार/उत्पादन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग

609. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों ने राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सूचना दी है, उन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में जयपुर में हुए उत्तरी और मध्य राज्यों के श्रम मंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में इस विषय पर कोई विचार–विमर्श हुआ था;

(ग) यदि हां, तो इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों को भेज दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कई राज्य सरकारो और संघ शासित प्रदेशों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध एक विशिष्ट भत्ते की व्यवस्था की है जिसमें प्रत्येक छह महीने के अंतराल में संशोधन किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी की दरों और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते से सम्बंधित राज्य–वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। न्यूनतम मजदूरी से संबंधित विषय पर 25 अक्तूबर, 1994 को आयोजित उत्तरी और मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया गया था जिसमें राज्य सरकारों ने क्षेत्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी में व्याप्त अंतरों को कम करने और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध विशेष भत्ते के रूप में मुआवजे की व्यवस्था करने और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया है। केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में उचित संशोधन करके उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को समाविष्ट करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य सरकार तथा/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	न्यूनतम मजदूरी दरें तथा संशोधन की तारीख	अभ्युक्ति
I.	**राज्य**		
*1.	आन्ध्र प्रदेश	11.00 रू. से 40.00 रू. प्र. दि.* (11.10.94)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न हैं।
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.00 रू. से 21.00 रू. प्र. दि. (1.11.90)	रोजगार दर रोजगार और क्षेत्र दर क्षेत्र मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं
3.	असम	25.00 रू. से 32.80 रू. प्र. दि.* (10.2.94)	रोजगार दर रोजगार मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न हैं
4.	बिहार	21.00 रू. से 34.00 रू. प्र. दि. (19.7.93)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं
5.	गोवा	14.00 रू. से 27.00 रू. प्र. दि. (7.2.92)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं।
6.	गुजरात	15.00 रू. से 37.50 रू. प्र. दि.* (1.4.94)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
7.	हरियाणा	1123 रू प्रतिमाह* (1.7.94)	सभी नियोजन के लिये समान दरें
8.	हिमाचल प्रदेश	24.00 रू. प्र. दि. (14.11.93)	सभी नियोजन के लिये समान दरें
9.	जम्मू और कश्मीर	15.00 रू. प्र. दि. (24.3.89)	सभी रोजगार के लिए समान दरें
10.	कर्नाटक	23.44 रू. से 32.53 रू. प्र. दि.* (22.7.92)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
11.	केरल	19.50 रू. से 76.40 रू. प्र. दि.* (31.3.92)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
12.	मध्य प्रदेश	28.17 रू. से 33.92 रू. प्र. दि.* (29.1.94)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं
13.	महाराष्ट्र	8.50 रू. से 64.50 रू. प्र. दि.* (29.6.94)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
14.	मणिपुर	23.70 रू. प्र. दि.* (मैदानों के लिए)*	सभी रोजगार हेतु दुगनी दरें
		26.70 रू. प्र. दि. (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) (1.6.90)	
15.	मेघालय	37.00 रू. प्र. दि.* (16.3.94)	सभी रोजगार के लिए समान दरें
16.	मिजोरम	28.00 रू. प्र. दि. (6.7.92)	सभी रोजगार के लिए समान दरें
17.	नागालैंड	25.00 रू. प्र. दि. (6.7.92)	सभी रोजगार के लिए समान दरें
18.	उड़ीसा	25.00 रू. प्र. दि. (1.7.92)	सभी रोजगार के लिए समान दरें
19.	पंजाब	40.52 रू. प्र. दि.* (1.9.92)	सभी रोजगार के लिए समान दरें
20.	राजस्थान	22.00 रू. प्र. दि. (2.7.90)	सभी रोजगार के लिए समान दरें
21.	सिक्किम	शून्य	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को अभी लागू और प्रवर्तित किया जाना है
22.	तमिलनाडु	10.00 रू. से 56.25 रू. प्र. दि.* (27.1.93)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
23.	त्रिपुरा	11.80 रू. से 23.65 रू. प्र. दि. (1.1.90)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
24.	उत्तर प्रदेश	468.00 रू. से 1038.00 रू.* प्रतिमाह (3.1.94)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
25.	पश्चिम बंगाल	17.00 रू. से 45.16. रू.* प्र. दि. (1.12.93)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
26.	अण्डमान और निकोबार	27.00 रू. से 28.00 प्र. दि. (13.8.92)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
27.	चण्डीगढ़	1043.50 रू. प्र. माह (22.2.90) *	सभी रोजगार के लिए समान दरें
28.	दादरा और नगर हवेली	19.50 रू. से 29.65 रू. प्र. दि. (15.12.92)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)
29.	दमन और दीव	22.00 रू. से 27.00 रू. प्र. दि. (19.3.93)	सभी रोजगार के लिए समान दरें
30.	दिल्ली	54.60 रू. प्र. दि. (1.8.94) *	सभी रोजगार के लिए समान दरें
31.	लक्षद्वीप	30.00 रू. प्र. दि. (1.1.93)	सभी रोजगार के लिए समान दरें
32.	पांडिचेरी	8.00 रू. से 14.00 रू. प्र. दि. (13.12.89)	कृषि कर्मकारों के लिए दरें
II.	**केन्द्रीय सरकार**	28.00 रू. से 38.47 रू. प्र. दि. (12.7.94)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न-भिन्न हैं (क्षेत्रानुसार)

टिप्पणी :* न्यूनतम मजदूरी दरों सहित परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का प्रावधान इंगित करता है।

पटसन उत्पादों की मांग

610. श्री सुकदेव पासवान : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन और पटसन उत्पादों की मांग में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या कुछ देशों ने पटसन का उत्पादन करने तथा पटसन उद्योग का विस्तार करने हेतु आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पटसन उद्योग के विस्तार और बिहार के पूर्णिया डिवीजन तथा देश के अन्य भागों में पटसन पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कोई योजना बनायी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) घरेलू बाजार में कच्चे पटसन की मांग में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। तथापि, कच्चे पटसन का निर्यात अलग-अलग वर्ष में भिन्न है जो कि मुख्यतः फसल के आकार तथा उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। वर्ष 1993-94 तक पटसन के सामान के लिए घरेलू मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 1994-95 (अप्रैल-अगस्त) में यह 1993-94 की इसी अवधि की तुलना में कम हुई है। वर्ष 1993-94 के दौरान पटसन के सामान के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा और रूपए दोनों की दृष्टि से वृद्धि हुई है। फिर भी वर्ष 1994-95 (अप्रैल-अगस्त) में इसमें वर्ष 1993-94 की इसी अवधि की तुलना में गिरावट आई है।

(ख) और (ग). यू एन डी पी से 2.3 मिलियन अमेरीकी डालर की वित्तीय सहायता तथा भारत सरकार द्वारा समान अंशदान से एक राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पटसन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पंजीकृत बेरोजगार

612. श्री गुरुदास कामत :
डा. साक्षीजी :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री बी. एन. रेड्डी :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
कुमार सुशीला तिरिया :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री बापू हरि चौरे :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न रोजगार केन्द्रों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार, लिंग-वार और श्रेणी-वार कितने बेरोजगार लोग पंजीकृत थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोजगार केन्द्रों के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार दिया गया; और

(ग) बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ख) देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या क्रमशः 253.0 हजार, 238.7 हजार तथा 231.4 हजार थी।

(ग) आठवीं योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना की रोजगार नीति में ऐसे सैक्टरों, सब-सैक्टरों और क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था के विकास की उच्च दर पर विचार किया गया है, जिनमें रोजगार सृजन की गति बढ़ाने के लिए रोजगार की बड़ी संभावनायें हैं।

विवरण

वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश राज्य	1991					1992					1993				
		कुल	पुरुष	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	पुरुष	महिलाए	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	पुरुष	महिलाएं	अ.ज. (अ)	अ.ज.जा (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	3208.7	2714.2	494.4	378.3	79.8	3330.9	2803.3	527.4	406.6	81.8	29986	2495.8	500.8	399.4	70.9
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.1	3.8	1.3	उ. न.	उ. न.	5.3	3.7	1.5	**	0.3	7.7	5.5	2.3	**	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	असम	1332.5	1056.9	275.5	72.7	130.2	1365.1	1080.5	284.7	74.9	143.2	1377.0	1089.0	288.0	75.3	140.3
4.	बिहार	3574.9	3343.1	231.8	387.3	216.1	3486.8	3259.8	227.0	381.2	203.6	3339.3	3116.3	223.0	379.7	242.9
5.	गोवा	101.9	70.8	31.2	1.1	**	108.2	74.7	33.5	1.1	**	116.3	79.4	36.9	1.4	**
6.	गुजरात	982.3	857.0	125.3	165.7	87.2	1027.0	891.0	136.0	174.9	91.2	973.6	840.6	132.8	172.2	93.6
7.	हरियाणा	667.3	562.6	104.7	111.0	**	653.7	549.3	104.4	107.4	**	676.3	567.6	108.8	110.3	**
8.	हिमाचल प्रदेश	464.4	359.3	105.1	81.4	14.1	472.4	364.6	107.9	84.7	13.6	482.8	372.2	110.6	90.3	13.9
9.	जम्मू और कश्मीर	136.5	115.8	20.7	7.1	0.1	130.7	110.3	20.4	8.0	0.3	137.8	114.1	23.7	8.6	0.5
10.	कर्नाटक	1456.6	1162.8	293.7	161.4	19.2	1501.8	1189.9	311.9	173.5	24.1	1575.4	1245.0	330.5	187.5	28.3
11.	केरल	3722.5	1884.3	1838.1	330.7	17.7	3826.1	1924.0	1902.1	325.5	18.3	4171.0	2075.3	2095.7	393.6	20.1
12.	मध्य प्रदेश	1990.9	1706.3	284.6	252.4	164.0	1982.5	1704.7	277.7	258.2	176.1	1939.6	1664.0	275.6	273.8	190.0
13.	महाराष्ट्र	3159.3	2675.3	484.1	494.0	103.0	3320.7	2788.4	532.3	518.6	109.1	3349.4	2790.0	559.3	536.6	118.9
14.	मणीपुर	196.8	143.8	53.0	1.4	49.2	212.9	154.6	58.3	1.6	53.2	229.9	166.9	63.0	1.8	54.1
15.	मेघालय	24.0	15.7	0.3	8.2	16.1	24.9	15.5	9.4	0.2	17.6	27.6	17.0	10.6	0.3	18.7
16.	मिजोरम	37.0	28.1	8.9	–	37.0	36.3	27.6	8.7	–	36.3	39.9	30.0	9.9	–	39.9
17.	नागालैंड	23.0	16.6	6.5	1.6	19.7	20.7	14.4	6.2	1.1	20.6	20.7	14.6	6.0	1.1	19.5
18.	उड़ीसा	903.7	789.6	114.1	112.5	69.1	896.9	771.0	125.9	114.3	74.0	857.8	731.8	126.0	117.1	73.4
19.	पंजाब	751.4	589.4	162.1	203.1	**	721.5	563.1	158.4	196.1	**	645.8	503.0	142.8	181.3	**
20.	राजस्थान	892.6	809.4	83.2	128.7	59.3	864.7	779.9	84.8	21.5	54.0	828.7	744.0	84.7	127.3	57.8
21.	सिक्किम*															
22.	तमिलनाडु	3456.1	2448.3	1007.9	709.6	14.8	3736.7	2613.4	1123.4	748.1	12.1	3860.0	2691.9	1168.1	804.4	13.9
23.	त्रिपुरा	166.4	111.7	54.7	10.3	11.5	179.7	120.2	59.5	10.8	12.3	189.2	125.2	64.0	12.0	13.9
24.	उत्तर प्रदेश	2787.9	2555.8	212.1	512.0	10.0	2534.7	2333.1	201.6	474.4	10.4	2379.6	2187.4	192.2	454.0	9.8
25.	पश्चिम बंगाल	5073.5	4024.0	1049.5	423.5	82.4	5091.2	4015.7	1075.5	437.2	79.2	4815.1	3786.9	1028.1	456.2	86.8
संघ शासित प्रदेश																
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.5	12.4	5.0	–	0.7	17.0	11.8	5.2	–	0.7	18.8	12.6	6.1	–	0.7
27.	चंडीगढ	160.1	127.8	32.3	41.7	0.1	161.9	128.9	33.1	42.3	0.1	161.6	128.5	33.2	41.9	0.1
28.	दादर और नगर हवेली	2.5	1.8	0.7	0.2	0.9	2.9	2.1	0.8	0.2	0.9	3.5	2.6	1.0	0.2	0.9
29.	दिल्ली	890.9	711.1	179.7	122.7	13.3	905.5	711.6	193.9	129.8	16.6	908.0	711.0	197.0	138.7	18.6
30.	दमन और द्वीव	2.1	1.6	0.5	0.1	0.2	2.5	1.9	0.5	0.2	0.3	0.3	2.3	0.7	0.2	0.3
31.	लक्षद्वीप	8.3	5.0	1.3	–	5.7	6.9	5.4	1.5	–	6.4	7.9	6.1	1.9	–	6.4
32.	पाण्डिचेरी	125.3	87.8	37.6	9.5	0.1	130.4	91.0	39.5	9.5	0.1	135.5	93.3	42.2	10.0	**
	योग :	36299.7	28992.0	7307.7	4720.1	1221.6	36758.4	29105.5	7652.9	4801.9	1256.5	36275.5	28410.2	7865.3	4975.2	1333.6

टिप्पणी 1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

2. यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकडे योग से मेल न खायें।

3. ** आंकडे 50 से कम

4. उ.न.– उपलब्ध नहीं

5. अ. अनन्तिम

5. यह आवश्यक नहीं कि रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्ति बेरोजगार हों।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

613. श्री राम बदन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं और कहां-कहां हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन बैंकों की क्या उपलब्धियां रहीं हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ बैंकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में चालीस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, जिनके मुख्यालय मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़ बाराबंकी, फरूखाबाद, सीतापुर, बलिया, सुलतानपुर, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, इटावा, बदायूं, मैनपुरी, वाराणसी, बस्ती, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ फेजाबाद, फतेहपुर, बरेली, गोंडा, अलीगढ़ बांदा, एटा, जौनपुर, उरई (जालौन), झांसी, बिजनौर, शाहजहांपुर, नैनीताल, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, मुजफ्फरनगर, पिथौरागढ़ देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और गाजियाबाद में स्थित हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, जमाराशियों और अग्रिमों में इन बैंकों की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

क्र.स.	ब्यौरा/विवरण	(लाख रूपए में) 1992-93	1993-94*
1.	बकाया जमाराशियां (मार्च के अन्त की स्थिति के अनुसार)	196147.72	235886.64
2.	बकाया अग्रिम (मार्च के अन्त की स्थिति के अनुसार)	94896.11	104258.15
3.	ऋण जमा अनुपात (मार्च के अन्त की स्थिति के अनुसार प्रतिशत)	48.4	44.2
4.	वर्ष के दौरान जारी किया गया ऋण	16665.06	22186.41

* आंकडे अनन्तिम

(ग) कमजोर वर्गों तक पहुंचने और विस्तृत सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय नुकसान हुआ है। वर्ष 1992-93 के दौरान, 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 31 को 48.15 करोड रूपए की हानि हुई है। मार्च 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार, संचित हानियों की राशि 163.07 करोड रूपए थी।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को होने वाली हानियों के लिए ग्राहकों के चयन पर प्रतिबंध, सीमित परिचालन क्षेत्र, कम ब्याज मार्जिन, विशेष रूप से राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (एनआईटी) के पंचाट के कार्यान्वयन के बाद बढ़ती हुई स्थापना लागत आदि जैसे कई कारक उत्तरदायी हैं।

[अनुवाद]

नेडुम्बसेरी हवाई अड्डा

614. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोचीन के पास नेडुम्बसेरी में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, नहीं। केरल सरकार की कोचीन के पास नेडुम्बसेरी में एक नए विमानपत्तन का विकास करने की योजनाएं हैं। मुख्यतः भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सम्पन्न न हो पाने के कारण इसके निर्माण में विलम्ब हो रहा है।

[हिन्दी]

उत्पादकता से जुड़ा वेतन

615. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधीन कुछ उपक्रमों में कर्मचारियों के वेतन को उत्पादन से जोड़ने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को कोयला क्षेत्र में भी लागू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मजदूरी वार्ता के 5वें दौर के दिशा निर्देशों में यह निर्देश दिया है कि नई मजदूरी नीति के अंतर्गत प्रत्येक उद्यम/इकाई का प्रबंधन अपने संसाधन/लाभ सृजन को ध्यान में रखते हुए तथा उसके अनुरूप मजदूरी ढांचे के बारे में वार्तालाप करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) से (ङ). कोयला खनन उद्योग में उत्पादकता से मजदूरी को संबद्ध करने से संबंधित कोई सामान्य योजना नहीं है। तथापि, जहां मजदूरी, उत्पादकता से जुड़ी है, वहां भूमिगत खनिकों/ लोडरों को उजरती दर पर भुगतान की दीर्घ काल से सुस्थापित प्रणाली चली आ रही है। उजरती दर के खनिकों/लोडरों को कार्य के आधार पर समूह मजदूरी दी जाती है और उसके आगे उन्हें कार्य निष्पादन आधार पर यथानुपाती मजदूरी दी जाती है।

[अनुवाद]

हवाई परिवहन अधिकारवत्ता

616. श्री राम विलास पासवान :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई परिवहन अधिकारवत्ता अत्यधिक रूप से अप्रयुक्त रहती है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में उपयोग की जा रही द्विपक्षीय हवाई परिवहन अधिकारवत्ता का प्रतिशत कितना है और इसकी अधिकारवत्ता के कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) द्विपक्षी अधिकारवत्ता के कम उपयोग के कारण वार्षिक आधार पर कितनी राजस्व हानि हो रही है; और

(घ) हवाई परिवहन अधिकारवत्ता के अधिकतम उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). भारतीय और विदेशी कम्पनियों की द्विपक्षीय हकदारी सामान्यतया देश द्वय आधार पर समान होती है। भारतीय विमान कंपनियां अर्थात् एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स अपनी कुल हकदारी के लगभग 42 प्रतिशत का उपयोग कर रही हैं और 44 विदेशी विमान कम्पनियां भारत के लिए कुल अंतर्राष्ट्रीय हकदारी के लगभग 66 प्रतिशत का उपयोग कर रही है। द्विपक्षीय हकदारी के संबंध में समझौता-वार्ता संविदाकारी देशों के बीच यातायात की संभाव्यता के आधार पर की जाती है परन्तु सेवाओं का नियोजन प्रवर्तमान वास्तविक यातायात और अन्य प्रचालनात्मक कठिनाइयों पर निर्भर करता है। हकदारी के न्यून उपयोग के कारण स्वतः कोई हानि नहीं होती।

(घ) भारतीय विमान कंपनियां द्विपक्षीय हकदारी के उपयोग में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :-

(1) विमान क्षमता की वेट लीजिंग द्वारा।

(2) उड़ानों की बेहतर समय-अनुसूची द्वारा।

(3) अपने बीच और अन्य विमान कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम उड़ानों का प्रचालन करके।

निर्यात लक्ष्यों पर प्लेग का प्रभाव

617. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में फैले प्लेग के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण कुल कितनी आर्थिक हानि हुई और कितने निर्यात आर्डर रद्द कर दिए गए;

(ग) क्या इस निर्यात लक्ष्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त कर लेने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). प्लेग के कारण हुई हानियों के बारे में बताना कठिन है। अधिकांश निर्यातकों ने यह राय व्यक्त की है कि प्लेग के फैलने से उनके निर्यातों का लदान होने में विलंब हुआ, वे रद्द नहीं हुई। अक्तूबर, 1994 के दौरान कुल 2198 मिलियन डालर के निर्यात होने का अनुमान है जो अक्तूबर, 1993 में हुए निर्यात की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है और चालू वित्तीय वर्ष के अन्य महीनों की तुलना में भी वे अधिक हुए हैं।

(ग) और (घ). आठवीं योजना के लक्ष्यों के अनुरूप निर्यात में वृद्धि करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आयकर विभाग द्वारा अर्जित संपत्ति

618. श्री लाल बाबू राय :
श्री छेदी पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 (1) के उपबंधों के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा राज्यवार कितनी संपत्तियां अर्जित की गयीं और उनका मूल्य कितना है;

(ख) इन संपत्तियों को अर्जित करने हेतु इनके मूल्य के रूप में राज्यवार कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया,

(ग) उक्त अवधि के दौरान आयकर विभाग द्वारा राज्यवार किन-किन संपत्तियों को बेचा गया; और

(घ) इन संपत्तियों की बिक्री से आयकर विभाग को कुल कितना लाभ हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के उपबंधों के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा राज्य-वार खरीदी गयी संपत्तियों के संबंध में भुगतान की गयी धनराशि, इस अवधि में बेची गयी संपत्तियों की संख्या और इन संपत्तियों की बिक्री पर प्राप्त की गयी अतिरिक्त धनराशि से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

(अनंतिम आंकड़े)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	खरीदी गई सम्पत्तियों की संख्या	सम्पत्तियों का मूल्य (रू. करोड़ों में)	भुगतान की गई धनराशि (रू. करोड़ों में)	बेची गई सम्पत्तियों की संख्या	बिक्री पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि (रू. करोड़ों में)
1.	उत्तर प्रदेश	20	6.15	4.15	4.0	0.62
2.	बिहार	1	0.27	–	–	–
3.	कर्नाटक	47	16.56	10.62	32	4.51
4.	आन्ध्र प्रदेश	6	0.93	0.37	1	0.09
5.	केरल	2	0.46	0.45	4	0.66
6.	तमिलनाडु	21	2.65	2.65	9	1.22
7.	दिल्ली	27	16.10	15.89	23	2.53
8.	राजस्थान	3	1.53	1.53	1	0.22
9.	चंडीगढ़	1	0.45	0.45	5	0.48
10.	हरियाणा	5	0.55	0.55	–	
11.	पश्चिम बंगाल	25	13.07	13.07	10	0.94
12.	गुजरात	32	10.05	9.43	4	3.98
13.	महाराष्ट्र	206	198.11	173.17	124	54.82

[अनुवाद]

गेहूं का निर्यात

619. श्री सी.पी. मुडाल गिरियप्पा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994 के दौरान भारत नेपाल और अन्य देशों को गेहूं का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज तक देशवार गेहूं की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(ग) सरकार ने गेहूं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). 1 अप्रैल, 94 से प्रभावी देशवार निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

देश	मात्रा
दुबई	185.5 एम टी
सिंगापुर	7000.0 एम टी
अल्जीरिया	23000 एम टी
हांगकांग	21 एम टी
सिंगापुर	20 एम टी
नीदरलैण्ड्स	26000 एम टी
कुल :	56226.5 एम टी

(ग) गेहूं का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में शामिल हैं : न्यूनतम निर्यात कीमत निर्धारण को समाप्त करना और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली खुली बाजार बिक्रियों के बदले निर्यातकों को गेहूं की आपूर्ति करना।

स्टॉक मार्किट स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों को सहायता

620. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वियतनाम में देश का पहला स्टॉक मार्किट स्थापित करने के लिए सहायता का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस करार को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा;

(ङ) क्या भारतीय सहायता लेने के संबंध में किसी अन्य देश से कोई ऐसा ही प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग

621. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच प्रस्तावित दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कर ली है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो आयोग की स्थापना में विलम्ब का क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

[अनुवाद]

"सेबी" द्वारा प्राप्त शिकायतें

622. **श्री राम कापसे :**
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा चालू वर्ष के दौरान 30 सितंबर तक निवेशकों से प्राप्त शिकायतों का कंपनीवार एवं बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि उसे 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 1994 की समयावधि के दौरान निवेशकों से 2,91,552 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें वापसी आदेश की प्राप्ति न होने, एडवाइस के आबंटन, शेयरों पर लाभांश, ऋण पत्रों पर ब्याज, आबंटन/अन्तरण के बाद शेयर/ऋण पत्र प्रमाण–पत्र, कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट, राइट शेयरों से सम्बद्ध आवेदन प्रपत्र आदि से संबंधित चार व्यापार श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। "सेबी" ने सूचित किया है कि वह ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखता जिसमें वार्षिक आधार पर कंपनियों/बैंकों के विरूद्ध शिकायतों की कुल संख्या प्रदर्शित होती हो।

(ख) "सेबी" ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 1994 की समयावधि के दौरान 1,75,743 शिकायतों का निपटान किया है।

[हिन्दी]

मुद्रा प्रसार

623. **श्री गुमान मल लोढा :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1993 के प्रथम नौ महीनों के दौरान मुद्रा प्रसार में वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1993 के अंत तक देश में कितनी धनराशि का मुद्रा प्रसार था;

(ग) 30 सितम्बर, 1994 तक कितनी धनराशि का मुद्रा प्रसार हो गया; और

(घ) मुद्रा प्रसार में वृद्धि के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी हां। 24 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार मुद्रा आपूर्ति (एम 3) 408413 करोड़ रूपए से बढ़कर 30 सितम्बर, 1994 को 475563 करोड़ रूपए हो गयी, जो कि 16.4 प्रतिशत है।

(घ) एम 3 में वृद्धि के मुख्य स्रोतों में बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में तेजी से वृद्धि (96.1 प्रतिशत) और उपर्युक्त अवधि के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्रों के बैंक ऋणों में वृद्धि (8.6 प्रतिशत) हैं। इस अवधि के दौरान सरकार की निवल बैंक ऋण की वृद्धि कम होकर 6.1 प्रतिशत रही है।

अनिवासी करदाताओं के लिए सांविधिक प्राधिकरण

624. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों सहित सभी अनिवासी करदाताओं के आवेदन–पत्रों पर अग्रिम विनिर्णय देने के लिए किसी सांविधिक प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है; और

(ग) इस प्राधिकरण के गठन के बाद इसके द्वारा शुरू किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य रखे गये हैं। अब तक केवल अध्यक्ष ही नियुक्त किए गए हैं।

(ग) प्राधिकरण ने अब तक चार आवेदनों की सुनवाई की है और उनमें से तीन पर अपनी व्यवस्था दी है।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में ढांचा गिरने की घटनाएं

625. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रगति मैदान में ढांचा गिरने से श्रमिकों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुईं और इनमें कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या शोक संतप्त परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जाच करवाई है,

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). जब दिनांक 11.4.1994 को वहां पुराने सभा–भवनों को तोड़ा जा रहा था तब एक सुपरवाइजर मलबे में फंस गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। दिनांक 11.8.1994 को 42.0 मीटर की दूरी पर जब कैंचीनुमा पुल कसा जा रहा था और उस पर बत्ते बांधे जा रहे थे तब उसे सीधा नहीं उठाया जा सका जिससे पुल नीचे गिर गया और फलस्वरूप, दो कामगारों की मृत्यु हो गई।

(ग) और (घ). मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों (कामगार मुआवजा अधिनियम) के अनुसार मुआवजा उनके पास जमा करा दिया गया है।

(ङ) से (छ). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन्हें दुर्घटना बताया है क्योंकि इन कार्यों के लिए विशेषीकृत एजेंसियों को लगाया गया था और किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

आर्थिक अपराधों हेतु विशेष न्यायालय

626. श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक अपराधों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) किन–किन राज्यों में ऐसे न्यायालय गठित किए गए हैं/गठित किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। अन्तर राज्य परिषद की अक्तूबर, 1990 को हुई प्रथम बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पहले से कार्यरत 14 विशेष न्यायालयों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में 33 और न्यायालय स्थापित किये जाएं।

(ग) उन राज्यों के नाम जहां विशेष न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं और स्थापित किए जाने की संभावना है, निम्नानुसार है:

राज्य जहां विशेष न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं	राज्य जहां विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने की संभावना है
1	2
आन्ध्र प्रदेश	हरियाणा
बिहार	पंजाब
दिल्ली	पश्चिमी बंगाल
गुजरात	
जम्मू और कश्मीर	
कर्नाटक	
केरल	
मध्य प्रदेश	
महाराष्ट्र	
उड़ीसा	
राजस्थान	
तमिलनाडु	
उत्तर प्रदेश	

12.00 बजे मध्याह्न

लखनऊ के दारूल उलूम नदवा तुल उलमा के छात्रावास में पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : जनाब स्पीकर साहब, मैं एक ऐसे वाकये की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि 21 और 22 नवम्बर की दरम्यानी रात को लखनऊ में नदवा–तुल–उलमा में हुई। अखबारों को देखने से मालूम होता है कि अंधेरी रात में 12 बजे के करीब कुछ लोग खुफिया पुलिस के और उत्तर प्रदेश पुलिस के नदवा तुल उलमा के लड़कों के होस्टल में दाखिल हुए और उन्होंने रेड करके वहां तलाशी लेना शुरू किया। हमेशा तरीका यह होता है कि जब किसी तालीमी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूशन में इस किस्म की जरूरत पेश आती है तो हैड ऑफिस इंस्टीट्यूशन को इत्तला दी जाती है और उसका कॉपरेशन लिया जाता है। नदवा तुल उलमा के डायरैक्टर मौलाना अबुल हसन नदवी हैं। वह इंटरनैशनल शौहरत के आदमी हैं। नदवा तुल उलमा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी इंटरनेशनल इम्पारटैंस है और उसे शौहरत भी हासिल है। वहां रेड किया गया और रेड करने के बाद लड़कों के ऊपर फायरिंग की गई। इससे लड़कों में इशतिआल पैदा हुआ। मैं नदवा तुल उलमा के लोगों का और आम तौर पर उन लोगों का जिन्होंने इस मौके पर सब्र व तहम्मुल से काम लिया, मुबारकवाद देता हूं।

जनाब स्पीकर साहब, इस वाकये का असर सिर्फ लखनऊ, उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान पर ही नहीं पड़ा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। मेरे पास मुरूतलिफ मुमालिक से टेलीफोन आये और उन्होंने कहा कि आपके यहां क्या हो रहा है, आप वहां बैठे क्या कर रहे हैं? मुझे यह भी इत्तला मिली है कि बाज़ इस्लामी मुमालिक के प्रतिनिधि आये और उन्होंने नदवा तुल उलमा में जाकर अबुल हसन नदवी से मुलाकात करके हालात मालूम करने की कोशिश की।

जनाब स्पीकर साहब, अभी पिछले महीने यू.एन.ओ. में पाकिस्तान ने जिस तरह से हिन्दुस्तान के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की और ओ.आई.सी. को अपने साथ लेकर हिन्दुस्तान के खिलाफ रैजोल्यूशन लाने की कोशिश की, उसमें ओ.आई.सी. कंट्रीज ने जिस तरह से हिन्दुस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान का साथ देने से इन्कार कर दिया, वह चीज हमें सामने रखनी चाहिये। ओ.आई.सी.

के लोग नदवा तुल उलमा में आते हैं और उनके स्टूडैंट्स भी वहां आकर तालीम पाते हैं। इससे असरात बहुत बुरे पडते हैं। अभी दुनिया के लोगों के दिलों से 6 दिसम्बर 1992 के वाकये की याद कम नहीं हुई है। इस तरह के वाकयात हिन्दुस्तान में होते रहेंगे तो हमारे देश की इमेज खराब हो जायेगी। मुझे सबसे ज्यादा इस मामले में तफशीश और परेशानी यह हुई कि इस वाकये की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमैंट ने कबूल करने से इन्कार किया।

मुलायम सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि हमको एतमाद में लिए बगैर, हमें इत्तला किए बगैर यह वाकया हुआ। हम इस रेड के ना वाकिफ थे। सुना है कि उन्होंने जो लोकल पुलिस अधिकारी थे, उनको ससपैंड किया है। मैंने अखबार में यह भी पढा है, चव्हाण साहब ने भी यह स्टेटमेंट दिया है कि उनकी इत्तला के बगैर यह वाकया हुआ है। मालूम नहीं कि इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। मैं आपके तवस्सुत से इस हाउस के सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करता हूं कि इस बात की तहकीकात करे इस बात की तफतीश करे। इतना अहम वाकया, इतनी जबरदस्त साजिश, एक ऐसे इदारे के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में 1857 से पहले हिस्सा लिया, सऊवते उठाकर हिन्दुस्तान के आजाद कराने में अपना हिस्सा अदा किया, ऐसे इदारों को अगर निशाना बनाया जाएगा, तो इस मुल्क के लोगों में तहफ्फुज बाकी नहीं रहेगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके तवस्सुत से मुतालबा करता हूं कि इस साजिश को बेनकाब करे। यह बताए कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। मुझे मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे अनासिर फैल गए हैं, जो माइनोरिटीज के खिलाफ, माइनोरिटीज के इदारों के खिलाफ, माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन के खिलाफ साजिशें करते हैं और बदनाम करने के लिए तरह-तरह के तरीके इख्तियार करते हैं। यह उस जंजीर की एक कड़ी है। इसलिए मैं आपके तवस्सुत से मालूम करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें क्या एक्शन लिया है और कितनों की तहकीकात का ऐलान किया गया है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं लखनऊ से निर्वाचित हुआ हूं। नदवा तुल उलमा मेरे क्षेत्र में स्थित है। उच्च इस्लामिक शिक्षा का केन्द्र है। उसका अपना एक इतिहास है। मैंने भी इस संबंध में तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया है। मेरी मांग है, केन्द्र सरकार नदवा तुल उलमा पर जो छापा डाला गया है, उसके बारे में सदन में एक विस्तृत वक्तव्य दे। किसी आधार पर छापा डाला गया है? किस सूचना के आधार पर कार्यवाही की गई? क्या यह सच है, कुछ विदेशियों का अपहरण हुआ था, जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे और जब उनमें से एक की गिरफ्तारी हुई, उसके पास जो सामग्री मिली, उसके आधार पर इंटेलिजैंस ब्यूरो ने यह छापा डाला? मुझे यह भी जानकारी है कि छापे के पहले उत्तर प्रदेश के शासन को जानकारी दे दी गई थी। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, जिस उद्देश्य के लिए छापा डाला गया, क्या वह उद्देश्य पूरा हुआ?

मेरे सहयोगी मित्र ने इस सारे सवाल को एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश की है। मुझे क्षमा करें, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। देश के भीतर कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था है या बहुसंख्यक संस्था यह भेद चल रहा है। यह भेद अपनी जगह पर हो सकता है, लेकिन हर मामले में अगर इस सवाल को इसी नजरिए से देखा जाएगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो प्रश्न है...

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : इस नजरिए से देखने के लिए ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, इंटेलिजैंस ब्यूरो को अगर खबर मिली कि किसी छात्रावास में आतंकवादियों से संबंधित या आतंकवाद से संबंधित लोग छिपे हुए हैं, रहते हैं, तो क्या वहां इसीलिए छापा नहीं डाला जाएगा कि वह संस्था अल्पसंख्यक संस्था है? मैं नहीं समझता कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इस तरह से चल सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं शासन के इस अधिकार को मानता हूं। हां, मैं यह भी मानता हूं, शासन को पर्याप्त जानकारी देने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करते समय उस छात्रावास के अधिकारों को भी अपने साथ रखना चाहिए।

यह आशंका प्रकट की गई है कि अगर हम इसको ज्यादा बताते तो जिस उद्देश्य के लिए छापा मारा जा रहा था वह उद्देश्य पूरा नहीं होता, लेकिन दोनों उद्देश्य पूरे हो सकते थे। वहां छापा मारते समय और छात्रावास के अधिकारियों को साथ लिया जा सकता था। मैं जानना चाहूंगा छात्रावास में क्या निकला? एक रिपोर्ट के अनुसार छात्रावास में कोई नहीं मिला, इससे मामला गंभीर बनता है कि किस जानकारी के आधार पर छापा मारा गया। चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे इस्लामी विश्वविद्यालय हो उसकी स्वायत्तता है, उसका आदर होना चाहिए। लेकिन अगर आतंकवाद से जुड़े हुए व्यक्ति कहीं पनाह ले रहे हैं, किसी छात्रावास को अपना अड्डा बनाए हुए हैं तो क्या हम इंटेलीजेंस ब्यूरो को यह कहेंगे कि जानकारी मिलने के बाद भी आप छापा न मारें, मैं नहीं समझता कि हमारे सहयोगी मित्र की यह राय हो सकती है।...**(व्यवधान)**...

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : यह राय नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह राय हो ही नहीं सकती, यह राय होनी भी नहीं चाहिए। जहां तक मुस्लिम देशों का सवाल है उस पर भी मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। हमारे देश में जो घटनाएं होती हैं उनको सही परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम देशों के सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी मुस्लिम छात्रावास में छापा मार दिया गया इसलिए भारत में इस्लाम खतरे में है और इसलिए वे कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देंगे, इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। करांची में क्या हो रहा है हम उंगलियां नहीं उठा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान मे मानवाधिकारों की क्या स्थिति है हम मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम अपने घर में एक ऐसी व्यवस्था बनाए हुए हैं जो हिन्दू-मुसलमानों में फर्क करती और मैं नहीं समझता हूं कि यह किसी साजिश का नतीजा था। इसलिए यह सरकार एक वक्तव्य दे, पूरे तथ्य सदन के सामने रखे, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर नदवा तुल में ज्यादती हुई है तो उसकी भी निन्दा होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। यह मालूम करने के लिए आप अगर कहते तो मैं आपका साथ देता।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : यही मालूम करने के लिए मैंने कहा।...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, आप यू.एन.ओ. ले आए। आपने इस्लामिक आर्गनाइजेशन को बीच में ला दिया।...**(व्यवधान)**

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : आपको सब मालूम है।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं जानता हूं इसीलिए कह रहा हूं कि ये चीजें अलग रखी जानी चाहिए। इनका असर होता है मगर असर कम किया जाना चाहिए।...**(व्यवधान)**... असर न हो का मतलब यह है कि वे अगर हमारे घरेलू मामलों में रूचि लेंगे तो हम भी उनके घरेलू मामलों में रूचि लेंगे और जो कांच के घर में रहते हैं वे हमारे ऊपर पत्थर फेंकने की गलती न करे। मैं फिर कहता हूं अगर वहां कोई नहीं मिला तो सरकार ने किस आधार पर छापा मारा, यह मैं जानना चाहूंगा इसका सरकार जवाब दे। उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार में तालमेल नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है, जिन अधिकारियों ने केन्द्र के अधिकारियों के कहने पर सहयोग किया। अब अगर किसी प्रदेश में अधिकारियों के साथ इस आधार पर बर्ताव होगा कि उन्होंने केन्द्र के साथ सहयोग क्यों किया तो फिर यह देश, प्रदेश कैसे चलेगा। और आज प्रदेश के अधिकारियों को बेइज्जत किया गया है, उन्हें हटाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है यह गलत है। अगर केन्द्र की सरकार कहेगी कि हमें किसी प्रदेश में कार्यवाही करनी है, छापा डालना है, आतंकवाद से जुड़े हुए कुछ लोग वहां छिपे हैं यह बात पाई जाती है और अगर प्रदेश के अधिकारी इसमें मदद देंगे तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, फिर कौन आपका साथ देगा। इस देश मे आतंकवाद पर कैसे काबू पाया जाएगा। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, यह सवाल है और मैं समझता हूं कि सारी बातों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, उस दिन नदवा में जो कुछ हुआ वह काफी निंदनीय था। इस देश में छापा मारने या जांच करने के विरूद्ध कोई भी नहीं है यदि इसके पीछे कोई विश्वसनीय कारण है तो किसी समुदाय से संबंधित संस्था का लिहाज किये बिना ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं भी ऐसे किसी प्रकार के छापे मारने के विरूद्ध नहीं हूं। लेकिन यह छापा बिना किसी प्रक्रियात्मक अनुपालन के क्यों मारा गया? उन्होंने छापा मारने से पहले विश्व-विद्यालय के अधिकारियों को सूचित क्यों नहीं किया था और वह भी जब इसके अधिकारी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, मौलाना अबुर्र हसन अली नदवई साहिब प्यार से जिन्हें मौलाना अली मियां बुलाते हैं जो समूचे मुस्लिम विश्व में विख्यात विद्वान पुरूष के नाम से जाने जाते हैं। जब ऐसे छापे मुस्लिम संस्था में बिना किसी उचित नोटिस के मारे जायेंगे, बिना किसी प्रक्रिया के अनुपालन पर ध्यान दिये मारे जायेंगे, तो वास्तव में उसमें शिकायतें तो होंगी ही।

शिकायतें इसलिए नहीं हुई कि छापे मारे गये हैं बल्कि जिस ढंग से मारे गये उस बारे में शिकायतें की गई हैं। दुर्भाग्य से, इस देश में यह प्रवृत्ति है, कुछ नौकरशाह, कुछ अधिकारी यह महसूस करते हैं कि वे अल्पसंख्यकों की संस्थाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं। श्री यूनुस सलीम साहिब ने आपत्ति की है। उन्होंने जो कुछ संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक देशों के सम्मेलन के बारे में उल्लेख किया है वह यह है कि वे इस देश के अन्दरूनी मामलों में हस्ताक्षेप नहीं कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान जैसे देश में जिसमें मुस्लिम देशों में इस देश के हित के विरोध में प्रचार किया जाता रहा है और उन्हें देश के विरूद्ध कदम उठाने के लिए उकसाया जाता रहा है और ऐसी कार्यवाहियां इस देश में बहुत बेढ़ंगे तरीके से की जाती है जैसी कि एक नदवा में हुई है जो इस्लामिक शिक्षा की विख्यात संस्था भी है जिसके मुख्य मौलाना अली मियां नदवी साहिब जैसे महान् व्यक्ति हैं, इससे इस देश में मुसलमानों के साथ हुए व्यवहार का इस्लामिक दुनिया में बहुत गलत संदेश पहुंचेगा। यही उन्होंने यहां उल्लेख किया है।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र में गए भारतीय शिष्टमण्डल का एक सदस्य के रूप में, मुझे ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने का अनुभव रहा है। जब उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान क्या दुस्प्रचार कर रहा है, मैंने केवल यह कहा "आप मेरे राष्ट्र के मामले में हस्ताक्षेप न करें।" उन्होंने हमारे देश के मामलों में हस्ताक्षेप नहीं किया था। वे कह रहे थे कि पाकिस्तान यह बता रहा है, अन्य लोग यह बता रहे हैं कि यह कहाँ तक सच है? यदि भारत के बारे मे उनके दिमाग में कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करना होगा। यह देश के आन्तरिक मामलों में हस्ताक्षेप नहीं है। लेकिन प्रश्न केवल यह है, सरकार अल्पसंख्यकों के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही कर रही है जिनको कुछ कार्यों द्वारा पहले से ही चोट पहुंचाई जा चुकी है, विशेषतः यह कार्य 6 दिसम्बर, 1992 को माननीय वाजपेयी के नजदीकी सहयोगियों द्वारा हमारी बाबरी मजिस्द को गिराने जैसा कार्य किया गया है। ऐसे कार्यों, ऐसी भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए, महोदय, सरकार की ओर से इस प्रकार के निर्णयों पर ध्यान न देना ठीक बात नहीं है। मैं श्री यूनुस सलीम साहिब द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूर्णतः सहमत हूं और समर्थन करता हूं जो देश के हित में है, हम सभी के हित में है, इस प्रकार के कार्य के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों ने यदि अनियमितताएं बरती हैं तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, लखनऊ में नदवा तुल उलमा दुनिया की जानी-मानी इस्लामिक संस्था है, जिस पर रेड किया गया। यह बात सर्वमान्य है कि इसके बारे में लोगों के मन में चिन्ता है और इसकी गंभीरता इसलिए और बढ़ गई कि भारत सरकार के गृह मंत्री ने स्वयं यह बयान दिया और यह कहा कि ऐसी संस्थाओं पर रेड करने से पहले हमसे इजाजत लेनी चाहिए थी, अर्थात् उन्होंने इस रेड को डिसअप्रूव किया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री ने यह बात कही है। जिस तरीके से यह रेड की गई और इसके बाद अखबार में तमाम समाचार छपे कि कोई आपत्तिजनक चीज वहां से नहीं मिली, कश्मीर के दो विद्यार्थी, शायद दो ही विद्यार्थी वहां पर थे, जो पकड़े गए। इस तरह से लोगों की धारणा यह बनी है कि जो कुछ वहां पर हुआ है, वह प्रिजुडिस माइंड से हुआ है। मैं वाजपेयी जी की इस बात से सहमत हूं कि भारत सरकार को इस घटना के बारे में एक बयान देना

चाहिए, ताकि सब तथ्यों का पता लग सके। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं भी किसी भी संस्था में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो देशद्रोही हो, देशद्रोह का काम कर रहा हो चाहे वह कोई अल्पसंख्यक समुदाय का संस्थान हो या बहुमत वालों का संस्थान हो, अगर इस तरह के लोग हों जिससे पता चले कि उनकी कार्रवाई से राष्ट्र का अहित होने वाला है, तो जाहिर है कि पुलिस को और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह के समाचार अखबारों में आये, उससे लगता है कि वहां जो कुछ हुआ वह उचित ढंग से नहीं हुआ। इतना तो किया जाना चाहिए था कि उसके जो प्रधान हैं, अली मियां, वाजपेयीजी सहमत होंगे, सब लोग जानते हैं कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। राष्ट्र हित में उनकी पूर्ण निष्ठा है। उनको विश्वास में लेकर कहा जाता कि आपकी संस्था में एक–दो आदमी ऐसे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी छापे के समय मौजूद रहें तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे इसमें पूरी तरह से सहयोग करते। मैं उनको व्यक्तिगतरूप से जानता हूं, उनके विचारों को भी अच्छी तरह जानता हूं।

इस तरह से जो बात हुई उसका असर सारे देश के ऊपर पड़ा है। मुझे अफसोस है कि वाजपेयीजी ने यूनुस साहब की बात तोड़–मरोड़ कर रखने की कोशिश की, जैसे यूनुस साहब कोई वकालत कर रहे थे।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : वे बैठे हुए हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह सामने बैठे हैं, मुझे मालूम है। वह वह हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं ...**(व्यवधान)**... वाजपेयीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा अपना प्रभाव अपने साथियों को भी दे दें।

श्री अटल बिहार वाजपेयी : आपके ऊपर यूनुस साहब का प्रभाव पड़ा तो कोई बुरी बात नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं एक वरिष्ठ सदस्य हूं। मैं किसी के प्रभाव से प्रभावित होने में अपना अपमान नहीं समझता। यूनुस साहब ने एक अच्छी बात कही, वाजपेयीजी को दर्द हो गया, उसका मुझे एहसास है कि उन्होंने 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात कर दी। क्या उसका असर सारी दुनिया पर नहीं पड़ा, क्या उसका बुरा असर नहीं पड़ा, क्या देश की मर्यादा नहीं टूटी, देश की एकता पर हमला नहीं हुआ, क्या आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे? अगर इस प्रकार की संस्था जिसका प्रधान उलेमा हो, दुनिया में जाना–माना हो, अगर वहां छापा मारा जायेगा, उनको विश्वास में नहीं लिया जायेगा, तो फिर क्या संदेश लोगों को जायेगा? उन्होंने इसकी चर्चा की और इस परिप्रेक्ष्य में की कि अभी सयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान को 9। मुस्लिम देशों में से 6 देशों का ही समर्थन मुश्किल से मिल पाया। अगर उन लोगों के सामने ऐसी बात जाती है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है, जाना–माना एक व्यक्तित्व है। वहां इस तरह का हमला हुआ है और यह संदेश वहां से दुनिया में जाये कि यह संस्था राष्ट्रविरोधियों का गढ है, तो दर्द होना स्वाभाविक है। **(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका दिया जाये।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्षजी अगर मौका देंगे तो आप ले लीजिये। यह धारणा देश में नहीं फैलनी चाहिए कि दारूल उलूम, लखनऊ राष्ट्रविरोधियों का गढ़ है। अगर ऐसी भावना फैलाई जायेगी, जैसी कि कुछ लोगों के जरिये ऐसी कोशिश भी हो रही है, तो इससे देश का अहित होगा। अध्यक्षजी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप गृह मंत्री को कहें कि इस सवाल पर...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यादवजी, मैं आपसे सहमत हूं कि पूरे नदवा को बदनाम करने का अगर प्रयत्न होता है तो गलत है। लेकिन ऐसा कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। नदवा के महत्व स सब लोग परिचित हैं और मैं नहीं समझता हूं कि वहां जो कुछ हुआ और कुछ लोग छिप गये तो अली मियां को उनके बारे में खबर थी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अगर अली मियां को लेकर सहयोग किया जाता तो ऐसा नहीं होता, और आप इससे सहमत होंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन इस चर्चा को राजनीति का रंग न दें। शायद विदेशों में तो यह रंग नहीं दे रहे हैं मगर हम अपने घर में इसको रंग दे रहे हैं। इससे सारे मुस्लिम देश प्रभावित हो रहे है, यह गलत है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : आई.बी. और गवर्नमेंट एक ही पार्ट है और आज विचित्र स्थिति यह है कि होम मिनिस्टर आई.बी. को कंडेम कर रहे हैं और वह इस कारण कर रहे हैं कि आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह तो नदवा के खिलाफ है।

श्री चन्द्रजीत यादव : हमारे कहने से होम मिनिस्टर ने यह बयान दे दिया, आप यह समझते हैं? माफ कीजियेगा, अगर हमारे कहने से सरकार चलती तो बहुत सी अच्छी बातें जो हम कहते हैं, सरकार मानती। यह गलतफहमी आपको कब से हो गयी है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने तो सत्यानाश कर दिया।

श्री चन्द्रजीत यादव : सत्यानाश करने पर तो आप लोग तुले हुये हैं और दोष दूसरों को देते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, हम सभी का एक ही अनुरोध है।

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम लोग यू.पी. के हैं, हमे भी मौका दीजिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि उन्हें स्वयं के लिए कुछ बोलना चाहिए और उन्हें तभी बोलना चाहिए जब उनसे कहा जाये।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी, आप एक छोटे टुकड़े के दो--दो प्रतिनिधियों को बोलने देते हैं तो हमें भी बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : आप बिना वजह का डिस्कशन करते हैं और उसमें कुछ अर्थ नहीं निकलता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बात से सभी सहमत हैं कि जिस तरीके से केन्द्र सरकार के होम मिनिस्टर का वक्तव्य आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया और जिस प्रकार से इस घटना को लेकर कार्यवाही हुई, यह जरूरी है कि गृहमंत्री इसके ऊपर एक वक्तव्य दें ताकि स्थिति का पूरी तरह से खुलासा हो जाना चाहिये और लोगों को तथ्य मालूम होने चाहिये।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, मैं नहीं समझता कि नदवा में जो कुछ हुआ, वह दुःखद हुआ लेकिन उसके बाद जो हो रहा है, वह अत्यंत लज्जाजनक और दुःखद है क्योंकि नदवा में जो कुछ हुआ, हमारी खुफिया एजेंसी ने कुछ कारणों से वहां जाने की बात सोची। वे कहते हैं कि उ.प्र. सरकार को इसकी खबर थी लेकिन उ.प्र. सरकार कहती है कि उनको खबर नहीं थी। अध्यक्ष जी, मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आई.बी. के लोग जिन हालात में काम करते हैं, वह सामान्य हालात नहीं होती है। कई जगह तो अपनी जान को खतरे में डालकर देश की रक्षा का काम करते हैं। उनसे गलतियां हो सकती हैं। कई बार गलतियां जानबूझकर नहीं होती हैं, अनजाने में हो जाती हैं, उनको क्षमा करना चाहिये। अगर कोई गलती जानबूझकर करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। सरकार को इसका अधिकार है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर आई.बी. के खिलाफ कार्यवाही करते। अगर उन्होंने किसी आदेश का पालन नहीं किया या निराधार किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर, जो उनके उत्तरदायित्व के अंदर नहीं थी, यह काम किया तो हमें उसमें कोई शिकायत न होती लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार और उ. प्र. सरकार ने पत्रों के जरिये खुलेआम यह बात चलायी कि आई.बी. के लोगों ने उनकी मर्जी के खिलाफ यह काम किया है तो यह एक दुःखद घटना है। मैं इससे अधिक नहीं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से सरकारें नहीं चलती हैं और इस प्रकार से राज नहीं चलता है। वोट पाने के लिये किस हद तक जायेंगे तो हम सरकार बना सकते हैं, देश नहीं चला सकते हैं। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि यह अत्यंत दुःखद है। मैं ऐसा समझता हूं कि गृह मंत्री ने जो बयान दिया है वह निहायत गैर-जिम्मेदाराना बयान है। मैं ऐसा समझता हूं कि गृहमंत्री का राष्ट्रीय कर्तव्य होता है कि वह सदन के सामने आकर बताये कि किन परिस्थितियों में वे काम हुये थे ?

मुझे यह भी मालूम है कि वहां के मुख्य मंत्री ने इस मामले को निपटाने के लिए कुछ कोशिश की। उसमें उनको उस समय थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि सारा मामला निपट जाने के बाद वहां के लोगों ने इस मामले को तूल देने की कोशिश क्यों की। अली मियां को मैं जानता हूं, नदवा को मैं जानता हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। उस संस्था की परंपरा को और उसकी महत्ता को मैं जानता हूं लेकिन मैं यह नहीं समझता कि उसके बाद ये बयान देने का क्या औचित्य है कि सारा राष्ट्र इसके लिए माफी मांगे, भारत सरकार माफी मांगे। मुझसे कहा जाता है कि यह एक महान संस्था है। इस देश की महान संस्थाओं की क्या हालत हो रही है? क्या स्वर्ण मन्दिर एक महान संस्था नहीं है? वहां पर क्या हुआ? अभी हमारे मित्र चन्द्रजीत जी अयोध्या की बात कह रहे थे। क्या अयोध्या एक महान संस्था नहीं है? वहां क्या हुआ? अगर अयोध्या में हो सकता है, स्वर्ण मन्दिर में हो सकता है तो नदवा में नहीं हो सकता है, यह मान लेना हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं इन सवालों पर मत जाइए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से बहुत प्रभावित हुआ लेकिन उनकी तरफ से मैं बहुत अदब के साथ कहता हूं कि ये मुस्लिम देश वाले नदवा की वजह से हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ उनका पुराना रिश्ता है, बहुत सी बातों की वजह से एक दूसरे के साथ चलते हैं। केवल मुसलमानों की यहां की बातों से ये हमारे साथ हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं और यह बात कहना ठीक नहीं है कि धार्मिक स्थानों पर ये होगा तो उनके मन में कटुता आ जाएगी। मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता। मुस्लिम देशों में भी जब उनके देश की इज्जत के ऊपर खतरा आया है तो उन्होंने पूजा की जगहों पर हमले किये हैं और उस बात को मैं नहीं कहना चाहता कि यहां पर होना चाहिए। लेकिन ये सब बयान देकर यह कहना जैसे कोई अनहोनी घटना हिन्दुस्तान में हो रही है, यह बात हमें दुनिया की नज़रों में गिराती है और ये दुनिया की नज़रों में गिराने का काम अगर कोई सदस्य करे तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। मुझे आश्चर्य होता है कि गृह मंत्री जी जाते हैं, एक दूसरे मंत्री जाते हैं, अखबारों में बयान दिया जाता है कि हम माफी मांगते हैं तो इससे यह मालूम होता है कि कोई गलती हुई है और अगर गलती हुई है तो उसको जानने का अधिकार देश को है। उस गलती को जानने का अधिकार उन बेचारे अधिकारियों को है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। किसी भी अधिकारी की इज्जत आप उतार लें, किसी को भी दुनिया की नज़रों में गिरा दें? मैं बहुत अदब से अपने मित्र यूनुस सलीम साहब से कहना चाहता हूं कि ऐसा माहौल न बना दें कि सरकारी अधिकारी भी धर्म के नाम पर बंट जाएं, दूसरे लोग इस कोशिश में हो सकते हैं। उस कोशिश को आप कामयाब मत होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर गुप्तचर विभाग में भी यह बात आ जाएगी, अगर कुछ लोग गलती करें तो उनको सजा दें लेकिन जो काम भारत सरकार ने किया है और जिस तरह से सारे देश में इस मामले को तूल दिया जा रहा है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सरकार को कुछ सद्बुद्धि दीजिए कि यह सरकार सोच-समझकर बात करे और सोच-समझकर कदम उठाए। अगर इन्होंने माफी मांगी है तो बताएं, क्योंकि गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को सूचना दी। गृह मंत्री के बयान को गुप्तचर विभाग के अधिकारी खंडित कर रहे हैं। गृह मंत्री एक बयान दें, गुप्तचर विभाग का डिप्टी डायरैक्टर दूसरा बयान दे, सरकार चल रही है, देश चल रहा है, इज्जत बढ़ा रहे हैं तीन वर्षों से दुनिया में। इस देश को हम कहां ले जाना चाहते हैं? इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस पर सफाई होनी चाहिए और यह भावना इस देश में और देश के बाहर नहीं जानी चाहिए कि किसी अल्पमत की संस्था के ऊपर कोई अत्याचार सरकार की ओर से हो रहा है और सरकार की किसी एजेन्सी की ओर से हो रहा है और सरकार उस पर चुप बैठी है। लेकिन मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा कि इसको हिन्दू-मुसलमान, अल्पमत-बहुमत का सवाल मत बनाइए। इस सवाल को इस परिवेश में देखिये जिस परिवेश में देखने से इस मामले का हल निकल सकता है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यूनुस सलीम साहब ने यह नदवा का सवाल उठाया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि न सिर्फ नदवा, बल्कि इस तरह के कई इंस्टीट्यूशनों जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात भी कहीं से हमारे साथी ने उठाई जब यहां पर अटल जी बोल रहे थे । लोग एक खास कम्यूनिटी को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें हिन्दुस्तान के अंदर कई जगहों पर कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई आई एस आई का एजेन्ट कहीं है और अगर कोई देश विरोधी काम कहीं पर करता है तो उसको जरूर पकड़ना चाहिए।

लेकिन जैसी नदवा के बारे में अब तक खबर मिली है, एक भी एवीडेंस वहां से न लिखित रूप में, कागज के एतवार से और न आर्म्स की शक्ल में मिला है। वहां से कोई ऐसी चीज नहीं मिली है। इसलिए पूरा शक होता है कि सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिये वह काम किया है।

अध्यक्ष जी, मैंने आपके पास एक लैटर भेजा था, जो खुद मुझसे रिलेटिड था जिसमें मैंने कहा था कि हिन्दुस्तान के अंदर न सिर्फ इंस्टीट्यूशन को बल्कि इंडीवीज्यूअल को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आपके पास मेरा लैटर मौजूद है, मुझे अब तक उसका जवाब नहीं मिला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बात को समझना चाहिए कि इन मामलों को सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। अन्यथा इससे यह लगेगा कि आप मुझ पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूं और न कुछ कहना चाहता हूं लेकिन जो पब्लिक में काम करने वाले लोग हैं, जो लोग सोशलवर्क से जुड़े हैं उनके ऊपर एक तरह के इल्जामात लगाने का काम हो रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि जैसा यहां चन्द्र शेखर जी ने कहा कि इसमें किसी भी अल्पमत और बहुमत की बात नहीं है, मामला सिर्फ इतना है कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को जलील करने के लिये इस तरह का काम हिन्दुस्तान में नहीं होना चाहिये। इससे माइनौरिटी कम्युनिटी के लोगों को मनोबल टूटता है और हिन्दुस्तान में जो मेनस्ट्रीम की बात कही जाती है, उससे लोग हटते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर नदवा में कोई गलती हुई है, अगर सही मायने में वहां कोई टैररिस्ट था या आई एस आई का एजेंट था तो सरकार उसे उजागर करे, सरकार को उसके बारे में पूरे बयान के साथ सदन के सामने आना चाहिये, मुल्क के सामने आना चाहिये, यह मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं भी इस मांग का पूर्ण समर्थन करता हूं कि छापे के दौरान नदवा में जो कुछ हुआ सरकार को उस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि किसी राष्ट्र–विरोधी को देश के किसी धार्मिक स्थान में शरण नहीं दी जानी चाहिए। राज्य को उन्हें बाहर निकालने का अधिकार है जहां कहीं भी वे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए स्वयं को छुपाने का प्रयास करते हैं।

महोदय, लेकिन मुझे इस घटना से ऐसा लगता है कि कुछ बातें इतनी स्पष्ट नहीं है कि छापा किस आधार पर मारा गया और इस छापे के पीछे क्या उद्देश्य था? अब, राज्य को अधिकार है कि वह जो ठीक समझे जो कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के हित में हो, कर सकता है लेकिन उन्हें इसे उचित ढंग से करना चाहिए, संस्था के प्रमुख या रेक्टर को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? हमें यह बताया गया है कि रेक्टर एक देशभक्त और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए था। उन्हें बताया जाना चाहिए था कि कुछ राष्ट्र–विरोधी यहाँ छिपे हुए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। हम अपने कृत्य से ऐसे व्यक्तियों, जो राष्ट्रीय दृष्टि से सहायक हो सकते थे, को निकाल देना चाहिए। हमारे देश में ऐसा होना समझदारी की बात नहीं है।

राज्य एजेन्सियों और केन्द्रीय एजेन्सियों के बीच समन्वय क्यों नहीं था? क्या हम स्थिति सुधारने के लिए हैं या इसे और बिगाड़ने के लिए। जब संवेदनशीलताओं की बात होती है तो हमें सावधानी से कार्य करना चाहिए जिससे कि अवांछनीय तत्व स्थिति का लाभ न उठा सकें। अब हम सबके लिए यह बात स्पष्ट है कि किसी राष्ट्र विरोधी का किसी धर्म विशेष से संबद्ध होना जरूरी नहीं। इसमें मुसलमान भी हैं जो राष्ट्र–विरोधी हैं, हिन्दू लोग भी राष्ट्र–विरोधी हैं। ऐसे वैज्ञानिक हैं जो मुसलमान नहीं हैं परन्तु राष्ट्र विरोधी हैं। वे देश के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं जो अपने धर्म के नाम पर नहीं दूसरे धर्मों के नाम पर जासूसी का कार्य करते हैं। आई एस आर ओ में क्या हो रहा है? अतः धन हर चीज को पीछे छोड़ देता है। देश में इस प्रकार की अपभ्रष्टता व्याप्त हो रही है। महान देश–भक्तों को हमारे वैज्ञानिकों और लोगों को यह बात अवश्य बता देनी चाहिए कि देश के हितों की रक्षा कैसे होती है और हमें स्वयं को हिन्दू और मुसलमान में विभाजित नहीं करना चाहिए। इसीलिए लोगों के विचारों से सभी संदेहों को दूर करने के लिए एक उचित वक्तव्य देने के लिए आगे आना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष जी, नदवा की जिस घटना की चर्चा यहां हो रही है और जो दूसरी तरह की गतिविधियां यहां चल रही है और जो आतंकवाद देश में बढ़ रहा है उसके प्रति जो चिन्ता विपक्ष के नेता ने जाहिर की है मैं आपके माध्यम से सदन में अनुरोध करना चाहता हूं कि उसकी चिन्ता उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुलायम सिंह जी को भी है। जब इस प्रकार की गतिविधियां कहीं चलती हैं और जो छापे मारे जाते हैं या कोई और विरोधी कार्रवाई होती है, तो उसके लिए वहां की सरकार और वहां के लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कदम उठाने होते हैं। इसलिए जो तकलीफ वहां के लोगों को हुई है और जो गैर–जिम्मेदाराना काम हुआ है उसका स्पष्टीकरण भारत सरकार की तरफ यहां आना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि स्थिति क्या थी। मैं आपसे केवल यही अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, नदवा में जो तलाशी ली गई है। यह एक ऐसा वाकया है कि आज की दुनिया के जो हालात

है और हमारे देश की जो हालत है, उसको देखते हुए ऐसा किसी और जगह भी हो सकता है। जो खबरें मैंने पढ़ी थी उनके अनुसार इस प्रकार की तलाशी में छः आदमियों को गिरफ्तार किया गया जिनको बाद में छुड़ा लिया गया या जिनको छोड़ दिया गया । यदि यह गिरफ्तारी जायज लोगों की हुई थी, तो इनको क्यों छुड़वा लिया गया और यदि वे कसूरवार नहीं थे, तो उनको क्यों पकड़ा गया? यह बात सदन के सामने आनी चाहिए। यह बहुत संगीन मामला है। यह पोशीदा मामला है। यह छद्म मामला है। जहां पर बड़ी–बड़ी हस्तियों को उड़ा देने की कोशिश हुई। एक कोशिश तो छः दिसम्बर को हुई जिसमें हमारे इतिहास को ढहा दिया गया। हमारी संस्कृति को ढहा दिया गया। मैं उसको बहस में नही लाना चाहता हूं, लेकिन अभी भी आप लोगों में से उसके प्रति अपने विरोध का कोई इजहार कर दें, नेता विरोधी दल यहां बैठे हैं, अटल जी उसके ऊपर खेद प्रकट कर दें, तो घाव पर मल्हम लगाने का काम अभी भी हो सकता है। **(व्यवधान)**

धैर्य रखिए। श्रीमान मैं जो कह रहा हूं वही मेरा धर्म है। मैं यहां पूजा करूं और वहां चोरी करूं, यह मेरा धर्म नहीं है और न ही मैं ऐसा कर रहा हूं। इसलिए मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए।

अध्यक्ष जी, ऐसी हालत जो नदवा में हुई, यदि इस तलाशी को लेने से पहले वहां के छात्रावास अध्यक्ष को विश्वास में ले लिया जाता, उनका साथ में ले लिया जाता, तो शायद ऐसा नहीं होता। इस बात की सफाई होनी चाहिए। यह विषय बहुत गम्भीर है। यह यहीं तक सीमित नहीं है। यह किसी और जगह भी हो सकता है और वहां पर उपद्रव हो सकते हैं। इसलिए इस विषय की यहां पर सफाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी, ये सब बातें हो चुकी हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी को तलाशी के लिए नहीं कहा गया, तो तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी और यदि तलाशी जरूरी थी, तो भी तलाशी लेते वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए था। यह तो अलेमियां का मामला था। यह तो एक अपवाद है। ऐसी हालत में जो वहां हुआ वह नही होता। वहां जो आवास के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुमति ले लेते, उनको साथ में ले लेते, तो जो वहां हुआ, वैसा नहीं होता। गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य यहां दिया, अगर उनका वक्तव्य सही है, तो कुछ अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। अगर वोटों के लालच में किया है, तो भी मैं समझता हूं कि भारत के नाम के देश का भी अस्तित्व है इसलिए देश के गृह मंत्री को इस मामले के ऊपर त्यागपत्र देना चाहिए क्योंकि गुप्तचर विभाग ने यह काम किया है और वह सीधे गृह मंत्री जी के अधीन आता है। अगर यह गृह विभाग ने किया है, तो दोनों बातें सही हो सकती हैं और दोनों बातें एकसाथ नहीं चल सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे। वह चाहे आज दे या कल दे लेकिन पूरे तथ्य के साथ वक्तव्य दे ताकि देश हमारी सारी बातों को समझ सके।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री भोगेन्द्र झा : जहां तक दूसरे देशों का मामला है, हमारी प्राचीन राष्ट्रीय परम्परा, हमारा संविधान और सभी खामियों के बावजूद हमारे देश का व्यवहार, सहिष्णुता के मामले में, अनेकता में एकता के मामले में दुनिया में किसी देश से भी अगली कतार में ही है। इसलिए हमारे लिए शर्मिन्दा होने का मामला इस मामले में नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सरकार उत्तर देना चाहेगी।

...(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्यों को सरकार ने नोट कर लिया है। गृह मंत्री जी पहले ही कुछ टिप्पणियां कर चुके हैं। हम इस मामले को ध्यानपूर्वक देखेंगे और यह देखना है कि राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सम्मान को भली प्रकार संरक्षित और सुरक्षित रखा जाये।

मैं यह नहीं सोचता कि इस वाद–विवाद को कतिपय मुद्दे से आगे उठाने की आवश्यकता या इच्छा है। माननीय सदस्यों के सुअवसर प्राप्त हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं जो उनकी राय में ठीक हैं। हम उनके विचारों से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और जो कुछ हमारे लिए संभव होगा हम करेंगे । मैं नहीं सोचता हम इस समय इस मामले पर कोई वक्तव्य देना चाहेंगे ... **(व्यवधान)** सभी पूछताछ संबंधी कार्य जो अनावश्यक हैं पूरे हो गये हैं। इस मामले में हमारी ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विरोध व्यक्त करता हूँ। हम यहां अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर पाने की फिराक में नहीं हैं। हम सरकार से जानकारी चाहते हैं जो लोक सभा का अधिकार है और जो प्रत्येक व्यक्ति का हक है। यह बात नहीं है कि हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री से हमारी बात सुनने के लिए अनुग्रह करना चाहिए क्योंकि यह बात उन्हें बताने का हमारा अधिकार है और उनसे जानकारी प्राप्त करने का भी हमारा अधिकार है। यह बात नहीं है कि जो कुछ हमने कहा है उन्होंने नोट कर लिया है। उन्हें बोलने का अवसर प्राप्त है। वह इस पर विचार करेंगे। यह उनके लिए विचारणीय नहीं है। वे अंधेरे में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का परित्याग किया है। उन्हें सदन को और देश को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने इस राज्य की मान मर्यादा की रक्षा की है जबकि गृह मंत्री ने स्वयं एक व्यापक संस्था की अवमानना करने का प्रयास किया है जहां राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में काफी फर्क किया गया है। यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री के ध्यान देने योग्य मामले नहीं है बल्कि यह मामला समूचे राष्ट्र के हित में है और सरकार को अपने व्यवहार को स्पष्ट करने का कर्तव्य है। यह बात नहीं है कि वह हमारी बात सुनने के लिए दया दिखाये और इस पर विचार करने के लिए उन्हें थोड़ी दया दिखानी होगी **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : यहां पर कृपालुता या अन्य किसी चीज का प्रश्न नहीं है मुद्दा यह है कि मैं यहां यह बात स्पष्ट कर रहा था कि माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद और इसके बाद पूछताछ करने के बाद यह आवश्यक है **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों के गड़बड़ करने से मैं कुछ भी नहीं सुन सकता और न ही कुछ बोल सकता हूं। कृपया आप लोग बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें इस मामले पर ध्यान देना होगा और माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों पर भी ध्यान देना होगा। यह बात नहीं है कि हम आपके विचारों को सुनने की कृपालुता दिखायें और फिर मामले पर विचार करें। हमें बाकी की पूछताछ करनी होगी और फिर विचारणीय मुद्दे पर आना होगा या राष्ट्र के समक्ष या सदन के समक्ष वक्तव्य देने पर विचार करना होगा। सदस्य, मैं नहीं सोचता ऐसा करना मेरे लिए उचित होगा **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अधिक है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को कहें कि वे नदवा कांड पर सरकार की ओर से वक्तव्य दें। यह मामला गम्भीर है और सदन में उठाया जा चुका है, केवल मंत्री महोदय के लिए सुनना ही काफी नहीं है वे श्रवण भक्ति कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें सरकार का जवाब चाहिए। हम इस बात पर बल नहीं दे रहे हैं कि आप इस पर आज ही जवाब दें। वैसे तो आपका जवाब तैयार होना चाहिएं था। आपको पता था कि संसद का सत्र आयेगा और उसमें यह मामला उठाया जायेगा तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते थे और अपने जवाब के साथ तैयार रह सकते थे। मगर सरकार जिस फूहड़पन से चल रही है, उसका कुछ परिचय हमें कल मिला था और दूसरा परिचय आज मिला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कल आपने हमारी मदद की थी। आज आपकी और मदद की जरूरत है। आपने सुना मंत्री महोदय ने क्या कहा। हम वक्तव्य की मांग कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हमने सुन लिया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दूसरे स्टेटमैंट के मुतालिक कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरे स्टेटमैंट में यह कहा है कि कन्सीडर करेंगे, यह नहीं कहा कि हम वक्तव्य देंगे। उनसे साफ-साफ वादा लीजिए कि वे वक्तव्य देंगे या नहीं।...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, मामला ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि यह एक जगह नहीं, कई जगह हो रहा है। अभी माननीय चौधरी जी ने इसरो का सवाल उठाया। वहां अखबारों में खुलेआम बयान आ रहा है कि ...**(व्यवधान)****

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : यह बहुत अनुचित है। अखबारों में आए किसी भी समाचार के आधार पर, जिसमें कुछ भी कहा गया हो, एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा ऐसा वक्तव्य देना अनुचित है। यह अखबारों में छपे समाचार पर आधारित है। कृपया समाचार पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर वक्तव्य न दें। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री चन्द्र शेखर : मैं आपसे सहमत हूं। यदि यह समाचार पत्र में आया है तो यह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह इस समाचार का खंडन करे। इस समाचार का खंडन किया जाना चाहिए।

श्री पी.सी. चाको : कृपया समाचार-पत्रों के आधार पर वक्तव्य न दें।

श्री चन्द्र शेखर : मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। परंतु पूरा देश जानता है कि यह समाचार पत्रों में रोज छप रहा है कि** मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। परंतु क्या यह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस संबंध में स्पष्टीकरण दे। अध्यक्ष महोदय, अगर प्रेस में एक मुख्य मंत्री के विरूद्ध आरोप लगाए गए हैं, तो हमें उसको हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए। मेरे मित्र बुरा मान रहे हैं। मैं** के विरूद्ध नही हूँ। वह मेरे एक मित्र हैं।

श्री पी.सी. चाको : आप यह क्यों नहीं देखते हैं कि मुख्य मंत्री ने इसका खंडन कर दिया है? आप इसे क्यों दोहराते हैं? **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : आपके विक्षोभ के बावजूद, देश में यही धारणा है कि वे बचाव कर रहे हैं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : उन्हें अनावश्यक रूप से इसमें खींचा जा रहा है। मैंने अध्यक्ष महोदय के साथ उनके कक्ष में मुलाकात की थी। **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. चाको : यह बहुत गंभीर मामला है **(व्यवधान)**

श्री ए. चार्ल्स : आप उनको अनुमति न दें। यह एक गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपत्तिजनक अंश को रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, अगर कोई आपत्तिजनक अंश है, उसे रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वे सही हैं। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि अगर ऐसी गलत धारणा है, तो सरकार को चाहिए कि वह ऐसी गलत धारणा को दूर करे। क्या यह गृह मंत्री या प्रधान मंत्री का कर्त्तव्य नहीं है कि वह अपने मुख्य मंत्री या किसी मुख्य मंत्री का बचाव करे? या ऐसा कुछ किया जाना चाहिए कि लोगों के मन से ऐसी धारणा, कि इस देश में ऐसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं, को दूर किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैंने दोनों पक्षों को सुन लिया है। इस मुद्दे पर अगर कोई गलतफहमी हो रही है, तो उसको दूर करना बेहतर होगा। हो सकता है कि गुप्तचर विभाग को कोई परेशानी हो। यह भी हो सकता है कि जो कहा गया है, उसे ठीक से छापा गया हो या ठीक से नहीं छापा गया हो। हमें इसकी जानकारी नहीं है। परंतु ऐसे मामलों में, अनके कठिनाईयाँ होती हैं। उन कठिनाईयों को देखते हुए और इस संबंध में गलतफहमियों को दूर करने के

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

लिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह उचित तरीके से एक वक्तव्य दे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, ... **(व्यवधान)** आज तक प्रदर्शन हो रहा है। संसद के बाहर 50 हजार से ज्यादा सिख समुदाय के लोग जुटे हुए हैं।..... **(व्यवधान)** हम लोग यहां पर सारी बातों को डिसकस कर चुके हैं। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले दिन आकर ही बोलना है, एक-आध दिन बैठ जाते।

श्री राम विलास पासवान : जब सदन नहीं रहता है तो हर पार्टी के लोग बार-बार जाकर, कांग्रेस पार्टी के लोग भी जाकर, बी.जे.पी. के लोग भी जाकर इस बारे में सरकार से कहते थे। 1984 में सिखों को इसी शहर में मारा गया । यहां 5000 से ज्यादा लोग मरे लेकिन अभी तक एक भी आदमी को सजा नहीं हुई है। हम लोग ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन आज लोगों के मन में इसके कारण बहुत गुस्सा है।

उसके बाद पीलीभीत की घटना घटी, जहां जेल में जाकर उग्रवादी के नाम पर सिखों को मारा गया। आज उनके गुरूद्वारों को तोड़ा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार कभी बताएगी कि 10 साल गुजर जाने के बाद भी सिखों की हत्या में जो शामिल लोग थे और जो अब बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है या नहीं? इस सम्बन्ध में सरकार सदन में कोई वक्तव्य देगी या नहीं? यह बहुत गम्भीर मामला है। हम लोग मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जनता के इस सदन में बैठकर हम लोग जो प्रस्ताव पास करते हैं, सरकार यहां जो आश्वासन देती है, यदि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अभी माननीय सदस्य ने नदवा के सम्बन्ध में कहा, वह भी माइनोरिटी के लोग हैं। जो सिख माइनोरिटी के लोग हैं, उनके मन में बराबर यह भावना पनप रही है। पंजाब की समस्या का समाधान धीरे-धीरे हो रहा है। उनके घाव पर मरहम लगाया जा रहा है, जो अच्छी बात है। यह किसी टाडा फाडा से नहीं हुआ है, बल्कि एक पोलिटिकल प्रोसैस से हुआ है। अब उनके मन में सरकार के प्रति विश्वास जमना चाहिए लेकिन सरकार विश्वास जमाने के बजाय फिर उनके घाव को कुरदने का काम कर रही है और जो एक-एक घटना हो रही है, उससे उनके मन में गहरा घाव पैदा हो रहा है।

इसलिए हम पार्लियामेण्टरी मिनिस्टर से जानना चाहेंगे, वह यहां बैठे हुए हैं, कि 1984 के दंगों के सम्बन्ध में एक नवम्बर को 10 साल गुजर गये और हम आज दिसम्बर में बैठे हुए हैं। उस घटना को आज 10 साल दो महीने हो गये हैं लेकिन इतना समय होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में सदन को कुछ बताने का काम करेगी? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री जगमीत सिंह बराड़ (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास पासवान जी ने जो मुद्दा उठाया है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

यह सारे देश के लिए चिन्ता का विषय है। जो कुछ 1984 में हुआ, उसका मैं विस्तार में जिक्र नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि, दर्जनों बार इस सदन में आनरेबिल लीडर आफ दि अपोजीशन से लेकर सभी पार्टी के नेताओं ने उसका जिक्र किया है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि श्री एस. बी. चव्हाण, होम मिनिस्टर और श्री राजेश पायलट, दोनों मिनिस्टरों ने पिछले सैशन के दौरान यह बात कही कि जो 6 कमेटियां इसको प्रोब करने के लिए बनी थीं, उनकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी। लेकिन यह आश्वासन देने के बावजूद आज तक वह रिपोर्ट, जिसमें 292 आफिसर्स को नैग्लीजेंस आफ ड्युटी के लिए पनिश करने के लिए कहा गया है और तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है, वह अभी तक सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। यह मैम्बर्स का प्रिवलेज है। वायदा करके उसको पूरा न किया जाय तो यह बड़े अफसोस की बात है।

दूसरी बात, जो राम विलास जी ने कही है, मैं अपने आपको उसके साथ जोड़ता हूं। उत्तर प्रदेश में र नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। पीलीभीत में जो 6 कैदियों को मारा गया, पहले पीटकर और उसके बाद उनकी लाशों के ऊपर बुलेट्स पम्प की गई, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। कहा यह गया कि जेल ब्रेक होने वाली थी लेकिन कोई जेल ब्रेक नहीं हुई। वहां टाडा के जो डिटेनीज थे, उनकी हड्डी पसलियां तोड़कर उनके साथ यह व्यवहार हुआ। मैं बड़े भरे हुए मन से आपसे यह बात कहना चाहूंगा कि इसको कांग्रेस की हुकूमत, देश की हुकूमत इतना लाइटली न ले। आज इसकी चिन्ता सारे विश्व में है, जहां-जहां पंजाबी और देशभक्त लोग बसते हैं। वह यह प्रश्न करते हैं कि कांग्रेस क्यों डिले कर रही है, हुकूमत इस बात पर क्यों एक्शन नहीं ले रही है।

मैं यही कहकर आपसे अपनी बात समाप्त करने की इजाजत लेता हूं। .... **(व्यवधान)**

श्री कालकादास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, 1984 के दंगे यहां की एक ऐसी घटना है, जो गैर-इन्सानी है, जिसका सारे देश को खेद है।

इस घटना की जांच हुई, आयोग बना। आयोग ने अपराधियों को इंगित कर दिया कि ये अपराधी हैं।

1.00 म.प.

दिल्ली में इस घटना को लेकर बहुत असंतोष है। आज तक उन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। कई राजनीतिक लोग इसमें शामिल थे। सी.बी.आई. के लोगों ने जब उन्हें पकड़ा तो उन्हें बचा लिया गया। दिल्ली सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही भी की लेकिन उसमें भी केन्द्र सरकार की तरफ से अड़चन डाली गई। हमने इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी से भी बात की थी कि अपराधियों को सजा देनी चाहिये। दिल्ली से चुने हुए सभी

प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि दोषी लोगों को पकड़ कर सजा दी जानी चाहिये लेकिन अभी तक उन्हें सजा नहीं दी गई। मेरा संकेत किसी विशेष कम्युनिटी की तरफ नहीं है। दिल्ली के हर नागरिक को इस बात का अफसोस है कि इतनी बड़ी गैर इंसानियत की घटना होने के बाद भी दोषी लोग जो कि सामने आ गये, फिर भी उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई। इसको लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, उसकी भावना को समझ कर केन्द्र सरकार को चाहिये कि वह दोषी लोगों को सजा दे।

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, पीलीभीत जिला कारागार में जो कांड हुआ, उसके सबसे बड़े दोषी जेल अधीक्षक हैं। जो टाडा बंदी इस कांड में मारे गये, उनसे जेल अधीक्षक पैसा मांग रहे थे। जब उन्होंने पैसा देने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंह का खास आदमी हूं, मैं तुम से इस बात का बदला लूंगा। उन्होंने टाडा बंदियों को लाठियों से बुरी तरह मारा और प्रशासन को इसकी खबर नहीं होने दी। इस कांड के दोषी जेल अधीक्षक और मुलायम सिंह जी हैं। उनका सजा दी जानी चाहिये और इस मामले की सी.बी.आई. से जांच करायी जानी चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने इन उल्लेखों को आधे घंटे के लिए लेने का निर्णय लिया था। हमने एक घंटा दे दिया है। अब हमें अगला मुद्दा उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपको नोटिस दिया हुआ है। इसलिय मुझे बोलने का मौका दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए। यह बहुत ज्यादा हो गया है। आप सदन में इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक बार ऐसा व्यवहार करने की कोशिश मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। इसके लिए मैंने पहले भी आपको नोटिस दिया था लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसलिये आज इस पर बोलने का मौका दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे कल उठा सकते हैं। कृपया आप बैठ जाइए। यह क्या है, हर समय आप उसी की जांच करवाना चाहते हैं? आप इसे कल भी उठा सकते हैं।

1.02 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6496/94]

(2) (एक) चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6497/94]

(3) (एक) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखा गया। देखिए सं. एल. टी. 6498/94]

वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेवा कर नियम, 1994, जो 28 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 546 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 555 (अ), जो 20 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 64 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 545 (अ), जो 28 जून,

1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 1994 को वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय–पांच के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का वास्तविक अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1994, जो 7 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 800(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत अंतर्देशीय हवाई यात्रा–कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 28 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[मंत्रालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6499/94]

(5) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच 9 सितम्बर, 1994 को हुए अनुपूरक करार की प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)

[मत्रालय मे रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6500/94]

मंत्रियों द्वारा लोकसभा में विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए विभिन्न आश्वासनों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनो पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

आठवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 37 – नौवां सत्र, 1987
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल टी. 6501/94]
2. विवरण संख्या 39 – दसवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6502/94]
3. विवरण संख्या 37 – ग्यारहवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6503/94]
4. विवरण सं. 34 – तेरहवां सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6504/94]

नौवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या 19 – पहला सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6505/94]
6. विवरण संख्या 31 – दूसरा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6506/94]
7. विवरण संख्या 27 – तीसरा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6507/94]
8. विवरण संख्या 23 – छठा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं. एल.टी. 6508/98]
9. विवरण संख्या 23 – सातवां सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6509/94]

दसवीं लोक सभा

10. विवरण संख्या 24 – पहला सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं. एल.टी. 6510/94]
11. विवरण संख्या 21 – दूसरा सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं. एल.टी. 6511/94]
12. विवरण संख्या 19 – तीसरा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6512/94]
13. विवरण संख्या 17 – चौथा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6513/94]
14. विवरण संख्या 14 – पांचवां सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6514/94]
15. विवरण संख्या 13 – छठा सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6515/94]
16. विवरण संख्या 9 – सातवां सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6516/94]
17. विवरण संख्या 8 – नौवां सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6517/94]
18. विवरण संख्या 6 – नौवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6518/94]
19. विवरण संख्या 3 – दसवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं. एल.टी. 6519/94]
20. विवरण संख्या 1 – ग्यारहवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 6520/94]

1.03 म.प.

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
तेरहवां प्रतिवेदन

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

1.03½ म.प.

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
कार्यवाही सारांश

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं सभा के बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 24 अगस्त 1994 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। **(व्यवधान)**

1.04 म.प.

सभा का कार्य

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 12 दिसंबर, 1994 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :–

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार
2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :
   (क) विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1994
   (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994
   (ग) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994
3. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक, 1993 पर विचार और पारित करना
4. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना।
5. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :
   (क) वर्ष 1994–95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)
   (ख) वर्ष 1994–95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रयास करना होगा कि सरकारी कार्य पूर्ण हो जायें। हमें इसे रिकार्ड के भाग के रूप में ही नहीं देखना होगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करें :–

1. नगर भूमि सीमा रोपण की धाराओं में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संशोधन किए जायें, जो काफी समय से केन्द्र सरकार पर लम्बित हैं।
2. देश में कार्यरत डाक विभाग के तीन लाख से अधिक अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों के लिए पांचवे वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जाये, जिसके लिए केन्द्र सरकार पूर्व में आश्वासन दे चुकी है।

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करें :–

देश में उर्वरकों का उपभोग उत्तरोत्तर तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, परन्तु उत्पादन उपयोगिता के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण विदेशी आयातित उर्वरकों पर भारी विदेशी मुद्रा अदा करनी पड़ रही है। इसलिए नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने तथा वर्तमान संयंत्रों के विस्तारण हेतु बृहद रूप से तत्काल योजना बनायी जाए, जिसमें फूलपुर इफ्को यूरिया संयंत्र के विस्तारण को प्रमुखता दी जाए।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :–

1. देश के विभिन्न भागों में बढ़ती हुई राजनीतिक हिंसा पर चर्चा
2. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन से गोपनीयता लीक होने तथा वर्गीकृत दस्तावेजों के गायब होने पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोडें :–

1. उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मे रेलवे स्टेशन पर गोमती एक्सप्रैस के ठहराव की आवश्यकता।
2. शिकोहाबाद में रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाया जाए।

[अनुवाद]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :–

1. पंजाब राष्ट्रीय उर्वरक और रसायन संयंत्र जो नया नांगल (पंजाब) में सोडा एश और अमोनियम क्लोराइड उर्वरक का उत्पादन करता है, को बन्द नहीं करना चाहिये और केन्द्रीय सरकार राज सहायता देना जारी रखे ताकि कुशल श्रमिक और अन्य कामगारों को हटाया न जाये।
2. हिमाचल प्रदेश के उना जिले में क्षेत्र के समग्र विकास के लिये स्वान नदी और उसकी 73 सहायक नदियों के पानी का उपयोग करने के लिये पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :–

1. अजमेर के लोकों एवं कैरीज कारखानों को बन्द होने से बचाने और ब्राडगेज की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने हेतु तदर्थ बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता।
2. अजमेर के ऐतिहासिक, धार्मिक, सैनिक, सांस्कृतिक तथा

शैक्षिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए हवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए :–

1. मध्य प्रदेश व राजस्थान के लाखों अफीम उत्पादकों की याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद भी उनके लायसेंस का विभाग द्वारा पुनर्नवीनीकरण न करने से किसानों को करोड़ों की हानि व असन्तोष।

2. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना मध्य प्रदेश के रायपुर के समीपस्थ क्षेत्रों 'हीरा खानों' का पता लगाने के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा अवैध सर्वे किए जाने से देश की सम्प्रभुता को खतरा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को जोड़ने का कष्ट करें :–

1. उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बुन्देलखन्ड अंचल के क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए तथा प्रशासनिक सुविधा एवं विकास के लिए बुन्देलखन्ड क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने की भारत सरकार तुरन्त घोषणा करे।

2. मध्य रेलवे ललितपुर स्टेशन से सिंगरौली तक नई रेलवे लाईन बिछाने का कार्य दिसम्बर, 1994 के अन्त तक शुरू कर दिए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

प्रो. सावित्री लक्षमणन् (मुकुन्दपुरम्) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :–

'प्रेस मीडिया' के विदेशी स्वामित्व को रोकने की आवश्यकता।

1.09 म.प.

समिति के लिये निर्वाचन कॉफी बोर्ड

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ : कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1.09 ½ म.प.

विशेष संरक्षा ग्रुप (दूसरा संशोधन) विधेयक*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी.एम. सईद : मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

1.10 म.प.

विशेष संरक्षा ग्रुप संशोधन अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, मैं विशेष संरक्षा ग्रुप, (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं. एल.टी. 6521/94]

1.10 ½ म.प.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 9.12.94 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो खण्ड–दो में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिशं से पुरःस्थापित

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

1.11 म.प.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं. एल.टी. 6522/94]

1.12. म.प.

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950, में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की आकिस्मकता निधि अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.12½ म.प.

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994

---

* दिनांक 9.12.94 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो खण्ड–दो में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 6523/94]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि भोजनावकाश के पश्चात मंत्री महोदय कल और परसों की चर्चा का उत्तर देंगे। अब सभा 2.15 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

1.13 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.15 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

2.27 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 2.27 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के पांचवें, छठे, सातवें, और आठवें प्रतिवेदनों पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सभा ने मुझे यह बताने का जो अवसर दिया है कि देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास के लिये हमारी सरकार ने क्या विभिन्न उपाय किये हैं, यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं इस माननीय सभा का हृदय से आभारी हूं कि उसने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और आयुक्तों के प्रतिवेदनों को विचार के लिए लिया है जिसका उत्तर देने का आज मुझे विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है।

सर्वप्रथम, मै इस माननीय सभा के उन सभी 35 माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस वाद–विवाद मे भाग लिया और अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किये।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विशिष्ट क्षेत्रों के मामलों के संबंध में, मेरा मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि भारत सरकार, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित विभाग भी इस पर सचेत होंगे और इस संबंध में उचित और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

महोदय, कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये तैयार की गई मूल योजना का उद्देश्य उन मूल कारणों का निवारण करना है जो उन लोगों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तरों पर अन्य लोगो से नीचे रखने के लिए उत्तरदायी रहे हैं।

यह निर्णय लिया गया था कि इन तीनों क्षेत्रों में साथ-साथ उपाय किये जायें। एक पी सी आर और अत्याचार निवारण अधिनियमों को लागू करके सुरक्षात्मक उपाय किये जाने से संबंधित है।

दूसरी बात राज्य विधान मंडलों और लोक सभा में आरक्षण के प्रावधान के अतिरिक्त, सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान कर सुस्पष्ट भेदभाव से सम्बन्धित है।

तीसरी बात शैक्षणिक और आर्थिक विकास संबंधी उपायों से संबंधित है जिसमें कृषि संबंधों अर्थात भूमि सुधार का महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है।

हमारी सरकार इस बात पर दृढ़प्रतिज्ञ है कि अ.ज. और अ. ज.जा. पर किये जा रहे अत्याचारों का डट कर मुकाबला किया जायेगा। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता में मैं भी शामिल हूं। जैसा कि यह सम्माननीय सभा जानती है कि हमारी सरकार की वचनबद्धता न तो नई है और न ही यह अवसरवादी है। हमारी सरकार की वचनबद्धता महात्मा गांधी के समय से ही कांग्रेस की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है। यह अ.जा. और अ.ज.जा. की सुरक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होने की गौरवशाली परम्परा है कि जब बिहार में बेलची में अ.ज. के लोगों पर अत्याचार किया गया था श्रीमती इन्दिरा गांधी वहाँ गई थीं। यही परम्परा तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने निभाई थी जब वह अ.जा. के व्यक्तियों को सांत्वना देने और उनकी सुरक्षा हेतु आन्ध्र प्रदेश में तिरूपति के निकट गये थे जब उन व्यक्तियों पर जुल्म ढाये जा रहे थे।

इसी परम्परा को निभाते हुए माननीय प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंहराव ने 1991 में अत्याचार से निबटने के लिए आवश्यक कदम उठाने और इस मामले पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया था। तब से हम यह सुनिश्चित करने हेतु इस कार्य को करते रहे हैं कि अ.जा. और अ.ज.जा. पर हो रहे अत्याचार बन्द हो जायें। यद्यपि काननू और व्यवस्था राज्य का विषय है, फिर भी अ.जा. और अ.ज.जा. पर अत्याचार का कोई भी समाचार मिलने पर हमारे मंत्रालय द्वारा, जहां हमारा नियंत्रण कक्ष है, तत्काल कदम उठाया जाता है। ज्यों ही हमें ऐसा समाचार प्राप्त होता है हम राज्य सरकार, विशेष रूप से मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों से सम्पर्क करते हैं और यह देखते हैं कि सुरक्षात्मक उपाय शीघ्र लागू किये जायें और बिना विलम्ब अपराधियों को गिरफ्तार किया जाये।

पी सी आर और अत्याचार निवारण अधिनियमों के अन्तर्गत हमने अ.जा. और अ.ज.जा. समुदाय को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए तथा जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालयों और चल न्यायालयों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सहायता प्रदान की है। उन दम्पत्तियों को जिन्होंने अन्तर्जातीय विवाह किया है और जिनमें से एक अ.जा./अ.ज.जा. का है, को वित्तीय अनुदान भी दिया जाता है।

आपको यह जान कर खुशी होगी कि पी सी आर और अत्याचार निवारण अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को औसतन 6 करोड़ रूपये वार्षिक अनुदान दिया जाता है। इस सम्बन्ध में सतत् निगरानी के कारण छुआछूत की प्रथा में कमी हो रही है। पी सी आर अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की संख्या पिछले वर्ष के 3500 मामलों की तुलना में इस वर्ष में कम होकर लगभग 3000 मामले हो गई है।

किन्तु लगातार चौकसी रखनी है।" और इस संबंध में हम प्रयत्नशील हैं।

इस वाद-विवाद में उल्लेखनीय एक अन्य महत्वपूर्ण विषय मैला ढोने वालों को मुक्ति दिलाना है जिन्होंने अपने व्यवसाय के साथ जुड़ी निन्दा के कारण बहुत अधिक दुःख उठाए हैं और यह हमारी सरकार के लिए उच्चतम प्राथमिकता वाला कार्य बन गया है। मैला ढोने वालों की मुक्ति और उनके पुनर्वास के लिए वर्ष 1992 में 905 करोड़ रू. लागत की एक विशेष योजना शुरू की गई थी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 195.87 करोड़ रू. स्वीकृत किए गए हैं।

महोदय, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों द्वारा 7,40,000 मैला ढोने वालों का अभिनिर्धारण पहले ही कर लिया गया है। इस संबंध में अब तक 58065 मैला ढोने वालों को पुनर्वासित किया जा चुका है। इस स्तर तक हम लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुष्क शौचालयों को जल-युक्त शौचालयों में बदलने के लिए लगभग 980 करोड़ रू. की राशि विनिश्चित की गई है ताकि दूसरों का मैला ढोने की अमानवीय प्रथा का उन्मूलन आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जा सके।

सभा को ज्ञात है कि माननीय प्रधान मंत्री, श्री पी.वी. नरसिंह राव ने 15.8.1993 को लाल किले से यह घोषणा की थी कि एक सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जायेगा। हमारी सरकार ने अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों को विशेष रूप से मदद देने के लिए 12.8.1994 को एक सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है ताकि ऐसे व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा सके।

अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाने के इस सरकार के निश्चय का निर्वाह सत्यनिष्ठा और समर्पित भाव से किया जा रहा है जैसा कि ऊपर बताए गए कुछ उदाहरणों से पता चलता है। उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता में भी वही निश्चय और विचारधारा परिलक्षित होती है जिसे अत्यधिक व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री अनादि चरण दास और अन्य माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन के बारे में काफी कुछ कहा है। इस संदर्भ में मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि विशेष संघटक योजना, जनजातीय उप-योजना, विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना के लिए प्रदत्त विशेष केन्द्रीय सहायता तथा राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगमों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम और टी आर आई एफ ई डी का सृजन-यह सब इस उद्देश्य से किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सके। छठी योजना से विशेष संघटक योजना के लिए लगभग 27,127

करोड़ रू. प्रदान किए गए हैं। 1,83,867 करोड़ रू. के कुल आठवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय में से विशेष संघटक योजना के लिए 36,799 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जनजातीय उप–योजना के लिए 1993–94 तक 21,952 करोड़ रू. निर्धारित किए गए हैं।

अब तक हमारी सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 2600 करोड़ रू. तथा जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 2629 करोड़ रू. दिए हैं।

राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम केन्द्र के हिस्से की पूंजी के रूप में केन्द्रीय सरकार से निरंतर आबंटन प्राप्त करते रहे हैं। इस योजना के प्रारम्भ से अब तक उन्हें कुल 253.73 करोड़ रू. की राशि आबंटित की जा चुकी है। एस सी डी सी ने हमारे देश की वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 78.72 लाख परिवारों को लाभान्वित किया है।

महोदय, राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. वित्त एवं विकास निगम की स्थापना के समय से ही 492.07 करोड़ रूपये की कुल लागत से 620 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इससे अभी तक 1,77,588 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। श्री दत्तात्रेय बंडारू और श्री बालयोगी जो यहां उपस्थित नहीं है, और अन्य सदस्यों ने 'नाबार्ड' की भांति ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह बहुत ही अच्छा सुझाव है और इस सम्बन्ध में हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे।

'ट्राईफेड' का मुख्य लक्ष्य जनजातीय उत्पाद की वस्तुओं का विशेष रूप से इस क्षेत्र से निजी व्यापारियों का वर्चस्व समाप्त करते हुए छोटे वन उत्पाद का विपणन करना है। 'ट्राईफेड' इस दिशा में कार्यरत है। 'ट्राईफेड' जिसकी स्थापना 1988–89 में 22 करोड़ रूपये की शेयर पूंजी से की गई थी, वह पूंजी बढ़कर 1992–93 में 86 करोड़ रूपया हो गई और 1993–94 मे यह बढ़कर 107 करोड़ रूपया हो गयी । चालू वर्ष में 'ट्राईफेड' के लिए हमारा लक्ष्य 204 करोड़ रूपया है। हमारी सरकार और हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव जी द्वारा ग्रामीण विकास पर विशेष बल दिये जाने के बारे में माननीय सदस्यगण जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास हेतु 30,000 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण विकास में सभी लोगों और विशेषकर अ.जा./अ.ज.जा., हमारे समाज के निर्धन और उपेक्षित वर्गों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उदाहरणस्वरूप स.ग्र.वि.का. के अन्तर्गत 1985–86 और 1993–94 के बीच 281.6 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गयी थी जिसमें से 74.37 लाख अ.जा. के परिवार थे और 39.14 लाख अ.ज.जा. के परिवार थे। इसी प्रकार इन्दिरा आवास योजना में 1985–86 और 1993–94 के बीच 1,957.67 करोड़ रूपये की राशि 16,45,952 मकानों के निर्माण पर खर्च की गयी है जो अधिकांशतः अ.जा. और अ.ज.जा. के परिवारों को ही दिए गए हैं। दस लाख कुएं की योजना के अन्तर्गत अनेक माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया कि कृषि के लिए अ.जा. और अ.ज.आ. के व्यक्तियों को पर्याप्त सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। विशेष योजना के अन्तर्गत, यह सिर्फ अ.जा. के लिए ही है, 1988–89 और 1993–94 के बीच 2,189.17 करोड़ रूपये की लागत से 6,97,819 कुओं का निर्माण किया गया है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि अ.जा. पर अत्याचार करने की ऐतिहासिक और दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया में एक मुख्य क्षेत्र कृषि था। अतः उनकी मुक्ति मुख्य रूप से कृषि और सम्बन्धित क्षेत्रों से प्रारम्भ होनी चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में उन 48.57 लाख लाभार्थियों, जिन्हें 50.58 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि का वितरण किया गया है, में से 36 प्रतिशत अ.जा. और 114 प्रतिशत अ.ज.जा. से चुने गये थे।

माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं कि भूमि पर वास्तविक कब्जा सुनिश्चित करने और लम्बी मुकदमेबाजी से बचने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भूमि का शीघ्र आवंटन किया जाए। यह एक धूसर क्षेत्र है। मैं सहमत हूं कि पट्टेदारों और बटाईदारों, जिनमें अधिकांश लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भूमि रिकार्डों को अद्यतन किया जाए। कांग्रेस सरकार ने राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने के और रिकार्डों को अद्यतन करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। वर्ष 1987–88 में, इस योजना के अन्तर्गत 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आज तक 79.84 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं।

आगे, 13.78 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भूमि रिकार्ड के कम्प्युटरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित की गयी है। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और हमें राज्य सरकारों से अच्छा उत्तर प्राप्त हुआ है, और यह जारी है। जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया था, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शक्ति–सम्पन्न बनाया जाए। मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे इस सम्मानीय सभा को स्मरण कराने का सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गाँधी ने देश के प्रत्येक जिलाधीश से मिलने का कठिन प्रयास किया और इसके लिए पांच कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं ताकि ग्रामीण निर्धनों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जा सके। इन पांच कार्यशालाओं में जो चर्चा हुई थी उसका परिणाम यह हुआ कि पंचायती राज के लिए संवैधानिक विधेयक लाया गया था। महोदय, हम जानते हैं कि विपक्ष की ओर से हमारे कुछ मित्रों का सहयोग न मिलने के कारण, विधेयक पारित नहीं हो सका था। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी कांग्रेस सरकार ने सभी राजनैतिक दलों की सहायता से 73 वां (संशोधन) विधेयक, 1992 को संयुक्त रूप से पारित कर दिया। इस विधेयक के अन्तर्गत सभी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति व जनजातियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया है और 33.33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी हैं। इस महान देश के कोने–कोने में इस ऐतिहासिक अधिनियम का शीघ्र ही असर पड़ेगा । गरीबों को अपने ही मामलों के प्रशासन में शक्ति सम्पन्न करने के लिए निर्णायक कदम इस ऐतिहासिक अधिनियम के माध्यम से ही उठाए गए थे। यह कांग्रेस और इसकी सरकार की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, और खासकर हमारे देश के कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति सतत

प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। यह इसलिए संभव हो सका कि कांग्रेस सरकार द्वारा निरन्तर रूप से विभिन्न उपाय किए गए और इनका कार्यान्वयन किया गया। जिसके विषय में यह बताया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना से 1994 तक 3.11 करोड़ अनुसूचित जातियों के और 1.40 करोड़ अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सहायता दी गई ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। यह सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि समानता, सामाजिक–आर्थिक अवसर और आर्थिक स्तर आदि की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जीवन स्तर देश के अन्य भाई बहनों के जीवन स्तर के समकक्ष न हो जाए। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा के उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्रदान कर निरक्षरता को दूर किया जाए। ताकि उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और स्वयं को संगठित करने की क्षमता पैदा हो सके और वे सरकारी नौकरियों आदि में प्रवेश प्राप्त करने जैसे साधनों द्वारा इन सभी अधिकारों की रक्षा की क्षमता प्राप्त कर सकें।

महोदय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का शैक्षणिक विकास हमारी सरकार की चिन्ता का मूल विषय रहा है। माननीय सदस्यों ने इस आवश्यकता पर बल दिया है कि छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि की जाए और मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्रि के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाया जाए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों और व्यक्त की गई भावनाओं को समझता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आवास के विषय में क्या है?

श्री के.वी. तंग्का बालू : मैंने आवास के बारे में भी उल्लेख किया है।

मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार की नीतियों को बनाने में इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है। मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से वर्ष 1945 में अनुसूचित जाति के सिर्फ 114 छात्रों को ही फायदा हुआ था। वर्ष 1960–61 तक ये आंकडे 48,848 तक पहुंच गए जिनमें अ.जा./अ.ज.जा. के छात्र भी शामिल थे। इस संख्या में लगातार वृद्धि होती गई। वर्ष 1993–94 में हमने अ.जा. और अ.ज.जा. के 16.75 लाख छात्रों को लाभांवित किया। हम उम्मीद करते हैं कि वर्ष 1994–95 में 18.43 लाख से अधिक छात्रों को सहायता दे सकेंगे। मैं माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत हूं कि उक्त योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। हम उक्त योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन करने के लिए योजना आयोग से सक्रिय रूप से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों के अ.जा. और अ.ज.जा. के छात्रों को शिक्षा की सविधाएं दी जाएंगी। हमने आज तक देश भर में 19,341 छात्रावासों और आश्रम विद्यालय के लिए राज्यों और गैर–सरकारी संगठनों को सहायता दी है। "बुक बैंक" योजना के अन्तर्गत अ.जा. और अ.ज.जा. के प्रत्येक दो छात्रों को किताबों का एक सेट दिया जाता है ताकि वे व्यावसायिक पाठयक्रम में शामिल हो सकें। मुझे सभा को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह योजना जिसके अन्तर्गत बुक बैंक की सुविधा का प्रावधान प्रारम्भ मे सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, ही किया गया था, 1991–92 से अब कृषि और पशु–चिकित्सा तथा अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों के संबंध में भी लागू हो गई है। राज्यों का प्रत्युत्तर बहुत ही अच्छा रहा है जिसके कारण वर्ष 1992–93 के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत जारी 67.32 लाख रूपये की तुलना में चालू वर्ष में हमने 3.5 करोड़ रू. आवंटित किए थे। अ.जा. और अ.ज.जा. के छात्रों के लिए मेट्रिक पूर्व और मेट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने के अलावा, हमारे पास राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति की योजना भी है और अ.जा. और अ.ज.जा. के उन विद्यार्थियों को अनुदान दिया जाता है जो विदेश में उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं।

माननीय सदस्यों ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के कारण उत्पाद नीति, वन नीति और आदिवासियों के विस्थापन संबंधी नीति के पुनर्स्थापन संबंधी नीति का पुनर्विन्यास करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मैं माननीय सदस्यों की चिंता से सहमत हूं । आज भी कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे लोग इसे मद्यपान से बुरी तरह प्रभावित हैं।

पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित मामले पर भी इस सभा में चर्चा हुई है। मैं उनकी चिंता को महसूस करता हूं। माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि अ.जा. और अ.ज.जा. समुदाय के कुछ लोग जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं और प्राचीन विचाराधारा के हैं, वे शैक्षणिक और आर्थिक विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को हमारी योजनाओं से विशेष सहायता मिलनी चाहिए। सिर पर मैला ढोने वालों का पुनर्वास और पुरातन आदिवासियों के लिए टी एस पी के अन्तर्गत चलने वाली योजनाएं दो ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी सरकार देश में सभी कमजोर वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

डा. अम्बेडकर शताब्दी महोत्सव के अवसर पर, डा. बाबासाहेब अम्बेडकर, जो इस देश के सभी उपेक्षित वर्गों के मसीहा थे, की स्मृति में जो अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं उनमें से एक योजना के अन्तर्गत हमारी सरकार ने 'ओवरसीज फैलोशिप' डा. बाबासाहेब अम्बेडकर भी है, आरम्भ की है। फेलोशिप योजना के अन्तर्गत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और संवैधानिक कानून में प्रति वर्ष चार छात्रवृत्तियां मंजूर की जाती हैं।

अब तक आठ छात्रवृत्तियां मंजूर की गई हैं, अर्थात वर्ष 1992 और 1993 के लिए चार–चार पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं और 1994 के फैलोशिप के लिए आवेदन प्राप्त हो गए हैं और सरकार द्वारा उन पर कार्यवाही की जा रही है। "डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ओवरसीज फैलोशिप" योजना के लिए 2 करोड़ रू. की राशि प्रदान की गई है।

जैसी कि इस सभा को जानकारी है, भारत के संविधान के संस्थापक डा. बाबा साहेब अम्बेडकर, ने पीड़ित लोगों को जागृत करने में कारगर भूमिका निभाई है ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें। उनके लेखों का किसी भी सरकार या किसी भी राष्ट्र द्वारा और हर उस व्यक्ति द्वारा व्यापक प्रचार किए

जाने की आवश्यकता है जो हमारे देश के दलित और उपेक्षित वर्गों के विकास और उनके कल्याण में रूचि रखते हो। मुझे इस सम्माननीय सभा को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि डा अम्बेडकर के लेखों और भाषणों के अनुवाद और प्रकाशन संबंधी परियोजना को हमारी सरकार द्वारा डा. अम्बेडकर फाउंडेशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस फाउंडेशन को लगभग 3.48 करोड़ रूपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बाबा साहेब की कृतियों और भाषणों का हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन का कार्य पूरे जोर–शोर से चल रहा है। तमिल में पांच, हिन्दी में छह, गुजराती में एक और पंजाबी में दो वाल्यूम प्रकाशित कर चुके हैं। बंगाली और कुछ अन्य भाषाओं में कुछ और पुस्तकें मुद्रणाधीन हैं। इसको असमिया और उर्दू भाषाओं में भी अनुवादित करके प्रकाशित करने का विचार है।

इस सरकार का विश्वास है कि डा. बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर एक नये प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त करना होगी। इस देश में जो व्यक्ति सामाजिक समता की आकांक्षा करते हैं उनके लिए और हम सभी के लिए बाबा साहेब का जीवन एक दीपस्तम्भ है।

सरकार ने डा. अम्बेडकर के जीवन पर एक सम्पूर्ण कथा–चित्र बनाने की परियोजना को पूर्ण समर्थन दिया है। इस उद्देश्यार्थ हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को चार करोड़ रूपये जारी किये हैं। डा. सविता अम्बेडकर के कहने पर हमने फिल्म के लिए श्याम बेनेगल को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। फिल्म की पान्डुलिपि लगभग तैयार है और हम फिल्म की शूटिंग शीघ्र ही आरम्भ करने के लिये तैयार हैं।

सभा को ज्ञात है कि हमने विभिन्न विश्वविद्यालयों में नौ अम्बेडकर अध्ययन–आसंदियां स्थापित की हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को एक और भी उपयुक्त श्रद्धांजलि स्वरूप सरकार ने डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना भी की है जो दस लाख रूपये का है। 1993 का पुरस्कार अक्टूबर 1994 में उड़ीसा की एक संस्था के पक्ष में घोषित किया गया है।

डा. अम्बेडकर के नाम से एक ग्रन्थालय भवन का निर्माण भी इस सरकार के लिए एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इस ग्रंथालय भवन के निर्माण के लिए भूमि स्थल का आबंटन पहले ही किया जा चुका है। मामला प्रगति पर है।

मैंने डा. बाबा साहेब अम्बेडकर शताब्दी समारोह से सम्बन्धित कुछ कार्यक्रमों के बारे में ब्यौरा दिया है। ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि भारत में किसी भी सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम डा. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा इन लोगों के कल्याण के लिए किए गए आधारभूत कार्य के उल्लेख के बिना पूरे नहीं कहे जा सकते हैं।

मुझे सभी माननीय सदस्यों को यह याद दिलाते हुए खुशी है कि इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1991 में इन समारोहों और कुछ विशेष योजनाओं हेतु दस करोड़ रूपये मंजूर किये गए थे। इस प्रस्ताव पर

3.00 म.प.

विचार व्यक्त करने वाले लगभग सभी सदस्यों ने इस विषय में कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो को रोजगार के सम्बन्ध में दिये जाने वाले आरक्षण को बनाये रखा जाना चाहिए। माननीय सदस्य, सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की खाली पड़ी आसामियों को भरने हेतु चलाये जाने वाले विशेष रोजगार अभियानों के विषय में अवगत होंगे। वर्ष 1989 से चार विशेष भर्ती अभियान चलाये गये हैं और परिणाम बडे ही उत्साहवर्द्धक रहे हैं जो इस बात से स्पष्ट है कि 1989 में चलाये गये प्रथम अभियान के दौरान खाली पड़ी रिक्तियों की संख्या सरकारी विभागों में 35,647 थी। 31,243 नियुक्तियाँ की गई। सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और बीमा निगमों सहित कुल आरक्षित रिक्तियां 58,554 थीं। हम 50,475 लोगो को नियुक्त कर सके। दूसरे विशेष भर्ती अभियान में वर्ष 1990–91 मे 46,559 रोजगार अवसर खाली थे और हम 29,415 व्यक्तियो को नियुक्त कर पाये। वर्ष 1991–92 में तीसरे विशेष भर्ती अभियान के दौरान हमने ऐसे 35,236 पदों का पता लगाया जिनमें से 18,231 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। वर्ष 1993–94 मे चौथे विशेष भर्ती अभियान के दौरान 30,259 पदों की पहचान की गई और 12,346 लोगों की नियुक्ति की गई।

अतः, यह हमारी सरकार का एक सतत चलने वाला कार्यक्रम है। हम राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों से अनुरोध करते रहे हैं कि वे खाली पड़ी रिक्तियो को भरने हेतु लगातार नियमित रूप से यह कार्य करें। माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पदोन्नति के अवसरो की सुरक्षा हेतु और सुनिश्चित करने हेतु कि अनुसूचित जातियो और जनजातियो हेतु आरक्षित स्थान उन्हीं को दिये जाने का अनुरोध किया है। मंडल मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई पाबन्दी के कारण पैदा हुई व्यावहारिक कठिनाईयों से सभी अवगत हैं। सामाजिक न्याय के प्रति इसी वचनबद्धता के कारण हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने तमिलनाडु विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने और इसे नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की व्यवस्था की है, जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों सहित पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण का स्तर बनाये रखने का प्रावधान है।

मण्डल के मामले मे उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई समस्त आरक्षणों में 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा ने पूरे देश में विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के लिए कुछ व्यावहारिक कठिनाईया उत्पन्न कर दी है। इस प्रतिबन्ध के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों के पदोन्नति अवसर प्रभावित हुए हैं। रिक्तियों को आगे ले जाने की प्रक्रिया जो केवल पांच वर्ष तक जारी रखी जा सकती है। भविष्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों को प्रभावित कर सकती है।

यह सभा मेरे द्वारा और वरिष्ठ सदस्य श्री सीताराम केसरी द्वारा दी गई इस वचनबद्धता से अवगत है कि संविधान में संशोधन की सम्भावना सहित सभी सम्भावित अवसरों की जांच की जायेगी ताकि इन कठिनाईयों पर विजय प्राप्त की जा सके और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कानूनी अधिकारों और हितों को सुनिश्चित किया जा सके।

अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की मांग उठती रही है। कुछ माननीय सदस्य इसकी मांग करते रहे हैं। सरकार इस तथ्य के प्रति जागरूक और संवेदनशील है कि अनुसूचित जनजातियां यह आश्वासन चाहती हैं कि उनकी विशिष्टता की सुरक्षा की जाए और उसका आदर किया जाए। हमारा समाज विविधतापूर्ण है। हम अनेकता में एकता की इस विरासत पर गर्व करते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की छत्रछाया में सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का आदर और रखरखाव जारी रहेगा।

श्री पी.जे. कोरियन जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं और कुमारी क्रिडा तोपनो ने यह मांग की थी कि अनुसूचित जातियों के जो लोग क्रिश्चियन बन गए हैं उन्हें भी वे सभी सुविधाएं और सहायता दी जानी चाहिए जो अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रदान की जाती हैं। माननीय सदस्य दत्तात्रेय ने कई अन्य समुदायों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की है। यह सब मामले कल्याण सचिव द्वारा बनाई गई समिति द्वारा जांचे जा रहे हैं। यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि इस मामले में आगे कार्यवाही की जा सके।

मैं सभा द्वारा महाराष्ट्र के गोवारी समुदाय के मामले पर व्यक्त की अपनी चिन्ता में उसके साथ हूं और कहना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या से अवगत है और मामले की पूरी तरह छान-बीन की जा रही है।

इस प्रस्ताव पर विचार के दौरान एक प्रश्न जो बार-बार उठा वह यह था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी की जानी चाहिए। मैं इस महत्वपूर्ण सुझाव से पूर्णतया सहमत हूं। हम इस सम्बन्ध में अपना सम्पूर्ण प्रयास करेंगे।

हम राज्यों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उठाए जा रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कदमों की निगरानी को अत्यधिक महत्व देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लिए जुटाई गई सुविधाएं उन तक पहुंचें। हाल ही में मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ अत्याचार करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। मैंने मुख्यमंत्रियों से सफाई कर्मचारियों के उद्धार और पुनर्वास की योजनाओं पर व्यक्तिगत ध्यान देने का भी अनुरोध किया है। मैला ढोने वाले लोगों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। मैंने भारत सरकार के सभी मंत्रियों को लिखकर यह भी अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सभी खाली पड़ी रिक्तियों को भरने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं। मुझे इस सम्मानीय सदन को यह बताते हुए खुशी होती है कि मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों का रूख बड़ा सकारात्मक है। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि श्री चन्द्रजीत यादव ने जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता का मामला उठाया है। निस्सन्देह वह इस बात को भूल गये होंगे कि उनकी पुराना संस्थापक निकाय कांग्रेस दल शुरू से इस मामले पर विचार करती रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास हेतु एस सी पी, टी एस पी और विशेष केन्द्रीय सहायता और हमारे मंत्रालय के अन्य सम्बद्ध कार्यक्रम कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ये देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की सहायता करना जारी रखेंगे।

महोदय, मुझे इस बात को दोहराते हुए खुशी होती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सरकार की वचनबद्धता सतत और निरन्तर चालू है।

हम उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास हेतु सभी आवश्यक उपाय करते रहेंगे। हम स्वतंत्रता के अपने संघर्ष के एक भाग के रूप में उपेक्षित वर्ग के विकास के प्रति वचनबद्ध हैं। कमजोर और निर्धन वर्ग के विकास में कोई भी सरकार गौरव का अनुभव कर सकती है। यह कमजोर और निर्धन वर्ग का विकास ही है जो सरकार और राष्ट्र को सुदृढ़ और सशक्त बनाता है। यह हमारा विश्वास है। ऐसे सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सभी माननीय सदस्यों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद देता हूं और हम यह देखते रहेंगे कि हमारे समाज के कमजोर वर्गों का न केवल सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में उनका उचित प्रतिनिधित्व हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सभा और माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, 8 साल के बाद इस रिपोर्ट के ऊपर डिबेट हुई थी। हम लोग समझ रहे थे कि कम से कम इस बार सरकार कुछ कंक्रीट निर्णय के साथ आयेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इसमें 4-5 मुद्दे मुख्य थे । मैं मंत्री जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं और न मैं इनकी इण्टेंशन पर डाउट करता हूं, क्योंकि यह भी उसी परिवार से आये हैं, जिस परिवार से हम लोग हैं। चर्चा के दौरान तीन चार चीजें उठाई गई थीं। हमको खुशी है कि हम लोंगो के एस.सी., एस.टी. पार्लियामेंटरी फोरम के अध्यक्ष भी अभी मंत्री हैं, वह भी बैठे हुए हैं।

एक चीज की हम लोगों ने शुरू से मांग की और सरकार से शुरू से कहा कि बैकलाग को पूरा करने के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा, तक तक समस्या का निदान नहीं होगा। काननू अभी है नहीं, आपका जी. ओ. है, उसका नतीजा यह है कि कोई भी आफिसर यदि रिजर्वेशन का वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ दण्ड का विधान नहीं है। हम लोगों ने बिहार में कानून बना दिया कि जो आफिसर रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं करेगा, जाखड़ साहब, आपके जितनी लम्बाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो ट्राइबल का लड़का, शैड्यूल्ड कास्ट्स का लड़का 5 फीट 7 इंच लम्बा हो और मैट्रिक पास हो, बी.ए. पास हो, उसके बावजूद भी आफिसर कहे कि तुम चपरासी के लिए फिट नहीं हो या पुलिस के

सिपाही के लिए फिट नहीं हो तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने कहा कि जो जान–बूझकर ऐसा करे, उसके लिए दण्ड का विधान होना चाहिए। सरकार ने यहां बार–बार कहा, केसरी जी 199। से कह रहे हैं कि हां, हम बिल ला रहे हैं, लेकिन अभी तक बिल नहीं लाया गया।

अब तो साल भर, डेढ़ साल पार्लियामेंट के सैशन में हम लोगों की लाइफ है, उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, वह अलग बात है...

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : उम्मीद पर तो जहां कायम है।

श्री राम विलास पासवान : हो सकता है कि कल के बाद ही स्थिति में कुछ चैंज हो जाय।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : इसी आस पर जी रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान : इसी आस पर जी भी रहे हैं, इसी आस पर जीना भी चाहिए।

एक तो हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में सीरियस है कि नहीं? दूसरे आपने एट्रासिटीज के मामले में कहा। प्रिवेंशन आफ एट्रासिटीज एक्ट पास हो गया है और आपको मालूम है, मैंने कल ही मामला उठाया था कि तमिलनाडु में 10 अक्टूबर को चेंगलपेट जिले के कारना गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया। वहां ए.आई.डी.एम.के. की सरकार है।

दो लड़के एक ऐनूमुल्लाय और दूसरा जॉन थॉमस की हत्या कर दी गई। तमाम जितने दलित वर्ग के लोग थे, वे कांग्रेस पार्टी, पी.एम.के., डी.एम.के., सी.पी.आई. और सी.पी.एम. मद्रास गये थे। सब ने यह कहा कि उस जगह पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिये। 6 दिसम्बर को जब यह मूर्ति लगायी गई तो कुरुपन जो कि फॉर्मर आई.ए.एस. आफिसर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जयकरण जौसफ जो ऑल इंडिया दलित सेना का सैक्रेटरी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और क्रिश्चयन प्रिस्ट निधिनाथन को जेल में बंद कर दिया गया। पूरे देश में इन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रिवेंशन आफ एट्रासिटीज एक्ट के तहत स्पैशल कोर्ट बनाने का जो प्रावधान है, उसके तहत अभी तक कितनी राज्य सरकारों ने स्पैशल कोर्ट स्थापित की हैं।

हमारी जब 11 महीने की सरकार थी तो उस बीच में जितना बन सकता था, वह हमने किया। हमने यह घोषणा की थी कि जो दलित क्रिश्चयन हैं और जो सिख दलित हैं, उनको अनुसूचित जन–जाति का दर्जा मिलेगा। जो दलित बुद्धिस्ट थे, उनको अनुसूचित जनजाति में लेने का हमने काम किया था। जो मुस्लिम दलित हैं, उनकी तरफ से कहीं मांग नहीं आ रही है। मांग दलित क्रिश्चयन्स की तरफ से आ रही है। शेड्यूल्ड कास्ट्स जो क्रिश्चयन बने थे, उनका मामला अभी बचा हुआ है। सरकार ने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की बात कही थी। आज भी आपने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की बात कही है। अब आप विचार मत कीजिये, जितनी जल्दी घोषणा हो सके, कर दीजिये। कम से कम 200 ऐसी कास्ट्स और ट्राइबल्स ऐसे हैं जिनके बारे में स्टेट गवर्नमैंट ने सिफारिश कर दी है और आर. जी. आई. की तरफ से भी आ गया है। मिनिस्ट्री में सारी की सारी फाइल बनी पड़ी है। सिर्फ घोषणा करनी है। जो जातियां छूट गई थीं और जिनको सिवाय संसद कानून बना कर ही पास कर सकती है, वैसी कास्ट्स को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिये।

अब मैं गोवारी समाज के बारे में कहना चाहता हूं । इसके दो भाग हैं–एक भाग यह है कि गोवारी समाज को ट्राइबल्स में आना चाहिये या नहीं, इसमें मतमतान्तर हो सकता है लेकिन चाहे ट्राइबल्स हों, अपर कास्ट के लोग हों या बैकवर्ड क्लास के लोग हों, जिस तरीके से 23 नवम्बर को जघन्य अपराध हुआ और डेढ़ सौ लोगों को कुचल कर मार दिया गया, मैं ऐसा समझता हूं कि संसद के इतिहास में इस तरह की शर्मनाक घटना कहीं नहीं हो सकती है। होम मिनिस्ट्री को तो सौतेला बाप कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर के पास फुरसत नहीं है लेकिन आपकी तो सीधी जिम्मेदारी है, आपने अब तक क्या कार्यवाही की है? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जिसको बहुत सी पावर्स दी गई हैं, उसको वहां जाना चाहिये था जिससे वहां के लोगों को यह आश्वासन मिल जाता कि उनको भी देखने वाला है। बिना गोली चलाये ही डेढ़ सौ बच्चे, बच्चियां और महिलायें इसमें कुचल कर मर गईं। इतनी ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती है। वे लोग ट्राइबल्स हैं। इस कारण बोल नहीं पाते लेकिन कभी न कभी उनका आन्दोलन उग्र रूप धारण कर लेता है और कहीं झारखंड और कहीं बोड़ोलैंड की मांग उठने लग जाती है। इसलिये मैं बार–बार यह कहता हूं कि गंदे नाले की सफाई कीजिये। मच्छरों को तो डी.डी.टी. से मार सकते हैं लेकिन गंदे नाले की सफाई जब तक नहीं करोगे तक तक मच्छरों का पैदा होना बंद नहीं होगा। रिजर्वेशन का सवाल है, एट्रासिटीज का सवाल है और एक जाति को दूसरी जाति से जोड़ने का सवाल है।

आपने यहां स्कवैंजर्स के बारे में कहा । जाखड़ जी और वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। हमने इनके लिये अपने शासन काल में 5 हजार करोड़ रुपये रखे थे। उसको कम करके आपने 500 करोड़ रुपये कर दिये गये, लेकिन एक नया पैसा भी उन पर खर्च नहीं हो रहा है, सिवाय नौकरशाही पर ही खर्च होता है।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 1990 में जो 3900 शहर थे जहां पर पाखना उठाने का काम जारी था, हम लोगों ने इस सम्बन्ध में कहा था कि 3 साल के अन्दर मैं इस सिस्टम को खत्म करेंगे। आज भी कह रहे हैं कि 3 साल के अन्दर इस सिस्टम को खत्म करेंगे। आज तक की डेट में आप बतला सकते हैं कि एक शहर भी ऐसा निकला हो जहां पर कि यह पाखाना उठाने का सिस्टम खत्म कर दिया गया हो, लेकिन खत्म नहीं किया गया है। जब इस तरह से धीरे–धीरे काम चलेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि खासकर इन वर्गों का कोई भला होने वाला है। आपने जो जवाब दिया है कि मैं गम्भीरता से सोच रहा हूं। पिछले 4 सालों से गम्भीरता से सोचा जा रहा है। किसी के ऊपर यदि कोई कन्क्रीट आश्वासन देना चाहें जैसे कि लेजिस्लेशन ऑफ रिजर्वेशन हो या किसी भी मुद्दे पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर आप कुछ कर सकें तो हमको बड़ी खुशी होगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास मुश्किल से अब दस मिनट का समय है। यह सभा की जानकारी हेतु है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा *(मधुबनी) : जो पहले बोल चुका हूं वह मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि हमारा देश जिसमें अभी अछूत का मामला, आदिवासी का मामला और बाकी जो हम लोग मिश्रित नस्ल के हैं वह मामला वाला अनोखा देश है। जो यू.एस.ए के पहले का अमरीका था, कोलम्बस के पहले का था जहां के लोगों को नेस्तनाबूत कर दिया गया, आस्ट्रेलेशिया यानि दक्षिणी एशिया को यूरोप बना दिया गया। पहले की आबादी को नेस्तनाबूत कर दिया गया। हमारे यहां भी टकराव हुआ। मगर इन सबके बावजूद भी एसिमिलेशन की प्रक्रिया भी हुई । मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। समय भी नहीं है और इसलिए मैंने कहा कि हम अधिकांश लोग मिश्रित नस्ल के हैं। मेरा आग्रह है कि 10–10 वर्षों के लिए कई बार हमने बढ़ाया। क्या सरकार सोचती है कि अगले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, 30 वर्षों में, 50 वर्षों में या 100 वर्षों में इस प्रक्रिया से यह विभेद मिटेगा? मेरा आग्रह है कि एक विशेष सुविधा का प्रावधान किया जाये। जो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग या तथाकथित ऊंचे वर्ग के लोग शादी करें तो उनसे जो बच्चे हों, उनको विशेष सुविधा दी जाये ताकि धीरे–धीरे हम सब एक हो सकें। यह विभाजन रेखा बढ़ती न जाये जैसे कि बढ़ती गई है। 1937, 1938 और 1940 में मैं खुद विद्यार्थी था और 6 छात्रावास जिनका नाम लोगों ने आजाद छात्रावास रख दिया था, मुझे सुपरिटेंडेंट होना पड़ा था। एक हरिजन को मिला और उसे रख लिया। सुपरिटेंडेंट भाग जाते थे कि मेरे बेटे–बेटी की शादी नहीं होगी। उस समय भी हमने कहा था कि जिन जिन को अछूत लगे वह निकल जायें। अब क्या सरकार यह सोच रही है कि अलग छात्रावासों के जरिये आप घटकों का निर्माण कर रहे हैं। अछूतपन को आप स्थायी बना रहे हैं। दिमाग से भी बना रहे हैं, व्यवहार से भी बना रहे हैं। क्या सरकार सोचती है कि छात्रावासों के नामांकन के लिए हरिजनों और आदिवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी? एक ही छात्रावास में जिनको अछूत लगेगी वह अपना बाहर जायें, अपने घटकों का निर्माण करें ताकि एक मिलीजुली राष्ट्रीयता, मानवता के रूप में हम विकसित हो सकें। दूसरा यह कि जो सामाजिक अत्याचार का मामला है और उसको मिटाने में समय लगेगा। अतः सामाजिक न्याय की स्थापना हम करें। क्या सरकार का ध्यान वास्तविकताओं की ओर भी जाता है? अभी अत्याचार की बात कही गयी, बहुत बातों का जिक्र हुआ है। क्या यह सच्चाई है कि अभी भी गांवों में, कुछ शहरों में भी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन पर और जहां जो आदिवासी है, उन पर अत्याचार होते हैं, हत्यायें होती हैं। मंत्री जी ने बेलछी का नाम लिया। बेलछी से लेकर आज तक देशभर में तथाकथित बिहार और उत्तर प्रदेश में तथाकथित उच्च जाति के लोग और तथाकथित अन्य पिछड़े वर्ग के धनी लोग अत्याचार, हत्या, लूट और घरों के जलाने का काम करते हैं। एक ही साथ रहकर, एक ही भाषा में बोलकर क्या हम अत्याचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ....***(व्यवधान)*** जब तक मैं हूं, मेरे क्षेत्र में अत्याचार नहीं होगा। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूं। इसलिए मेरा आग्रह है कि सामाजिक अत्याचार जो चल रहा है, हमें उसको दूर करना चाहिए। जहां तक आर्थिक शोषण की बात है, हमने जमीनें दे दी हैं, लेकिन गैर–कानूनी सूदखोरी के चलते जमीनें उनके हाथ से निकल जायेंगी। कागज पर तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग मालिक हैं, लेकिन जमीनें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, देशभर में मनीलैंडिंग एक्ट को लागू करवाए। आप एक भी गांव का नाम ले लीजिए, जहां पर गैर कानूनी सूदखोरी नहीं चल रही है। मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कह रहा हूं, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश हो, सब जगह गैर कानूनी सूदखोरी चल रही है। ऐसा लगता है, जैसे सरकार महाजनों के इस काम में समर्थन दे रही है। जमीनें लूटी जा रही हैं। स्थिति यह है कि सौ रूपया दिया, पांच सौ ले लिया और हजार बाकी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश में हरिजनों और आदिवासियों के लिए मनीलैंडिग एक्ट को लागू करवाने का सरकार ऐलान करे।*

श्री रामनिहोर राय (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में बोलते हुए कहा है कि वे सुविधाय देने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति के स्कूल खोले गए हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। इन स्कूलों में सिर्फ आठवीं कक्षा तक की पढाई हो रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन स्कूलो में क्या कक्षा–10 और कक्षा–12 तक पढाई की सुविधा प्रदान करेंगे? इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम पर सरकार के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। आपके अधिकारियों के द्वारा इन लोगों पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जितने भी आश्रम पद्धति के स्कूल हैं, उनके पास अपने भवन नहीं है। जो धन अनुसूचित जाति के नाम पर दिया जाता है, उसका दुरूपयोग हो रहा है। ओवरा स्थान में आश्रम पद्धति के स्कूलों में बच्चे किराए के मकान में पढ़ रहे हैं। वहां पर बच्चे ऐसे बैठते व खाते हैं, जैसे मुर्गी का दरबा और जानवर अपने बिल में रहते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए आश्रम पद्धति के तहत जो भी धन आबंटित किया गया है, उसका उपयोग होना चाहिए और उनके निजी भवन होने चाहिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी. और एस.टी. नेशनल कमीशन की रिपोर्ट पर वर्षों के बाद सदन में विचार हुआ है, यह बहुत अच्छी बात है। इनसे संबंधित काफी विषयों पर सदन में चर्चा हुई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? वैलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से हर जिले के स्तर पर कल्याण छात्रावास बनाए जाते हैं। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी रहते हैं। लेकिन हम जिस राज्य से आते हैं वहां यह भी सूचना हर किसी की जानकारी में है कि जो एस.सी., एस.टी. छात्रावास बनाए जा रहे हैं वहां वे नहीं रह रहे हैं। अभी हाल में वहां नये–नये जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके लिए कोई जगह नहीं है। अभी हाल ही में एक जगह का उद्घाटन हुआ है वहां कल्याण छात्रावास बनाया जा रहा है। ...***(व्यवधान)***... मेरा कहना यह है कि जो छात्रावास अनुसूचित–जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है

क्या उसका इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए हो सकता है, इस पर सरकार क्या सोचती है? क्या सरकार को जानकारी है कि इस प्रकार से दुरूपयोग हो रहा है। जिस राशि का आबंटन इस वर्ग के विकास के लिए, उनको सहुलियत देने के लिए, उनको पढ़ाने में सुविधा देने के लिए कर रहे हैं क्या इस प्रकार का कार्य होगा, यह आपकी जानकारी में है या क्या हम लोग सिर्फ रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, और किसी प्रकार की कार्रवाइयां हो रही हैं, सामाजिक न्याय का नाम लिया जा रहा है तो इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आज मैं कोई भाषण नहीं करने जा रहा हूं, कल मैंने भाषण किया और टीवी वालों ने मुखर्जी नाम बोला। ...**(व्यवधान)**... मुझे सिर्फ दो बातें कहनी हैं। पहली यह है कि मेरे जिले मुर्शिदाबाद में एक चाय कम्युनिटी है, जिनके सगे बिहार में हैं। उन लोगों को शेडयूल्ड कास्ट का दर्जा मिला हुआ है। ये लोग मेरे वहां भी शेडयूल्ड कास्ट का दर्जा चाहते हैं। दूसरी बात यह है, जैसाकि पासवान जी ने कहा कि मुसलमान तो नहीं चाहते लेकिन कहीं--कहीं के मुसलमान चाहते हैं। इसलिए हम याद दिला रहे हैं कि कुछ दिन पहले मैं लद्दाख गया था वहां के जो ट्राइबल मुसलमान हैं वे कहते हैं कि हमें भी ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। लक्षद्वीप के जो मुस्लिम हैं उन्हें ट्राइबल का दर्जा दिया है। हमारे मंत्री सईद साहब भी शेडयूल्ड ट्राइब से हैं। इसलिए मैं इन दो बातों के बारे में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो वेस्ट बंगाल की चाय कम्युनिटी है उन्हें शे. कास्ट का और लद्दाख के मुसलमानों का शेडयूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के बारे में आप विचार कर रहे हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंग्का बालू : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है। पासवान जी देर से आये। मैं इसके लिए उन पर दोष नहीं लगा रहा हूं।

महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस मुद्दे पर पैंतालिस मिनट से भी अधिक बोला हूं और मैंने माननीय सदस्यों और विशेष रूप से पासवान जी, जब उन्होंने, बकाया रिक्तियों, की बात की, द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर चर्चा की। मैंने इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का पहले ही उल्लेख कर दिया है।

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्रश्न विधान से सम्बन्धित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने जा रही है। मैं जानता हूं आपने क्या किया है। **(व्यवधान)**

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, मैंने यह सुझाव नोट कर लिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। परन्तु सरकार की वचनबद्धता बरकरार है और हम 'बकाया रिक्तियों' से सम्बन्धित समस्याओं पर ध्यान देते रहेंगे। 1989-90 से 1993-94 तक चार भर्ती बोर्ड हैं।

जहां तक अत्याचारों की बात है, मैं कह चुका हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्रियों से बात की है और मैंने उन्हें लिखा भी है। हमने सम्बन्धित न्यायालयों को विशेष न्यायालय नामित किया है।

श्री राम विलास पासवान : इनकी संख्या कितनी है?

श्री के.वी. तंग्का बालू : हमने देश में लगभग 48 ऐसे जिलों का पता लगाया है जो अत्याचार ग्रस्त जिले हैं। हमने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से इसका ध्यान रखने के लिए विशेषरूप से कहा है। हमने मुख्यमंत्रियों से पहले उनसे सम्पर्क बनाये रखने के लिए कहा है और हम भी प्रत्यक्ष रूप से सभी जिलों से सम्पर्क बनाये हुए हैं। यहां एक नियंत्रण कक्ष है। यदि इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम तत्काल उनसे सम्पर्क करेंगे और दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करने हेतु उचित कार्यवाही करेंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन के बारे में मैं सभा को पहले ही बता चूका हूं कि हमने कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। लगभग 10,000 आवेदन, जिसमें करीब 1250 समुदाय शामिल हैं, प्राप्त हुए हैं। यह बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील मुद्दा है। अतः हम यह देखने के लिए सभी संभावित कदम उठा रहे है कि समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। वे दिन-रात काम कर रहे हैं। वास्तव में वे तीन से चार घंटे लगातार काम करते हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी और मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा।

जहां तक बिहार सरकार के बारे में श्री नीतीश कुमार की शिकायत का संबंध है, मुझे इस बारे में कोई समाचार नहीं मिला है। अब मुझे उनसे शिकायत प्राप्त हुई है और मैं उसकी जांच कराऊंगा। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि यदि कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निमित्त बने होस्टल का दुरूपयोग करता है तो इसमें शामिल व्यक्ति या दल का ख्याल किये बिना उस व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच कराऊंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से वहां जाऊंगा। परन्तु कृपया मुझे यह लिखित रूप में दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : मैं इस सभा में बोल रहा हूं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : मुझे उस स्थान का नाम चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : यह शिवहर जिला है जो सीतामढ़ी जिले से बना है।

श्री के.वी. तंग्का बालू : मैं व्यक्तिगत रूप से उस स्थान पर जाऊंगा और आपको अपने साथ ले जाऊंगा।

श्री राम विलास पासवान : इससे आपको भी फायदा होगा।

श्री के.वी. तंग्का बालू : मैं यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाऊंगा कि ऐसी घटना भविष्य में फिर न हो । महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं है। मैं इस मामले पर ध्यान दूंगा। मैं इन आरोपों की जांच कराऊंगा और यह देखूंगा कि इन मामलों का समाधान हो जाये।

माननीय सदस्य, श्री पासवान ने तमिलनाडु से सम्बन्धित एक मुद्दा उठाया है। मैं भी जानता हूं कि कारूनाई गांव में क्या हो रहा है। मैं आपकी बात पर आता हूं। मैं सोचता हूं मैंने आपको ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : *श्री भोगेन्द्र झा जी, एक समय था जब सभी माननीय सदस्य वाद–विवाद में भाग लेते थे। परन्तु आज आपने स्पष्टीकरण की मांग की है। गैर–सरकारी विधेयक 3.30 म.प. पर लिया जाना था। चूंकि कुछ सदस्यों ने आपत्ति की। इसे पांच मिनट के लिए और बढा दिया गया था।*

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानता हूं सरकार इसे करने की स्थिति में नहीं है। परन्तु उन्हें ऐसा कहने दीजिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने अपने विचारों को सुना और समझा।

श्री भोगेन्द्र झा : उन्हें ऐसा कहने दीजिए। क्या मुझे अछूत समझा जाना चाहिए। मैंने सिर्फ कुछ बातों को उठाया है। मैंने कोई भाषण नहीं दिया।

श्री के.वी. तंग्का बालू : एक प्रावधान है, जिसके अनुसार अन्य समुदायों के बीस प्रतिशत व्यक्तियों को अ.जा./अ.ज.जा. होस्टल में रखा जा सकता है। जहां तक सामान्य होस्टल की बात है, इस समय मैं, किसी बात का वचन नहीं दे सकता। उन्होंने यह एक नया सुझाव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। वह आपके अति बहुमूल्य सुझावों पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : हममें से कुछ लोग यह नहीं चाहते हैं कि उनकी स्थिति में सुधार आये। अब ऐसे निहित स्वार्थ उत्पन्न हो गये हैं जो कि यह चाहते हैं कि वे हमेशा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ही बने रहें। यदि यह गलत है, तो इसे अस्वीकार कीजिए। यह इसे लागू करने का प्रश्न है। वे इसे लागू नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपका प्रश्न समझ लिया है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, मैंने आपके आश्वासन पर प्रश्न पूछा था। वह कहते हैं कि वह जवाब नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान हो रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने आपका प्रश्न समझ लिया है। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि वह इस पर ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे। अब विधेयक पुरःस्थापित किये जायेंगे।

विधेयक-पुरःस्थापित

3.41. म.प.

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक* (अनुसूची में संशोधन)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.42 म.प.

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक* (अनुसूची में संशोधन)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 मे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री याइमा सिंह यमुनाम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.43 म.प.

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक* (धारा 11 में संशोधन, इत्यादि)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गुमान मल लोढा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 9.12.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–दो, खण्ड–दो में प्रकाशित

3.43 ½ म.प.

पिछड़े राज्यों के उद्योगों के लिए बिजली की अविच्छिन्न पूर्ति बनाए रखना विधेयक

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा देश का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों का समग्र औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ऐसे राज्यों में काम कर रही औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली की अविच्छिन्न पूर्ति बनाए रखने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा देश का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों का समग्र औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ऐसे राज्यों में काम कर रही औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली की अविच्छिन्न पूर्ति बनाए रखने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

3.44 म.प.

[अनुवाद]

चक्रवात, भूकंप और बाढ़ पीड़ित (वित्तीय सहायता और पुनर्वास) विधेयक*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि चक्रवात, भूकंप और बाढ़ के कारण लोगों की फसलों, सम्पत्ति, पशुधन की क्षति होने और उनके जीवन की हानि होने पर उनका पुनर्वास करने और उन्हें वित्तीय सहायता देने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चक्रवात, भूकंप और बाढ़ के कारण लोगों की फसलों, सम्पत्ति, पशुधन की क्षति होने और उनके जीवन की हानि होने पर उनका पुनर्वास करने और उन्हें वित्तीय सहायता देने तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

3.44 ½ म.प.

गंदी-बस्तियां और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अपसारण) विधेयक*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि गंदी बस्तियों और झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में जल, विद्युत, सफाई और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और न्यूनतम बुनियादी सुख–सुविधाओं तथा व्यापक जनहित में ऐसे क्षेत्रों में अपसारण तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गंदी बस्तियों और झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में जल, विद्युत, सफाई और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और न्यूनतम बुनियादी सुख–सुविधाओं तथा व्यापक जनहित में ऐसे क्षेत्रों में अपसारण तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

3.45 म.प.

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण (सरकारी सेवाओं में) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये पदों के आरक्षण (सरकारी सेवाओं में) संबंधी विधेयक पर विचार करेंगे और उसे पारित करेंगे।

डा. पी. वल्लल पेरुमान विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

---

* दिनांक 9.12.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खण्ड दो में प्रकाशित

* दिनांक 9.12.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खण्ड दो में प्रकाशित

डा. पी. वल्लल पेरुमान (चिदम्बर) : मैं प्रस्ताव करता हू।

> "कि सरकारी सेवाओं में उच्च श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है और समाज के दलित वर्गों के कष्टों को दूर करने हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु हमारे संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किये गये हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जीवन–यापन की परिस्थितियों में सुधार करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की गयी हैं। इनमें से सरकारी सेवाओं और सरकार के अन्तर्गत कार्यरत शैक्षणिक संस्थाओं में पदों के आरक्षण संबंधी एक प्रावधान किया गया है। यह निर्णय लिया गया था कि सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। इन प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण और अनुसूचित जनजातियों के 7.5 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। परन्तु इसे पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या में कई गुणा वृद्धि हो गयी है परन्तु उनके लिए आरक्षित पदो का प्रतिशत उतना ही है।

1991 की जनगणना के अनुसार अभी अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या लगभग 13,82,23,000 है। अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या 6,77,58,000 है।

वर्तमान में सरकारी सेवाओं में केवल निम्न और मध्यम श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनेक पक्षों से उच्चतम पदों में भी उनकी नियुक्ति हेतु आरक्षण किये जाने की अत्यधिक मांग होती रही है। उनके हितों की रक्षा और उनके नैतिक स्तर को बढ़ावा देने हेतु यह प्रस्ताव किया गया है कि सरकारी सेवाओं में जनसंख्या के अनुसार इस प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए और निश्चित संविधान तैयार किया जाना चाहिए। इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पदों का आरक्षण एक दशक पूर्व दर्ज किये गये जनसंख्या संबंधी आंकड़े पर आधारित है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि नवीनतम जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अनुसार उनके लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत में आनुपातिक वृद्धि की जानी चाहिए। भारत सरकार के अन्तर्गत 38 से भी अधिक विभाग कार्यरत हैं। एक सचिव को छोड़कर अन्य विभागों में उच्च जाति के लोग पदासीन हैं। इस देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या 245 है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशकों, मुख्य महाप्रबन्धक जैसे उच्च पदों और हजारों अन्य पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बहुत ही कम व्यक्ति पदासीन हैं। अन्य पदों पर उच्च जाति के व्यक्ति आसीन हैं। 1991 के अध्ययनों के अनुसार ग्रुप 'ए' प्रवर्ग में 6.4 प्रतिशत पदों पर और ग्रुप 'बी' प्रवर्ग में 9.05 प्रतिशत पदो पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति पदासीन थे। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, वे ग्रुप 'ए' प्रवर्ग में 1.54 प्रतिशत और ग्रुप 'बी' प्रवर्ग में 2.53 प्रतिशत पदों पर आसीन थे। इससे पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से भरे गए पदों का प्रतिशत 50 प्रतिशत भी नहीं बैठता। उदाहरणस्वरूप, भारतीय रेल को ही लें। भारतीय रेल में दैनिक कार्यों के लिए नीति के निरूपण और नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक प्रणाली है जिसका प्रबन्धन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसमें 7 उच्चाधिकारी, 4 महा–निदेशक शामिल हैं। नौ क्षेत्रों का प्रबन्धन महा–प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है तथा 8 महाप्रबंधक उत्पादन एककों और निर्माण एककों के कार्यों की देख–रेख कर रहे हैं और 3 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, 17 सलाहकार, 2 महानिदेशक, 61 कार्यकारी निदेशक, 2 संयुक्त सचिव और 1 महानिरीक्षक हैं। इनमें से कुछेक लोग ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं।

अब मैं बैंकिंग क्षेत्र के बारे में बताता हू। हमारे देश में बैंकों की कुल संख्या 72 है जिसमें 8 भारतीय स्टेट बैंक और इससे सहयुक्त बैंक, 20 राष्ट्रीयकृत बैंक, 12 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, 29 भारतीय अनुसूचित बैंक और 3 गैर–अनुसूचित बैंक शामिल हैं तथा कुछ निजी बैंक भी हैं। कुल 72 बैंकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के पद पर आसीन नहीं है।

जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है, इस समय हमारे देश में 217 विश्वविद्यालय हैं और इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के एक या दो लोग ही ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय के उप–कुलपति और रजिस्ट्रार के पद पर आसीन हैं। मेरे विचार में भारत सरकार में भी ऐसी ही स्थिति है। वहां भी सभी पदों पर, विशेषकर ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' प्रवर्गों में, उच्च जाति के व्यक्ति ही आसीन हैं।

मैं मण्डल मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर इसके प्रभाव के संबंध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक मुकदमा दायर किया गया था जिसमें अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण पर आपत्ति की गई थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर किसी भी न्यायालय द्वारा आपत्ति नहीं की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने स्व–विवेक से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जो देश की जनसंख्या का 25 प्रतिशत भाग है, को सुने बिना ही इस सौंपे न गए मामले पर निर्णय देने हेतु विचार किया। अतः, यह निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए कि आरक्षण योग्यता विरोधी नहीं हैं, निम्नलिखित निर्णय दिया है :

(एक) पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा और आरक्षण को केवल प्रारम्भिक नियुक्ति तक ही सीमित रखा जायेगा।

(दो) आरक्षित पदों के अन्तर्गत रिक्तियो को आगे नहीं ले जाया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष को भर्ती के लिए एक इकाई के रूप मे लिया जाना चाहिए।

(तीन) अनुसंधान एवं विकास संगठन में तकनीकी पदों, चिकित्सा, अभियांत्रिकी इत्यादि में विशिष्ट विषयों और उच्च विशिष्ट विषयों, रक्षा सेवाओं, प्रोफेसरों, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में विमानचालकों, परमाणु और अन्तरिक्ष अनुप्रयोग इत्यादि में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों जैसे पदों के कुछ प्रवर्गों में किसी प्रकार के आरक्षण की सलाह नहीं दी जाती है।

(चार) कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया गया था। लेकिन यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि पूर्ण न्यायपीठ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे।

उपर्युक्त निर्णय के दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत है:

(एक) पदोन्नति में आरक्षण किए बिना, पदोन्नतियों की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में ऊपर उठ पाना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत कठिन होगा। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति मे आरक्षण आवश्यक है।

(दो) फिलहाल 'आगे ले जाए जाने की प्रणाली' होते हुए भी बड़ी संख्या में आरक्षित पद खाली पड़े हैं। इस समय "आगे ले जाने वाली प्रणाली" के बावजूद आरक्षित पदों की भारी संख्या में रिक्तियां बकाया हैं। इन भारी संख्या में बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष भर्ती अभियान चलाती है। निर्णयानुसार यदि "आगे ले जाने वाली प्रणाली" को छोड़ दिया जाता है, तो अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिये आरक्षित रिक्तियों को बिल्कुल भी नहीं भरा जा सकेगा और इस प्रकार संपूर्ण आरक्षण प्रणाली विफल हो जायेगी। आरक्षित पदों और वास्तव में भरे गए पदों के बीच भारी अन्तर हो जायेगा।

(तीन) विशेषज्ञता और अत्यधिक विशेषज्ञता वाले पदों की आड़ में अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग को अनेक विभागों में रोजगार से वंचित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह आरक्षण योग्यता के विरूद्ध नहीं है तो उपर्युक्त विभागों में आरक्षण प्रदान करना अचानक योग्यता के विरुद्ध कैसे हो सकता है?

(चार) आरक्षण का सिद्धान्त केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ही नहीं है, अपितु समाज के उपेक्षित वर्गों को माननीय सम्मान और समानता के साथ देश के शासन और प्रशासन में बराबर का सहभागी भी बनाना है।

इस निर्णय से अ.जा. तथा अ.ज.जा. में देशव्यापी असंतोष उत्पन्न हो गया है क्योंकि आरक्षण से जो भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ है, वह व्यर्थ हो जायेगा और उनको एक शताब्दी पीछे धकेल देगा। मैं महसूस करता हूं कि शायद ऐसी धारणा है कि अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिये आरक्षण सहानुभूतिपूर्ण हमदर्दी है, परन्तु ऐसा नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिये मैं आपका ध्यान अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिये आरक्षण की उत्पत्ति की ओर दिलाना चाहूंगा।

वह बाबा साहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर ही थे जिन्होंने 1930–32 में लन्दन के गोलमेज सम्मेलनों में अ.जा. तथा अ.ज.जा. के साथ घोर अन्याय, सदियों से हो रहे अत्याचार, अस्पृश्यता, दमन और शोषण के विरूद्ध सरक्षण हेतु उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिये संघर्ष किया था। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने 17 अगस्त 1932 को 'कम्युनल अवार्ड' में अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की। तथापि, अ.जा. तथा अ.ज.जा. की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में भिन्नता होने के कारण महात्मा गांधी ने निर्णय का विरोध करते हुये भूख हड़ताल कर दी।

मामले पर बातचीत की गई और "पूना पेक्ट" नामक महत्वपूर्ण समझौते पर 24 सितम्बर, 1932 को महान राष्ट्रवादियों, चिन्तकों, और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर डा. बी.आर. अम्बेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, जयकर, सप्रू, जी. डी.बिरला, राजगोपालाचारी, डा. राजेन्द्र प्रसाद, राय सहादुर श्रीनिवासन, एम.सी. राजा, देवदास गांधी, और अन्य ने हस्ताक्षर किये। इस समझौते से अ.जा. तथा अ.ज.जा. को सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, और आर्थिक विकास की गारन्टी मिली और इसके अतिरिक्त सभी स्तरों पर देश के शासन में भागीदारी का आश्वासन भी मिला। इन उपबंधों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में भी शामिल किया गया और तत्पश्चात ये भारत के संविधान का भाग बन गया। अतः यह स्पष्ट है कि अ.जा. तथा अ.ज.जा. को दिया गया आरक्षण सहानुभूतिपूर्ण हमदर्दी नहीं है बल्कि एक ऐसा अधिकार है जिसे काफी संघर्ष के पश्चात् प्राप्त किया गया था। यदि 'पूना पेक्ट' अस्तित्व में न आया होता, तो इस देश की नियति कुछ और ही होती।

मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि हम में से कुछ माननीय सदस्यों ने अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिये आरक्षण का इतिहास जानते हुए अ.जा. तथा अ.ज.जा. के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में ससंद में भी आशंका व्यक्त की थी। इसके उत्तर में कल्याण मंत्री, माननीय श्री सीता राम केसरी ने उच्च सदन में एक वक्तव्य दिया था, जो इस प्रकार है :

> "सरकार ने इस संबध में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर अपेक्षित ध्यान दिया है और मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हू कि पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के अपने संवैधानिक

दायित्व के संबंध में निर्णय से उत्पन्न मामलों पर सरकार विचार करेगी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मण्डल आयोग के संबंध में दी गई दलील सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुये वर्गों के संदर्भ में थी। जहां तक अ.जा./अ.ज.जा. का सवाल है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ, यदि कोई हों, के बारे में अन्तिम दृष्टिकोण अपनाने से पहले सभी राजनीतिक दलों सहित व्यापक विचार-विमर्श किये जाने की आवश्यकता है।

4.00 म.प.

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के संबंध में सरकार की वचनबद्धता के बारे में कोई शंका नहीं की जा सकती। पदोन्नतियों के संबंध में वर्तमान प्रणाली के कार्यकरण में तत्काल कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।"

यह वक्तव्य माननीय कल्याण मंत्री श्री सीता राम केसरी ने दिया था। अभी-अभी माननीय कल्याण राज्य मंत्री श्री के.वी. तंग्का बालू ने भी अ.जा. तथा अ.ज.जा. के हितों की रक्षा के संबंध में इसी प्रकार का एक वक्तव्य दिया है। मंत्री महोदयों द्वारा किये गये उपरोक्त खोखले वायदों के अलावा हमें इस निर्णय के दिये जाने के दो वर्ष पश्चात भी इसके विपरीत प्रभावों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार द्वारा आगे की गई किसी कार्यवाही के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि कुछ अति उत्साहित राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार के संगठन अ.जा. तथा अ.ज.जा. के संबंध में मण्डल आयोग के निर्णय को अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं।

यह पता होना चाहिए कि अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिये आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अन्तर्गत प्रदत्त एक मूल अधिकार है जो उन्हें 'कम्युनल अवार्ड, 1932' के अन्तर्गत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान के बदले दिया गया है, ताकि इन्हें सामाजिक अन्याय से बचाया जा सके और देश के शासन में हर स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिये केवल सेवाओं में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत सरकारी आदेश है। यद्यपि सरकार महात्मा गांधी का 125 वां जन्म दिवस समारोह मनाने की तैयारी कर रही है, वह यह नहीं समझ पायी है कि वस्तुतः न्यायालय के निर्णय ने पूना पेक्ट के आशय को विफल कर दिया है जिस पर महात्मा गांधी के प्रयासों से ही हस्ताक्षर हुये थे। महात्मा गांधी और अन्य महान नेताओं, जिन्होंने पूना पेक्ट पर हस्ताक्षर किये थे, का इससे अधिक और कोई अपमान नहीं हो सकता।

अ.जा. तथा अ.ज.जा. की समस्याओं से जिस ढंग से निपटा जाता है उससे उनमें पहले ही असंतोष व्याप्त है। निर्णय के प्रतिकूल प्रभावों से अ.जा. तथा अ.ज.जा. के शिक्षित युवाओं में और अधिक निराशा व्याप्त होगी क्योंकि इससे सामाजिक और आर्थिक जीवन में और अधिक असमानता पैदा होगी। यह हमारे लोकतंत्र के लिये बहुत घातक होगा, जैसाकि डा. अम्बेडकर ने कहा है :

"26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता रख पायेंगे परन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य के सिद्धान्तों को मान्यता प्रदान करेंगे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण 'एक व्यक्ति; एक मूल्य' के सिद्धान्त को नकारते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता से कब तक इन्कार करते रहेंगे? यदि हम इसे लम्बे समय तक नकारते रहे, तो इससे हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही खतरे में डालेंगे। हमें इस विरोधाभास को यथाशीघ्र समाप्त करना चाहिये वर्ना जिन लोगों के साथ असमानता होगी वे उस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उखाड़ फेकेंगे जिसे इस सभा द्वारा इतने परिश्रम से तैयार किया गया है।"

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 16 में उल्लेख है :

"राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।"

अतः समूह "क" और समूह "ख" में या निदेशकों या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के स्तर पर और अन्य सरकारी संगठनों में आरक्षण के मामले में उच्च पदों के लिये निर्धारित आरक्षण होना चाहिए क्योंकि एक ओर हमारी सरकार पिछली बकाया रिक्तियां भर रही है और दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति आदि के विरूद्ध निर्णय दिया है। इन दोनों में काफी भिन्नता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री, श्री सीता राम केसरी और श्री तंग्का बालू ने भी अ.जा./अ.ज.जा. के हितों की रक्षा का इस सभा में आश्वासन दिया है। मण्डल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग और अ.जा. दोनों को एक समान माना गया है। परन्तु संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में काफी भिन्नता है। महोदय, पिछड़े वर्गों में अनेक जातियां और वर्ग हैं, जबकि अ.जा. तथा अ.ज.जा. का पृथक अस्तित्व है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियां हिन्दू वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आती हैं। उनकी गणना पांचवें वर्ण में की जाती थी, और उन्हें अप्रिय समझा जाता था।

अतः मण्डल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय अ.जा./अ.ज.जा. के पूर्णतः विरूद्ध है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए और पदोन्नतियों के मामले में उन्हें आरक्षण लाभ देने के लिए एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करे तथा सभी विभागों में ग्रुप 'ए' से ग्रुप 'डी' तक की सभी श्रेणियों में आगे ले जाए जाने की प्रणाली को प्रभावी बनाए। आरक्षण

कोटे में जनसंख्या के अद्यतन अनुपात के अनुसार वृद्धि की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि सरकारी सेवाओं में उच्च क्षेणी के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के.वी. थामस–अनुपस्थित

श्री नवल किशोर राय

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री पी. वल्लल पेरूमान के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों (सरकारी सेवाओं में) का आरक्षण विधेयक संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण के संबंध में यह विधेयक आया है। यह विषय देश में सामाजिक न्याय के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को न्याय देने का संवेदनशील विषय है। मैं आपके जरिये सरकार के सामने यह तथ्य रखना चाहता हूं, जो तथ्य माननीय सदस्य श्री पेरूमान जी ने रखा है कि उच्च पदों पर केन्द्र के सभी 38 विभागों में 5 प्रतिशत स्थानों पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सचिव स्तर के अधिकारी नहीं है जबकि संविधान के अनुसार 50 फीसदी स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं। मैं आपके जरिये सरकार को बताना चाहता हूं कि केन्द्र के 38 विभागों में मात्र 2 व्यक्ति ही सचिव स्तर के अधिकारी हैं। तो क्या हम उन्हीं सचिवों के माध्यम से आरक्षण देना चाहते हैं?

पूरे देश में सरकार जिस तरह से आरक्षण देना चाहती है, आरक्षण को इम्पलीमेंट कराना चाहती है तो उसके लिये जरूरी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को कोटे के मुताबिक आरक्षण देकर उच्च पदों पर भी बिठाया जाये। यदि एक ही वर्ग के लोग उच्च पदों पर बैठे रहेंगे तो आरक्षण को कैसे पूरा किया जा सकता है। यही कारण है कि आज एस.सी., एस.टी. के आरक्षण में बैकलॉग चल रहा है।

अभी हमारे साथी पेरूमान जी ने विस्तृत रूप से जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिये जाने के संबंध में आंकड़े सदन में रखे और बैकलॉग के बारे में बताया। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक देश में 38 विभागों के उच्च पदों पर, विभागीय सचिवों के पदों पर 50 फीसदी आरक्षण कोटे को पूरा नहीं किया जायेगा, इसके अलावा 245 सरकारी उपक्रमों में आरक्षण के हिसाब से 50 फीसदी आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया जाता, उस समय तक सरकार कैसे सरकारी उपक्रमों के प्रबंध–निदेशक, निदेशक और दूसरे उच्च पदो पर आरक्षण को कैसे पूरा कर पायेगी, यह मेरी समझ में नहीं आता है। क्या इस विषय में सरकार आज यहां कोई घोषणा करने वाली है, कोई निर्णय इस सदन में लेना चाहती है जिसमें यह व्यवस्था हो कि आरक्षण के कोटे के मुताबिक 38 विभागीय सचिवों के पद पर तथा 245 सरकारी उपक्रमों में प्रबंध–निदेशक और निदेशक आदि पदों पर आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा विस्तृत विधेयक सदन में लाया जायेगा जिसमें प्रभावी तरीके से 50 फीसदी आरक्षण कोटे को लागू करने के लिए उपबंध होगा?

आज सर्विसेज में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को साढ़े बाईस परसेंट आरक्षण दिया जाता है जिसकी व्यवस्था 1971 की जनगणना के आधार पर की गयी थी। अब देश में 1991 की जनगणना भी सम्पन्न हो चुकी है तथा आबादी के आंकड़े सामने आ गये हैं जिनसे पता चलता है कि देश में इन लोगों की जनसख्या बढ़कर 25 फीसदी हो गयी है। इस आधार पर न्याय यही कहता है, हमारा संविधान यही कहता है और मानवता के आधार पर यह जरूरी हो जाता है कि जब इन लोगों की आबादी बढ़ गयी है, 25 प्रतिशत हो गयी है तो इस सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्य बारी–बारी से यह मांग उठाने का काम करते हैं, आपके जरिये सरकार के संज्ञान में लाने का काम करते हैं कि नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण कोटे को बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया जाये। मैं आपके जरिये सरकार से मांग करता हूं कि एक विस्तृत विधेयक लाकर आरक्षण कोटे को अविलम्ब बढ़ाया जाये। सरकार को आरक्षण कोटा 50 फीसदी तक बढ़ाने की व्यवस्था करने वाला विस्तृत बिल इस सदन में लाना चाहिये, यही इस बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए और अपने विचार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अभी माननीय सदस्य मंडल कमीशन की सिफारिशों के आलोक में ओ.बी.सी. के आरक्षण पर माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले की चर्चा कर रहे थे और साथ ही सरकार द्वारा उन सिफारिशों के इम्पलीमेंटशन में की गयी कार्यवाही की चर्चा भी उन्होंने की। इसी सदन में 1993 के दिसम्बर महीने में, माननीय श्री राम विलास पासवान जी के एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, सरकार ने आश्वासन दिया था, फिर उसके बाद मई और जून, 1994 में भी शून्यकाल के दौरान तथा अन्य प्रश्नों के माध्यम से सरकार की तरफ से कल्याण मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जिस प्रकार देश में संविधान की नौंवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है। उसके बाद दसवीं कोटि ओ.बी.सी. की आयी है, नौंवी अनुसूची में जिस प्रकार उम्र सीमा के संबंध में, परीक्षा–शुल्क और उत्तीर्णांक में छूट दी जाती है। उसी आधार पर ओ.बी.सी. के छात्रों को भी उस सीमा में छूट दी जायेगी तथा परीक्षाओं में शामिल होने के उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक वर्ष पहले दिसम्बर महीने में श्री राम विलास

पासवान जी के एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया गया था, उसके बाद भी कई बार इस सदन में उस आश्वासन को दोहराया गया, सभी ओर के माननीय सदस्य ओ.बी.सी. के छात्रों को आरक्षण के साथ–साथ उम्र सीमा में भी छूट दिये जाने के प्रश्न पर उद्वेलित रहे हैं, अपनी मांगों को जोरदार ढंग से उठाने का उन्होंने काम किया है और सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं किया। इसलिए हम मंत्री जी से और सरकारी बेंचों पर बैठे लोगों से यह जानना चाहते हैं कि वे हमें यह बताने की कृपा करें कि ओ.बी.सी. के कोटे में जिस प्रकार से नौ कोटियों में आरक्षण की सुविधा दी जाती है, उस में छूट, चांस में, अवसर में, परीक्षा शुल्क में और क्वालिफाइंग अंकों आदि में, उसी प्रकार से इसको ठीक करके इनको भी उन सभी कोटियों में लागू करने की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, इस सदन में कन्नौजिया साहब बैठे हैं जब वे बोलेंगे, तो इस बात को साफ करेंगे कि आरक्षण का कोटा अलग होता है और सामान्य कोटा अलग होता है, क्योंकि उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत मेहनत की है और उन्हें इस प्रकरण की बहुत जानकारी है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इस बार संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई, उसमें ओ.बी.सी. के जो लोग पास हुए, उनको जो सामान्य कोटे में पास हुए, उनसे अलग करके, दुबारा परीक्षाफल निकाला। ऐसा संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ है कि परीक्षाफल दुबारा निकाला गया और जो लोग सामान्य परीक्षा में ओ.बी.सी. के पास हुए उनको सामान्य में न मानकर ओ.बी.सी. के कोटे में मानकर उनका रिजल्ट दुबारा निकाला, जो इन जातियों के लोगों के प्रति सरासर अन्याय है। यदि वे सामान्य परीक्षा में पास हुए थे, तो उनको सामान्य मानकर परीक्षाफल घोषित किया जाना चाहिए था न कि ओ.बी.सी. के कोटे के अंदर। इससे जो अन्य ओ.बी.सी. के लोगों को स्थान मिल सकते थे उनसे वे लोग वंचित रह गए। इस कोटे में जो 50 प्रतिशत कोटा आरक्षित है उसमें इनको शामिल करके अन्याय किया गया है। पिछड़ी जातियों के जो लोग अपनी योग्यता से पास हुए हैं उनको क्यों आरक्षित स्थानों में शामिल किया गया है? इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इसको साफ किया जाए।

उपाध्यक्ष जी, अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को स्वीकार कर लें। यदि वे इससे सहमत नहीं हैं, तो अपनी ओर से एक विस्तृत विधेयक लाएं। इस बारे में सदन के हर दल के सदस्य सहमत हैं कि आरक्षण के जो 50 प्रतिशत स्थान हैं वे उनको हर हालत में दिए जाएं। यदि आप अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय देना चाहते हैं तो निश्चित अनुपात में जो आरक्षण दिया गया है उसको पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर के पद तक, यानी सचिव के स्तर तक सभी विभागों में और इस देश के 245 लोक उपक्रमों में छोटे से लेकर बड़े पदों तक सब पर इनकी नियुक्ति कीजिए। तक इन लोगों की सच्चे अर्थों में उन्नति हो पाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बैकलॉग का सम्बन्ध है स्वतंत्रता के बाद वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। वह बढ़ता ही रहा है। हालांकि सदन में रोजाना घोषणा करते हैं कि हम इनको विशेष प्रशिक्षण देकर परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूती से तैयारी करने का मौका देते है, परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है।

हम उन्हें सारी सुविधायें देकर आगे लाने का काम करते हैं। इसके बावजूद "ए" श्रेणी में 4.5 परसेंट, "बी" श्रेणी में 5.7 परसेंट आरक्षण ही पहुंचता है। कुल मिलाकर सात या आठ फीसदी आरक्षण सभी कैटेगरियों में मिलाकर अब तक पूरा हुआ है जबकि 22.5 परसेंट आरक्षण पूरा होना चाहिए। यह बैकलॉग 47 वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह गंभीर आरोप है कि जब तक वह अपनी नीति मजबूत नहीं बनायेगी, इस सदन के माध्यम से अपना कानून बनाने का काम नहीं करेगी तथा आरक्षण में उचित ढंग से बैकलॉग को पूरा करने की मंशा नहीं बनायेगी, जब तक उन्हें कठोर दंड देने की व्यवस्था संविधान में संशोधन करके नहीं की जायेगी, तब तक उसमें सुधार संभव नहीं है।

मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि सरकार आरक्षण के नियमों को शत–प्रतिशत पालन न करने वाले पदाधिकारियों, कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए कानून बनाने का काम करे। हम बिहार से आते हैं। बिहार सरकार ने ऐसा कानून बनाकर एक मिसाल कायम की है और देश में एक रास्ता बनाने का काम किया है कि आरक्षण का पालन करने में जो कोताही करेगा, उन्हे कठोर दंड दिया जायेगा। वहां पर आर्थिक दंड के साथ और भी कई प्रकार के कठोर दंड देने की व्यवस्था की गयी है।

हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर कानून बनाकर उसे इस सदन में लाये। चारों तरफ से सभी माननीय सदस्य इसका सर्वसम्मति से समर्थन करके उसे पास करे तथा जो आरक्षण में ढिलाई करे, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने की व्यवस्था की जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थामस (एरणाकुलम) : आरम्भ में, मैं डा. पी. वल्लल पेरूमान द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

देश के सभी राजनीतिक दल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण को लेकर झूठे आंसू बहाते हैं। 47 वर्षों के बाद भी हम देखते हैं कि संविधान में जो आश्वासन दिये गये हैं और इस सभा में जो भी आश्वासन दिए गए हैं, उन्हे समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र और बैंकिंग संगठनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के

कार्यान्वयन के लिए गुंजाइश है किन्तु यह देखा गया है कि राज्यों में तथा केन्द्र में भी इसका समुचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।

इस सभा ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया है और वह समिति अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों का दौरा कर रही है। उसके निष्कर्ष क्या हैं? बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिशत के अनुसार आरक्षित किए जाने वाले और भरे जाने वाले पदों को समय से नहीं भरा जाता है। नियुक्तियां न किए जाने के बारे में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अपने-अपने बहाने हैं।

अतः समय आ गया है कि यह सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के मामले को गंभीरता से ले।

श्रेणी एक के अधिकारियों में यदि आप विश्लेषण और अध्ययन करें तो यह देखा जा सकता है कि आरक्षण के सिद्धान्त का कार्यान्वयन नहीं किया गया है। जैसा कि डा. पी. वल्लल पेरूमान ने बताया है, 234 अथवा 235 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितने अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक हैं? कृपया सशस्त्र सेनाओं का अवलोकन करें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोग कर्नल अथवा कप्तान के रैंक से ऊपर हैं? मेरा विचार है कि हमें इस पहलू की जांच गंभीरतापूर्वक करनी चाहिए। केरल में हमने पुलिस विभाग में भर्ती के मामले में कुछ अग्रगामी कदम उठाए हैं। महोदय, सर्कल निरीक्षकों, पुलिस उप अधीक्षकों के स्तर से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से सीधी भर्ती की जाती है। इसी प्रकार तहसीलदारों और आर.डी.ओ. की भर्ती सीधे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय में से की जाती है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या श्रेणी-एक के अधिकारियों के कुछ प्रतिशत पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय में से सीधी भर्ती की जायेगी। कृपया भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों पर दृष्टिपात करें। जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल नहीं दिया जाता तब तक वे भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी नहीं बन सकते। यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि नहीं हों तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण किस प्रकार होगा? हालांकि हम छुआछूत के खिलाफ काफी बात करते हैं परन्तु वास्तविकता में ऊंची जातियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच कितने अन्तर्जातीय विवाह हो रहे हैं? हमें इस पर विचार करना होगा। अतः समय आ गया है जब हमें समाज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

मछुआरों के संबंध में, मछुआरा समुदाय में विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां हैं। परन्तु संपूर्ण मछुआरा समुदाय को एक जनजाति समझा जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया जाना चाहिए, किन्तु उन्हें पर्याप्त संरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। विदेशी मत्स्य नौकाओं को लाइसेंस दिए जाने के विरूद्ध पारम्परिक मछुआरों द्वारा देश-व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। यह देखा गया है कि पारंपरिक मछुआरो के हितों का पर्याप्त रूप से संरक्षण नहीं किया जाता है। इसी प्रकार दलित ईसाईयों के बारे में भी ऐसा बताया गया है। हमारे देश में जब सभी दलितों को वे विशेषाधिकार दिए जाते हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मिलते हैं तो दलित ईसाईयों को उन विशेषाधिकारों से वंचित क्यों रखा जा रहा है? इस सभा के सदस्य के रूप में पिछले दस वर्षों से मैंने देखा है कि अनेक चर्चाएं की जा रही हैं जो सरकार सत्ता संभालती है, वह यह आश्वासन देती है कि दलित ईसाईयों को वे सभी विशेषाधिकार दिए जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्राप्त हैं, किन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है।

शैक्षणिक संस्थाओं के मुद्दे पर आते हैं ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जिनके उप-कुलपति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के हैं? अतः मैं सोचता हूं कि वह समय आ गया है जब हमें कुछ दृढ निर्णय लेने होंगे और कार्यवाही करनी होगी। अन्यथा जैसा कि हमने देश में विभिन्न भागों में देखा है अनुसूचित जातिया और अनुसूचित जनजातियां उठ खड़ी होंगी और हिंसात्मक गतिविधियों पर उतर आयेंगी। हमें ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकना है। हम हिंसात्मक गतिविधियों को तभी रोक सकते हैं यदि कुछ दृढ़ निर्णय लिए जाएं और उन्हें कार्यान्वित किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में, मैं डा. पी. वल्लल पेरूमान द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार इस विधेयक के उद्देश्य पर विचार किया जायेगा और उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष जी, पिछले 10-12 घण्टों से अनुसूचित जातियों, जनजातियों के संदर्भ में जो रिपोर्ट के ऊपर हमने काफी विस्तार से चर्चा की । हमारे साथी पेरूमल जी का भी जो निजी संकल्प है, इसी से ही मिलता-जुलता है।

मैं इस संदर्भ में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, पर इतना जरूर समझ में आता है कि देश आजाद होने के बाद उस समय के नेताओं ने जो लक्ष्य रखा था, इस समाज की एकरूपता और एक रास्ते पर ले जाने का, ऐसा लगता है कि हम अभी तक उसके ऊपर चल नहीं पाये हैं। संविधान निर्माताओं ने जो आरक्षण की बात कही थी, 45 वर्षों के बाद आरक्षण का यह विषय वोट का विषय बन गया है। जो लक्ष्य हमारा होना चाहिए था कि समाज के उस तबके को

हम बराबरी पर लायें, वह काम जान–बूझकर हम लोगों ने नहीं किया।

आज शिक्षा में इतनी ज्यादा असमानता हो गई है कि हम उसको बराबरी के हिसाब से ऊपर लाने का विचार करें तो नहीं कर सकते। जो गरीब तबके का व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का है, पिछड़ी जाति का है, जब वह गांव के अन्दर रहकर अच्छी शिक्षा की बात सोचता है तो यह उसकी कल्पना से परे की बात है। उसके बाद हम यह उम्मीद करें कि वह समाज बिल्कुल हमारी बराबरी पर आ जाय, तो गलत है।

45 वर्ष हो गये लेकिन बैकलॉग के बारे में जब सवाल पूछे जाते है तो उसकी संख्या निरन्तर बढ़ती जाती है। सदन में आश्वासन दिया जाता है कि बैकलॉग बहुत जल्दी पूरा होगा, पर उसके ऊपर कार्यवाही क्या होती है, यह बात अभी तक हमारी समझ में नहीं आती। मेरा आग्रह यह है कि हम लोग शायद इस बात पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जो रिपोर्ट आई, उसके ऊपर भी 8 साल के बाद सदन में चर्चा हुई। जब इतने वर्षों के बाद सदन में रिपोर्ट पर चर्चा होगी तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि समाज का यह हिस्सा बिल्कुल बराबरी पर आ जायेगा।

आज समाज निश्चित रूप से टुकड़ों में बंटा हुआ है और इसे टुकड़ों में बांटने का काम बाहर वालों ने नहीं किया है। इस सब के जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं या विपक्ष में हैं, वह सब लोग मिल बैठकर इसके बारे में विचार करें और आरक्षण को वोट का मुद्दा नहीं बनाया जाय। यह मुद्दा बनाया जाय कि हम आम आदमी को कैसे बराबरी के रास्ते पर लेकर आयें, कैसे उसको बराबरी की शिक्षा मिले।

जब प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा में इतनी असमानता है कि 3–3, 4–4 तरीके से शिक्षा हमको मिलती है तो फिर बराबरी की बात हम उस स्तर पर कैसे कर पायेंगे। कुछ स्थानों पर तो ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद ही लोग तय कर लेते हैं कि इसको हम कहां पढायेंगे। जो निचले तबके के लोग हैं, वह 15–17 साल के बाद भी तय नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है तो कैसे हम इस समस्या का मुकाबला कर पायेंगे, इसके बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए, आज यहां पर हम इस बारे में चर्चा कर लें। हमारे साथी श्री पेरूमल जी ने एक बात रखी है और यह बात निश्चित रूप से सही है कि हम सब लोगों को उसके ऊपर फैसला करना चाहिए कि इस बात का अन्त क्या होगा।

आरक्षण भी उस समय केवल 10 साल के लिए प्रस्तावित था, पर अब हम कह रहे हैं कि इसको हम निरन्तर बनाये रखेंगे । यह हर पार्टी की मजबूरी है। अगर कोई पार्टी इस बात से पीछे हटकर जाय तो उसे लगेगा कि उसके वोट कम हो रहे हैं। हर पार्टी यह विचार करती है कि समाज का वह तबका कितना ऊपर उठ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हम समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं।

मुझे इस संदर्भ में बहुत ज्यादा कहना नहीं है। इसपर लम्बी चर्चा हमने की है, सारी बातें विस्तार से आ गई हैं। सरकार इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करे और यह सोचे कि समाज में समरसता कैसे बने, समाज में एकरूपता कैसे आये। जाति की बात समाज में बांटने का काम कर रही है और उसके हिसाब से सब लोग सोच रहे हैं और उसके हिसाब से ही सब लोग चलने का काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह यह है कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो 45 वर्षों के बाद भी अत्याचार और बढ़ते जा रहे हैं। इसमें तो ऐसा हो गया है कि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, अत्याचारों की सीमा महिलाओं पर और सब तबकों पर निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण हैं, हम सब लोग इसके हिसाब से विचार करें।

मैं और ज्यादा न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर पेरूमान जी के सरकारी सेवाओं के पदों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये आरक्षण रखने से संबंधित बिल पर अपने विचार रखने के लिये और उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं जब से लोक सभा में आई हूं तब से यह देख रही हूं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण देने के बारे में बहुत से बिलों पर यहां विचार–विमर्श हो चुका है। मैंने आज विपक्ष और सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों के विचार यहां सुने। मैं उनके इन विचारों से पूरी तरह सहमत हूं कि सरकार समय–समय पर उनको जो आरक्षण देती है अथवा पालिसीज निर्धारित करती है, उनका फायदा उन तक नहीं पहुंच पाता है। कल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि सत्ता मे बैठी हुई सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उनका कहना बिल्कुल गलत है। वास्तव में मानसिकता की कमी है। आज में केवल आपको यही बताने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं बहुत संक्षेप मैं अपनी बात कहूंगी। पालिसीज इसलिये बनायी जाती है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सभी सुविधायें मिल जायें। बैकलॉग के बारे में यहां चर्चा हुई। यह केवल हमारी मानसिकता के ही कारण है। अगर हम चाहें तो उन्हें सब कुछ दे सकते हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि 38 विभागों में से दो में ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। इसी कारण मैं आपको अपने बारे में यहां कुछ बताना चाहती हूं।

1975 में मुझे पंजाब लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया। हिन्दुस्तान में मैं पहली महिला सबसे कम उम्र की इस पद पर थी और अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाली थी। आप ऐसा समझिये कि पंजाब को ऐसा गौरव प्राप्त हुआ था। अधिक समय नहीं है जिससे कि मैं आपको अपने अनुभव बता सकूं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के साथ अत्याचार मानसिकता की कमी के कारण ही होता रहा है। रिजर्वेशन की कोई समस्या नहीं है। 1975 में मुझे यह देखने को मिला कि अगर कोई भी शेडयूल्ड कास्ट का

इंटरव्यू के लिये आता था तो वह किसी भी पोस्ट पर सिलैक्ट नहीं हो पाता था। 3 महीने यह सब देखते ही बीत गये। ए,बी,सी, और डी जो चार कैटेगिरीज होती हैं, एक्सपर्ट्स उनको 'डी' कैटेगिरी दे देते थे। उससे आगे उनका नम्बर नहीं लगता था। ऐसे में 5 ऐक्स्ट्रा नाम भेज दिये जाते थे और एन.ओ.सी. सौशल वैलफेयर मिनिस्ट्री से ले लिया जाता था। जो इन्फलुंएशल आदमी होता था, वह उस पोस्ट पर लग जाता था। तीन महीने के बाद मैंने यह महसूस किया कि इस संदर्भ में कुछ करना चाहिये। जब एक दिन डाक्टर की इंटरव्यू थी उसके साथ ऐसा ही हुआ तो मैंने अपने पेपर्स यह कह कर वापस करने से इंकार कर दिये कि हमारे कमीशन को रैजोल्यूशन पास करना होगा। कमीशन ने रैजोल्यूशन पास किया कि अगर रिजर्व्ड कैटेगिरी को 'डी' कैटेगिरी दी जायगी तो उसको भी कंसिडर किया जायेगा। उसी समय रैजोल्यूशन पास हो गया और उसके अनुसार काम होने लगा। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इसके बाद दूसरा हथियार चलना शुरू हो गया। मैक्सिमम मार्क्स 30 लेने होते थे। कमीशन के सदस्यों ने जीरो नम्बर देने शुरू कर दिए जिससे कोई भी शेडयूल्ड कास्ट का आदमी इस पोस्ट पर न आ सके। मुझे यहां तक करना पड़ा कि 40 में से 39 नम्बर मैं अपने ही लगा देती थी जिससे कि शेडयूल्ड कास्ट के किसी आदमी को नौकरी मिल सके।

मुझे लोक सेवा आयोग में बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं कमीशन में केवल सदस्या थी। मैंने पहले कभी किसी विभाग में कार्य नहीं किया था। मैं एक घरेलू महिला थी और मैं सीधे सदस्य के रूप में पब्लिक सर्विस कमीशन में गई थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने मुझे वहां अध्यक्ष बनने का मौका दिया। मुझे वहां बहुत सी कठिनाईयां पेश आईं। लोक सेवा आयोग का जब मुझे अध्यक्ष बना दिया गया, तो इसकी बहुत चर्चा हुई कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को सदस्य बनाया गया। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है और मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि वे जो रिजर्वेशन पालिसी के बारे में कह रहे हैं, वह रिजर्वेशन तो उनको मिल जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में वह रिजर्वेशन उन तक पहुंच पाएगा? माननीय संतोष गंगवार जी ने ठीक कहा कि इस विषय पर सदन में वोट बैंक के लिए अनुमोदन कर दिया जाता है। यदि समूह सदस्य अपने मन से पूछे, तो वे क्या वास्तव में यह आरक्षण चाहते हैं। वास्तविकता यह भी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरी दे भी दी जाती है, तो उनका रिकार्ड खराब कर दिया जाता है। रिकार्ड इस तरह से खराब किया जाता है कि वे प्रमोशन नहीं ले सकते हैं। यदि उनको प्रमोशन दे भी दी जाती है, तो उनकी पोस्टिंग इतनी दूर कर दी जाती है कि उनको बहुत परेशानी होती है। परिवार कहीं होता है और वे खुद कहीं होते हैं। इसलिए हमें इस चीज पर भी विचार करना होगा। बहुत सी बातें हैं, जो मैं कहना चाहती हूं, बारह वर्षों का अनुभव है, लेकिन समय के अभाव मे मैं नहीं कहना चाहती हूं। मेरे सामने बहुत से उदाहरण आये हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं, जितनी भी बड़ी–बड़ी पोस्ट्स हैं, जितने भी गवर्नर्स और चीफ सैक्रेटरीज नियुक्त किए जाते हैं या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, जब तक आप इन पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं लगायेंगे, तब तक कोई भी इनका संरक्षण करने वाला नहीं है। हम सब यह जानते हैं कि सरकार द्वारा बनाई गई पालिसीज का इम्पलीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। मैं समझती हूं कि सरकार अपनी तरफ से कानूनों के लागू करने की कोशिश करती है। ऐसी बात नहीं है कि वह करना नहीं चाहती है। बहुत सरकार ने किया है और पिछले 47 सालों में ये लोग काफी आगे बढ़े हैं। इसमें भी अब भेदभाव किया जा रहा है और इसको करने वाले राजनीतिक दल ही हैं, जो बातों को तोड–मरोड़ कर रखते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे रिजर्वेशन के इस सवाल का अनुमोदन इस संकल्प के साथ करें तथा लोगों में जाकर इसकी चर्चा करें कि वे अपनी मानसिकता को बदले। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं।

महोदय, अंत में, मैं माननीय सदस्य, डा. पी. पेरूमान, ने जो प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उसका अनुमोदन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक पर अब चर्चा हो रही है, वह आरक्षण के आधारभूत सिद्धान्त से सम्बद्ध है और इसमें भारतीय प्रशासन और भारतीय समाज की वास्तविकता को भी ध्यान में रखा गया है। यह विधेयक इसीलिए लाया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण आवश्यक है, जो कि इस देश में दशकों से अन्याय के शिकार रहे हैं।

सर्वप्रथम मैं अपने कुछ मित्रों की इस टिप्पणी पर कि आरक्षण को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसे चुनावों में समर्थन प्राप्ति लिए के प्रयोग किया जाता है और यह समाज को बांटता है, कुछ कहना चाहूंगा। मैं इस प्रकार की धारणा का विरोध करता हूं और यह मूलतः बहुत ही गलत धारणा है। जो लोग मूलतः आरक्षण–विरोधी हैं और समाज के कमजोर वर्गों के विरोधी हैं वे इस प्रकार का तर्क देते हैं कि आरक्षण प्रशासन की योग्यता को कम करेगा, समाज को बांटेगा और यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए, मैं जानना चाहता हूं। आरक्षण किसके लिए है? इस देश में आरक्षण उन लोगों के लिए है, जिन्हें न केवल न्याय से वंचित किया गया है, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो राजनीतिक या सांस्कृतिक हो, उन्हें सम्मान से भी वंचित किया गया है, और जो निहित स्वार्थों के शिकार रहे हैं। मैं इन सब बातों के इतिहास मे नहीं जाना चाहता । यह सत्य है कि इस समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यह समाज कुछ समाज–विरोधी सिद्धान्तों पर आधारित था जहां कामकाजी वर्ग, जो राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माता थे, को अस्पृश्य बना दिया गया; और उन्हें न केवल सत्ता में भागीदारी से वंचित रखा गया, बल्कि उन्हें सम्मान से भी वंचित कर दिया गया। जब नया युग शुरू हुआ, जब लोगों में जागृति और चेतना आई, तो एक प्रश्न उठाया गया।

यह प्रश्न केवल आज ही नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि यह तब भी उठाया गया जब हम अपनी स्वतन्त्रा के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं विशेषतः तीन नामों, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर, रामासामी पेरियार और महात्मा फूले का उल्लेख करूंगा। इन तीन विशिष्ट हस्तियों ने देश में अपने-अपने क्षेत्रों में इन मुद्दों को उस समय उठाया जब हम अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी का विरोध किया। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन अथवा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने पूछा कि क्या स्वतत्र भारत में भी यही सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक संबंध जारी रहेंगे जब हम स्वतंत्र होंगे, तब क्या होगा? क्या तब अस्पृश्यता होगी? क्या मात्र कुछ लोग देश के स्वामी बन जायेंगे? क्या समाज का एक छोटा सा वर्ग प्रशासन पर हावी हो जायेगा? उन्होंने स्वतत्रता संग्राम के दौरान यह सवाल उठाया। महात्मा गांधी ने समाज की इस बुराई को महसूस किया और जब उन्होंने देखा कि यह मुद्दा राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर शक्तिशाली रूप लेता जा रहा है तो उन्होंने अपने कार्यक्रम में अस्पृश्यता के विरूद्ध संघर्ष शुरू किया। उन्होंने न्याय को देखा; उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता; इस देश में आप ऐसे क्षेत्र से संबंधित हैं जहां आरक्षण था, हालांकि उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था जब समाज के इस वर्ग के पढ़े-लिखे लडके और लड़कियां आगे आएं तो, जिनका समाज और प्रशासन में प्रभुत्व था, उन्होंने कहा कि उन्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उनमें आवश्यक योग्यता नहीं है; उन्हें यह नहीं पता कि फाइल कैसे चलती है; अतः उन्होंने उनसे कुछ वित्तीय सहायता मांगने के लिए कहा, जिसके लिए वे तैयार हो गए और उनसे कहा कि वह अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाएं। उन्होंने कहा कि वह प्रशासन नहीं चला सकते क्योंकि वह इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं।

इस प्रकार का रवैया था; और इसके विरोध में इस देश में एक सशक्त आंदोलन चलाया गया। हम संविधान निर्माताओं के आभारी हैं जिन्होंने इसके महत्व को समझा। हम पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी आभार मानते हैं जो कि महान नेता थे और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू इस विषय पर बोले जब संविधान में पहला संशोधन लाया गया। पंडितजी ने कहा कि इस समाज में जहां लोगों पर अत्याचार और उनका शोषण किया जाता है और जहां जाति-प्रथा कुछ लोगों को जन्म से ही बड़ा और कुछ लोगों को छोटा बनाने के लिए उत्तरदायी है, आरक्षण आवश्यक है। भले ही हमेशा के लिए आरक्षण जारी रखा जाए, परन्तु कुछ समय तक यह रहना ही चाहिए। आरक्षण कोई बहुत आदर्श सिद्धान्त नहीं है, तो आदर्श सिद्धान्त क्या है? क्या लोकतंत्र का सिद्धान्त आदर्श है। लोकतंत्र में कितनी खामियां हैं। परन्तु इसके बावजूद लोकतंत्र को ही सरकार का सबसे अच्छा स्वरूप सरकार माना जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली से बेहतर कोई दूसरी प्रणाली है ही नहीं।

आरक्षण का मतलब रोजगार के क्षेत्र में कुछ प्रतिशत आरक्षण दे देना ही नहीं है। मूलतः देश के शासन में भागीदारी देने का सिद्धान्त ही आरक्षण है। जो लोग आज आरक्षण की मांग करते हैं वे कह रहे हैं कि देश के शासन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उन्हें प्रशासन में स्थान क्यों नहीं मिलना चाहिए? सामाजिक-आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन के लिए नौकरशाही एक महत्वपूर्ण तंत्र है। हम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अधिकारी तंत्र, सरकारी सेवाओं और सरकारी तंत्र के माध्यम से करते हैं। यदि देश के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, बहुमत में कोई हिस्सा नहीं होगा, तो क्या उनको न्याय मिलेगा? क्या वह लोकप्रिय प्रशासन होगा? क्या वह न्यायकारी व्यवस्था होगी? इसलिए यदि हम सच्चा लोकतंत्र चाहते हैं, जैसा कि अब्राहम लिंकन द्वारा परिभाषित किया गया है 'जनता का लोकतंत्र, जनता के लिए, जनता द्वारा' तो यह महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही हमने कहा है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो हम भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्रदान करना चाहते हैं। यदि हम वास्तव में अपनी जनता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में न्याय प्रदान करना चाहते हैं, तो हमें आरक्षण को अवश्य अपनाना पड़ेगा।

परन्तु दुःख की बात यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि आरक्षण को एक सिद्धान्त के रूप मे स्वीकार किया गया था और हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था, 45 वर्ष के बाद भी हमें वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। यहां तक कि आज भी हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। इसका कारण यह है कि जो प्रशासन के प्रभारी थे और जो देश की सरकार चला रहे थे वे ईमानदार नहीं थे। या तो प्रणाली में कुछ कमियां थीं या वे कुछ दबाव में कार्य कर रहे थे। मैं कुछ उद्धत नहीं करना चाहता। एक बार मैंने इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत विचार-विमर्श किया। उन्होंने मुझे बताया कि अधिकारी तंत्र आरक्षण की नीति के विरूद्ध था। तब मैंने प्रधानमंत्री का विरोध किया और उनसे पूछा कि क्या कुछ आरक्षित पद रिक्तियों के न भरे जाने की वजह यही है कि अधिकारी तंत्र में समाज के कुछ ऊंची जाति के लोगों का आधिपत्य है? क्या यही कारण है कि संवैधानिक अधिकार के बावजूद, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय किया जाता है? क्या आरक्षित कोटा इसीलिए नहीं बांटा जा रहा है? यदि ऐसा है तो क्या हमें सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को राहत प्रदान नहीं करनी चाहिए?

यहां मैं एक और मुद्दे पर बल देना चाहूंगा। सर्वप्रथम आरक्षण किसने शुरू किया ? यह उल्लेख किया जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने 1950 में अपने एक निर्णय में इस सिद्धान्त का यह कहते हुए विरोध किया था कि यह मूल अधिकारों के सिद्धान्त और सामजिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। जब उन्होंने आरक्षण के सिद्धान्त को निरस्त कर दिया तो संविधान में संशोधन किया गया। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन आरक्षण के मामले में ही किया गया। हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 (4) और 16(4) जोड़े गए। आरक्षण के मामले पर भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव किसने किया? यह डा. भीमराव अम्बेडकर ने नहीं किया था, हालांकि वे उस समय विधि मंत्री थे।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उनसे कहा, आप इसे तैयार कीजिए। परन्तु आप उसी समुदाय के हैं। यदि आप प्रस्ताव पेश करते हैं तो लोग इसके पीछे कोई निहित उद्देश्य होने का अर्थ लगाएंगे। चलो मैं इसे पेश करता हूं। मैं प्रधानमंत्री हूं। मैं शासनाध्यक्ष हूं। अतः, संशोधन का प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करूंगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह संकल्प प्रस्तुत किया था कि यदि उन लोगों को आरक्षण की सुविधा दी जाती है जिनका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो यह समता के सिद्धान्तों के विरूद्ध नहीं होगा, इससे मौलिक सिद्धान्तो का उल्लंघन नहीं होगा।

श्रीमती चौधरी ने अपने जीवनानुभवों से कतिपय बातें कही हैं। इससे उन लोगों के दिमाग का पता चलता है जो प्रशासन के प्रभारी थे। वे कभी भी अनुमति नहीं देंगे। वे हमेशा गरीब समुदाय में उत्पन्न लड़के और लडकियों को न्याय दिलाने के मार्ग में रूकावटें पैदा करने और उन्हें उससे वंचित करने की नई–नई तरकीबें निकालेंगे। अतः मेरा कहना यह है कि इस देश के गरीब लोगों के लिए आरक्षण एक मौलिक अधिकार है। इस देश में आरक्षण सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आरक्षण की हम कोई भिक्षा मांग रहे हैं। आरक्षण एक मौलिक अधिकार है। यह प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण मूल सिद्धान्त है।

मैं कहूंगा कि इन सभी प्रावधानों के बावजूद आज तक भी न्याय नहीं किया गया है। डा. पेरूमान ने आरक्षण की मांग सिर्फ बड़े पदों के लिए की है। लेकिन सभी स्तरों पर आरक्षण अब तक नहीं लागू किया गया है। मुझे बताया गया है कि यदि मैं गलत हूं तो हो सकता है कि कोई मंत्री महोदय तथ्य प्रस्तुत कर दे–कि संपूर्णता में, अ. जा. और अ.ज.जा. के लिए आरक्षण का निर्धारित कोटा 22.5 प्रतिशत है, जबकि इसमें से 12 प्रतिशत भी नहीं भरा गया है। यह तो उससे भी कम है। शायद यह 15 प्रतिशत से भी कम है। यदि हम ईमानदार नहीं हो सकते हैं, यदि हम अपना संवैधानिक उत्तरदायित्व और अपने स्वयं की वचनबद्धता को पूरा नहीं कर सकते हैं तो तब क्या हो जाएगा? तो फिर रोष क्यों नहीं पैदा होना चाहिये?

डा. जी.एल. कनौजिया (खीरी) : प्रशासन में प्रथम श्रेणी के पदों पर वे आठ प्रतिशत ही हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप ठीक कहते हैं। मैं उसे समझता हूं। यह एक राजनैतिक लड़ाई है। किसी को इससे दूर नहीं करना चाहिए। यह एक राजनैतिक लड़ाई है। इस देश के कमजोर वर्गों को यह लड़ाई एक राजनैतिक लड़ाई के रूप में अवश्य लड़नी चाहिए क्योंकि उनके लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनना, अपनी सरकार बनाना और यह देखना कि उनके प्रतिनिधि प्रशासन में भी मौजूद रहें, एक राजनैतिक लड़ाई है। अतः मैं पूर्णतया इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह महत्वपूर्ण विधेयक है। मुझे हर्ष है कि सत्ताधारी पार्टी के एक सदस्य इस विधेयक को लाये हैं। यह कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पार्टियों का प्रश्न नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। अतः, हमें अपनी राष्ट्रीय वचनबद्धता के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यह संवैधानिक वचनबद्धता है। यह एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यह एक राष्ट्रीय संकल्प है कि हमें अपने प्रशासन को प्रजातांत्रिक प्रशासन बनाना चाहिए, ऐसा प्रशासन जो न्याय पर आधारित हो। हमें यह अवश्य ही समझना चाहिए कि लोग बहुत ही जागरूक हो गए हैं। लोग यह जान जायेंगे कि कौन पार्टी और कौन लोग उनके हितों के लिए लड़ रहे हैं। यदि वे अपनी पार्टियों का चयन करते हैं, यदि वे अपने नेताओं का चयन करते हैं और यदि वे स्वार्थी तत्वों के विरूद्ध संघर्ष करते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे "हम समाज का बंटवारा कर रहे हैं।" समाज तो पहले से ही बंटा हुआ था जब तक देश में दस प्रतिशत लोगों का शासन चलता रहा था और जब तक प्रशासन उनको हाथो में था। जब तक वे लोग देश में भूमि के मालिक थे, जब तक वे लोग इस देश की राष्ट्रीय सम्पदा के स्वामी थे, तब तक सब कुछ ठीक–ठाक चल रहा था। जब गरीब लोगों ने यह कहना आरम्भ किया कि "हम राष्ट्रीय सम्पत्ति का उत्पाद करते हैं, हमारे समान अधिकार हैं, इस देश में हमारा बहुमत है, हमारे साथ अन्याय हुआ है और इसलिए हम लोग एक उचित मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं।" तब वे लोग कहेंगे कि "समाज बंटा हुआ है।" समाज का बंटवारा हो जाएगा। मैं कहता हूं कि इन स्वार्थी तत्वों को दूर निकाल फेंकना चाहिए।

5.00 म.प.

जब तक इन लोगों को उन सभी स्थानों से निकाल बाहर नहीं कर दिया जाता जहां वे पदासीन हैं और अन्याय कर रहे हैं तब तक गरीब व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलेगा। हम उस दौर में पहुंच चुके हैं। यह सामाजिक न्याय का दौर है। यह मानव गरिमा का युग है। यह एक ऐसा युग है जिसमें लोग अपने भविष्य को एक रूप देने और देश के प्रशासन में जिम्मेदारी संभालने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

महोदय, इस देश में उसी मानसिकता–मैं इसे ब्राह्मणवादी मानसिकता कहता हूं–ने लोगों को पद दलित और अछूत बना दिया है, जिसके विरुद्ध हमें संघर्ष शुरू करना है, जिसमें डा. भीमराव अम्बेडकर जो इस देश की महान प्रतिभा थे, अपमानित किया गया जिसमें पेरियार को अपमानित किया गया और जिसमें महात्मा फूले पर आक्रमण किया गया और वे अपमानित किए गए। इन लोगों ने आम लोगों के लिए महान बलिदान दिया था। यही मानसिकता दक्षिण अफ्रीका में थी, जहां गोरे लोगों ने कहा था कि वे बुद्धिमानी में निष्णात हैं और वे इन काले लोगों से कहीं अच्छे ढंग से शासन कर सकते हैं जो अशिक्षित हैं और जिनमें बुद्धि नहीं है, वे अपने पर शासन चलाने में सफल नहीं होंगे। चर्चिल कहा करता था कि 'यदि गोरे लोग आगे आयेंगे तो अंग्रेज भारत छोड़ देंगे और भारत अराजक राज्य हो जाएगा।' गांधी जी ने कहा था, "मैं दासता की जगह अराजकता पसंद करूंगा। आप हमारा देश छोड़ दीजिए। हम लोग अपनी अराजकता को संभाल लेंगे"।

इसलिए, मैं कह रहा हूं कि वे लोग जो दक्षता की बात करते हैं, उनको अ.जा. और अ.ज.जा. के कुछ लड़के बहुत ही प्रतिभाशाली मिलेंगे और उनका कार्य निष्पादन इतना अच्छा होगा कि कोई भी उन पर गर्व कर सकता है। आपने कहा कि उच्चतम न्यायालय की उस

खण्डपीठ में अ.ज.जा. का एक भी न्यायाधीश नहीं था जिसने मंडल आयोग पर प्रसिद्ध फैसला सुनाया था। उस खण्डपीठ में एक अ.ज.जा. का न्यायाधीश था। उसने एक आदर्श फैसला सुनाया। यद्यपि वह अकेले थे, फिर भी यह एक विसम्मत फैसला था। उस फैसले में, उन्होंने बहुत ही साफ कहा था कि "मैं इसे नहीं स्वीकारता" "मैं उन सभी सिद्धान्तों को अस्वीकार करता हूं जहां आप आरक्षण को सिर्फ 50 प्रतिशत तक ही सीमित कर देंगे। उन्होंने आगे कहा, "मैं नहीं स्वीकारता कि इसे 50 प्रतिशत तक सीमित रखना ही न्याय है।"

डा. पी. वल्लल पेरुमान (चिदम्बरम) : उन्हें उस खण्डपीठ में सम्मिलित नहीं किया गया था।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह खण्डपीठ में थे। आप उनका फैसला पढें। उन्होंने बहुत ही अच्छा और विसम्मत फैसला दिया था। वह बहुमत के फैसले के सभी मुद्दों पर असहमत थे। वह इस बात से सहमत नहीं थे कि आरक्षण को 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। वह दक्षता के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। अपने फैसले में उन्होंने कहा कि पदोन्नतियों में भी आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने बड़े ही जोरदार ढंग से कहा कि अन्याय कई वर्षों से किया जाता रहा है और अब तो कम से कम उनके साथ न्याय होना चाहिए।

महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा और अभी समाप्त कर दूंगा। मेरा कहना है कि एक बात इस देश को अवश्य समझ लेनी चाहिए कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतः, न्याय अवश्य ही दिया जाना चाहिए। यह एक लोकप्रिय और प्रजातांत्रिक सरकार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। अतः, जहां भी अन्याय किया गया है, उस अन्याय को समाप्त किया जाना चाहिए और न्याय अवश्य किया जाना चाहिए।

प्रजातांत्रिक प्रणाली में सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने के लिए आरक्षण एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है और इसे इसी तरह किया जाना चाहिए। मैं यह भी कहूंगा कि सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक इन वर्गों को अपनी आबादी के अनुपात में पूरा हिस्सा नहीं मिलता है, तब तक 50 प्रतिशत तक की रोक लगाने के सिद्धांत को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि हम लोग इस विषय में ईमानदार क्यों नहीं हैं? गुलाम नबी आजाद साहब, यहां तो कान्फ्रेन्स मत करिये। यहां तो ध्यान से सुन लीजिए।

[हिन्दी]

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : वे सुन तो रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे खेद है कि वह नहीं सुन रहे हैं। वह मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन यदि आप बात करना चाहते हैं तो लॉबी में जा सकते हैं और वहां बात कर सकते हैं। यह सही बात नहीं है।

महोदय, मैं कह रहा हूं कि आरक्षण में 50 प्रतिशत का प्रतिबन्ध समाप्त किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि हमने उस विधेयक को क्यों पारित किया था जिसमें तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। हमें ईमानदार होना चाहिए। क्या ऐसा किसी राजनैतिक मजबूरी के कारण किया गया था? यदि हमने तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण स्वीकार कर लिया है, और उसे संविधान के नौवें अनुच्छेद में शामिल कर लिया है, तो क्यों नहीं आरक्षण का वही सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में या राज्य सरकार की सेवाओ मे लागू कर दिया जाना चाहिए।

एक बार इसे स्वीकार करके, आप पीछे नहीं हट सकते। आपने कर्नाटक मे 73 प्रतिशत आरक्षण क्यों स्वीकार किया था ? आप इसे एक राज्य में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन केन्द्र में नहीं। यह आक्रोश का कारण है। इससे यह भावना पैदा होती है कि न्याय तब तक नही किया जाएगा जब तक कि आप उसके विरूद्ध संघर्ष नहीं करते। क्या आप लोगों को लड़ने के लिए उकसा रहे हैं। मेरे विचार से सरकार संघ में विश्वास नहीं करती। वे भिन्न-भिन्न मापदण्डों को अपनाते हैं। अतः, मेरा कहना है कि कर्तव्य सिद्धान्त स्वीकार किये जाने चाहिये। आप 'क्रीमि लेयर' संबंधी इस प्रतिबंध को समाप्त कर दीजिए, जब तक कि आरक्षण कोटा नहीं भरा जाता है। आप एक बार फिर क्यों अनावश्यक रूप से इन सब बातों को लाना चाहते हैं। जिससे समस्याएं खडी होगी? आपने अभी शुरू किया है। यह एक प्रतिशत भी नहीं है। मैं डा. कनौजिया द्वारा किये प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि यदि उन्होंने यह जिम्मेदारी न ली होती, तो संघ लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक परीक्षा में आरक्षण को स्वीकार न करता।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : क्रीमी लेयर के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नोटिस निकाला है, क्या आपने उसे देखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रीमी लेयर के संबंध में नोटिस में कहा है कि जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रूपये तक है यानी 82 हजार रूपये प्रति मास जिन लोगों की आमदनी है या तनख्वाह है, वे भी उसमें आते हैं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपको इस मुद्दे को युक्तियुक्त बनाना है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपके साथ हूं। कृपया झूठी बातें न कीजिए। मेरा अनुरोध है कि क्रीमी लेयर के सिद्धान्त को स्वीकार मत कीजिए। इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। वास्तव में उन्हें पूर्ण आरक्षण नहीं मिलता है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : आप श्री मुलायम सिंह से एक कदम आगे जा रहे हैं और वह उनका विरोध कर रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : वह एक बिल्कुल भिन्न समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसका फायदा उठाते हुए, वह सम्पूर्ण आरक्षण मुद्दे का विरोध करना चाहते हैं जैसा कि उत्तराखण्ड के मामले में हुआ था। मूल रूप से उन्होंने आरक्षण नीति का विरोध करना प्रारम्भ किया था। यह मूल रूप से आरक्षण विरोधी आन्दोलन था। यह उत्तराखण्ड हेतु आन्दोलन नहीं था, अन्यथा हम इसे स्वीकार कर लेते।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : उत्तराखण्ड का आन्दोलन तो कई सालों से चल रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसीलिये तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, उत्तराखंड की मांग को सपोर्ट करते हैं मगर जब आप रिजर्वेशन को उसमें जोड़कर चलते हैं तब हमें तकलीफ होती है।

मेजर जनरल(रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : रिजर्वेशन को जोड़ने के कारण उसका दुरूपयोग हो रहा है। हमने कहा था कि आप पृथक प्रदेश के सिद्धान्त को मानते हैं, तो भारतवर्ष में हर प्रदेश को अधिकार है कि वह अपनी अलग आरक्षण नीति तय कर सकता है, ऐसा ही अधिकार आप उस क्षेत्र को भी दे दीजिये। आज आप महाराष्ट्र में भी तो कहते हैं कि अलग–अलग जातियों के लिए अलग–अलग तरीके से आरक्षण है।

[अनुवाद]

हम सिर्फ यह चाहते थे कि जब तक आप एक अलग सरकार का गठन न कर लें इस निर्णय को टाल दिया जाए। यह आरक्षण का मुद्दा नहीं था।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह ठीक है। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं। एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में उत्तराखण्ड के लिए हम सभी के मन में सहानुभूति है परन्तु जब उत्तराखण्ड के लोग आरक्षण को ही एक मुद्दा बनाते हैं तो हम उनके साथ नहीं है। हम प्रत्येक जिले, क्षेत्र, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के लिए सिर्फ इस कारण आरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकते हैं कि वहां की आबादी का प्रतिशत इतना है। जब तक उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश का भाग है, सम्पूर्ण राज्य में वही समरूप सिद्धान्त लागू होना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है और आप कृपया मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। अतः मैं यह कहता हूं कि यदि वहां अन्याय होता है, तो उसके विरूद्ध असंतोष फैलेगा।

एक मंत्री के रूप में श्री गुलाम नबी आजाद ने इस सभा में कुछ आंकडे प्रस्तुत किये। जम्मू और कश्मीर के लोगों में यह प्रबल भावना थी कि शेख अब्दुल्ला के सत्ता में आने तक सम्पूर्ण सरकारी सेवाओं पर केवल 5 प्रतिशत व्यक्ति ही एकाधिकार जमा रहे थे। उन्होंने वहां के लोगों को रोजगार देना आरम्भ किया। भारत सरकार के सभी पदों पर बाहरी व्यक्ति पदासीन थे। जम्मू और कश्मीर के लोग यह देखा करते थे कि किसी भी विभाग के प्रधान के पद पर या किसी महत्वपूर्ण संगठन के प्रधान के पद पर जम्मू और कश्मीर का कोई भी व्यक्ति पदासीन नहीं था और यही असंतोष का कारण था। एक बार श्री गुलाम नबी आजाद ने आक्रोष और इसी भावना से कहा कि इस प्रकार का भेदभाव ही आन्दोलन और प्रक्षोभ तथा आक्रोष का कारण होता है।

महोदय, हम एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं। 21 वीं सदी आम जनता की सदी होने जा रही है। लोगों की कठिनाईयों के बावजूद यह सामाजिक न्याय की शताब्दी होने जा रही है। यह दलित लोगों की शताब्दी होगी। यह एक इस प्रकार की शताब्दी होने जा रही है जिसमें आम जनता अधिक सक्रिय रूप से भाग लेगी।

यह एक ऐसी शताब्दी है जो दक्षिण अफ्रीका में डा. नेलसन मण्डेला के साथ प्रारम्भ हुई जहां कि रंग–भेद वाली जातिवादी सरकार, जिसके पास शस्त्र, धन और सभी प्रकार की लोकतंत्र विरोधी ताकतें थीं, को उस व्यक्ति के सामने झुकना पड़ा था जिन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष जेल में गुजारे थे। इस शताब्दी में हमारे फिलिस्तिनी भाई और बहनों को, जिन्हें उनकी मातृ भूमि से निकाल दिया गया था, अंततः सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया और कुछ वह प्राप्त हुआ जो उनका था। अतः मैं कहता हूं कि "टकराव की स्थिति मत उत्पन्न कीजिये।"

मैं श्री मुकुल वासनिक जी की बातों से बहुत ही निराश हुआ था। महोदय, यद्यपि आप पीठासीन थे, मैं यहां उपस्थित नहीं था क्योंकि मुझे प्रेस को बताने के लिए जाना पड़ा था। उस समय कल्याण राज्य मंत्री महोदय, ने कहा था कि श्री चन्द्रजीत यादव ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु राष्ट्रीय नीति के बारे में कुछ कहा था और उन्होंने कहा कि हमारी सभी नीतियां राष्ट्रीय नीतियां हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस प्रकार का रवैया वास्तव में अच्छा नहीं है। आप वास्तविकता स्वीकार कीजिए। यदि हम इस सम्बन्ध में आज एक राष्ट्रीय नीतियां तैयार करते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। यह सरकार कम से कम आधा दर्जन से अधिक मुद्दे लेकर आयी है। आज कार्यसूची में दो मुद्दे हैं– कृषि संबंधी राष्ट्रीय नीति और संस्कृति संबंधी राष्ट्रीय नीति। दूरसंचार संबंधी राष्ट्रीय नीति भी है। अनेक राष्ट्रीय नीति हैं परन्तु जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान संबंधी राष्ट्रीय नीति की बात उठती है, तो वे किसी न किसी प्रकार का बहाना बना लेते हैं जैसे कि यह बहुत बड़ा पाप है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी राष्ट्रीय नीति की मांग करना एक अपराध है। मैं आशा करता हूं कि श्री मुकुल वासनिक जैसे युवा ही इस मामले में नेतृत्व करेंगे और सरकार इस मामले में राष्ट्रीय नीति लायेगी। यह दलगत मामला नहीं है, यह तो राष्ट्रीय मामला है। महोदय, मैं यह विधेयक लाने और इस सभा में मौलिक मुद्दे पर चर्चा हेतु अवसर प्रदान करने के लिए डा. पेरूमान का बहुत ही आभारी हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा "हमलोगों में उचित समझ पैदा होनी चाहिए और हमें उन पापों से छुटकारा पा लेना चाहिए जिनको इस देश में हमारी गलत, समाज विरोधी व्यवस्थाओं ने सदियों से बनाये रखा है और जिन्होंने धन के उत्पादकों को अछूत

बना दिया है, उनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया और उन्हें सभी मानवीय न्याय से वंचित रखा। मानव अधिकारों के युग में, जब हम सभी जगह मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं इस देश को यह समझ लेना चाहिए और इस देश द्वारा कुछ निर्णय लिये जाने चाहिए और यदि संविधान में आवश्यक संशोधन करना भी आवश्यक जान पड़े तो भी ऐसी नीति, कार्यक्रमों और नियमों को बनाना चाहिए। हमें उन भाई–बहनों को न्याय दिलाना चाहिए जो सदियों से पीड़ित रहे हैं और हमारे देश की वास्तविक राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनोजिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बिल पर बोलने का मौका दिया । इस बिल के ऊपर जितनी भी बातें आज हुई हैं मैं उनको सुन रहा हूं। उनमें बहुत सी बातें ऐसी आई हैं जो बिलकुल सत्य हैं।

आजादी मिलने के बाद से शैड्यूल्ड कास्टस व शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बिल की बात आई है। उसके बारे में मैं सदन को बता दूं कि यह बात 9 सितम्बर 1925 से चल रही है। इसके विषय में मुझे काफी डिटेल में जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब मंडल कमीशन का 27 प्रतिशत रिजर्वेशन हुआ और 13 सितम्बर को जब यह टाइम्स ऑफ इंडिया में रिजल्ट निकला तो उसके देखने से हमें मालूम हुआ कि ओ.बी.सी. का एक भी कैंडीडेट रिजर्वेशन में नहीं लिया गया है। इसलिए मुझे इस विषय में पड़ने की जरूरत पड़ी। इस विषय में पड़ने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी से तीन चार बार मिला और मिलने के बाद उन्होंने अपनी उस गलती को सुधारा और पहली बार सप्लीमैंटरी लिस्ट निकाली गयी।

5.16 म.प.

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

चूंकि मैं सरकारी सर्विस में रहा हूं इसलिए यह जो प्रमोशन वाली बात आ रही है, उसके बारे में श्रीमती चौधरी जी ने काफी बातें बताई हैं और पहली बार 38 सैक्रेटरीज में से केवल एस.सी./एस.टी. के दो सैक्रेटरी लेवल के लोग ही आ पाये हैं। अभी जो यह बात कही गयी है कि क्लास वन में 22.5 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत एस.टी. और साढ़े सात प्रतिशत एस.सी. के होने चाहिए थे, लेकिन अभी हफ्ते पहले के रिकार्ड देखने से पता चला कि आरक्षण केवल 14 प्रतिशत ही हो पाया है। वैसे तो हम बात करते हैं कि हमें शासन में भागीदारी चाहिए, इकोनोमिकल सोशली में भी भागीदारी चाहिए परन्तु जब हम रिकार्ड देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है। अभी हमने परसों आबादी का विश्लेषण देखा कि उसमें 86 परसेंट वाले जो लोग हैं उनको केवल 14 परसेंट ही नौकरी मिलती है व जो 14 परसेंट वाले लोग हैं, उनको 86 परसेंट नौकरी मिल रही है। इसमें 8 परसेंट एस.सी./एस.टी. वालों को, 4 परसेंट ओ.बी.सी. वालों को व 2 परसेंट अदर्स को नौकरी मिल रही हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसा कि अभी श्रीमती चौधरी जी ने भी कहा है। लेकिन प्रमोशन के विषय में मैं आपका ध्यान डालना चाहूंगा। प्रमोशन्स में ए.बी.सी.डी. ग्रेड दिया जाता है। जैसे टैक्नीकल लाईन है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर इसमें कम नम्बर वालों को लिया जायेगा तो डाक्टरी पढ़ने के बाद वे जिसका इलाज करेंगे, वह मर जायेगा। अगर टेक्नीकल पोस्ट में एंटरेंस के समय कमजोर बच्चा लिया जाता है तो जब वह पढ़ता है तो उसके पास वही किताबें होती हैं, वह वही किताबें पढ़ता है जो अन्य लोग पढ़ते हैं। उसे वही परीक्षा देनी पड़ती है जो अन्य लोग देते हैं और जब वह पास हो जाता हैं तो उसे 22 की जगह 18 नम्बर देते हैं क्योंकि उनके मन में यही होता है कि वह रिजर्वेशन से आया है।

सभापति जी, उसके पास होने के बाद भी उसकी पोस्टिंग ऐसी गलत जगह की जाती है जिससे डिमोलाइजेशन का भार उसके ऊपर बना रहता है। यह मैं अपनी 37 साल की सर्विस का रिकार्ड बता रहा हूं। अभी तीन चार साल से ऐसा हुआ है कि यू.पी.एस.सी. में जब कोई शैड्यूल्ड कास्टस का लड़का परीक्षा देकर पास होता है तो उसे इंटरव्यू में केवल दस या पन्द्रह नम्बर ही दिये जाते हैं। इस विषय को लेकर जब वह सुप्रीम कोर्ट में गये तो उन्हें सद्बुद्धि आई और उन्होंने कहा कि 100 में से कम से कम 40 नम्बर दिये जायेंगे और अधिक से अधिक 50 नम्बर तक दिये जायेंगे। इस तरह 50 नम्बर का फर्क आया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी तब तक यह रिजर्वेशन जो हमने 1925 से सोचा था। वह 1935 में थोड़ा शुरू हुआ और 1947 से ज्यादा हुआ। 1951 में यह 12 प्रतिशत एस.सी. व 4.5 प्रतिशत एस.टी. था तथा 1961 में जो 15 प्रतिशत एस.सी. 7.5 प्रतिशत एस.टी. हुआ है, सब मिला कर 22.5 प्रतिशत आता है, वह पूर्णतया 1971 में लागू हुआ है। अभी हमारी इस विषय पर काफी लोगों से बातचीत हुई तो उनकी बातें सुनकर मुझे काफी ताज्जूब हुआ।

मैं सोच भी नहीं सकता था कि कैबिनेट रैंक के मंत्रियों, स्टेट मंत्रियों, प्रमुख सचिव रैंक के आदमियों की विचारधारा क्या है? उन्होंने हमको भी मिसगाइड करने की कोशिश की और घंटों तक लैक्चर दिया।

26 सितम्बर को जब मेरी श्रीमती अल्वा से बात हुई तो वे कहने लगीं कि मैं रिजाइन कर दूंगी। मैंने कहा कि यदि आप रिजाइन कर देंगी तो इससे दुनिया में कोई तूफान नहीं आ जाएगा। तब सैक्रेटरी से बात की।

[अनुवाद]

मैंने श्री रंगनाथन से तीन बार मुलाकात की । मैं अधिक खुलासा नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

उनकी बात सुनकर मुझे यह लगा कि वे रिजर्वेशन के टोटली खिलाफ हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे बार–बार कह रहा था कि 8 सितम्बर का मैमोरण्डम है जिसमें साफ–साफ दिया है :

[अनुवाद]

"किसी खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित समान स्तरों पर मैरिट के आधार पर भर्ती हुए अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों का समायोजन 27 प्रतिशत के आरक्षण कोटे में नही किया जायेगा।"

[हिन्दी]

इसके अगेन्स्ट मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब यहां पर ऐज रिलैक्सेशन की बात चल रही थी, अटैम्प्ट की बात चल रही थी तब सरकार ने कहा कि इस पर सोचेंगे, नहीं मानेंगे। फिर वैल्फेयर विभाग से यह लिखकर आया था कि अटैम्प्ट और ऐज मे रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। फिर श्रीमान जी ने 22 अक्तूबर को दूसरा मैमोरण्डम निकाल दिया और उसमें से यह साफ कर दिया।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़ी जातियों को ऐसी कोई छूट नहीं है।

[हिन्दी]

जब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसका क्लैरीफिकेशन मांगा तब 3 फरवरी को फिर एक मैमोरण्डम निकाल दिया कि हमने पहले जो दिया था वह सही है और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद हमने सारी फिगर्स प्रधानमंत्री जी को दीं कि इतने लोग आए हैं, इतने लेने हैं।

मैं जितेन्द्र प्रसाद जी को, जो राज्य सभा के मैम्बर हैं और हमारे यहां के रहने वाले हैं, धन्यवाद दूंगा कि मैं उनके थ्रू प्रधानमंत्री जी से तीन बार मिला। एक बार तो उन्होंने कहा कि आप यहां पर आ कैसे गए।

[अनुवाद]

मैंने उनसे कहा कि मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। मैं भी आपके समान योग्यता रखता हूं। मैं कुछ शिकायतें लेकर आया हूं और यदि ये शिकायतें सत्य नहीं हैं तो मुझे बाहर निकाल दीजिए। फिर भी स्थिति संभल गई। उन्होंने तत्काल श्रीमती अल्वा और सचिव, कार्मिक से बात की और उन्हें इसमें संशोधन करने के लिए कहा।

[हिन्दी]

15 सितम्बर को जो मैमोरण्डम निकाला, उसमें भी लैकूना रखा। उसमें एस.सी., एस.टी. लिख दिया और ओ.बी.सी. को छोड़ दिया। मैं दुबारा रंगनाथन जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई है। फिर उन्होंने उसे निकालने में एक महीना लगा दिया। उसमें जो लड़के पहली बार में निकल आए, उनको चार महीने मिल रहे हैं और सप्लीमैंट्री वालों को दो महीने मिल रहे हैं। उनका समय नहीं बढ़ाया जा रहा है। हमारी मेन धारणा यह थी कि रिजर्वेशन दिया जाए, नीयत साफ रखी जाए।

चन्द्रजीत यादव जी ने कहा है। क्रिमी लेयर की बात होती है। हमारी सरकार ने कोई प्रे नहीं की।

[अनुवाद]

सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में प्रार्थना नहीं की थी बल्कि इसे न्यायालय ने प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

जब कोई प्रे की जाती है तब उसके ऊपर जजमैंट होती है। लेकिन यहां पर प्रे किए बिना किया गया था। पर्सनल विभाग, जहां रिजर्वेशन का मेन कार्य होता है, वैल्फेयर विभाग में तो पहली बार हरिजन अफसर माता प्रसाद जी सचिव बने हैं, गृह मंत्रालय के पर्सनल विभाग में जहां सात आदमी–सैक्रेटरी, ज्वाइंट सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी आदि हैं लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रिजर्वेशन को देखने वाला हो क्योंकि सब ऊपर जाति के हैं। उत्तर प्रदेश में करैक्टर रोल पर 1,2,3,4,5; नम्बर दिए जाते हैं लेकिन हमें नम्बर नहीं मिल पाते। जब आप नम्बर नहीं देंगे, ऐंट्री खराब करेंगे तो उनकी प्रमोशन कैसे होगी। बाद में बिलकुल रैडलाइन लगी हुई है कि जिसके चार नम्बर से कम हैं, वह प्रमोशन में कन्सीडर नहीं होगा। जैसा मिसेस चौधरी ने कहा था कि "डी" दे देंगे तो नहीं हो पायेंगे। तो मेरा सबमिशन यह है कि जो रिजर्वेशन दिया जाय, वह कायदे से दिया जाय। जब कर्नाटक में 73 परसेण्ट रिजर्वेशन हो सकता है, तमिलनाडु में 69 परसेण्ट हो सकता है तो आबादी के हिसाब से यहां क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है कि लोगों की करने की नीयत नहीं है। मैं बहुत सी बाते कहना चाहता हूं।

अभी हमने जो आदेश निकाला था, उसके बाद हमारे पास कम से कम 8–10 हजार लैटर्स आल ओवर इण्डिया से आये होंगे, जो लड़के परीक्षा में बैठे हैं, उन्होंने उनमें बहुत सी बातें जाहिर की हैं। मैं यह भी चाहूंगा, मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखकर दिया है कि जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां इण्टरव्यू होते हैं, वहां ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कैसे वह लेते हैं, कैसे वह काम करते हैं लेकिन वह नहीं बताते हैं। मैं एक लड़के का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। उसमें ओ.बी.सी. के एक लड़के की आई.ए.एस. में 88 वीं पोजीशन आई है, उसे आई.पी.एस. दिया गया और जो लड़का अपर कास्ट का था, उसे आई.ए.एस. दिया गया। मैं लिखते–लिखते परेशान हूं, सबसे मिल चुका हूं लेकिन आज तक उसका किसी स्टेज पर भी जवाब नहीं मिला है।

हमारे यहां पर भी देख लीजिए। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं।**

कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारी नीयत साफ नहीं है, हम इसको नहीं देखेंगे और तब तक कोटा पूरा होने वाला नहीं है। अभी तक क्लास वन में आपका एस.सी., एस.टी. का 8 परसेण्ट कोटा पूरा हुआ है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी बात का वह हिस्सा जो असंसदीय है, कार्यवाही–वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

डा. जी.एल. कनौजिया : इसमें असंसदीय क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध मामला है। पद भर लिए गए हैं लेकिन उनमें से किसी को नहीं लिया गया है। यह आरक्षण न दिए जाने संबंधी मामला है मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही–वृतान्त देखूंगा।

डा. जी.एल. कनौजिया : मैं आपको कार्यवाही वृतान्त दूंगा। यह कार्यवाही वृतान्त में है। मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा; मैं प्रणाली को दोष दे रहा हूं; मैं उन बातों को दोष दे रहा हूं जो आपके समक्ष हैं। आप वह मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं कार्यवाही वृतान्त के अनुसार ही बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

कौन कैसे देखता है, कौन क्या करता है। अब देखने लगे, अब औरों को दिखाई पड़ने लगा। तो आप यह मत कहिये कि हम अनपार्लियामेंटरी बोल रहे हैं या हम बिलीव नहीं कर रहे हैं।**

हम ट्रुथ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बोल रहे हैं। यह 8 परसेण्ट और 4 परसेण्ट हम हवा में नही बोल रहे हैं। ....**(व्यवधान)** आज यह जो आरक्षण का मामला है, जो शुरू में केवल 10 साल के लिए लागू हुआ था, इसको हमें देखना चाहिए कि अभी तक क्यों पूरा नहीं हो पाया। इसके पहले यही था...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. जी.एल. कनौजिया, क्या आप कृपया दो मिनिट के लिए अपना स्थान ग्रहण करेंगे? माननीय वाणिज्य मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी सभा में एक वक्तव्य देंगे। उसके बाद आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

5.29 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना संबंधी करार का अनुसमर्थन करने का सरकार का निर्णय

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि उरूग्वे दौर के परिणामों के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हुई है।

2. यद्यपि उरूग्वे दौर के परिणामों के किसी एक अथवा दूसरे पहलू के संबंध में अलग–अलग अनुभूति रही है किन्तु सरकार का ऐसा विचार है कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में भारत की भागीदारी को कायम रखना हमारे राष्ट्रीय हित में होगा।

3. सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना संबंधी करार की सावधानीपूर्वक जांच की है और पाया है कि–

- टैरिफ में कटौतियों के फलस्वरूप व्यापार में अधिक प्रवाह आएगा;
- वस्त्र संबंधी करार, हालांकि इसमें जल्दी एकीकरण की व्यवस्था नहीं होने से हमें निराशा तो हुई, लेकिन इसमें इस बात की एक निश्चित, समयबद्ध और कानूनी तौर पर बाध्यकारी वचनबद्धता की व्यवस्था है कि इस क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाले बहुपक्षीय नियमों में शामिल किया जाएगा;
- भारत ने कृषि क्षेत्र को सहायता देने संबंधी किसी भी क्षेत्र में कटौती करने की कोई वचनबद्धता नहीं की है और इस प्रकार, हमारी विकास नीतियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है;
- बीजों तथा पौध किस्मों को पेटेन्ट करने के बारे में हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है और इस बारे में एक अद्वितीय प्रणाली जो किसानों तथा शोधकर्ताओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, हमारे लिए हितकारी रहेगी;
- वास्तव में, हमें अपनी पेटेन्ट प्रणाली में परिवर्तन करना होगा लेकिन इस बारे में भी पूर्ण उत्पाद पेटेन्ट प्रणाली लागू करने के लिए हमारे पास 10 वर्षों की संक्रमण अवधि है;
- व्यापार नीति–तन्त्र को शासित करने वाले नियमों में सुधार किया गया है जैसे पाटनरोधी उपायों तथा स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंधों के रूप में कठोर क्षेत्रीय उपायों आदि के बारे में।
- बहुपक्षीय विवाद–निपटान प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाया गया है;

4. वार्ता में भाग लेने वाले सभी देशों ने माराकेश में फाईनल एक्ट पर हस्ताक्षर कर उरूग्वे वार्ता दौर के परिणामों को अधिप्रमाणित किया था। इसके अतिरिक्त 104 देशों ने विश्व व्यापार संगठन स्थापित करने वाले करार पर भी हस्ताक्षर किए थे, इनमें से 33 देशों ने निश्चित रूप से उरूग्वे दौर के परिणामों को अधिप्रमाणित किया है। तब से 10 और देशों द्वारा अपने अनुसमर्थन की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की सूचना मिली है। यू.एस.ए. तथा जापान जैसे प्रमुख व्यापारिक देशों ने भी अपनी अनुसमर्थन औपचारिकताएं दिसम्बर, 1994 में पूरी कर ली हैं। जिनेवा में 8.12.94 को हुई तैयारी समिति की बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि विश्व व्यापार संगठन करार को 1.1.1995 से लागू किया जाये।

5. गैट की निरन्तर बढ़ रही सदस्यता के साथ ही गैट व्यवस्था

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

की सदस्यता का विश्वव्यापी विस्तार हो रहा है। विश्व व्यापार पैटर्न में ये स्पष्ट परिवर्तन हो रहे हैं और डब्ल्यू.टी.ओ. को अपने कार्यकलापों में इन उभरती हुई वास्तविकताओं को प्रकट करना होगा। भारत इस बहुपक्षीय व्यवस्था का शुरू से ही सदस्य रहा है और सभी देशों के पारस्परिक लाभ हेतु अपनी भागीदारी को कायम रखना चाहता है।

6. इन सभी संगत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डब्ल्यू टी ओ करार का अनुसमर्थन करने का फैसला किया है। शीघ्र ही अपेक्षित दस्तावेज संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिए जायेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है।

सभापति महोदय : आप एक नोटिस प्रस्तुत कर सकते हैं। सभा आपको नोटिस प्रस्तुत करने से नहीं रोकती।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस संबंध में अपवाद भी हुए हैं। इस सभा में अपवाद भी हुए हैं। वक्तव्यों के संबंध में एक या दो प्रश्न करने की अनुमति दी गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है। यह कोई साधारण वक्तव्य नहीं है।

सभापति महोदय : मैं अब कोई प्रश्न उठाए जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सामाजिक खण्ड के अन्तर्गत कोई करार होगा अथवा नहीं। मैं मंत्री महोदय से केवल यही जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : उत्तर मत दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं है, तो आप उन्हें उत्तर न देने के लिए क्यों कह रहे हैं? सभापति महोदय, मैं इस तरह के रवैये को समझ नहीं पा रहा हूं। आप यह क्यों कह रहे हैं कि "उत्तर मत दीजिए" आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जबकि मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है। हमारा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने जा रहा है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर बहुत से देशो में सोच–विचार चल रहा है और यदि मैं एक ऐसी बात पूछना चाहता हूं जो हमारे राष्ट्रीय हित में है, तो आप इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? यदि वे सामाजिक खण्ड के संबंध में कुछ प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो इससे हमारे लिए समस्याएं उठ खड़ी होंगी। इससे हमारी आन्तरिक नीति और हमारी प्रभुसत्ता में दखलन्दाजी होगी। यदि मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि "उत्तर मत दीजिए।"

सभापति महोदय : यह सही समय नहीं है। कृपया मुझ पर दबाव न डालें।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप कार्यवाही–वृतान्त देख सकते हैं। कृपया हठ न करें।

सभापति महोदय : मैं चाहता हूं कि आप कार्यवाही–वृतान्त देखें।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस संबंध में अपवाद हुए हैं।

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर जोर न दें।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं, जोर नहीं देने का क्या प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सामाजिक खण्ड की व्यवस्था की जाएगी या नहीं । आप स्वयं इस सदन की ओर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय : नियम इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सामान्य सी चीज नहीं है। यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नया विश्व संगठन अपने अस्तित्व में आ रहा है और भारत इसका सदस्य बनने जा रहा है। और हम इसे सत्यापित करने जा रहे हैं । सरकार ने ही यह नीति बनाई है। यह अनोखी चीज है। मैं जोरदार रूप से आपकी इस व्यवस्था का विरोध करता हूं। यह बहुत ही मजबूत चीज है।

सभापति महोदय : यदि आपके पास आधार है तो आप नियम पुस्तक का अध्ययन क्यों नहीं करते।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप इस पर जोर देने के पहले कार्यवाही का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे भी अवसर रहे हैं जब अपवाद के मामले मे स्पष्टीकरण इस सदन में दिया गया था। यह सामान्य सी चीज नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी सीट ग्रहण करें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों (सरकारी सेवाओं में) का आरक्षण विधेयक-जारी

5.38 म.प.

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. कनौजिया, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनौजिया (खीरी) : सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनमें जब तक आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. के लोगों के हैड–ऑफ–दि–डिपार्टमैंट नहीं बनायेंगे, तब तक रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री, श्री सीताराम केसरी जी, ने कहा था कि हम 1993 में कर देंगे, 1994 में कर देंगे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि यह प्रमोशन का मामला है और इसमें कठिनाइयां हैं, आप इसको कैसे कर देंगे। वे कहते रहते थे और हम सुनते रहते थे। अब तीन साल का समय हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जितनी

भी अंडरटेकिंग्स के चेयरमैन्स हों और वाइसचान्सलर की जितनी जगहें हों, उन सब जगहों पर एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों को ही हैड बनाइए, तभी यह कोटा पूरा हो सकता है।

अभी यू.पी.एस.सी. की भी बात आई थी। यह जानबूझकर किया गया था और पकड़े जाने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इन्टरवीन किया, तो पूरा हुआ। कुछ बच्चों को केवल दो महीने का समय और कुछ बच्चों को चार महीने का समय, यह न्याय नहीं है। मैं यह बात फिर कहता हूं कि इन लोगों में से ही ऊंचे पदों पर लोगों को नियुक्त करना चाहिए। मैंने भी 37 साल सर्विस की है, 28 साल क्लास–वन के रूप में और 8 साल सीनियर क्लास–वन के रूप में, मुझे इन लोगों की स्थिति के बारे में पता है। 47 साल के समय में केवल दो सैक्रेटरी पहली बार आए हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन्हें प्रमोशन में भी मौका दिया जाए। जब तक ये प्रमोशन में ऊपर नहीं आयेंगे, तब तक इनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, 8 सितम्बर के सरकारी मैमोरण्डम को किस तरह से 22 अक्टूबर को और फिर 3 फरवरी को मोड़ा गया और मोड़े जाने की वजह से ही यू.पी.एस.सी. में यह हुआ। दोष उसको दिया गया, लेकिन यू.पी.एस.सी. दोष नहीं ले रहा है, तो मालूम हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल की मेहरबानी से हुआ है। सात व्यक्ति श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा के यहां अपर कास्ट के हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक हैड आफ दि डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर और चेयरमैन इन लोगों में से नहीं बनायेंगे, तब तक इन लोगों की पूर्ति होने वाली नहीं है।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र डा. पी वल्लल पेरूमान द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थक करता हूं।

इस विधेयक का दो लक्ष्य था। वरिष्ठ स्तर पर कुल पदों में 15 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव है।

दूसरा लक्ष्य अ.जा. और अ.ज.जा. की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने संबंधी है। ये दोनों लक्ष्य वास्तव में प्रशंसनीय हैं।

महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उत्थान के लिए राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक शक्ति में भागीदारी अत्यावश्यक है। और यह भागीदारी बहुत ही न्यायोचित भागीदारी होगी। न्यायोचित भागीदारी से मेरा मतलब यह है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें भागीदारी दी जाए। इसलिए, यदि आप चाहते हैं कि जिनके साथ सदियों से अन्याय होता रहा है, उनके लिए यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है जिसका मतलब है न्याय।

हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बार कहा था कि 'न्याय मानव जीवन की बुनियादी शर्त है। और इसे अगर अस्वीकार किया गया तो हिंसा हो सकती है।' इसलिए, मैं चाहता हूं कि यदि यह न्याय नहीं किया गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम हिंसा को आमंत्रित कर रहे हैं और इसलिए मैं इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं। लेकिन इस चरण में, हम उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण नहीं दे रहे हैं। वर्ष 1991 की जनगणना में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशतता 16.48 और 8.08 थी। इस प्रकार, अ.जा. और अ.ज.जा. भारतीय समाज का एक चौथाई हिस्सा है। लेकिन हमने इन दलित वर्गों के लिए 25 प्रतिशत नौकरियां भी आरक्षित नहीं की हैं।

दूसरा, यहां तक कि वर्तमान आरक्षण का भी कार्यान्वयन नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर, केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में, संवर्ग क के पद में अ.जा. का प्रतिनिधित्व 9.31 प्रतिशत है और अ.ज.जा. का 3.06 प्रतिशत है। संवर्ग–ख के पदों में, अ.जा. और अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 12.17 और 2.35 प्रतिशत है। संवर्ग–ग के पदों में अ.जा. का प्रतिनिधित्व 15.91 और 5.93 प्रतिशत है। संवर्ग–घ के पदों में, सफाई कर्मचारियों को छोड़कर अ.जा. का 20.73 और अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 6.87 प्रतिशत है। एक पदों की श्रेणी में, उन्हें पूरी तरह प्रदान किया गया है और यह श्रेणी सफाई कर्मचारियों का है। सिर पर मैला ढोने वालों के पदों में, उन्हें पूरी तरह रोजगार प्राप्त है और यह कोटा से ज्यादा है। तब सरकारी उपक्रमों में भी, अ.जा. और अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, दयनीय है। संवर्ग–क के पदों में सरकारी उपक्रमों में, अ.जा. का प्रतिनिधित्व 6.90 प्रतिशत है। अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 1.54 प्रतिशत है। संवर्ग–ख की सेवाओं में, अ.जा. का प्रतिनिधित्व 9.05 प्रतिशत है और अ.ज.जा. का 2.53 प्रतिशत। संवर्ग–ग के पदों में, अ.जा. का प्रतिनिधित्व 19.20 प्रतिशत है और अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 9.01 प्रतिशत है। इस मामले में भी, सफाई कर्मचारियों के पदों में अ.जा. का प्रतिनिधित्व 13.79 प्रतिशत है और अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 19.73 प्रतिशत है।

तब बैंकिंग क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारी संवर्ग में अ.जा. का प्रतिनिधित्व 10.29 प्रतिशत है और अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 3.39 है। लिपिक की श्रेणी में उनका प्रतिनिधित्व 4.95 प्रतिशत है और 9.56 प्रतिशत है। उप–कर्मचारी की श्रेणी में, अ.जा. का प्रतिनिधित्व 23.30 प्रतिशत है और अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 5.89 प्रतिशत है। यहां भी, अ.जा. और अ.ज.जा. के लोग सफाई कर्मचारियों के पदों पर भरे पड़े हैं। सफाई कर्मचारी के पदों में अ.जा. का प्रतिनिधित्व 52 प्रतिशत है और अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 5.29 प्रतिशत है।

शैक्षणिक सेवाओं में, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में, अ.जा. और अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 4 प्रतिशत है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में उनका प्रतिनिधित्व 1 प्रतिशत से कम है। विश्वभारती में उनका प्रतिनिधित्व 7 प्रतिशत है। हैदराबाद में उनका प्रतिनिधित्व 7 प्रतिशत है और पांडिचेरी में 18 प्रतिशत है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भी अ.जा. तथा अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 6 प्रतिशत है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अ.जा. तथा अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 12.5 प्रतिशत है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में यह मात्र 0.2 प्रतिशत और जामिया मिलिया इस्लामिया में यह 1.3 प्रतिशत है। अतः हम अ.जा. तथा अ.ज.जा. के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमने अ.जा. तथा अ.ज.जा. की बेहतरी के लिए अनेक उपाय किये हैं, परन्तु मेरा विचार यह है कि इन उपायों को पूर्णतः क्रियान्वित नहीं किया गया है। अ.जा. तथा अ.ज.जा के लिये आयुक्त ने टिप्पणी की कि :

> "उपलब्धियां देश के व्यवस्थापकों के बड़े अनुमानों के अनुरूप नहीं रही हैं।"

यह बात शत-प्रतिशत सही है। हम अ.जा. तथा अ.ज.जा. के उत्थान के प्रति सचेत नहीं रहे हैं। अतः मेरे माननीय मित्र द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का मैं स्वागत करता हूं।

महोदय, ऊपरी सतह का प्रावधान अन्य पिछड़े वर्ग में अधिक गरीब लोगों के प्रति न्याय करने का एक साधन है। परन्तु मैं ऊपरी सतह के प्रावधान का इसलिये समर्थन करता हूं, क्योंकि इससे अन्य पिछड़े वर्ग में सर्वाधिक गरीब लोगों को न्याय दिलाने का एक साधन बन सकता है।

महोदय, इस समय मैं एक बात और कहना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय ने मण्डल आयोग के प्रतिवेदन पर अपना निर्णय दिया है। मेरा यह विचार है कि मण्डल आयोग के प्रतिवेदन पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अ.जा. तथा अ.ज.जा. का हित किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होना चाहिये। यह बिल्कुल भिन्न मामला है। पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण से अ.जा. तथा अ.ज.जा. के आरक्षण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि दोनों अलग-अलग हैं। दोनों पिछड़े वर्ग हैं दोनों ही उत्पीड़ित वर्ग हैं। अतः महोदय, मैं यह कहूंगा कि एक और अ.जा. तथा अ.ज.जा. और दूसरी और पिछड़े वर्गों के बीच कोई हितों का टकराव नहीं है।

इसके साथ मैं अपने माननीय मित्र डा. पी. वल्लल पेरूमान द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का पुरजोर स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय : धन्यवाद, इसके लिये आवंटित समय 5.52 म.प. पर समाप्त होता है और उनके सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। अतः क्या इसके लिये आंवटित समय को 1 घंटा और बढ़ाने पर सभा सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

[हिन्दी]

श्री कालकादास (करोल बाग) : सभापतिजी, मैं इस बिल को लाने वाले माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ठीक समय पर राजकीय और सामाजिक दृष्टिकोण के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति को दिये हुए आरक्षण को अच्छी तरह से लागू न करने पर अपनी आपत्ति को यहां रखा है। ऊंचे पदों पर भी आरक्षित पद रखे जायें, ऐसा हम लोगों का मानना है। हमारे संविधान में 22.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है कि इतना आरक्षण इन लोगों का होना चाहिए। इसकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है। इस बिल को पढ़ने से इसके दो भाग सामने आते हैं।

पहला भाग तो यह है कि ऊंचे पदों पर भी आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण केवल ए, बी, सी और डी पदों पर ही नहीं, बल्कि जैसे राज्यपाल नियुक्त किये जाते हैं, राजदूतों की नियुक्ति होती है, चेयरमैन बनाये जाते हैं, उप-कुलपति बनाये जाते हैं, इनमें भी आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप देखें तो पायेंगे, कि इन पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को साधारणतः नहीं लिया जाता है। हमारे यहां राज्यपाल हैं, उप-राज्यपाल हैं, राजदूत हैं, कुलपति और उप-कुलपति हैं, बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, इनमें आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है। इस पर हमें आपत्ति है। माननीय सदस्य ने इस बिल के द्वारा यही बात को इस सदन में रखने का काम किया है। सरकार यह सोचे कि इन पदों पर भी उसी अनुपात में आरक्षण होना चाहिए जिस अनुपात में मिडिल और छोटे पदों पर आरक्षण है।

दूसरा भाग यह है कि आरक्षण के बारे में हमारे संविधान में कहा है कि आरक्षण आबादी के आधार पर होगा। लेकिन 22.5 प्रतिशत आबादी का पैमाना बहुत पुराना है। आज की आबादी के आधार पर पुनः इस पर विचार होना चाहिए कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की आबादी बढ़ी है उसी तरह से आरक्षण का प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। जो आरक्षण का मुद्दा है, यह आज और कल की देन नहीं है। यह बहुत पुराने संघर्ष का नतीजा है। यह महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के पूना पैक्ट के तहत किया गया आरक्षण है। एक लम्बी लड़ाई लड़ी गयी थी यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इससे पहले यह आरक्षण होता ही नहीं था जब से हमारा संविधान बना है, यह होना शुरू हो गया। पहले तो किसी अनुसूचित जाति के आदमी को चपरासी के पद पर भी नहीं रखा जाता था क्योंकि सभी उनसे घृणा करते थे। बाबा साहेब एक बार महाराजा बड़ौदा के यहां सेक्रेटरी के पद पर काम के लिये गये तो उनसे बांड भराया गया कि उनको छात्रवृत्ति मिलेगी और जब पढ़कर आयेंगे तो उनकी रियासत में काम करना होगा और उस बांड के आधार पर उनको वहां सेवा में जाना पड़ा । लेकिन छूआछात के आधार पर उनका अपमान किया गया तो उन्होंने वह सेवा छोड़ दी। यह बीमारी आर्थिक न होकर सामाजिक थी। कौन आदमी किस जाति में पैदा हुआ है, उससे अच्छे और बुरे का आकलन होने लगा। इसी के फलस्वरूप अ.जा. के लोगों को सरकारी नौकरियों में नहीं लिया गया। जब संविधान बना तो उसमें अनुसूचित जाति के लोगों के लिये साढ़े बाईस प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये लेकिन उनकी हालत क्या है? अभी एक मित्र बता रहे थे कि क्लास-4 में अगर स्वीपर भी लगा दिये जायें तो 16 प्रतिशत का आरक्षण पूरा होता है जबकि 22.5 प्रतिशत होना चाहिये। क्लास-1 में केवल 8 प्रतिशत है। यह कितने दुख की बात है कि

देश को आजाद हुये 47 साल हो गये हैं और संविधान को लागू हुये 44 साल हो गये हैं, तब भी आरक्षित स्थान नहीं भरे गये। सरकार से कई बार कहा गया कि बैकलॉग पूरा करो लेकिन मामला ज्यों का त्यों है और कहा यह जाता है कि वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिये पद नहीं भरे गये हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके दिलों में घृणा है, उनकी नीयत ठीक नहीं है और शिक्षित लोगों की उपलब्धता कारण नहीं है। वे उन लोगों को सेवा में भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। यह कहना कि वे इस क्षेत्र में नही आना चाहते हैं, केवल बहाने बनाना है या क्लास–4 के लिये शिक्षित होना जरूरी है, आदि। यदि आप रोजगार कार्यालय में जाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि वर्षों से उन बेरोज़गार लोगों की सूची बढ़ती जा रही है। उनको काल नहीं जाती है और पहले उन पदों को जनरल कोटे से भर दिया जाता था कि अनुसूचित जाति के लोगों की उपलब्धता नहीं है। इस प्रकार कई पद अभी भी खाली पड़े हुये हैं। सरकार ने बैकलॉग को पूरा करने का इस सदन में वायदा किया है लेकिन एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार ने 1992 तक के सारे पदों को भरने का आश्वासन दिया लेकिन कोई भरा नहीं गया है। बैकलॉग वहीं का वहीं है और क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, हम कई बार इस संबंध में कानून बनाते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है और नियमों को पूरा करने के लिये सरकार की नीयत ठीक नहीं रहती है। यह कहा जाता है कि हैड आफ दी डिपार्टमेंट से सुझाव आया है कि यह रिज़र्व पोस्ट भरने के लिये उपयुक्त कैंडीडेट नहीं है और जनरल से भर दी जाती है। इसलिये मेरा यह कहना है कि ऐसा करने वाले लोगों को जब तक जवाबदेह नहीं माना जायेगा, यह काम पूरा होने वाला नहीं है या उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जायेगा, यह बैकलॉग पूरा नहीं होने वाला है।

[अनुवाद]

6.00 म.प.

सभापति महोदयः हमने गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को 10 मिनट देरी से आरम्भ किया था । समान्यतः 6 बजे तक समय समाप्त होता है परन्तु हम सभा का समय 10 मिनट के लिये बढ़ाते हैं ताकि नष्ट हुये समय का उपयोग हो सके। क्या सभा इससे सहमत है?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री कालकादास : सभापति जी, यह मुद्दा राष्ट्र की सामाजिक सोच का नतीजा है और सामाजिक सोच के कारण ये पद भरे नहीं गए हैं। अभी हम आरक्षित पदों को पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आरक्षण का मामला इतना जटिल हो गया है कि कोई रोशनी नजर नहीं आती । सरकार ने बहुत वायदे कर दिये, यहां पर कानून पास हो गए, लेकिन ये लागू नहीं होते। यह इतना जटिल हो गया है कि अब कोई आशा नजर नहीं आ रही है। आप शेड्यूल कास्ट्स के लोगों को नौकरियों में उनके आरक्षण का संवैधानिक अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो उनमें निराशा पैदा हो रही है। इसलिए वह इकट्ठे होने लगे हैं। जैसे कल–परसों चन्द्रजीत यादव जी ने कहा था कि यह जो निराशा पैदा हो गई है यह गंभीर रूप न ले ले और यदि गंभीर रूप ले लगी तो इसके परिणाम देश के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसलिए सरकार को केवल कानून ही नहीं बनाना है, उसका पालन भी करना है। उस आधार पर सोच कर यह करना आवश्यक है।

अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, वह ओ.बी.सी. का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आगे से अ.जा. तथा जनजातियों के नागरिकों को पांच साल के बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यहां हमने बहुत सी बातें कहीं। पहले केसरी जी ने कह दिया कि ऐसा नहीं है। फिर उनको आदेश दिखाया तो उन्होंने इधर–उधर की बात कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह देता है तो जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो जाता तब तक उनकी बात मानी जाएगी, ऐसे नियम हैं, ऐसे कानून हैं। मेरा निवेदन है कि कई बार सरकार ने कहा कि हम संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं जिससे शेड्यूल्ड कास्ट्स के प्रमोशन में भी रिज़र्वेशन रहेगा। लेनिक कई बार आवाजें उठ चुकी हैं। अभी सरकार यह बिल लेकर नहीं आई है। मुझे आशा है कि सरकार इस संकेत को समझेगी और इसकी गंभीरता को समझेगी और सदन में संविधान में संशोधन लाएगी जिससे प्रमोशन में भी आरक्षण रहे। अगर प्रमोशन में आरक्षण नहीं रहेगा तो कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति आगे तरक्की नहीं कर सकता। उसको वहीं रोक दिया जाएगा। यह सामाजिक नाईमानदारी है, सामाजिक षड्यंत्र है कि इन लोगों को आगे न जाने दें। इसलिए तरह तरह के बहाने लगाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तब तो किसी भी व्यक्ति की तरक्की नहीं होगी और तरक्की नहीं होगी तो यह इस तरह से होगा जैसे एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से छीनना। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बिल को भी वह तुरंत लाएं और हैड आफॅ द डिपार्टमेंट पर पाबंदी लगाएं कि जिसके डिपार्टमेंट में आरक्षित पद पूरे नहीं होंगे उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा। जब तक ये पाबंदी नहीं लगाएंगे, तो इसी तरह से बहानेबाजी चलती रहेगी।

सभापति जी, यह बिल इसलिए है कि मिडिल और लोअर क्लास ही नहीं, उच्च पदों पर भी आरक्षण हो। हमारे राज्यपालों में कितने शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, कितने राजदूत आरक्षित श्रेणी के हैं? ऐसा नहीं है कि आरक्षित श्रेणी के लोगों में ऐफिशिएंसी की कमी है, यह सामाजिक दृष्टिकोण है। बाबू जगजीवन राम जी की प्रशासनिक कार्यकुशलता सभी जानते हैं जब उन्होंने मंत्रालय संभाला, लेकिन जनता पार्टी के समय जब वह उप–प्रधान मंत्री बने और संपूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण करने गए, तो वहां कुछ लोगों ने उसको गंगाजल से धोया कि वह अपवित्र हो गई है। यह जो सामाजिक बीमारी है।

हमें अपनी सामाजिक सोच को बदलना है। आज हमारी सामाजिक सोच यह है कि ऊपर से मीठी मीठी बातें की जायें लेकिन मन में यही रहे कि किसी तरह से ये लोग आगे न चले जायें और यदि कोई आगे चला जाता है तो उसे किस तरह से अपमानित किया जाये।

बाबा साहेब अम्बेडकर जब बड़ौदा महाराज के यहां सेवा करते थे तो चपरासी दूर से उनकी तरफ फाईल फेंकता था ताकि कहीं ऐसा न हो कि उनका साया भी उनके ऊपर पड़ जाये लेकिन उनमें योग्यता की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर कीर्तिमान स्थापित किये। इसलिये ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में योग्यता की कोई कमी है। जहां कहीं उन्हें सेवा का अवसर मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे वे कोई मिनिस्टर रहे हों, उप–मंत्री रहे हों या किसी दूसरे पद पर रहे हों, वे अपने काम में पूरे उतरे हैं। सवाल उन्हें सुविधायें देने का है।

अभी यहां डाक्टरों के बारे में बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि डाक्टरी कोर्स में जाने के लिये इन लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। लेकिन हमने ऐसे ऑपरेशन भी देखे हैं जिनमें मरीज के शरीर से कैंची निकली है, ऑपरेशन के बाद तौलिये निकले हैं। मेरा दावा है कि ऐसे मामलों में कोई अनुसूचित जाति और जनजाति का डाक्टर आपको नहीं मिलेगा। जिसे भी डाक्टर बनाया गया, उसने पूरी क्षमता से काम किया है और कीर्तिमान स्थापित किये हैं। परन्तु उनको डिस्कार्ड करने के लिये, उनका मनोबल तोड़ने के लिये इस तरह की बातें की जाती हैं कि डाक्टरी कोर्स के लिये इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिये या किसी दूसरी जगह रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिये।

अब जब इन लोगों को सुविधायें मिलने लगी हैं तो कुछ लोग जाली सर्टिफिकेट लेकर सरकारी नौकरियों में वे सुविधायें ले रहे हैं। जब तक उनके साथ अन्याय होता रहा, शर्मिन्दगी होती रही, समाज में उन्हें कुचला जाता रहा, उनके साथ नफरत की जाती रही, उस समय तक कोई उनके साथ भागीदार नहीं रहा लेकिन अब जबकि उन्हें कुछ सुविधायें मिलने लगी हैं तो जाली सर्टिफिकेट लेकर कुछ लोग उन्हें मिलने वाली सुविधायें ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी में तथा अन्य सेवाओं में ऐसे केस सामने आ रहे हैं। जब लोग कम्पलेंट करते हैं कि अमुक व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं है और छानबीन की जाती है तो मामला सामने आता है। लोग जाली सर्टिफिकेट ले लेते हैं जो फाईलों में बंद रहता है लेकिन समाज में अगर कोई उन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति कहता है तो वे उसका विरोध करते हैं।

जिस तरह से नागपुर की घटना हमारे सामने आयी। वहां कुछ लोगों ने अपनी जाति को ट्राइबल कैटेगरी में शामिल करने के लिये कहा, ट्राइबल लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की मांग की तो आपके ट्राइबल मिनिस्टर उनसे बात करने के लिये भी तैयार नहीं है। उसका परिणाम यह निकला कि 200 लोग मारे गये। आजादी के 45 साल बाद भी हमारे यहां ऐसी हालत है, आजाद हुये हमें कोई दो–चार या पांच साल नहीं हुए बल्कि आधी शताब्दी बीत गयी है, उसके बाद यदि आज कोई अपने अधिकारों की मांग करता है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिये हमें अपनी सामाजिक सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमारा संविधान कहता है कि ऐसे लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिये, उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिये।

इस बारे में मैं यहां अपने पिछले वाक्यों को दोहराना चाहता हूं कि यदि हम अपने देश को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले समाज के सबसे निचले तबके पर ध्यान देना पड़ेगा, उसे ऊपर लाना पड़ेगा, तभी हमारा देश शक्तिशाली और सुदृढ़ बन सकता है। देश से मेरा मतलब हम सब लोगों से है जिसमें एक चौथाई जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की है जो अभी तक कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी कमजोर है। शैक्षणिक दृष्टि से भी वह हिस्सा काफी कमजोर है। हम अपनी जनसंख्या के एक–चौथाई हिस्से को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते । किसी मरीज को यह कहकर पीछे नहीं छोड़ा जा सकता कि वह कमजोर है। इस तरह भारत सुदृढ़ और शक्तिशाली नहीं बन सकता। भारत को मजबूत बनाने के लिये जो हमारा सबसे नीचे का तबका है, कमजोर तबका है, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है, उसे शक्ति देनी होगी, उसकी आर्थिक उन्नति करनी होगी।

जैसे अक्सर कहा जाता है कि किसी घर में यदि चार बेटे हों और उनमें एक बच्चा कमजोर है तो माता–पिता का यह फर्ज बनता है कि उस कमजोर बच्चे को पौष्टिक आहार ज्यादा दें, उसे नर्सिंग फूड ज्यादा दें। यदि शारीरिक रूप से सुदृढ़ बच्चा उसका विरोध करता है कि उसे दूध ज्यादा क्यों दिया जाये या पौष्टिक आहार ज्यादा क्यों दिये जायें तो कमजोर बच्चा कमजोर ही बना रहेगा और घर आगे नहीं जा सकता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जब सभा की बैठक होगी तब जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कालकादास : जैसा आपका आदेश होगा, मैं वैसा करने के लिये तैयार हूं। यदि आज मुझे अपनी बात कहने का समय मिलता है तो मैं आज ही पूरा कर देता हूं। यदि सरकार इन लोगों की तरफ ध्यान देती तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही न पड़ती।

श्री कालकादास (करोलबाग) : आपने तो हमारा ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी का सपना भी पूरा नहीं किया । उसको भी अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति को साढे 22 प्रतिशत आरक्षण देंगे, लेकिन आप भूल गए। आपको गद्दियां मिल गईं और आप सत्ता के नशे में उसको भूल गए।

महोदय, चूंकि आप कह रहे हैं कि समय हो गया है। इसलिए मैं अपनी बात को इस पर जब भी आगे बहस होगी, तब बोलूंगा क्योंकि मुझे अभी आधा घंटा इस पर और बोलना है।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : धन्यवाद, श्री कालकादास। आप अगली बार जारी रख सकते हैं।

सभा, सोमवार 12 दिसम्बर, 1994 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

6.10 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 12 दिसम्बर 1994/21 अग्रहायण 1916(शक) के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।